खण्ड-253, अंक-8
बुधवार, 28 माघ, शक संवत् 1886
(17 फरवरी, 1965 ई0)

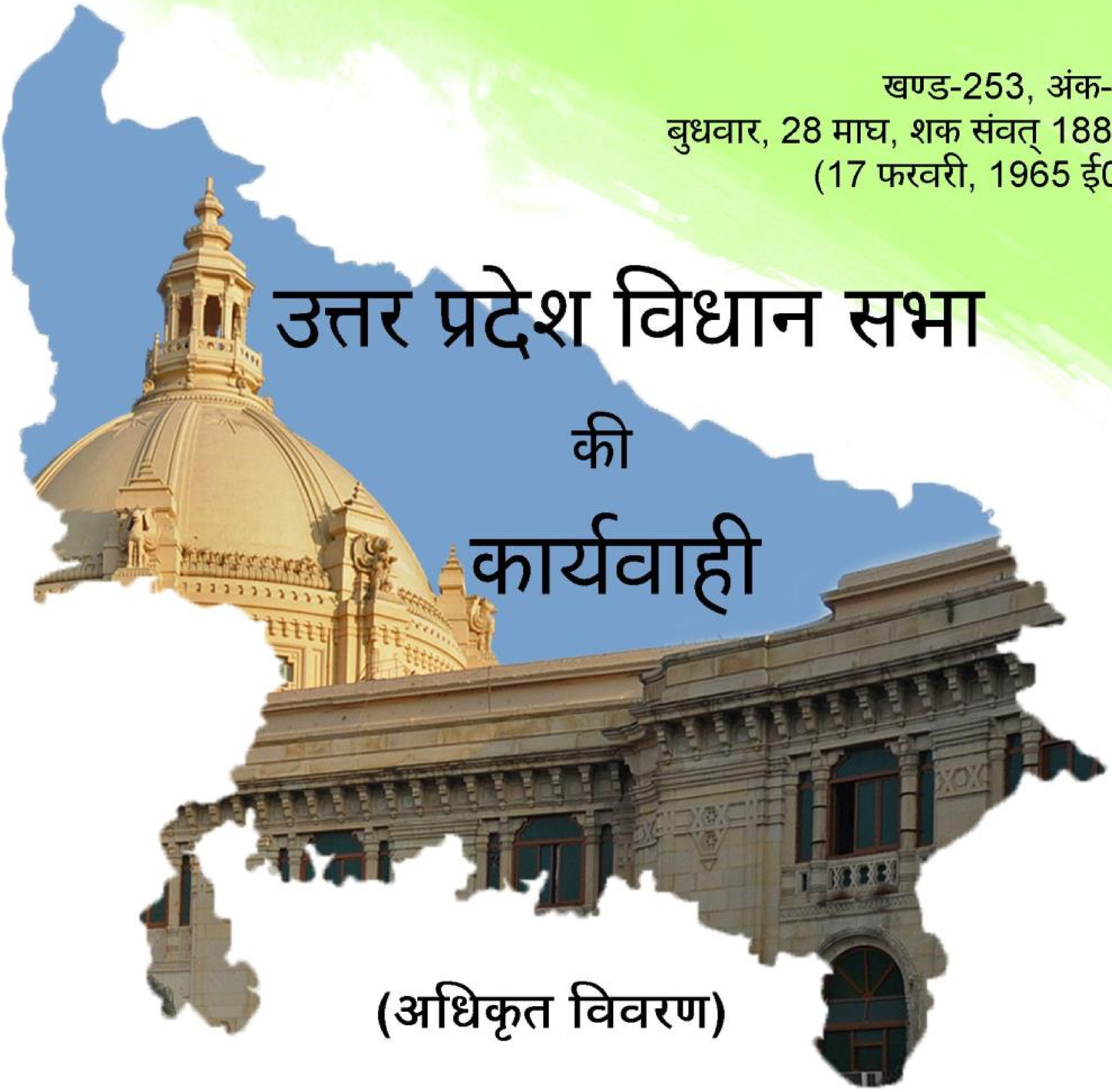

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 253 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	८६९–८७३
प्रश्नोत्तर	८७३–९०५
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं	९०६
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६५ (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	९०६
बरेली में विश्वविद्यालय खोलने के विषय में अभिसूचित याचिका के संबंध में जानकारी	९०६
मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अभिसूचित अविश्वास के प्रस्ताव के संबंध में जानकारी ..	९०७–९०८
मध्य प्रदेश विधान सभा में मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश की पुलिस पर दोषारोपण करने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	९०८
प्रदेश के विभिन्न बाजारों में चीन से तस्करी द्वारा आया हुआ सामान बिकने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	९०८–९०९
नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना के संबन्ध में जानकारी	९०९
नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य देने की व्यवस्था करने का सुझाव	९०९–९१०
श्री रामसुन्दर शास्त्री द्वारा अपने भाषण के एक अंश के संबंध में खेद प्रकाशन ..	९११
श्री महमूद हसन खां द्वारा प्रजा समाजवादी दल में सम्मिलित होने के संबंध में सूचना	९११
१९६५–६६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (जारी)	९१२–९६०
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६५ (विचारोपरान्त पारित)	९६०–९६८
उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५ खंडशः विचार जारी)	९६८–९८४
नत्थियां	९८५–९९३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १७ फरवरी, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ३३७

अक्षयवरसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरी प्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद, वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)

गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंद देवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नत्थरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री

बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मनसाराम, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार अनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री

रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त कण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री

हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:—वित्त मन्त्री, श्री कैलाशप्रकाश, गृह मंत्री, श्री हरगोविंदसिंह तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १७ फरवरी, १९६५

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

महापालिकाओं का चुनाव

**१—श्री कल्याण चन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) तथा श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की महापालिकाओं का चुनाव अप्रैल, १९६५ में सरकार कराने जा रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

जी हां । सभासदों का चुनाव माह अप्रैल, १९६५ में होने जा रहा है । विशिष्ट सदस्यों का चुनाव मई, १९६५ में तथा नगर प्रमुखों का चुनाव जून, १९६५ में होगा ।

**२—श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या सरकार कृपया बतावेंगी कि प्रदेश की महापालिकाओं के चुनाव हेतु प्रत्येक महापालिका का कोई वार्ड रोल तैयार हो गया है ? यदि हां, तो प्रत्येक महापालिका में वोटर की संख्या कितनी-कितनी है तथा चुनाव क्षेत्र कितने-कितने वार्डों में बांटे गए हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ३९ के अन्तर्गत बोर्ड रोल्स बनाने के लिए असेंबली रोल्स अंगीकृत किए जाते हैं । १९६५ के अंतिम असेम्बली रोल्स १ मार्च, १९६५ के प्रकाशित किये जायेंगे । वार्डों के परिसीमन की अंतिम आज्ञायें प्रकाशित होने के पश्चात् वार्ड रोल्स तैयार किए जायेंगे । आशा है यह २४ या २५ मार्च को प्रकाशित हो जायेंगे ।

प्रत्येक महापालिका में वोटरों की संख्या संलग्न सूची में दे दी गई है ।

प्रत्येक महापालिका में होने वाले वार्डों की संख्या भी इस सूची में दे दी गई है । इन सब वार्डों के एक सदस्य वार्ड बनाने की तजवीज है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९८५ पर)

**३—श्री कल्याण चन्द मोहिले तथा श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या सरकार कृपया बतावेगी कि महापालिकाओं के आने वाले चुनाव में मेम्बरों की संख्या इस समय जो है वही रहेगी अथवा उसमें कमी बेशी हुई है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

महापालिका में आने वाले चुनाव में सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन होने की आशा नहीं है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार के पास ऐसे सुझाव आये हैं कि अप्रैल में चुनाव न कराकर आगे के महीनों में चुनाव कराये जांय ? यदि हां, तो कहां-कहां से सुझाव आये हैं और क्या उन सुझावों के अनुकूल वह चुनाव कराने जा रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

जहां तक मुझे मालूम है ऐसा कोई लिखित सुझाव नहीं आया । जबानी बहुत से लोग कहते हैं कि चुनाव न हों।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि परिषदों के कार्यकाल के साथ नगर प्रमुखों का भी कार्य काल समाप्त हो जायगा या उनका बढ़ाया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

नगर प्रमुखों के लिए यह दिया हुआ है कि जब तक उनका सक्सेसर न चुना जाय वे रहेंगे ।

श्री बालोजी अग्रवाल—

क्या स्वायत्तशासन मंत्री जी बतायेंगे कि पिछली बार एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया था कि एक सदस्यीय वार्ड नहीं रहेंगे तो अब क्या कारण है कि एक सदस्यीय वार्ड बनाये जा रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस प्रश्न का तो पता नहीं है कि ऐसा कोई उत्तर दिया गया था कि एक सदस्यीय वार्ड न बनाये जायं लेकिन बहुत सी नगर पालिकाओं की तरफ से रिप्रेजेंटेशन हुआ और उन्होंने कहा कि एक सदस्यीय वार्ड बनाये जांय तो इस पर विचार हुआ और नगरमहापालिका अधिनियम में जो संशोधन हुआ था उस समय भी विचार हुआ तो फिर यह विचार तय हुआ कि ये बनाये जांय।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि सरकार ने नर्मी, गर्मी, सुविधा और असुविधा को देखकर यह निश्चय कर लिया है कि अप्रैल में चुनाव करा दिये जायं और इसमें परिवर्तन नहीं होगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सब चीजों का विचार करके यह तय किया गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या यह सही है कि कारपोरेशन के अन्दर वार्डों का परिसीमन फाइनल नहीं हो पाया है तो ऐसी हालत में जब फाइनल नहीं हुआ है तो चुनाव करा देने से कोई रुकावट नहीं होगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

फाइनल तो हो गया है। ड्राफ्ट प्रोपोजल तैयार हो गए हैं आब्जेकशन्स के लिए पब्लिश किए जा रहे हैं। इससे कोई रुकावट होने की आशा नहीं है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

अभी बनारस में काम पूरा नहीं हुआ है इसको देखते हुए वहां अप्रैल में चुनाव होने वाले नहीं हैं। इसलिए क्या मंत्री जी इस प्रश्न पर पुनः विचार करेंगे कि वहां वोटर लिस्ट और वार्ड रोल जल्दी तैयार किए जायें ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह सब हो जायेगा। बनारस वाले जरा देर करते हैं, अब जल्दी करेंगे।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

जो मतदाता सूची हम लोगों को दी गई है वह संशोधित है या पुरानी सूची के आधार पर ही वह है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

असेंबली की सूचियां हर साल बनती हैं। वही वोटर लिस्ट इसमें होती हैं। इसके अलावा जो इधर १९६४ में बनी थीं वह मुनादी करा कर और लोगों को बतला कर बनाई गयी है और लोगों को मौका दिया गया है। अब हर महापालिका में यही वोटर लिस्ट फाइनल हो रही है और उसके लिए फिर मौका दिया जायगा कि जिन लोगों के नाम रह गये हैं उसमें बढ़वा लें।

गोरखपुर तथा बस्ती सहकारी बैंक सम्बन्धित अविश्वास—प्रस्ताव

**४—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बतावेगी कि कोआपरेटिव बैंक, गोरखपुर के प्रबंध संचालक के विरुद्ध कोई हाल में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हुआ ? उक्त प्रस्ताव को रजिस्ट्रार सहकारी समितियां उत्तर प्रदेश ने अपने जनवरी २३ के पत्र में अवैध घोषित कर दिया ? क्या ऐसी ही घटना बस्ती सहकारी बैंक की विचाराधीन है ? वह कब की है और कब तक उसमें आदेश हो जायेंगे ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसी दास)—

जिला सहकारी बैंक, गोरखपुर के प्रबंध संचालक के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हुआ है।

जिला सहकारी बैंक गोरखपुर के पद ने अध्यक्ष (जिलाधीश गोरखपुर) ने अपने पत्र दिनांक २१ जनवरी, १९६५ द्वारा संचालक मंडल द्वारा प्रस्तावित अविश्वास के प्रस्ताव के संबंध में निबंधक के परामर्श मांगा। निबंधक ने जिलाधीश को अपने पत्र दिनांक २३, २५ जनवरी, १९६५ द्वारा यह सूचित किया कि बैंक की नियमावली तथा सहकारी नियमों में अविश्वास के प्रस्ताव का कोई प्रविधान न होने के कारण अविश्वास का प्रस्ताव अवैधानिक होगा। फिर भी बैंक के संचालक मंडल ने २९ जनवरी, १९६५ को प्रबंध संचालक के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया जिसे अभी तक अवैध घोषित करने की कोई कार्यवाही निबंधक ने नहीं की है। इस प्रस्ताव को कार्यन्वित होने से अदालत दीवानी ने रोक लगा दी है।

जहां तक बस्ती सहकारी बैंक में ऐसा प्रस्ताव पारित होने का संबंध है, इस विषय में निबंधक के कार्यालय में एक प्रार्थन -पत्र दिनांक ११ फरवरी, १९६५ को प्राप्त हुआ है। चूंकि उक्त विषय पर कोई हवाला निबंधक के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, इसलिए उप-निबंधक गोरखपुर से प्रतिवेदन मांगा गया है जिसकी प्रतीक्षा है।

श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पत्र ११ फरवरी, को बस्ती का प्राप्त हुआ है उसमें पिछले पत्रों का हवाला भी दिया है ?

श्री बनारसीदास—

जैसा अभी बतलाया गया है, पिछले पत्रों का हवाला है या नहीं यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन निबंधक के कार्यालय में पिछले पत्रों का कोई विवरण नहीं है ।

श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय—

जो अविश्वास के प्रस्ताव आते हैं उनकी सूचना जिलाधीश या निबन्धक द्वारा मिलती है ऐसी कोई सूचना बस्ती की भी मिली है ?

श्री बनारसीदास—

इस प्रकार की सूचना प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसमें किसी कार्यवाही का प्रश्न उस समय तक नहीं पैदा होता जब तक कि कोई प्रार्थना पत्र न दें ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि कोआपरेटिव बैंक जैसी संस्थायें सार्वजनिक हैं, उनके नियमों में अविश्वास के प्रस्ताव का कोई प्राविधान नहीं है । इसलिये क्या उनके नियमों में कोई अविश्वास के प्रस्ताव का प्राविधान करने का विचार मंत्री जी रखते हैं ?

श्री बनारसीदास—

कोआपरेटिव कानून के माहत इन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होता है और प्रत्येक सोसाइटी अपनी नियमावली रजिस्टर कराती है । उसमें वह संस्था इस प्रकार का प्राविधान अपने लिये कर सकती है और उसे रजिस्टर करने में निबंधक को कोई आपत्ति नहीं हो सकती । नये सहकारी कानून में इस सब पर हम विस्तृत रूप से विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आदर्श नियमावली तैयार की जाय जिसमें सब बातों का प्राविधान किया गया है ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

गोरखपुर में मैनेजिंग डाइरेक्टर के लिये अविश्वास का प्रस्ताव जो मैनेजिंग बोर्ड ने पास किया था, उसके बाद वहां काम कौन कर रहा है ? मैनेजिंग डाइरेक्टर या दूसरे कोई व्यक्ति ? जो दूसरे व्यक्ति काम कर रहे हैं क्या उनको रोका जायगा ?

श्री बनारसीदास—

इस संबंध में देवधारी उपाध्याय जो मैनेजिंग डाइरेक्टर थे उन्होंने एक मुकदमा दायर किया था जिस पर आर्बीट्रेशन की कार्यवाही होने वाली थी । उस पर यह आदेश हुआ था कि जब तक आर्बिट्रेशन का फैसला न हो जाय तब तक वही चार्ज में रहें, लेकिन बोर्ड आफ डाइरेक्टर ने चार्ज नहीं दिया । इस पर उन्होंने सिविल जज के यहां मुकदमा दायर किया और वहां से आर्डर हुआ कि वे किसी को चार्ज न दें । यह भी एम० डी० है और दूसरे भी एम० डी० हैं ।

श्री रामअवधसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि उत्तर प्रदेश से गोरखपुर की इस घटना के पूर्व और भी जगह इसी प्रकार की घटनायें हुई हैं जैसे बस्ती, जौनपुर, वगैरह ? तो जिन रूल्स के अनुसार यहां गोरखपुर में एलेक्ट किया गया और अविश्वास का प्रस्ताव आया वही अधिकार दूसरी जगह भी रहेगा ?

श्री बनारसीदास—

चूंकि यह मामला अदालत में है, इसलिये मेरे लिये कुछ कहना कठिन होगा ।

श्री रामअवधसिंह—

जब यह मामला अदालत में विचाराधीन है तो वहां के कोआपरेटिव बैंक को भंग करने की कोशिश क्यों की जा रही है ?

श्री बनारसीदास—

मुझे इसकी सूचना नहीं है कि उसको भंग करने का नोटिस दिया गया है। अदालत के सामने तो इतना ही प्रश्न विचाराधीन है कि जो नियम हैं उनके अनुसार अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है या नहीं। जहां तक बैंक का सवाल है, यह मैं मालूम करके ही बता सकता हूं।

तारांकित प्रश्न

बावन के बी० डी० ओ०, श्री रामसागर त्रिपाठी

*१—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में ब्लाक बावन के बी० डी० ओ० का क्या नाम है और कितने वर्षों से उस ब्लाक में हैं और क्या जिला परिषद् के अध्यक्ष के कोई संबंधी हैं या रिश्तेदार हैं ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

हरदोई जिले के विकास खण्ड बावन के वर्तमान खण्ड विकास अधिकारी का नाम श्री रामसागर त्रिपाठी है। वह उस ब्लाक में दिनांक १६-८-६४ से कार्य कर रहे हैं। वह जिला परिषद् के अध्यक्ष के संबंधी या रिश्तेदार नहीं हैं।

*२—श्री मोहनलाल वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस तारीख से यह बी० डी ओ० इस ब्लाक में आये, कितनी V. L. W. (W) women आईं ? कितने समय रहीं तथा उनके transfer का क्या कारण था ?

श्री राममूर्ति—

श्री रामसागर त्रिपाठी बी० डी० ओ० की बावन ब्लाक में नियुक्ति के बाद कुमारी माया देवी अप्रशिक्षित ग्राम सेविका के नियुक्ति दिनांक १२-९-६४ को हुई थी और क्षेत्रीय सहायक निदेशिका (महिला) समाज कल्याण लखनऊ मंडल के आदेश सं० ८५८-६२ ई० स० नि० (म०) ६४-६५ दिनांक २-११-६४ के अनुसार उनकी सेवायें प्रशिक्षण में जाने हेतु समाप्त कर दी गई थीं। दिनांक २१-१२-६४ को कुमारी आशिया खातून की नियुक्ति अप्रशिक्षित ग्राम सेविका के पद पर की गई है। जो अब भी कार्य कर रही है। किसी ग्राम सेविका का स्थानान्तरण नहीं किया गया है।

*३—श्री मोहनलाल वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश हरदोई को ब्लाक बावन (हरदोई) के बी० डी० ओ० के कार्यालय में जितनी V. L. W. (W) women आयीं उन्होंने इनके चरित्र की शिकायत की और अपना तबादला कराती रहीं और इस समय कोई मारपीट का मुकदमा उन पर चल रहा है ? यदि हां, तो क्या कारण है और कौन-कौन उसमें शामिल हैं ?

श्री राममूर्ति—

जिलाधीश हरदोई को ब्लाक बावन के वर्तमान बी० डी० ओ० के विरुद्ध किसी वी० एल० डब्लू० (डब्लू) ने उनके चरित्र की शिकायत नहीं की है और न ही उक्त बी० डी० ओ० के कार्यकाल में तबादला ही कराया है। इस समय उन पर कोई मारपीट का मुकदमा नहीं चल रहा है।

जिला परिषद्, बाराबंकी में कार्य अधिकारी का पद

*४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बाराबंकी में रिक्त स्थान पर जिला कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति जो लोक सेवा आयोग द्वारा होनी चाहिये थी उसका नोटीफिकेशन कब तक करा दिया जायगा ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय)—

शासन ने जिला परिषदों में कार्य अधिकारी के पद के लिये एक केन्द्रीय सक्राम्य वर्ग (Central Transferable Cadre) सृजन करने का निश्चय किया है। नियुक्ति संबंधी नियमों के तैयार हो जाने पर लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था की जायगी।

*५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त रिक्त स्थान पर जिसकी नियुक्ति की गई है वह अवैधानिक है क्योंकि इस जगह के भरने के लिये कोई आवेदन-पत्र नहीं मांगे गये और ऐसे व्यक्ति को रख लिया गया जिसकी सर्विसेज उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित की जा चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार लीगल एडवाइजरों की सलाह के पश्चात् इस नियुक्ति को कैंसिल करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जिला परिषद् ने अपने कर अधिकारी की अस्थाई रूप से कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति की है। अतः आवेदन पत्र मांगने का प्रश्न नहीं उठता। चूंकि यह नियुक्ति नियमानुसार की गई है अतः इसे रद्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, जिन कार्याधिकारी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि वे पहले टैक्स आफिसर थे, ऐसी बात नहीं है। बहुत पहले यह टैक्स आफिसर थे, किन्तु बाद को उन्होंने यह काम छोड़ दिया था और यह दूसरे आफिसर नियुक्त हो गये थे। हाई कोर्ट में उनका केस गया था और हाई कोर्ट ने उनको हटा दिया था। परन्तु जिला परिषद् के अध्यक्ष ने बिना नियमों आदि का पालन किये, पहले दो चार दिन के लिये उन्हें टैक्स आफिसर बनाया, फिर कार्याधिकारी के पद पर नियुक्त कर दिया। तो क्या सरकार इस संबंध में जो अनियमितता हुई है, उसकी जांच करायेगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जिला परिषदों का विघटन होने के बाद जब अंतरिम जिला परिषदें बनीं, उस समय सन् ५६ में इनकी नियुक्ति को हाईकोर्ट ने करार दिया था। किन्तु जब बाद को ऐक्ट बन गया तो उसके अन्तर्गत वहां के इंजीनियर्स और कार्याधिकारी वगैरह का एक सेन्ट्रल ट्रान्सफरेबिल कडर बना दिया गया। उसके रूल्स इस समय पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने है, जब वे फाइनल हो जायेंगे तो उनके अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस बात को देखते हुए कि जो यह नियुक्ति हुई है वह सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं हुई है और वहां के अध्यक्ष तथा कुछ मेम्बरों ने मिल कर गलत तरीके से धारा ४४ के खिलाफ की है, इसकी पुनः जांच करायेंगे और इस नियुक्ति को अवैध घोषित करेंगे ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

उसी धारा में यह भी है कि जिला परिषदें एक साल तक अस्थायी रूप से जिसे चाहे उसे कार्याधिकारी नियुक्त कर सकती हैं। किन्तु जब पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा रूल्स फाइनल हो जायेंगे, उसके अनुसार कार्यवाही होगी और इनकी नियुक्ति भी तो सब्जेक्ट टु फिटनेस बाई दि कमीशन होगी।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

पहले जिला बोर्ड में कार्याधिकारी का कोई पद नहीं था। यह तो नया पहले पहल पद बना है। तो उसके बारे में कोई क्वालिफिकेशन वगैरह भी निर्धारित है नियमों में ? अगर है, तो वह क्या है ?

श्री राममूर्ति—

जब जिला बोर्ड थे तब सेक्रेटरीज हुआ करते थे, उन्हीं की जगह को वही लोग, कार्याधिकारी का कार्य कर रहे हैं। जो टैक्स इंस्पेक्टर होते थे उन्हीं को इन जगहों पर प्रोमोट कर दिया जाता था। कानून के अनुसार एक साल बाद तक अस्थायी रूप से उनकी नियुक्ति का अधिकार जिला परिषदों के अध्यक्षों को है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वह बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है और इस पद पर कोई नियम वगैरह न होने के कारण गुटबन्दी के आधार पर कार्याधिकारी की नियुक्ति होती है जिससे उनके लिये काम करना भी मुश्किल हो जाता है, सरकार क्या इस प्रश्न पर विचार करेगी। कि इन जगहों पर पी० सी० एस० ग्रेड के ही लोग रखे जायं ?

श्री राममूर्ति—

जिला बोर्ड में जब सेक्रेटरीज की नियुक्ति होती थी तो उनके लिये यह नियम था कि वे कम से कम बी० ए० हों। लेकिन अब जो नया कैडर बन रहा है उसके नियम पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने हैं। अब तो उन्हीं के अनुसार कार्य होगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस नियुक्ति के संबंध में सरकार के पास क्या ऐसी शिकायत भी आयी है कि वे एक साल से अधिक समय से वहां पर कार्य कर रहे हैं जो अवैधानिक है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की और वे अधिक समय से क्यों कार्य कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—

यह जो माननीय सदस्य ने फरमाया है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने एक अनियमितता की है। वह टैक्निकल मिस्टेक हुई है। इसी आधार पर उनकी बात को हाईकोर्ट ने मान लिया। सरकार ने भी नियुक्ति खारिज करने के बाद फिर नियुक्ति दे दी। यह इजाजत उसी वक्त के लिये दी जा रही है जब तक कि नियम इस संबंध में नहीं बन जाते।

श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एक्जीक्यूटिव आफिसर पांच छः साल से काम कर रहे हैं एक ही जगह पर, उनकी नियुक्ति का कोई कार्यकाल निर्धारित करने पर क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति—

सरकार की तरफ से नहीं कहा जाता कि नियुक्ति की जाय या न की जाय। जब उसकी सर्विसेज खत्म हो जाती हैं या रि-एम्प्लायमेन्ट करना चाहते हैं तो सरकार उसकी इजाजत देती है या इन्कार भी कर देती है।

परिवार नियोजन विभाग में अविवाहित महिला कर्मचारी

*६—श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या परिवार नियोजन विभाग में ऐसी महिला कर्मचारी भी हैं जो शादी शुदा नहीं हैं ? यदि हां, तो वह क्या-क्या सेवायें करने के लिये नियुक्त हैं ?

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पाण्डेय)—

जी हां, परिवार नियोजन विभाग में ऐसी महिला कर्मचारी भी हैं जो शादी शुदा नहीं हैं। ये अपने क्षेत्र में परिवार नियोजन विधियों का जनता में प्रचार करती हैं तथा गर्भ निरोधक उपकरणों का उचित वितरण करती हैं। परिवार नियोजन संबंधी प्रचार कार्य भी करती हैं। जनता को स्वास्थ्य शिक्षा देती हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब कि हमारी संस्कृति है और हमारी एक तहजीब है और जब हम शर्म और हया को अनमोल समझते हैं तो क्या यह उचित है कि कुंवारी लड़कियां परिवार नियोजन का प्रचार घर-घर जाकर करती फिरें ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन के संबंध में मर्दों के स्टेरेलाइजेशन का जो एक आन्दोलन चल रहा है, उसका एक सम्प्रदाय यह कहकर विरोध करता है कि उनके धार्मिक कर्त्तव्यों में इससे बाधा पड़ती है। तो क्या सरकार यह करने जा रही है कि उस प्रत्येक मर्द को स्टेरेलाइज कर दिया जाय जिसके तीन बच्चे हो चुके हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न तो कुंवारी लड़कियों की लाज बचाने के लिये है।

मैनपुरी जिले में एक कोआपरेटिव सुपरवाइजर

*७—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में इस वक्त ऐसे कोआपरेटिव सुपरवाइजर कितने हैं जिनको लगातार एक ही स्थान पर रहते पांच साल से अधिक हो चुके हैं ?

श्री बनारसीदास—

मैनपुरी जिले में इस समय दो कोआपरेटिव सुपरवाइजर पांच वर्ष से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो दो कोआपरेटिव सुपरवाइजर पांच साल से अधिक एक ही स्थान पर रह रहे हैं, वे कब तक हटा दिये जावेंगे ?

श्री बनारसीदास—

एक तो इनमें महावीरसिंह राठौर हैं और दूसरे राममूर्तिसिंह हैं जो पांच वर्ष से ऊपर काम कर रहे हैं। श्री राठौर एक ही स्थान पर ११-७-५८ से २८-२-६३ तक थे और वहां पर मंत्री व्यवस्थापक हैं। इनको मैनपुरी जिले से बाहर भेजा जा रहा है और सरकार के विचाराधीन है। और दूसरे व्यक्ति सन् ५९ से काम कर रहे हैं। इनको भी हटाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

श्रीमन्, ऐसा देखा गया है कि जो सुपरवाइजर एक ही जगह ज्यादा वक्त रह लेते हैं वे अधिक गड़बड़ करते हैं। क्या सरकार ऐसा प्रबन्ध करेगी कि एक सुपरवाइजर एक स्थान पर दो साल से अधिक न रहे ?

श्री बनारसीदास—

इस वक्त ऐसे नियम हैं कि एक सुपरवाइजर एक स्थान पर तीन साल से अधिक न रहे। इस प्रकार का परिपत्र अभी अक्तूबर में हमने जारी किया था और इस पर बहुत सख्ती से अमल कराने के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं कि कोई आदमी जिले में ५ साल से अधिक न रहे।

श्री माधोनारायण मुद्गल (जिला मैनपुरी)—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि यह कायदा है कि सुपरवाइजरों का तबादला जिले में किया जाय तो मैनेजिंग डाइरेक्टर को कंसल्ट करके किया जाय लेकिन मैनपुरी जिले में ऐसा न करके और वहां पर इस रूल को काटने के लिये दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह सुपरवाइजरों को आफिस अटैच कर लिया जाता है और फिर उनको पोस्टिंग की शकल दी जाती है, इस तरह से ट्रांसफर करते हैं जिससे कि मैनेजिंग डाइरेक्टर की कन्सेन्ट न लेनी पड़े ?

श्री बनारसी दास—

यह सवाल तो वैसे इससे पृथक है। इसके बारे में तो मुझे जानकारी हासिल करनी पड़ेगी लेकिन वैसे अभी मैं गया था तो मेरे नोटिस में कुछ लोग यह चीज लाये थे। केवल दो सुपरवाइजरों का मामला है जो कि ज्यादा समय से थे और उनको हटाया गया है। तो यह प्रायः करके जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उनके अधिकार की चीज है कि जहां पांच साल से अधिक के सुपरवाइजर हों उनको अपने रीजन में दूसरी जगह भेज दें। इसके बारे में यदि माननीय सदस्य प्रश्न अलग से पूछेंगे तो मैं सूचना मंगा लूंगा।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार के सामने ऐसी क्या कठिनाइयां पैदा हो गईं जो इन दो सुपरवाइजरों को पांच साल से अधिक समय तक रखा गया ?

श्री बनारसीदास—

यह सब सवाल सरकार के सामने तो आता नहीं, यह जिले से ही संबंधित होता है और फिर इसके अतिरिक्त जहां तक सुपरवाइजर्स का संबंध है यह यूनियन के कर्मचारी हैं, सरकारी

कर्मचारी भी नहीं हैं और आखीर में यूनियन के सामने मामला आता है। जिलों की अनुशासन समितियां होती हैं और प्रदेश की अनुशासन समिति होती है। सरकार तो इसमें कहीं आती नहीं।

सिनेमा उद्योग को मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत लेने की संस्तुति

*८—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिनेमा इन्डस्ट्री में मिनिमम वेजेज ऐक्ट प्रदेश में लागू हैं? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्या कारण है?

श्री बनारसीदास—

जी नहीं। यह उद्योग मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजनों (Scheduled Employment) में शामिल नहीं है।

*९—श्री ऊदल—

क्या सरकार इस उद्योग में कार्य करने वाले कर्मचारियों के रहन-सहन, वेतन नौकरी की शर्तों आदि की जांच के लिये कोई जांच आयोग नियुक्त करने पर विचार कर रही है?

श्री बनारसीदास—

जी नहीं।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस उद्योग को मिनिमम वेजेज के अन्तर्गत शामिल न करने के कारण क्या हैं?

श्री बनारसीदास—

इसमें ज्यादातर यह सिनेमा बड़े-बड़े शहरों में हैं और वहां दूकान का अधिनियम लागू है। सिवाय मिनिमम वेजेज को छोड़ करके बाकी छुट्टी इत्यादि की दूसरी सुविधायें उससे उनको मिल जाती हैं। दूसरे, मिनिमम वेज जो फिक्स किये गए हैं उससे कम वेतन उनको नहीं मिलता। इसलिये इस पर विचार नहीं किया गया। अभी सन् ६४ में कुछ उद्योगों को मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत लिया गया था लेकिन सिनेमा इंडस्ट्री को उसमें कवर करने का विचार नहीं किया गया।

श्री ऊदल—

उनको मिनिमम वेजेज से बहुत कम तनख्वाह मिलती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री जी इसकी पुनः जांच करायेंगे और उसके बाद फिर इसको मिनिमम वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत रखने के प्रश्न पर विचार करेंगे?

श्री बनारसीदास—

हमारे प्रदेश के विभिन्न जिलों सिनेमाओं के अन्दर क्या वेतन मिलता है, इसकी सूचना हम मंगायेंगे और उसके आधार पर अध्ययन करने की कोशिश की जायगी।

मैनपुरी जिले में ग्राम सेवकों का चयन

*१०—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन ग्राम सेवकों का सेलेक्शन सरकार ने इसी वर्ष सन् ६४ में किया है उसमें मैनपुरी जिले से कितने राजनैतिक पीड़ितों ने प्रार्थना-पत्र दिये थे और उक्त प्रार्थियों में से कितने ग्रेजुएट थे?

श्री बंशीधर पांडेय—

गत वर्ष (१९६४ में) ग्राम सेवकों का कोई चुनाव नहीं किया गया है। अतः शेष प्रश्न नहीं उठते।

कुरावली से सहूरन बेगम का पत्र

*११—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के टाउन एरिया कुरावली से इसी साल अभी छः महीने के अन्दर समाज कल्याण मंत्री के द्वारा श्रम मंत्री को बेवा सहूरन बेगम ने और भी कई बेवाओं ने ऐसे प्रार्थना-पत्र दिये हैं कि हम लोगों को वृद्धावस्था की पेन्शन करीब १५ माह मिलने के बाद गत १३ माह से रोक दी गई है? यदि हां, तो क्या कारण है और कब से पेन्शन मिलने लगेगी?

श्री बनारसीदास—

जी हां, केवल सहूरन बेगम का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। पता बदल देने के कारण उन्हें पेन्शन नहीं दी जा सकी थी। परिवर्तित पता आवश्यक जांच करने के बाद स्वीकृत कर लिया गया और उन्हें अब पेन्शन मिल रही है।

ऐलोपैथिक अस्पतालों की नई योजना

*१२—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय एलोपैथिक अस्पतालों के लिये कोई नयी योजना बनाई जा रही है जिसके अनुसार कुछ अस्पताल आयुर्वेदिक औषधालय के रूप में परिवर्तित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी हां। यह निर्णय किया गया है कि १०० ग्रामीण एलोपैथिक अस्पतालों में जहां डाक्टर नहीं हैं उन निर्धारित योग्यता प्राप्त चिकित्सकों को तैनात किया जावे जिन्होंने आयुर्वेद या तिब व एलोपैथी के मिश्रित पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा प्राप्त की है।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न संख्या ५० भी इसी विषय पर है, उसे भी साथ ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप इसी पर पूरक प्रश्न कर सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि यह निर्णय प्रदेश के अस्पतालों में लागू कर दिया गया है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह स्वीकृत हो चुकी हैं और इसमें नियुक्तियां होने जा रही हैं।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांवों में स्थित एलोपैथिक अस्पताल ही इसमें लिये जा रहे हैं या शहरों के भी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

केवल डी क्लास के इसमें लिये जा रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या यह योजना केवल गांव के अस्पतालों के लिये है? यदि हां, तो शहर में लागू न करने का क्या कारण है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

गांव के अस्पतालों के लिये एलोपैथिक डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं। तो आयुर्वेदिक चिकित्सकों का वहां के लिये सोचा गया।

श्री ब्रह्मदत्त माथर—

एलोपैथिक भर्ती में लखनऊ के कालेज के ही डाक्टरों को लिया जाता है या और जगहों के पास शुदा डाक्टरों को भी लिया जाता है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का स्नातक एलीजिबिल है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मंत्री जी की कोई विशेष योजना है इन अस्पतालों में डाक्टर भेजने के लिये यह बताने की कृपा करेंगे?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

विशेष योजना यही है कि जहां पहले एलोपैथिक अस्पताल थे वहां अब इस योजना के अन्तर्गत मिश्रित अस्पताल होंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव—

चूंकि देहात में डाक्टर जाना इसलिये पसन्द नहीं करते हैं कि वहां के लिये कोई विशेष अलाउन्स नहीं है और उनके बच्चों की शिक्षा आदि में कठिनाई होती है, इसलिये सरकार देहात के एलोपैथिक डाक्टरों को कोई भत्ता आदि देने पर विचार करने की कृपा करेगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अलाउन्स बढ़ाये लेकिन फिर भी एलोपैथिक डाक्टर वहां जाने के लिये उपलब्ध नहीं हुए।

श्री कल्पनाथसिंह—

हर ब्लाक स्तर पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुले हैं और अधिक खोलने की योजना है। सभी ब्लाक देहाती क्षेत्र में पड़ते हैं। तो क्या वे सेंटर एलोपैथिक अस्पतालों में तब्दील कर दिये जायेंगे?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

वे तब्दील नहीं किये जावेंगे।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

इस बात को देखते हुए कि समाज में बुरजुआफ़ीकेशन के कारण लोग और देहात के जवान किसान भी शहरों में रहना चाहते हैं तो जैसे हिल में डाक्टरों को हिल अलाउन्स दिया जाता है वैसे ही सरकार देहात के लिये भी डाक्टर को विशेष अलाउन्स देने पर विचार करेगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कुछ प्रबन्ध अवश्य किया गया था, लेकिन इस योजना को भी देख लिया जायगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—

सीधा सवाल है कि क्या सरकार देहात के क्षेत्र के डाक्टरों के लिये कोई विशेष अलाउन्स अब देने पर विचार करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री कृष्णानन्दराय—

पहले सरकार की ओर से यह एनाउंस किया गया था कि हर ५ मील पर एलोपैथिक अस्पताल होगा, तो क्या उसे समाप्त करके ये मिश्रित अस्पताल खोलने की योजना है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का एलान था, न कि एलोपैथिक अस्पताल खोलने का।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या यह सही है कि अब २०, २० मील की दूरी पर अस्पताल हैं और ब्लाक के केन्द्र के अस्पताल हटाये जा रहे हैं ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर इस योजना को लागू करने का सवाल नहीं है। अगर माननीय सदस्य कहीं का हमें बतलायेंगे तो हम उसका इन्तजाम करेंगे इन्टीग्रेटेड कोर्स के लड़कों को एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों शिक्षा प्राप्त हैं, तो दोनों तरह की [illegible] की सुविधा होगी। दोनों ही तरह की दवाइयां भी रहेंगी।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि जिस कीमत की दवाइयां एलोपैथिक अस्पतालों में दी जाती हैं उसी कीमत की आयुर्वेदिक अस्पतालों में भी देंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

कीमत का कोई सवाल नहीं है। जो दवाइयां जरूरी होंगी भेजी जायंगी।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या माननीय मंत्री जी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि गांवों के प्रति सरकार की हमेशा से उपेक्षापूर्ण नीति है और अब भी है, बतायेंगे कि देहातों में जहां गरीब लोग रहते हैं वहां के लिये ही इस प्रणाली को क्यों स्वीकृत किया गया है और शहरों के लिये इसको लागू क्यों नहीं किया गया ? अगर डाक्टरों की कमी है तो शहरों में भी एलोपैथिक चिकित्सालयों के स्थान पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय क्यों नहीं खोले जा रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

माननीय सदस्य तो शायद इस समय गलतफहमी के कारण ऐसा सवाल पैदा कर रहे हैं जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सा बिलकुल बेकार ही हो। जहां अभी तक केवल कंपाउन्डर्स थे वहां हम इन डाक्टरों को भेज रहे हैं। उनके भेजने से पहले से स्थिति अच्छी ही होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, हमको शिकायत यह है कि हमारे यहां एक डेढ़ लाख की आबादी के लिये जो डाक्टर है उसको भी तब्दील किया जा रहा है उमाशंकर जी के यहां परसरामपुर में जो एलोपैथिक अस्पताल है, जिसके आसपास २५ मील तक कोई अस्पताल नहीं है, वहां के डाक्टर को भी हटाया जा रहा ह। जहां डाक्टर नहीं है वहां के अतिरिक्त जिन अस्पतालों में एलोपथिक डाक्टर काम कर रहे हैं, वहां से उनको क्यों हटाया जा रहा ह ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

अस्पताल कई हिस्सों में बंटे हुए हैं, ए०, बी०, सी०, डी० में। अब डी० क्लास की जो डिस्पेंसरीज हैं उनके लिये यह सोचा गया है कि चूंकि डाक्टरों की कमी है इसलिये उनमें इन्टीग्रेटेड कोर्स पास डाक्टरों को भेज दिया जाय। अगर ऐसी कोई डिस्पेंसरी है, जहां कोई शिकायत पदा हो गयी है, तो अगर माननीय सदस्य हमें सुझाव देंगे तो हम उस पर विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष--

(श्री रघुनाथ सिंह के खड़े होने पर) आप बैठ जाइये। अगर आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप नियम ५० के अन्तर्गत दरख्वास्त दे दीजिये, हम उस पर विचार कर लेंगे। लेकिन अब इस प्रश्न पर १५ मिनट हो गय हैं और अभी आप उस पर और प्रश्न करना चाहते हैं यह उचित न होगा।

श्री रघुनाथ सिंह--

माननीय मंत्री जी ने मेरी समझदारी पर आशंका प्रकट की है। इसका जबाब मिलना चाहिये कि अगर डाक्टरों की कमी है तो देहातों में यह चीज क्यों लागू की जा रही है, शहरों में क्यों लागू नहीं की जा रही ह ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

फतेहपुर मड़ाव विकास खण्ड में स्वास्थ्य केन्द्र

*१३--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर मड़ाव जिला आजमगढ़ विकास खंड के अन्तर्गत किस ग्राम में और कब स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जिला आजमगढ़ के फतेहपुर मड़ाव मुख्यालय पर चालू वित्तीय वर्ष में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जान के आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा पर कितना रुपया खर्च करने का अनुमान है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यहां पर भवन निर्माण के लिये ६२ हजार, ८,५०० साज-सज्जा के लिये, इस प्रकार कई मदों में अलग-अलग खर्च ह।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि अभी तक भवन बनाने के लिय पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर को कोई आदेश नहीं गये हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सरकार ने तो यह आदेश दे दिया कि यह प्राइमरी हेल्थ सेन्टर बने, उसके लिये रुपया भी है। लेकिन यह चीज जिले के लेविल पर तय होती है कि ब्लाक हेड क्वार्टर कहां रहे। जहां तय हो जायगा वहीं जमीन लेकर बन जायगा।

सहकारी बैंक, फतेहपुर का अवक्रमण

*१४—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक फतेहपुर को किन कारणों से कब सुपरसीड किया गया ?

श्री बनारसीदास—

जिला सहकारी बैंक, फतेहपुर सहकारिता तथा बैंक के नियमों का उल्लंघन कर रहा था, विभागीय व रिजर्व बैंक के निर्देशों की अवहेलना कर रहा था, संचालक मण्डल दलगत राजनीति में भाग ले रहा था। इन्हीं कारणों से उप-निबन्धक, सहकारी समितियां, इलाहाबाद ने बैंक को १० दिसम्बर, १९६३ को सस्पेंड कर दिया।

*१५—श्री नाथूराम शिक्षक (अनुपस्थित)—

क्या सरकार ने उक्त बैंक के प्रबन्ध हेतु कोई एडहाक बाडी नियुक्त कर दी है ? यदि हां, तो (क) उसमें कौन-कौन से सदस्य हैं, (ख) कौन-कौन से सदस्य सुपरसीड करते समय बैंक के डायरेक्टर्स थे ?

श्री बनारसीदास—

जी हां। उप-निबन्धक, इलाहाबाद में एडहाक बाडी नियुक्त कर दी थी।

(क) सूची (क) संलग्न है।

(ख) सूची (ख) संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९८६ पर)

*१६—श्री नाथूराम शिक्षक (अनुपस्थित)—

उक्त बैंक का वैधानिक चुनाव कब तक कराया जा सकेगा ?

श्री बनारसीदास—

चुनाव १० जनवरी, १९६५ को सम्पन्न हो गया।

जिला परिषद् कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु

*१७—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषदों के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु ५८ से ६० वर्ष करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह विचार कब तक हो जायगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं।

वेतन अभिनवीकरण समिति

*१८—श्री उग्रसेन—

क्या वित्त मंत्री कृपया बताएंगे कि वे कमेटी उत्तर प्रदेश का निर्णय कब तक सरकार को प्राप्त हो जायगा ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

वेतन अभिनवीकरण समिति का कार्यकाल अप्रैल, १९६५ के अन्त तक बढ़ाया गया है। इस अवधि में कभी भी समिति अपनी रिपोर्ट दे सकती है।

*१९—श्री उग्रसेन—

क्या यह सही है कि सचिव वेतन अभिनवीकरण समिति ने सभी राजकीय कर्मचारियों में काम करने वाले यूनियन को दिनांक २३ अक्तूबर, १९६४ को लिखा है कि वे उक्त समिति के समक्ष साक्ष्य के लिये प्रतिनिधि न भेज कर राज्य कर्मचारी सदस्य भेजें ?

श्री जयराम वर्मा—

जी नहीं। दिनांक २३ अक्तूबर, १९६४ को सभी राजकीय कर्मचारियों में काम करने वाले यूनियनों को ऐसा कोई पत्र नहीं भेजा गया।

श्री उग्रसेन—

वेतन अभिनवीकरण समिति के सेक्रेटरी श्री जैन ने रोडवेज मजदूर सभा के मंत्री को दिनांक २३ अक्तूबर, १९६४ को एक पत्र लिखा कि उक्त समिति के समक्ष जो लोग भी साक्ष्य के लिये आवें वे राज्य कर्मचारी ही हों, कोई बाहरी प्रतिनिधि उसमें न आवें। यह पत्र मेरे पास है लेकिन आज उसे मैं नहीं ले आया हूं। फिर आपने इसके जवाब में कैसे कह दिया—"जी नहीं" ?

श्री जयराम वर्मा—

आपका प्रश्न था कि सभी यूनियनों को इस तरह का पत्र २३ अक्तूबर को लिखा गया ? तो २३ अक्तूबर को सभी यूनियनों को इस तरह का पत्र नहीं लिखा गया। जहां तक माननीय प्रश्नकर्ता का सम्बन्ध है उनको उस तारीख को पत्र लिखा गया। उनको यह लिखा गया कि उस यूनियन को जिसके कि वे सेक्रेटरी हैं, साक्ष्य देना हो तो समिति के सामने ऐसे आदमी को भेजा जाय जो कि राज्य कर्मचारी हों।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किस विधि विधान या श्रम कानून के अनुसार, किस अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इस किस्म का पत्र लिखा गया जब कि एक न्यायिक कमीशन राज्य कर्मचारियों के वेतन व भत्ते के सम्बन्ध में जांच के लिये बैठा है ?

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमान् जी, यह समिति अपनी प्रक्रिया बनाने में सक्षम थी और उसने मौखिक साक्ष्य लेने के सिलसिले में यह नियम बनाये कि जो सेवा संघ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हैं केवल उन्हीं के प्रतिनिधि ३ की संख्या तक साक्ष्य के लिये बुलाये जायेंगे। और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सेवा संघ वही होते हैं जिनको सिर्फ एक स्पष्ट श्रेणी के कर्मचारी मिल कर बनावें और उसके लिये नियम यह भी है कि उसकी कार्यकारिणी में ऐसे ही लोग हों जो उसके सक्रिय राज्य कर्मचारी हों। उसमें कोई ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है जो कि उसी श्रेणी का सेवा निवृत्त कर्मचारी हो, लेकिन उसके लिये शर्त यह है कि वह किसी राजनीतिक पार्टी से सम्बन्धित न हो।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सन् १९४७ में जो उत्तर प्रदेश वेतन कमेटी बैठी थी उसके समक्ष साक्ष्य देने के लिये जो यूनियन के प्रतिनिधि आये थे उसमें बाहर के लोग भी थे, न कि केवल राज्य कर्मचारी तो आज जो यह वेतन अभिनवीकरण समिति बैठी है, उसने उससे अलग हट कर ऐसा नियम क्यों बनाया ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने तो बतलाया कि उसे इसका अधिकार था कि वह स्वयं अपनी प्रक्रिया का निर्माण करे।

श्री उग्रसेन—

आपने कहा कि मान्यता प्राप्त यूनियनों को ही ऐसा लिखा गया था। मेरी मजदूर सभा को सरकार ने मान्यता नहीं दी है, तो क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि हमारी यूनियन को ही ऐसा क्यों लिखा गया ?

श्री अध्यक्ष—

आप तो इस सभा के सदस्य हैं।

श्री उग्रसेन—

क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों की सही मांगें उनके समक्ष न जायं ऐसा करने के लिये ही समिति के सेक्रेटरी ने यह किया कि समिति के समक्ष केवल राज्य कर्मचारी ही आयें और उनके प्रतिनिधि न आयें ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आक्षेप मात्र है, इसका उत्तर क्या दिया जायगा।

श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

मंत्री जी ने जैसा बताया कि इस विशेष तिथि को एक पत्र माननीय उग्रसेन जी को लिखा गया तो ऐसा मालूम होता है कि विभिन्न लोगों को विभिन्न पत्र भिन्न-भिन्न तिथियों को लिखे गये होंगे तो ऐसे सदस्य जो वास्तव में राज्य कर्मचारी नहीं हैं लेकिन फिर भी अनेक यूनियनों के पदाधिकारी हैं उनमें से किसी का समिति ने साक्ष्य लिया ?

श्री जयराम वर्मा—

जो सेवा संघ राज्य प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं उनके बारे में नियम यह बनाया गया था कि समिति अपने विवेक से किसी को साक्ष्य के लिये बुलाना चाहती है तो बुला सकती है लेकिन उसके लिये भी यह है कि वह अपनी व्यक्तिगत हैसियत से आयेंगे और ऐसे आदमी बुलाये जायंगे जो गैर-सरकारी राज्य कर्मचारी न हों और किसी दल से सम्बन्धित न हों।

पीलीभीत जिले में ग्राम सेवकों एवं सहकारी पर्यवेक्षकों की पदोन्नति

*२०—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) के पद पर ग्राम सेवकों तथा सहकारी पर्यवेक्षकों के पदोन्नति में क्रमशः २:१ का अनुपात राज्य के किन-किन जिलों में अपनाया जा रहा है ?

श्री बनारसीदास—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*२१—श्री रियासत हुसैन—

पीलीभीत जिले में कोआपरेटिव इन्सपेक्टर तथा सहायक विकास अधिकारी सहकारिता के रिक्त पदों पर ग्राम सेवकों से कितने तथा सहकारी पर्यवेक्षकों में से कितने स्थानापन्न पदोन्नत किये गये ?

श्री बनारसीदास—

३१-१२-६४ तक प्राप्त सूचना के अनुसार पीलीभीत जिले में कोआपरेटिव इन्सपेक्टर तथा सहायक विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर ९ सहकारी पर्यवेक्षक स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किये गये तथा किसी ग्राम सेवक की पदोन्नति नहीं की गयी ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ९ मास तक किसी भी ग्राम सेवक का नम्बर नहीं आया इसका कारण क्या है ?

श्री बनारसीदास—

वहां पर यह केवल एक आफिशियेटिंग चांस ही था ।

बकेवर सहकारी समिति संबंधी खाद की चोरबाजारी तथा फतेहपुर जिले में रामकृष्ण सेरहा पर मुकदमा

*२२—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बकेवर, जिला फतेहपुर की कोआपरेटिव सोसायटी अभी हाल में ब्लैक से बिकती हुई खाद पकड़ी गई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसीदास—

जी हां । सोसायटी का सम्बन्धित सुपरवाइजर निलम्बित कर दिया गया है और मामला पुलिस की जांच में है ।

*२३—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर की सहकारिता बैंक में क्या कोई रामकिशन सेरहा नाम का सुपरवाइजर काम करता है और उसके ऊपर गबन का मुकदमा भी चल रहा है ?

श्री बनारसीदास—

श्री रामकृष्ण सेरहा नाम का सुपरवाइजर जिला सहकारी बैंक, फतेहपुर में नहीं, बल्कि शहर में स्पेशल (सहकारी) समितियों के इंचार्ज के रूप में काम करता है ।

उस पर गबन का एक मामला जुडिशियल आफिसर बिन्दकी की अदालत में चल रहा था जिसकी सुनवाई श्री सेरहा की अपील पर हाई कोर्ट के आदेशों के अन्तर्गत इस समय स्थगित है ।

*२४—श्री जगन्नाथ राव—

क्या सरकार उपरोक्त सुपरवाइजर को सेवा से मुक्त करने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—

श्री रामकृष्ण सेरहा के विरुद्ध अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं है और न कोई अन्तिम फैसला ही अदालत द्वारा हुआ है । इसलिये उन्हें सेवा से मुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*२५—२७ श्री श्याम लाल—[हटा दिये गये ।]

केसरीगंज सहकारी समिति को आग से क्षति

*२८—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केसरीगंज, जिला सीतापुर स्थित क्रय-विक्रय सहकारी समिति के गोदाम में दीवाली सन् १९६३ में जो आगजनी हो गई उसमें समिति का कितना नुकसान हुआ ?

श्री बनारसीदास—

आगजनी से समिति को १४,३१७ रु० २७ पैसे की हानि हुई ।

*२९—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस नुकसान के संबंध में जिला सीतापुर के स्थानीय अनुशासन समिति ने कुछ निर्णय लिया है ? यदि हां, तो सरकार ने मंत्री तथा व्यवस्थापक के खिलाफ क्या विभागीय कार्यवाही की और उनसे रुपया वसूल करने की क्या कार्यवाही अब तक की गई ?

श्री बनारसीदास—

जी हां । स्थानीय अनुशासन समिति ने दिनांक २१–१०–६४ की अपनी बैठक में यह सिफारिश की कि उक्त हानि का आधा भाग एकाउन्टेन्ट तथा गोदाम कीपर (पर्यवेक्षक) से वसूल किया जाय, तत्पश्चात् भविष्य में उन्हें सावधानी से काम करने की चेतावनी देकर बहाल किया जाय और यदि वे इस क्षति की पूर्ति करने में असमर्थता प्रकट करें तो उनकी चाकरी समाप्त कर दी जाय । निलम्बन काल में निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त उन्हें और कुछ न दिया जाय ।

शेष आधी क्षति के लिये समिति ने मंत्री व्यवस्थापक (इन्स्पेक्टर) को जिम्मेदार ठहराया परन्तु इंस्पेक्टर के विरुद्ध निर्णय लेना समिति के अधिकार-क्षेत्र के बाहर था । अतः समिति ने इस मामले में कार्यवाही के लिये उप निबन्धक, लखनऊ से सिफारिश की, जो अभी उनके विचाराधीन है । जांच के उपरांत उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

श्री रक्षपालसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन मंत्री और व्यवस्थापक के विरुद्ध कार्यवाही कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री बनारसीदास—

जैसा अभी निवेदन किया गया कि यह मामला यहां के डिप्टी रजिस्ट्रार के सुपुर्द है और वह इस मामले में बहुत जल्द निर्णय लेने वाले हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि २१–१०–६४ की बैठक में जो फैसला अनुशासन समिति ने किया था कि आधा भाग एकाउन्टेन्ट और गोदाम कीपर से क्षतिपूर्ति में मिलने में यदि असमर्थता जाहिर हो तो उनकी चाकरी समाप्त कर दी जाय ? यदि हां, तो क्या उन्होंने यह अपने हिस्से की क्षति पूर्ति कर दी और यदि नहीं की तो क्या उनकी नौकरी को समाप्त कर दिया गया है ?

श्री बनारसीदास—

इस तरह का नहीं है । जैसा अभी बताया इसके दो हिस्से हैं । एक तो जो अनुशासन समिति का अधिकार था उसके अनुसार क्षति पूर्ति कराने का निश्चय किया गया, दूसरे चूंकि प्रशासन की दृष्टि से इंस्पेक्टर उप-निबन्धक के अधीन हैं इसलिये इस पर निर्णय हो जाने के बाद ही कार्यवाही की जायगी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अनुशासन समिति ने लिखा है कि उनसे वसूल कराया जाय तो क्या वसूली हुई या नहीं ?

श्री बनारसीदास—

अभी नहीं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिससे आधा भाग वसूल हो जाय ?

श्री बनारसीदास—

डिप्टी रजिस्ट्रार के पास सारा मामला है और वसूल करने के लिये प्रयत्न किया जायगा । कायदा तो यह है कि पहले विभाग करता है, नहीं तो पुलिस या माल विभाग के जरिये से इसको वसूल करते हैं ।

अभियन्ता के बिना जिला परिषद्

*३०—सर्वश्री मुमताज मुहम्मद खां, मोहम्मद रफी खां तथा कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में कितनी जिला परिषदें ऐसी हैं कि जिनमें अभियन्ता नहीं हैं और उनमें अभियन्ता न होने के कारण उन जिला परिषदों के मुख्य-मुख्य निर्माण-कार्य अपूर्ण या अधूरे पड़े हुये हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

१८ जिला परिषदें ऐसी हैं जिनमें अभियन्ता नहीं हैं । शासन के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि अभियन्ता न होने के कारण इन जिला परिषदों के निर्माण-काय अधूरे पड़े हैं ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

यदि मंत्री जी के पास ऐसी सूचना नहीं है कि निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं तो क्या मंत्री जी के पास ऐसी सूचना है कि वहां निर्माण-कार्य बिलकुल ही नहीं हो रहे ह ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जहां अभियन्ता नहीं हैं वहां जिला परिषद् ओवरसीयर के जरिये काम चलाती हैं ।

श्री अध्यक्ष—

वह पूछ रहे हैं कि पूरा निर्माण-कार्य वहां भी हो गया है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

ऐसी कोई सूचना नहीं है कि पूरे नहीं हुए ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि बुलन्दशहर जिले में नीम नदी के पुल का निर्माण-कार्य इसी लिये पूरा नहीं हो सका क्योंकि वहां जिला परिषद् म कोई इंजीनियर नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बुलन्दशहर के बारे में पूछ रहे हैं ।

श्री राममूर्ति—

मथुरा और बुलन्दशहर में जिला परिषदों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता को उनकी फीस दे दी और उनके जरिये से काम करा रहे हैं।

श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन से १८ जिले हैं जहां अभियन्ता नहीं हैं, और इसके क्या कारण ह ?

श्री राममूर्ति—

इसका सीधा कारण यह है कि जो स्टेट सर्विसेज हैं सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण तथा स्वायत्त शासन विभाग की, इनमें पदोन्नति के जो नियम हैं उनमें ज्यादा मौका मिलता है। जिला परिषद् में कोई रेगुलर काडर नहीं है इसलिये वहां लोग नहीं जाते। साथ ही यह भी देखा गया कि जिला परिषद् में जो ओवरसीयर होते हैं उनको वहां के सदस्य स्वभावतः पदोन्नति देना चाहते हैं। यह सब बातें हैं।

श्री केशरी प्रसाद पाण्डेय—

क्या ? मंत्री जी उन १८ जिलों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

उसमें क्या इम्पार्टेन्स है ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मतलब यह है कि कौन से जिले हैं जहां के अध्यक्ष या सदस्य ओवरसीयर को ही इंजीनियर मान कर काम चलाते हैं।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

मथुरा, बुलन्दशहर, हरदोई, उत्तर-काशी, एटा, टेहरी-गढ़वाल, बदायूं, देवरिया, गढ़वाल, पिथौरागढ़, शाहजहांपुर, आजमगढ़, गोंडा, बलिया, रामपुर, मिर्जापुर, बिजनौर और सीतापुर में अभी इंजीनियर का निधन हो गया।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला परिषद् ने अभी पिछली मीटिंग में अभियन्ता रखने का प्रस्ताव भेजा है तो क्या वह प्रस्ताव सरकार के पास आया है या नहीं ? यदि आया है, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—

अभी तक सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है परन्तु खबर यह जरूर आयी है कि फीस दे दी गयी है और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर उनका कार्य समाप्त करेगा।

शराब बन्दी

*३१—सर्वश्री मुमताज मुहम्मद खां, मुहम्मद रफी खां तथा कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने शराबबन्दी के संबंध में टेकचन्द रिपोर्ट पर अब तक कोई विचार किया है ? यदि किया है तो इस रिपोर्ट की सिफारिश पर वह कब तक कार्यवाही करेगी और यदि इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर अब तक गौर नहीं किया गया, तो क्यों नहीं किया गया ?

नोट :—तारांकित प्रश्न ३० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

शराब बन्दी के संबंध में टेकचन्द कमेटी की रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है ।

बुलन्दशहर जिले में चिकित्सालय खोलने के लिये जांच

*३२—सर्वश्री कमलासिंह यादव, मुमताज मुहम्मद खां तथा मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार २१ जुलाई, १९६४ के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या १७ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेगी कि क्या सरकार ने टाउन एरिया बुगरासी, ग्राम बेरा फिरोजपुर तथा ग्राम महमूदपुर परवाना (जिला बुलन्दशहर) में आयुर्वेदिक या यूनानी औषधालय स्थापित करने के औचित्य पर क्या अब तक कोई आवश्यक जांच कराई ? यदि कराई, तो जांच के परिणाम स्वरूप वहां पर औषधालयों के स्थापित करने पर क्या कोई ध्यान दिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, किन्तु आंशिक । जांच का परिणाम निम्नलिखित है :—

१—टाउन एरिया बुगरासी—चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की कमी है । परन्तु औषधालय एवं कर्मचारियों के निवास के लिये कोई भवन उपलब्ध नहीं हो रहा है । अतः निदेशक आयुर्वेद को कहा गया है कि भवन की व्यवस्था के लिये पुनः प्रयास करें ।

२—ग्राम बेरा फीरोजपुर—इससे २ १/२ मील की दूरी पर सयाना में एक एलोपैथिक चिकित्सालय चल रहा है जिससे जनता की मांगें पूरी हो जाती हैं । अतः वहां किसी नवीन औषधालय के स्थापित करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

३—महमूदपुर परवाना—इस ग्राम का पूर्ण विवरण प्राप्त न होने के कारण कोई जांच नहीं कराई जा सकी । माननीय सदस्य (श्री मुमताज मुहम्मद खां) से इस स्थान के बारे में पूर्ण विवरण मांगा गया था और उन्हें स्मृतिपत्र भी भेजा गया था, परन्तु उनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । विवरण मिलने पर आवश्यक जांच कराई जावेगी ।

*३३—सर्वश्री कमलासिंह यादव, मुमताज मुहम्मद खां तथा मुहम्मद रफी खां—

क्या सरकार टाउन एरिया, बुगरासी, ग्राम बेरा फिरोजपुर तथा ग्राम महमूदपुर परवाने के अतिरिक्त ग्राम जाड़ोल, खाद मोहननगर, चिसौना, केसूपुर सटला, चंदियाना, गेसूपुर, दौलतपुर कलां और उमरपुर (विधान सभा क्षेत्र, सयाना, जिला बुलन्दशहर) में भी आयुर्वेदिक या यूनानी औषधालय स्थापित करने की व्यवस्था करने पर ध्यान देगी और औषधालय स्थापित करने के औचित्य पर आवश्यक जांच करायेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

१—जाडोल,

२—खाद मोहननगर,

३—चिसौना,

४—केसूपुर सहला,

५—दौलतपुर कलां,

६—उमरपुर,

७—चंदियाना ।

इन ग्रामों में औषधालय स्थापित करने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ । अतएव फिलहाल वहां औषधालय खोलने का प्रश्न नहीं उठा । इन स्थानों पर औषधालय स्थापित करने के औचित्य पर आवश्यक जांच कराने के लिये शासन को कोई आपत्ति नहीं है ।

८—गेसूपुर (सिकन्दराबाद) नामक ग्राम में दिसम्बर, १९६१ से एक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चल रहा है । अतएव वहां और औषधालय स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है ।

९—गेसूपुर (चंदियाना)—ग्राम में औषधालय स्थापित करने के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था । जांच से पता चला कि वहां चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का अभाव है । अतः उस पर ऐसे अन्य प्रस्तावों के साथ, अगले वित्तीय वर्ष में विचार किया जायगा ।

निलम्बित क्षेत्र विकास अधिकारी

*३४—श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक विकास विभाग में दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक ऐसे कोई नान-गजटेड कर्मचारी हैं जो सस्पेंड कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कौन नाम व पद सहित और कब से ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*३५—श्री नवलकिशोर—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक विकास विभाग में दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक ऐसे कोई गजटेड अफसर हैं, जो ससपेंड कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो कौन नाम व पद सहित और कब से ? इनमें से कितनों को कोई भी चार्जशीट नहीं दिया गया है और क्यों नहीं ?

श्री राममूर्ति—

सामुदायिक विकास विभाग में दिनांक १-१२-१९६४ ई० तक संलग्न सूची "क" में उल्लिखित १२ क्षेत्र विकास अधिकारी निलम्बित किये गये । इनमें से केवल एक क्षेत्र विकास अधिकारी श्री जगनन्दन प्रसाद गुप्ता को चार्जशीट अभी नहीं दी जा सकी है क्योंकि क्षेत्र विकास सांडी (हरदोई) के हिसाब-किताब का विशेष निरीक्षण कराया गया जो अब पूर्ण हो पाया है । शीघ्र ही चार्जशीट श्री गुप्ता को दे दी जायगी ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९८७ पर)

*३६—श्री नवलकिशोर—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सामुदायिक विकास विभाग में ऐसे गजटेड आफिसर हैं जिनको अस्थायी तौर से दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक कार्य करते हुये एक वर्ष से ऊपर हो गया है, परन्तु नियमानुसार उनकी स्वीकृति लोक-सेवा-आयोग से अभी तक नहीं मांगी गई है ? यदि हां, तो कौन (नाम व पद सहित) और कब से ?

श्री राममूर्ति—

सामुदायिक विकास विभाग में लोक-सेवा-आयोग की स्वीकृति के बगैर २१४ राज्य पत्रित अधिकारियों को अस्थायी तौर से दिनांक १-१२-६४ तक कार्य करते हुये एक वर्ष से ऊपर हो गया है । इन अधिकारियों के नाम, पद तथा नियुक्ति की तिथि की †सूचना संलग्न सूची 'ख' में दी जा रही है ।

---

†छापी नहीं गयी ।

गोरखपुर देवरिया जिलों की मिलों में प्राविडेन्ट फन्ड

*३७—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर, देवरिया जिले की कौन-सी ऐसी मिले हैं जो अब तक मजदूरों के प्राविडेन्ट फंड में रुपया उस हिसाब से नहीं जमा कर सकी हैं जिस हिसाब से उन्हें जमा करना चाहिये ?

श्री बनारसीदास—

गोरखपुर, देवरिया जिलों में निम्नांकित चार मिलों ने प्राविडेंट फंड का रुपया अब तक हिसाब से जमा नहीं किया है:

१—हनुमान आयल मिल्स, देवरिया ।

२—आनन्द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, गोरखपुर ।

३—पूरेखा प्रिन्टिग वर्क्स, गोरखपुर ।

४—ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स, देवरिया ।

*३८—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर देवरिया की कुछ मिलों ने मजदूरों से रुपया काट लिया है और समय के अन्दर उन्हें जमा नहीं किया है ?

श्री बनारसीदास—

जी हां, गोरखपुर देवरिया जिलों में ११ मिलों ने वर्ष १९६४ में रुपया समय के अन्दर नहीं जमा किया ।

*३९—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश के किन-किन चीनी मिलों ने सीजन सन् १९६३–६४ का बोनस अभी तक पूर्णरूपेण नहीं बांटा है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री बनारसीदास—

चीनी मिलों द्वारा सीजन सन् १९६३–६४ के बोनस वितरण के संबंध में सरकारी आदेश हाल ही में ५ फरवरी, १९६५ ई० को जारी किये गये ह । मिलों को एक महीने के अन्दर बोनस बांटना है ।

छिपिया व मनकापुर विकास खण्डों के कर्मचारी एवं जीपें

*४०—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में ब्लाक छिपिया तथा मनकापुर में कौन-कौन अधिकारी तथा कर्मचारी कब-कब से काम कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—

विकास क्षेत्र छपिया एवं मनकापुर में जो अधिकारी तथा कर्मचारी इस समय कार्य कर रहे हैं वे †संलग्न सूची "अ" तथा "ब" में अंकित है । उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भी तालिका में अंकित है ।

---

†छापी नहीं गई ।

*४१—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

इन ब्लाकों के बी० डी० ओ० एवं ए० डी० ओज० ने अप्रैल, १९६४ से अब तक कहां-कहां का दौरा किया और कितना-कितना टी०ए० चार्ज किया ?

श्री राममूर्ति—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*४२—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार कृपया बताने की कृपा करेगी कि इन ब्लाकों में अप्रैल, १९६३ से मार्च, १९६४ तक तथा अप्रैल, १९६४ से नवम्बर, १९६४ तक जीप गाड़ियों में कितना-कितना पेट्रोल और कितने मूल्य का खर्च हुआ ?

श्री राममूर्ति—

इन विकास क्षेत्रों में अप्रैल, ६३ से मार्च, ६४ तक तथा अप्रैल ६४ से नवम्बर, ६४ तक जितनी मात्रा तथा मूल्य का पेट्रोल खर्च हुआ वह संलग्न †सूची 'क' में अंकित है ।

बरेली जिले में विकास खंड उपप्रमुखों का भत्ता

*४३—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सत्य है कि बरेली जिले में विकास खंड उप-प्रमुखों को कोई भत्ता नहीं दिया गया जब कि उन्होंने नियमानुसार अपने बिल अधिकारियों को प्रस्तुत किये ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

१९६३-६४ में २६० रु० यात्रिक भत्ता भुत्ता क्षेत्र के उप-प्रमुखों को तथा वर्ष १९६४-६५ में जनवरी १, १९६५ तक २७० रु० भोजीपुरा क्षेत्र के उप-प्रमुख को दिया जा चुका है । अन्य क्षेत्रों के उप-प्रमुखों के यात्रिक भत्ता न दिये जाने का कारण उनके द्वारा यात्रिक भत्ता बिल प्रस्तुत न करना है ।

*४४—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या सरकार ने अब ब्लाक प्रमुखों का प्रतिमास कुछ भत्ता नियत कर दिया है ? यदि हां, तो पहले की तुलना में इस योजना से अनुमानतः सरकार को धन की बचत होगी अथवा व्यय भार बढ़ जायगा ? क्या सरकार बरेली जिले के लिये इस सम्बन्ध में अनुमानित धनराशि बताने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

ब्लाक प्रमुखों का प्रतिमास यात्रिक भत्ता निर्धारित नहीं किया गया है । अतः ये प्रश्न नहीं उठते ।

*४५—श्री रियासत हुसैन—

[हटा दिया गया ।]

कानपुर में बिक्री कर का बकाया

*४६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन व्यापारियों की संख्या कितनी है जिनके ऊपर कानपुर में एक हजार रुपये से ज्यादा सेल्स टैक्स १९६४ की मार्च तक बाकी है ?

---

†छापी नहीं गई ।

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--

२,२३२ ।

कालपी में बिक्री कर

*४७--श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)----

क्या वित्त मंत्री को जानकारी में यह है कि कालपी, जिला जालौन में गल्ला तौलने वाले लोगों पर बिना किसी सबूत को लिये पचीसों हजार रुपये प्रति व्यक्ति सेल्स टैक्स बांधने की कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी नहीं ।

*४८--श्री शिवसम्पति शर्मा--

क्या यह बात सही है कि सन् १९६० में श्री जे० सी० पन्त, सेल्स टैक्स आफिसर, कानपुर ने कालपी के तुलाई करने वाले मजदूरों के लिये अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि इनके खिलाफ कोई सबूत गल्ला व्यापार करने का नहीं है और यह सिर्फ तुलाई करते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी नहीं । श्री जे० सी० पंत, तात्कालिक सेल्स टैक्स आफिसर, कानपुर का निर्णय कालपी के सभी तुलाई करने वालों के सम्बन्ध में नहीं है, अपितु केवल उन्हीं तुलाई करने वालों के बारे में है जिनके विरुद्ध सर्वे विधिवत् करने के पश्चात् इस प्रकार का कोई प्रमाण नहीं मिला कि वे कोई अन्य व्यापार अथवा आढ़त का काम भी करते हैं ।

*४९--श्री शिवसम्पति शर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब इन तुलाई करने वाले मजदूरों के पास कालपी नगरपालिका के तुलाई के लाइसेंस हैं और पौने चौदह आने सैकड़ा मजदूरी पर तुलाई का काम करते हैं तो ऐसा कौन सा कारण उपस्थित हो गया कि सेल्स टैक्स अधिकारी, उरई जबरिया बिला सबूत लिये टैक्स बांधने पर उतारू हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

कालपी नगर पालिका द्वारा तुलइयों को दिये गये लाइसेंसों का यह अभिप्राय नहीं है कि वे किसी अन्य प्रकार का व्यापार या आढ़त आदि न कर सकें । जो तुलइया, इन लाइसेंस के बावजूद भी, तुलाई कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई व्यापार या आढत का काम करते हैं उन पर ही उसी सीमा तक अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार बिक्री कर लगाये जाने का आदेश सरकार द्वारा दिया गया है ।

मिश्रित चिकित्सालय

*५०--श्री कृष्णानन्द राय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने चिकित्सालय Integrated Hospital घोषित किये गये हैं और उनके लिये किस योग्यता के चिकित्सक लिये गये हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

एक सौ ग्रामीण एलोपैथिक चिकित्सालयों को Integrated Dispensaries के रूप में चलाने का सरकार ने निर्णय किया है । इन चिकित्सालयों में वह चिकित्सक रक्खे जावेंगे जिन्होंने मिश्रित चिकित्सा पद्धति (यानी आयुर्वेद या तिब तथा एलोपैथिक) की डिग्री प्राप्त की हो ।

सरकारी कर्मचारियों की मांगें

*५१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ में दस हजार सरकारी कर्मचारियों ने मुख्य मंत्री के निवास स्थान पर दिनांक १८ दिसम्बर, १९६४ को प्रदर्शन किया था तथा मुख्य मंत्री के निवास स्थान पर न होने से नगराधीश ने कर्मचारियों से मेमोरेंडम लिया था ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थीं तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। उनकी मांगों तथा उस पर कार्यवाही का विवरण संलग्न पत्र में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९८८–९८९ पर)

टोली पट्टी भरपुर ग्राम में पेय जल कष्ट

*५२—श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम टोली पट्टी भरपूर, तहसील देवप्रयाग, जिला टेहरी-गढ़वाल में पीने के पानी के लिये प्रबन्ध करने में ग्रामवासियों ने लगभग दो हजार रुपया अब तक खर्च कर दिया है परन्तु सरकार की तरफ से पीने के पानी की सुविधा देने के बारे में अभी तक कुछ नहीं दिया गया है और न सरकार ने कोई सहायता ही दी है ? क्या सरकार उक्त गम्भीर विषय पर तुरन्त विचार करेगी और सरकारी सहायता पहुंचायेगी ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अल्मोड़ा जिले में कथित शीरफुटिया पेय जल योजना

*५३—श्री खुशीराम (जिला पिथौरागढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चौखुटिया विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम गैराड़ पो० चित्रेश्वर, जिला अल्मोड़ा में शीरफुटिया पेय जल योजना में सरकार ने कितना धन और सामान दिया और वह सामान क्यों सभापति के यहां पड़ा हुआ है और उसमें कितने नल सभापति ने बेच दिये हैं ?

श्री राममूर्ति—

जिला अल्मोड़ा में इस नाम की कोई पेय जल योजना नहीं है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

*५४—श्री खुशीराम—

क्या सरकार इस योजना की पूर्ण जानकारी कर सदन की मेज पर रखेगी और यह बतायेगी कि इस योजना में कितने लेबरों ने कार्य किया और उन्हें क्या मजदूरी दी गयी और यह मजदूरी इन लोगों को मिली या नहीं ? यदि नहीं मिली, तो वह रकम किस व्यक्ति ने सरकार से ली ?

श्री राममूर्ति—

प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर नगरपालिका के विरुद्ध शिकायतें

*५५—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एम० ओ० एच० सहारनपुर ने कोई लिखित शिकायतें सहारनपुर नगर पालिका में हो रही धांधली के विरुद्ध कलेक्टर, सहारनपुर तथा डाइरेक्टर, मेडिकल हेल्थ यू० पी० को दिनांक १ जनवरी, १९६४ से आज तक की है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां । स्वास्थ्य सेवा निदेशक को जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसकी जांच उन्होंने सहायक स्वास्थ्य सेवा निदेशक (रेंज) द्वारा कराई । जांच की रिपोर्ट उन्हें जनवरी, १९६५ में मिली जिसे अपनी टिप्पणी तथा संस्तुति के साथ उन्होंने फरवरी, १९६५ में सरकार को भेजी । इस समय मामला सरकार के विचाराधीन है ।

एटा जिले में बुढ़गंगा नदी पर पुल बनवाने की प्रार्थना

*५६—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले में बुढ़गंगा नदी पर दो पुलों के निर्माण हेतु मार्च, १९६४ में प्रश्नकर्त्ता जिसके साथ जिला परिषद् एटा का एक प्रस्ताव एवं अध्यक्ष जिला परिषद् एटा का भी एक पत्र संलग्न था और जिनके प्राप्ति की सूचना मुख्य मंत्री के पत्र संख्या सी-१३९८/सी०एम०, दिनांक २५ मार्च, १९६४ द्वारा मुझे दी गई थी, उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा प्रस्तावित पुलों का निर्माण कब हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—

सदस्य महोदय का दिनांक २४ मार्च, १९६४ का पत्र संदर्भित पत्रों के साथ शासन को प्राप्त हुआ । इस बारे में जिला परिषद् एटा से कुछ निर्दिष्ट सूचना उत्तर प्रदेश सड़क निधि से अनुदान देने के प्रश्न पर विचार करने हेतु मांगी गई थी जैसा कि सदस्य महोदय को पत्र संख्या ३५९७ ए-३३-१०बी (१) ६४, दिनांक २३ जून, १९६४ द्वारा सूचित किय जा चुका है । जिला परिषद् से यह सूचनायें प्राप्त नहीं हुई हैं अतः इन पुलों के निर्माण के लिये अनुदान देने के प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

*५७—श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)—

[दूसरे सोमवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या ८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

जिला परिषद् कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

*५८—श्री रक्षपालसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान महंगाई को ध्यान में रखते हुये सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि का जो गत वर्ष निर्णय लिया है क्या उसका लाभ जिला परिषद् के कार्यालयों के लिपिकों और कर्मचारियों को भी हुआ है ? यदि हां, तो किस मात्रा में ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनको अतिरिक्त महंगाई भत्ता सम्बन्धित जिला परिषदों के माध्यम से दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—अधिकांश जिला परिषद् महंगाई भत्ते की वृद्धि पर व्यय भार उठाने में असमर्थ हैं, फिर भी इस विषय को पंचायती राज साधन समिति के सुपुर्द कर दिया गया है। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही सरकार किसी निर्णय पर पहुंचेगी।

*५९—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

[चौथे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६०—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[चौथे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

अस्पतालों का प्रान्तीयकरण

*६१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

९ सितम्बर, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न ४१ के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थानीय निकायों के जो १८ अस्पताल प्रान्तीय करण के लिये सम्मिलित किये गये थे वे कहां-कहां के हैं और कहां-कहां के किन-किन अस्पतालों को प्रान्तीयकरण के आदेश दिये गये हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

तृतीय योजनाकाल में जो १८ अस्पतालों के प्रान्तीयकरण करने का लक्ष्य है उसकी कोई निश्चित सूची नहीं है। अस्पतालों एवं चिकित्सालयों को प्रान्तीयकरण करने के लिये सरकार द्वारा प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के आधार पर प्रति वर्ष यह निश्चय लिया जाता है कि किन-किन संस्थाओं का प्रान्तीयकरण किया जाय। अब तक निम्नलिखित ७ अस्पतालों के प्रान्तीय-करण के आदेश दिये जा चुके हैं :

(१) कोरोनेशन अस्पताल, देहरादून।
(२) सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद।
(३) जिला परिषद् चिकित्सालय (पुरुष) सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर।
(४) जिला परिषद् चिकित्सालय, लोहाघाट, अल्मोड़ा।
(५) जिला परिषद् चिकित्सालय, नौगांवखाल, पौड़ी-गढ़वाल।
(६) टी० बी० अस्पताल, बस्ती।
(७) जिला परिषद् पुरुष अस्पताल, बिसवां सीतापुर।

*६२—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

[चौथे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

विकास क्षेत्र, सिंहपुर में चोरी

*६३—श्री रतीपाल—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायबरेली विकास क्षेत्र, सिंहपुर में सन् १९६४ में कितनी सरकारी रुपये की चोरी हुई है और उस सम्बन्ध में कौन-कौन से व्यक्तियों का चालान किया गया ?

श्री राममूर्ति—

विकास क्षेत्र सिंहपुर, जिला रायबरेली में १०/११ अगस्त, १९६४ की रात को रु० १४,२१९-५३ पै० की चोरी हुई है। पुलिस ने श्री गिरजा शंकर तिवारी खजांची को गिरफ्तार किया था जो आजकल जमानत पर हैं। पुलिस की जांच अभी जारी है।

कोआपरेटिव सुपरवाइजरों तथा प्रशिक्षकों का भत्ता

*६४—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि प्रदेशीय सरकार कोआपरेटिव सुपरवाइजरों तथा केन्द्रीय सरकार सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक को मासिक वेतन देने के निमित्त प्रदेशीय सहकारी यूनियन (पी०सी०यू०) को किस क्रम से धन देती है और उनका किस क्रम से वेतन दिया जाता है ?

श्री बनारसीदास—

सरकार उत्तर प्रदेश सहकारी यूनियन को दो प्रकार के अनुदान देती है। एक तो ब्लाक ग्रांट जो वर्ष १९४९ में सरकार द्वारा निमित्त एडहाक कमेटी की सिफारिश के अनुसार दी जाती है। दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सहकारिता विभाग के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के हेतु दी जाती है। ब्लाक अनुदान में सुपरवाइजरों के वेतन की कोई दर निर्धारित नहीं है। किन्तु पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत दिया जाने वाला अनुदान १२५ रु० प्रति सुपरवाइजर प्रति माह के हिसाब से है। इस समय यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन सुपरवाइजरों को निम्नलिखित वेतन देती है—

१—सेलेक्शन ग्रेड सुपरवाइजर—

वेतन	महंगाई	स्थायी टी०ए० भत्ता	स्थायी प्रासंगित भत्ता	कुल
७५–५–१२०	३५	१३	२	कम से कम १२५
२—अन्य सुपरवाइजर—				
स्थिर ७५ रु०	३५	१३	२	१२५

इस प्रकार यूनियन सरकार द्वारा प्राप्त समस्त अनुदान वेतन के रूप में सुपरवाइजरों को देती है।

सहकारी शिक्षा प्रशिक्षकों के वेतन हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा १२०–२५० रु० के क्रम में वेतन महंगाई भत्ता ३५ रु० और टी० ए० भत्ता ६० रु० के हिसाब से यूनियन को अनुदान दिया जा रहा है। उक्त पूरा वेतन यूनियन द्वारा सहकारी शिक्षा प्रशिक्षकों को दिया जा रहा है।

*६५—श्री उमाशंकर—

क्या यह सच है कि अन्य विभागों के, जैसे उद्योग विभाग के जिले सुपरवाइजरों तथा प्रशिक्षकों को सरकार सीधे वेतन देती है, उनको महंगाई भत्ता ४० रुपया मय एडहाक वेतन के साथ मिलता है ? मगर कोआपरेटिव सुपरवाइजरों तथा प्रशिक्षकों को उनसे कम मिलता है ? ऐसा क्यों ?

श्री बनारसीदास—

उद्योग आदि विभागों के सुपरवाइजरों और प्रशिक्षक सरकारी कर्मचारी हैं और सरकार की नीति के अनुसार सरकार द्वारा वेतन पाते हैं। उनको दिनांक १–४–१९६४ से ५ रु० अधिक महंगाई भत्ता मिलने लगा है। सुपरवाइजर और सरकारी प्रशिक्षक यूनियन के कर्मचारी हैं और यूनियन के नियमों के अनुसार वेतन आदि पाते हैं। सरकार ने अपने यूनियन को दिये जाने वाले अनुदान में १–४–१९६४ से महंगाई की बढ़ोतरी का प्राविधान नहीं किया है। यूनियन

की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अपने पास से महंगाई की इस बढ़ोतरी को अपने कर्मचारियों को दे सके। यह प्रश्न यूनियन के विचाराधीन है और जैसे ही वार्षिक स्थिति सुधरेगी यह महंगाई भी यूनियन के कर्मचारियों को दे दी जायेगी।

*६६—श्री उमाशंकर—

क्या यह भी सच है कि वेतन की गड़बड़ियों और चाकरी की अनिश्चितता के कारण अनुभवी एवं योग्य कार्यकर्त्ता विभाग को छोड़कर अन्यत्र चले जा रहे हैं ? यदि हां, तो मंत्री जी कृपा करके एक विवरण मेज पर रखेंगे ?

श्री बनारसीदास—

यू० पी० कोआपरेटिव यूनियन से वेतन की किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है और न चाकरी की अनिश्चितता है। उक्त यूनियन के किसी कर्मचारी द्वारा उपरोक्त कारणों से चाकरी छोड़कर जाने की कोई सूचना नहीं है।

*६७–६८—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

[चौथे बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

होम्योपैथिक डाक्टरों का वेतन

*६९—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार की होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों में काम करने वाले डाक्टरों का वेतन-क्रम क्या है तथा क्या सरकार वर्तमान महंगाई एवं अन्य डाक्टरों की तुलना में उन्हें प्राप्त कम वेतन को ध्यान में रखकर उनकी वेतन-वृद्धि करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

राजकीय होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों में काम करने वाले चिकित्साधिकारियों का वेतन-क्रम रु० १२०–४–१६०–ई० बी०–८–२०० है। इस समय उनके वेतन में वृद्धि करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*७०–७१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

[दूसरे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ८४–८५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*७२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

[चौथे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*७३—श्री वेदराम—

[तीसरे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या ६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*७४—श्री वेदराम—

[चौथे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

बोनस कमीशन रिपोर्ट

*७५—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बोनस कमीशन की रिपोर्ट के कार्यान्वित होने में अब क्या विलम्ब है ?

श्री बनारसीदास—

यह प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है ।

*७६—श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या श्रम मंत्री यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त कमीशन की रिपोर्ट न लागू होने से जो मजदूरों में असन्तोष व्याप्त हो रहा है उसे दूर करने हेतु क्या कार्यवाहियां की जा रही हैं ?

श्री बनारसीदास—

बोनस कमीशन की रिपोर्ट को कार्यान्वित कराने के लिये एक अधिनियम बनाने का निश्चय भारत सरकार ने किया है और उस दिशा में उचित कार्यवाही भारत सरकार कर रही है ।

*७७-७९—श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)—

[चौथे बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*८०—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—

[हटा दिया गया ।]

*८१—श्री राजेन्द्रसिंह—

[चौथे बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

*१—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

[चौथे बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

इलाहाबाद में मेडिकल कालेज कर्मचारियों की आवास व्यवस्था तथा मेहता आंख अस्पताल को सहायता

२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के मेहता आंख के अस्पताल में अब तक कितनी आर्थिक सहायता प्रदेशीय सरकार की ओर से दी गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९९० पर)

३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार को ज्ञात है कि इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज में जो लोग मरीजों को लेकर आते हैं उनको बैठने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

बैठने का प्रबन्ध है ।

४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार यह बतायेगी कि मोतीलाल नेहरू मेडिकल कालेज में डाक्टरों तथा कम्पाउन्डरों और नर्सों को रहने का प्रबन्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

डाक्टरों, कम्पाउन्डरों और नर्सों के रहने का प्रबन्ध है ।

बाराबंकी जिले में सीड स्टोर

५—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाराबंकी जिले में कोआपरेटिव सीड स्टोर कहां-कहां पर हैं और उनमें कौन-कौन सुपरवाइजर कब-कब से काम कर रहे हैं ?

६—हर एक सीड स्टोर से सन् १९६३–६४, १९६४–६५ में अलग-अलग कितना-कितना गल्ला किसानों में वितरण हुआ और कितना-कितना १९६४ में वसूल हुआ ?

श्री बनारसीदास—

विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ९९१–९९२ पर)

बाराबंकी जिले के चिकित्सालय

७—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी सदर अस्पताल (रफी मेमोरियल-हास्पिटल) में क्लेरिकल स्टाफ में ऐसे कौन-कौन लोग हैं जिन्हे तीन वर्ष से अधिक काम करते हो गये और उनके ट्रान्सफर नहीं हुये ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

बाराबंकी सदर अस्पताल में क्लर्क का कोई पद नहीं है । अतः ट्रान्सफर का प्रश्न नहीं उठता ।

८—श्री द्विजेन्द्रनारायण—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिले में कौन-कौन एलोपैथिक डिस्पेंसरी हैं और उनमें से हर एक में कौन-कौन मेडिकल आफिसर कब-कब से काम कर रहे हैं ? कौन-कौन डिस्पेंसरियां ऐसी हैं जहां इस समय कोई डाक्टर नहीं है और वे डिस्पेंसरियां किन-किन तारीखों से खाली पड़ी हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

बाराबंकी जिले में समस्त राजकीय एलोपैथिक डिस्पेन्सरियों की सूची जिनमें चिकित्सक कार्य कर रहे हैं अथवा जो बिना चिकित्सक के हैं तिथि सहित संलग्न है । चिकित्सकों के नाम भी सूची में दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ९९३ पर)

आजमगढ़ जिला परिषद् के कम्पाउन्डरों का वेतन

९—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् आजमगढ़ द्वारा संचालित किन-किन एलोपैथिक अस्पतालों के ट्रेंड कम्पाउन्डरों के वेतन-क्रम के सम्बन्ध में दिनांक १६ दिसम्बर, १९६३ को कोई पत्र उन्हें या स्वास्थ्य निर्देशक, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

श्रीमन्, माताटीला से सम्बन्धित एक विशेषाधिकार की सूचना मैंने आपको दी है । उस पर.....

श्री अध्यक्ष—

मैं स्वयं ही कहने वाला था कि आप बोल पड़े । विशेषाधिकार की कई सूचनायें आयी हैं । वे सब विचाराधीन हैं । मैं कल या परसों उन पर अपना निर्णय दे दूंगा ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम १५५ के अन्तर्गत मैं सदन को सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६४–६५ का द्वितीय अनुपूरक) विधयक, १९६५ जो विधान सभा द्वारा १२ फरवरी, १९६५, को पारित किया गया था और श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से, बिना किसी सिफारिश के दिनांक १६ फरवरी, १९६५, को वापस प्राप्त हो गया है ।

बरेली में विश्वविद्यालय खोलने के विषय में अभिसूचित याचिका के सम्बन्ध में जानकारी

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, क्या मेरी याचिका के सम्बन्ध में कोई निर्णय हो चुका है ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी याचिका किस सम्बन्ध में थी ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, यह याचिका बरेली में विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में है ।

श्री अध्यक्ष—

वह नियमों के अन्तर्गत नहीं आती है । वह ऐसा विषय है कि जिसका सम्बन्ध नियम २३७ से है । उसमें यह है कि अगर संकल्प या प्रस्ताव द्वारा कोई विषय सदन के समक्ष आ सकता है तो वह याचिका का विषय नहीं बन सकता है । सामान्य लोक हित का यह विषय अवश्य है, परन्तु यह विषय ऐसा है कि जो मूल प्रस्ताव या संकल्प द्वारा उठाया जा सकता है । अतः आप इस प्रश्न को संकल्प द्वारा उठा सकते हैं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, इससे पहले भी हमने याचिकायें दी हैं और आपने स्वीकृत की हैं । जो लोक हित की थीं उनको भी स्वीकार किया था । यह एक बेहतर बात होगी कि अगर आपकी तरफ से यह सुविधा मिल जाय । मेरा निवेदन है कि इसकी बहुत आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष—

आवश्यकता तो है पर कई बार बरेली में विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में कहा गया है और आप उसे दूसरी तरह से ला सकते हैं ।

मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अभिसूचित अविश्वास के प्रस्ताव के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, ५ पार्टियों ने जिसमें इंडिपेंडेन्ट और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी आदि हैं, इस सरकार के विरुद्ध कुछ दिन हुये एक अविश्वास का प्रस्ताव दिया था। एक हफ्ते से अधिक हो गये पर आपने कोई सूचना नहीं दी है कि कब लाने वाले हैं और कब सदन से आप आज्ञा प्राप्त करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप ठीक कहते हैं। वह अविश्वास का प्रस्ताव मैंने कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखा था और यह चाहा था कि कोई निश्चय हो जाय। उसमें प्रायः सभी ने यह मत व्यक्त किया कि जब राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस हुई है और आय-व्ययक भी आपके सामने है, अनुदान आपके सामने है तो अविश्वास के प्रस्ताव की आवश्यकता कदाचित् नहीं है। यदि उसके सम्बन्ध में कुछ करना है तो किसी भी अनुदान पर या अभिभाषण पर हटाया जा सकता है, इसलिये उसके ऊपर यह हुआ कि शायद आप आय-व्ययक के विषय में वैसी बहस कर लेंगे। इसलिये यह रखा हुआ है, लेकिन अगर आपको उस पर बल देना है तो आप मुझसे मिल लीजियेगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

कार्य-मंत्रणा समिति के हम भी सदस्य हैं और हमने कहा था कि अविश्वास का प्रस्ताव आना चाहिये। आपने कहा कि गवर्नर के सम्बोधन पर विरोधी और सरकारी दोनों दल विश्वास और अविश्वास प्रगट कर चुके हैं। अन्य माननीय सदस्यों ने कहा, यह बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

साधारणतया यह बात थी यह मैंने कहा है। आप उससे असहमत हों यह हो सकता है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

आपने यह बतलाया कि कार्य मंत्रणा समिति के सामने उस अविश्वास के प्रस्ताव को रख दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि आपने उसको मंजूर करके उसे कार्य मंत्रणा समिति के सम्मुख रखना क्यों मुनासिब समझा ?

श्री अध्यक्ष—

अविश्वास के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का सवाल नहीं है। उसमें साफ लिखा है हम वर्तमान सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करते हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

आपके खिलाफ भी था।

श्री अध्यक्ष—

यह माननीय राधेश्याम जी के दिमाग में होगा। उस कागज पर नहीं था। अविश्वास का प्रस्ताव जिस प्रकार से दिया गया था उसको अस्वीकार करने अथवा स्वीकार करने का प्रश्न ज्यादा नहीं था। उसे तो मैं सरकार के पास भेज देता और मैं समझता हूं कि सरकार भी अविश्वास का प्रस्ताव आने पर उसके लिये तुरन्त समय निश्चित करना उचित समझती, लेकिन उसके सम्बन्ध में सभी दलों के माननीय सदस्य कार्य मंत्रणा समिति में थे, उनकी एक प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता था और कदाचित् जितने भी मसले अथवा प्रश्न इस आदरणीय सदन के समक्ष आ रहे हैं वे ऐसे हैं जिनमें से किसी पर भी आप अपना अविश्वास प्रकट कर सकते हैं। किन्तु आप यही चाहते हैं कि अविश्वास के प्रस्ताव पर ही विचार हो तो हम उस पर विचार करेंगे, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

आपने यह कहा कि अविश्वास का प्रस्ताव आना चाहिये इस पर अलग-अलग राय लेना चाहते हैं.....

श्री अध्यक्ष--

मने कब कहा अलग-अलग ? फिर मैंने कह दिया कि उस पर विचार कर लिया जायगा, फिर क्या बहस है ?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

सरकार से पूछ कर तारीख बतला दीजियेगा क्योंकि हमें भी तैयारी करनी पड़ती है ।

श्री अध्यक्ष--

जब बात होगी तब पूछ लूंगा ।

मध्य प्रदेश विधान सभा में मुख्य मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश की पुलिस पर दोषारोपण करने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है। उसमें माननीय उग्रसेन जी ने यह सवाल उठाया है कि १५ तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह बयान लिया कि ६ सिपाही जो उत्तर प्रदेश पुलिस कोर्स के हैं वे किसी डकैती में शामिल थे । यह घटना पारसाल हुई थी । उसके बारे में कल उन्होंने अपना बयान विधान सभा में दिया है । अब मैं उग्रसेन जी से कहूंगा कि यह समाचार-पत्रों की बात है । फिर विधान सभा में एक बात कही गयी तो उस विधान सभा की बात को हम यहां उठायें या उस पर विचार करें, यह ठीक नहीं है ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मैं इस सम्बन्ध में व्यवस्था देने से पहले यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो डकैती हुई उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के ६ सिपाही थे, झांसी जिले के । मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री द्वारिका-प्रसाद मिश्र ने १५ तारीख को विधान सभा में कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस डकैतियों में शामिल है । तो गृह मंत्री इसकी सफाई दें कि मुख्य मंत्री, श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र ने विधान सभा में अपने यहां जो बात कही है वह ठीक नहीं है । अगर सफाई नहीं होती है तो प्रदेश की पुलिस के आचरण पर असर पड़ता है और उत्तर प्रदेश की बड़ी बेइज्जती होती है । इस प्रकार यहां की पुलिस रक्षक की बजाय भक्षक साबित हो रही है ।

श्री अध्यक्ष--

वही मैं कह रहा हूं कि माननीय गृह मंत्री उत्तर प्रश्नों के द्वारा दे सकते हैं, कार्य-स्थगन का प्रस्ताव का यह विषय नहीं हो सकता है ।

प्रदेश के विभिन्न बाजारों में चीन से तस्करी द्वारा आया हुआ सामान बिकने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना माननीय टम्बेश्वरप्रसाद और श्री मुकुटबिहारीलाल की है । वह इस प्रकार है कि "उत्तर प्रदेश की विभिन्न बाजारों विशेष रूप से पूर्वी जिलों तथा सीमावर्ती इलाकों, जस-नौतनवां गोला बाजार, गोरखपुर, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा बहराइच,

बड़हलगंज आदि में चीन से तस्करी द्वारा आया हुआ दैनिक उपयोग का सामान जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, टार्च, पेस्ट, ब्रुश, पेन, प्लास्टिक का सामान, रेशमी कपड़ा आदि अपने प्रदेश की तुलना में काफी सस्ती कीमत पर बिक रहा है। इसके परिणामस्वरूप प्रदेश की मारकेटिंग व्यवस्था पर विपरीत परिणाम पड़ रहा है। सरकार का ध्यान अनेक बार इस ओर आकृष्ट किया गया परन्तु न तो तस्करी ही रुकी और न बाजारों में आये हुये माल का बिकना ही रुका। माल का आना बराबर भारी मात्रा में जारी है। हमारी व्यवस्था को जानबूझ कर बरबाद करने के लिये यह स्वार्थी तत्वों द्वारा योजनाबद्ध प्रयास किया जा रहा है। स्थिति पर काबू पाने में शासन की असफलता एवं बिगड़ती हुई मारकेटिंग व्यवस्था के कारण पूरे प्रदेश में सरकार के प्रति असंतोष एवं उत्तेजना की भावना व्याप्त हो गई है।

इस पर बयान कब होगा ?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

सोमवार को दे दूंगी।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना के सम्बन्ध में जानकारी

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मेरा एक निवेदन यह था कि दफा ५२ को आपने एक स्वीकार किया है, ठीक ही है, एक ही होगा। लेकिन मैं तीन दिन से एक प्रश्न उठाने का प्रयास कर रहा था कि पटेल कमीशन की रिपोर्ट सम्पूर्ण पूर्वी जिलों में लागू की जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी ने दो बार आश्वासन भी दिया था कि वहां की स्थिति समान है इसलिये यह सम्पूर्ण जिलों में लागू होनी चाहिये। इसके बाद उन्होंने क्या किया इतना वह बता दें।

श्री अध्यक्ष—

वह सूचना देना चाहें तो दे सकती हैं। लेकिन यह विषय जो अभी अभी आप उठा रहे हैं और नियम ५२ में उठाया गया है, यह याचिका का विषय है। उसके सामने यह आ चुका है। मुझे यह रिपोर्ट दी गई है कि याचिका समिति अपना प्रतिवेदन तैयार कर चुकी है। वह आपके सामने आ जायेगा और उस पर आप बोल सकेंगे या मुख्य मंत्री जी से प्रश्नों के द्वारा पूछ सकते हैं। नियम ५२ का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, बलिया जिले के लोग अनशन कर रहे हैं। पटेल कमीशन में उसको ले रहे हैं या नहीं इसको बता दिया जाय ताकि उनका अनशन समाप्त हो जाय। इस से लोगों को बड़ी खुशी होगी।

नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य देने की व्यवस्था करने का सुझाव

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो ११ जनवरी, १९६५ को बम्बई में हुआ, उसमें सरदार हुकुमसिंह ने अपने अभिभाषण में कहा है, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर सरकार का ध्यान दिलाने और उत्तर प्रदेश में मंत्री से संक्षिप्त वक्तव्य प्राप्त करने के उपायों के रूप में "ध्यान दिलाना" प्रक्रिया की सदस्यों में बढ़ती हुई लोक प्रियता के कारण काफी संख्या में ध्यान दिलाने की सूचनायें लोक सभा के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन दी जाती हैं। स्वाभाविक ही स्वीकृत सूचनाओं की संख्या काफी बढ़ गई है किन्तु हमारे नियम के अनुसार एक ही बैठक में एक से अधिक विषय नहीं उठाये जा सकते हैं। इस प्रतिबन्ध के कारण सभी

[कुंवर श्रीपालसिंह]

ग्रहीत सूचनाओं को तुरन्त निबटाना स्पष्टतः संभव नहीं था और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को किसी बाद की तिथि के लिये स्थगित कर देने से प्रक्रिया की उपयोगिता ही समाप्त हो जाती थी। ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिये यह निर्णय किया गया कि जब भी कभी एक ही दिन एक से अधिक सूचना के लिये अनुमति देना आवश्यक हो तो एक को बैठक के सामान्य समय के दौरान लिया जाना चाहिये तथा दूसरी को ५ बजे म० प० अर्थात् सभा की बैठक के सामान्य समय के पश्चात् लिया जाना चाहिये।" तो इसी प्रकार से हमारे यहां भी नियम ५२ की लोकप्रियता बढ़ रही है और हमारे यहां भी यही नियम है कि एक दिन में एक से अधिक प्रश्न नियम ५२ के अन्तर्गत नहीं लिये जा सकते। इस प्रकार से बहुत से आवश्यक प्रश्न इस नियम के अन्तर्गत विचार होने से रह जाते हैं। इसलिये जैसा कि उन्होंने सुझाव दिया है हमारे यहां भी जो नियम के अनुसार सभा की कार्यवाही ११ से ५ बजे तक होती है उसके बीच में भी एक या २ घंटे इन पर विचार हुआ करे और इसके अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो ५ बजे के बाद भी ये ले लिये जाया करें। क्योंकि श्रीमन्, आप अपने यहां भी देख रहे हैं कि यहां पर नियम ५२ के बहुत से प्रश्न आते हैं लेकिन समय की कमी के कारण उन पर विचार नहीं हो पाता है।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय में अब हम अपने यहां भी नियमों में परिवर्तन कर रहे हैं और जहां तक होगा अब यह ५ बजे के बाद लिये जाया करेंगे।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

माननीया मुख्य मंत्री कुछ सूचना देना चाहती हैं, लेकिन दूसरा विषय शुरू हो जाने के कारण वह सूचना नहीं दे पाईं। अब आप कह दीजिये तो वह इस पर सूचना दे दें, वह सूचना देने को तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष—

यदि वह तैयार हों तो खड़ी हों और कह सकती हैं।

श्री झारखण्डेराय—

उन्होंने जरूर पटेल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिये भारत सरकार से लिखा-पढ़ी की होगी, वह जरूर इस विषय में कोशिश कर रही हैं।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी चीज है इस पर विचार हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय लखीसिंह जी, अब यह जरूरत से ज्यादा हो गया, अब बैठ जायें। शान्ति बनाये रखें।

कुंवर श्रीपालसिंह—

हमने जो व्यवस्था का प्रश्न दिया है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष—

अभी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री द्वारा अपने भाषण के एक अंश के सम्बन्ध में खेद प्रकाशन

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना और है। श्री राम सुन्दर शास्त्री ने एक शब्द का प्रयोग किया था "मक्खनबाजी करते हैं" और उन्होंने मुझसे निवेदन किया है कि उसको निकाल दिया जाये। इसी प्रकार से श्री भानुप्रतापसिंह—उस दिन उपस्थित नहीं थे, आज मौजूद हैं—ने पत्र भेजा था जिन शब्दों का प्रयोग किया था और उन्हें वापस लिया था। आज माननीय रामसुन्दर शास्त्री जी ने भी अपने शब्द वापस ले लिये हैं। हम दोनों महानुभावों को धन्यवाद देते हैं और उन्हें बधाई देते हैं तथा उनकी सराहना करते हैं कि उन्होंने इस आदरणीय सदन की गरिमा को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया।

श्री महमूद हसन खां द्वारा प्रजा समाजवादी दल में सम्मिलित होने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय महमूद हसन जी यहां मौजूद हैं? उन्हीं के बारे में कहना है। एक बात मैं आदरणीय सदन के सामने कह दूं। महमूद हसन साहब ने अंग्रेजी में लिख कर भेजा, भविष्य में मैं अंग्रेजी में लिखे पत्रों को स्वीकार करने में असमर्थ हूंगा। इस समय तो लिये लेता हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह—

अब भी हिन्दी में ही श्रीमन् मांग लीजिये। इसे वापस कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

इतना नहीं हो सकता, इस समय इसको चलने दीजिये, भविष्य में यह नहीं चलेगा।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

आपके मुख से स्वयं अंग्रेजी निकलती है।

श्री अध्यक्ष—

श्री महमूद हसन ने सूचना हमें दी है कि वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में सम्मिलित हो गये हैं और उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी से अपना नाम कटवा लिया है।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अंग्रेजी में कोई बात आये तो उस आप स्वीकार नहीं करेंगे, यह आप की व्यवस्था है। किन्तु श्रीमन्, आप स्वयं इस चेयर से 'प्लीज' 'प्लीज' कहते हैं और जो वक्ता अंग्रेजी में बोलना चाहते हैं उन्हें भी आप एलाउ कर देते हैं। तो इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब 'प्लीज' शब्द हिन्दी में आ गया है, यह हिन्दी में ले लिया गया है।

श्री दीपनारायणसिंह—

और 'माई डियर' क्या यह भी अब हिन्दी में आ गया है?

१९६५-६६ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)†

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, कल भी मैंने ध्यान आकर्षित किया था और आज भी सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि रिहन्द बांध पर जो बिजली सरकार की बनती है वह ढाई पैसे में पड़ती है और वह बिड़ला को २ पैसे से कम पर दी जा रही है। उनका प्रतिवर्ष का यूनिट ४१,७१,२९,६३० का है। अगर बिड़ला जी को ५ नये पैसे की दर से बिजली दी जाय तो सरकार को करीब एक करोड़ पच्चीस लाख का फायदा होगा।

रिहन्द डैम जिसमें कि ५० करोड़ की लागत लगी है उसमें दूषित पानी अल्युमिनियम फैक्टरी का एसिड मिला होने के कारण इंजीनियर की राय है कि कुछ वर्षों में यह बांध टूट सकता है। सरकार इस पर कोई ध्यान अभी तक नहीं दे रही है। चुनाव के जमाने में इन लोगों की आत्मायें ऐसे बड़े-बड़े आदमियों के यहां गिरवी रही हैं और उससे यह वर्तमान बिड़ला जी से जो रियायत की जा रही है वह सामने है।

इसी प्रकार से पुलिस बजट पर १९६४-६५ में १३,२३,४००० रुपया व्यय हुआ है जबकि अब १५ करोड़ ५ लाख रुपया व्यय बताया जाता है, इस वर्ष में। श्रीमन्, मैं पुलिस मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि प्रदेश के अन्दर पुलिस की कमी के कारण कहीं कोई घटना नहीं होती। यह बिलकुल सही है कि पुलिस के ईमानदार कर्मचारियों की आज के जमाने में कोई कीमत नहीं रह गई है और भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों के साथ जरूरत से ज्यादा पक्षपात होता है। आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि कोई भ्रष्ट कर्मचारी किसी मामले में पकड़ा जायगा तो उनकी सिफारिश के लिये इधर से बैठने वाले हों या उधर के बैठने वाले हों, उस भ्रष्ट कर्मचारी की सिफारिश करने को वह माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी से कहने के लिये जाते हैं।

एक माननीय सदस्य ने अभी मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के उस भाषण का जिक्र किया, जिसमें झांसी पुलिस के कर्मचारी के आर्म्स गार्ड के सिपाही थे कई डकैतियों के अन्दर पकड़े गये और उन पुलिस के कर्मचारियों ने मेरी जानकारी में करीब १२-१४ डकैतियों को उन्होंने स्वीकार किया है। यदि ऐसे पुलिस के कर्मचारी डकैती डालने लगे और १३-१३, १४-१४ डकैतियों में जुर्म स्वीकार करें तो इस प्रदेश का क्या होगा। कप्तान पुलिस झांसी की सतर्कता से ही इस प्रकार यह गिरफ्तारियां वक्त पर हुईं, वरना पता नहीं कि इस तरह के कितने कांड पुलिस के आदमियों के जरिये और हो जाते। इसलिये मेरा सुझाव है कि पुलिस के ईमानदार आदमियों की कद्र की जाय और भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय।

एक बात और मैं पुलिस बजट के ऊपर कह देना चाहता हूं कि श्रीमन्, यदि पुलिस बजट पर इतना रुपया इस वर्ष, जबकि जनता टैक्सों से दबी हुई है, न खर्च किया जाय तो उत्तर प्रदेश में कोई हानि नहीं होगी।

श्रीमन्, मैं सहारनपुर के कप्तान पुलिस के बारे में थोड़ी बात बता देना चाहता हूं। कप्तान पुलिस सहारनपुर के खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं किन्तु अब तक कोई कार्यवाही सरकार द्वारा नहीं हुई

श्रीमन्, जेल पर १ करोड़ ९० लाख का प्रति वर्ष खर्च है और १ करोड़ ७३ लाख का घाटा। इस प्रकार से ७० लाख की सिर्फ आमदनी है। तो मेरा सुझाव यह है कि जेलों में बड़े-बड़े कपड़े वगैरह की मिलें खुलवा दी जायं और राज्य सरकार उसका प्रबन्ध करे तो कैदियों की क्राइम की तरफ से विचार धारा बदल सकती है और वे इन्सानी जिन्दगी बसर कर सकते हैं और सरकार इस प्रकार से करोड़ों रुपया फायदा उठा सकती है। आज के कैदी जेलों में इन्सानी जिन्दगी से बहुत नीचे हैं और एक तरह से जानवर की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं।

---

†१६ फरवरी, १९६५ की कार्यवाही से।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि विधान परिषद् यदि तोड़ दी जाय तो इस प्रकार से सरकार को करीब ७० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बच सकते हैं। विधान परिषदों में सरकार अपने उन भक्तों को स्थान देती है जो बड़े-बड़े आदमी जो चुनाव में हार जाते हैं। कई बाहरी मुल्क में केन्द्र में राज्य सभायें हैं, किन्तु अनेक स्थानों पर अनेक मुल्कों में विधान परिषदें नहीं हैं।

मेरा सुझाव यह है कि विधान परिषद् को तोड़ दीजिये, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे ७० या ७५ लाख की आमदनी सरकार की बढ़ सकती है। इसी प्रकार सूचना विभाग के द्वारा ७० या ७५ लाख रुपया खर्च होता है। उससे आपका प्रचार भले हो जाता हो लेकिन जनहित के कोई कार्य उससे सम्पन्न नहीं होते। वह पैसा भी बचाया जा सकता है।

एक बहुत खास चीज जो मैंने आपके सामने रखने का विचार किया है वह यह है कि इस देश और प्रदेश का सबसे बड़ा शत्रु भ्रष्ट आदमी है, चाहे वह मंत्री हो, चाहे विधान सभा या विधान परिषद् का सदस्य, चाहे बड़ा या छोटा अधिकारी या कर्मचारी। कल ही जिस प्रकार माननीय नवलकिशोर द्वारा माता टीला कांड पर प्रश्न व उत्तर किये गये उस से माननीय सदस्यों पर यह असर हुआ कि माननीय नवलकिशोर जी व विद्युत् मंत्री भ्रष्ट अधिकारियों की रक्षा कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री व सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि यदि माननीय मंत्री न्यायालय म चल रहे मुकदमे के बाद भी किसी अपराधी को निर्दोष समझते हैं तो मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूं कि जो ठेला मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था वह ठेला एक प्राइवेट कम्पनी में मरम्मत के लिये पड़ा था और उसमें उक्त कम्पनी के कर्मचारी सीमेंट के साथ पुलिस ने हिरासत में लिये थे। देश या प्रदेश से यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी या व्यक्ति हो जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये किन्तु उसके विपरीत इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की चेष्टा की जा रही है और सदन में खुले रूप में गलत बयानी कर सदन को गुमराह किया जा रहा है। जिस प्रकार माननीय मंत्री जी ने गलतबयानी की है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें शायद यह भी पता नहीं है कि बसन्त कब होता है। आज के युग में मामूली साइकिल के चालान में भी २ गवाह न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जाते जब कि सत्य यह है कि उक्त अभियुक्तों के खिलाफ लगभग आधे दर्जन गवाह धारा १६४ में अन्य गवाहों के साथ कलमबन्द बयान अन्य गवाहों के साथ न्यायालय में दे चुके हैं।

हो सकता है आपकी जानकारी में न हो लेकिन अपने प्रदेश को एक कगार पर ला कर खड़ा कर दिया है और मैं यह कहने को तैयार हूं कि पता नहीं आपका समाजवाद कैसा है जिसके अन्दर भूखे मरते हुये इंसान को आप सिर्फ ५ रुपये महंगाई का भत्ता देते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रख कर टटोलिये। जब वह इंसान जिसको खाना नहीं मिलता है अपने घर जाता है तो उसके घर के लोग उस पर शक की दृष्टि से देखते हैं, उसकी बीबी उससे कहती है कि मेरे किये नहीं होता अपने घर का खर्चा संभालो तब उसकी क्या हालत होती है। आपने ५ रुपये देकर उसको इस प्रदेश के लाखों लोगों की ओर इस प्रदेश को ज्वालामुखी के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। इस प्रदेश का इतिहास साक्षी है कि भूखी-नंगी जनता जब क्रांति पर उतर आती है तो बड़े से बड़े क्रूर शासक के शासन डगमगा उठते हैं। २०, २५ हजार सरकारी कर्मचारियों के जुलूस आपकी आंखों के सामने रोज उठते हैं। हमारे लिये आप कहते हैं कि विरोधी दलों के लोग इनको भड़काते हैं, बरगला देते हैं और जुलूस निकलवा देते हैं लेकिन बरगलाने से जुलूस नहीं निकलते, दिलों की आग उनको ऐसा करने पर मजबूर करती है, प्रदर्शन कराये नहीं जाते वह हो जाते हैं। भूखी-नंगी जनता अपने सिर पर कफन बांध कर निकलती है। मेरे क्षेत्र में ऐसे स्थान हैं जहां लोग शाम के ७ बजे से सुबह ७ बजे तक घास के फूल तोड़ते हैं। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इन फूलों को सुखाकर और इनको पीस कर इनकी रोटी अपने बच्चों को जिन्दा रखने के लिये हम तैयार करते हैं और उससे अपने बच्चों को जिलाते हैं। जिस प्रदेश की यह हालत हो कि वहां के लोग घास से के फूल खा-खा कर जिन्दा रहते हों और आप समझते हों कि जनता के सामने कठिनाई नहीं है तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप यह सोंचते

[श्री लखपतराम शर्मा]

रहे तो मैं समझता हूं कि यह प्रदेश समाप्त होगा और उसको समाप्त करने के लिये आप जिम्मेदार होंगे, उसकी जिम्मेदारी हम लोगों पर नहीं होगी। कल माननीय नवलकिशोर जी ने भी कहा। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि कुछ करिये, कहने से लाभ नहीं होता। अगर सरकार में उन्हें लेने से काम हो जाता है तो मैं कहता हूं कि वे शौक से सरकार में पद पावें, लेकिन . . .

(लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, अभी तो मेरे ४ मिनट बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपने ४ मिनट कल भाषण कर लिया।

श्री लखपत राम शर्मा—

मैंने तो कोई भाषण ४ मिनट तक कल नहीं किया था . . .

श्री अध्यक्ष—

आप जितना कम वक्त जाया करके बोल सकें, बोलिये।

श्री लखपतराम शर्मा—

गल्ले की जो दशा है उसके लिये मेरा एक सुझाव है कि आप प्लानिंग विभाग से २ करोड़ रुपये लेकर जनता के हित के लिये गल्ला खरीद लें और उससे सस्ते गल्ले की दूकानें मुहल्ले-मुहल्ले में खुलवा दें। तो मेरा विश्वास है कि आपको कुछ अपने लाभ में घाटा हो सकता है, लेकिन यह सही है कि प्रदेश की जनता को पूरी तरह से राशन मिलेगा और उससे बढ़ते हुये दाम भी कम हो सकते हैं और जनता को काफी सहूलियत हो सकती है।

इसके अतिरिक्त मैं आपको बतलाऊं कि जब मेरे सामने यह बजट आया तो मैंने देखा कि बुन्देलखंड के लिये इस बजट में कोई रियायत नहीं की गई है। जब आप यह स्वयं स्वीकार करते हैं कि बुन्देलखंड का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है और वहां पर काफी बेकारी है तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी था। जब सरकार स्वयं इस बात को स्वीकार करती है कि हिन्दुस्तान नए स्वतंत्रता प्राप्त २८ देशों में पिछड़ा हुआ देश है और यहां पर आये दिन टैक्स लगाये जाते हैं, लेकिन फिर भी यह देश पीछे रह जाता है तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार के प्रयत्नों में कमी है। सरकार जो कानून बनाती है उसके विषय में इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब यह सरकार खुद ही अपने बनाये हुये कानून को नहीं मानती है तो इस प्रदेश की रक्षा कैसे होगी। आप यह भी देखें कि संविधान के अन्दर जो कहा गया है और जो चीज उसकी धारा के अन्दर रखी गई है उसकी अवहेलना यह सरकार खुद ही कर रही है। संविधान के अन्दर धारा ४३ में यह बतलाया गया है कि शराब का प्रयोग केवल दवाइयों में किया जायगा, लेकिन संविधान की धारा को यह सरकार खुद ही तोड़ती है और खत्म करती है। अपने प्रदेश के अन्दर संविधान की धारा को तोड़ कर शराब का प्रयोग गली-गली और मुहल्ले-मुहल्ले बड़ी आसानी से हो रहा है। अगर इस तरह की चीजों को समाप्त कर दिया जाय तो प्रदेश की काफी तरक्की हो सकती है।

मैं दो बात अन्त में इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। जब मैं इस विधान सभा में आया तो मैंने देखा कि यहां पर एक तरफ बैठने वालों के ऊपर "हां" लिखा हुआ है और दूसरी तरफ बैठने वालों के ऊपर 'नहीं' लिखा हुआ है। इस तरह से यहां पर संविधान के विरुद्ध मानव की व्यक्तिगत विचारधारा पर कुठाराघात किया जा रहा है। यह कहां का सिद्धान्त है? हम यहां पर जनता के चुने हुये प्रतिनिधि हैं तो हमको विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिये, लेकिन यहां पर हां और नहीं की शिक्षा दी जाती है। पहले ब्रिटिश जमाने में यह होता तो कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन प्रजातंत्र के जमाने में यह लिखना मैं समझता हूं जनतंत्र के साथ अन्याय है।

(श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा का नाम पुकारे जाने पर ।)

श्री विजयशंकर (जिला इटावा)—

जो इस सदन में कम से कम बोलते हैं उनको भी कभी-कभी मौका दिया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है । माननीय बहुगुणा जी खड़े हो गये जो मंत्री रह चुके हैं, अगर मैं उनको न बुलाऊं तो यह भी हमारी परम्परा के विरुद्ध मालूम होता है ।

*श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं अपने दोस्तों से कह सकता हूं कि शायद १९६२ के बाद आज पहली बार इस सदन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसलिये मेरी गिनती भी उन्हीं माननीय सदस्यों में करनी चाहिये जिनको बहुत कम मौका लेने की गुंजायश रहती है ।

जो बजट इस सदन में माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है काफी मुश्किल के जमाने में वह बजट आया है । केवल बढ़ती हुई गरीबी और दरिद्रता का जो सारा सिलसिला है और हमारे साधन और शक्तियों की कमी के कारण जो देश पिछड़ा हुआ है उस कठिनाई को मैं ही नहीं देख रहा हूं, बल्कि तमाम किस्म की कठिनाई वित्त मंत्री जी के सामने भी थी । वित्त मंत्री जी के बजट पेश करने के कुछ पहले यह काम उनके जिम्मे गया, लेकिन मंत्रिपरिषद् की जिम्मेदारी कलेक्टिव होती है और उस नाते मैं ऐसा मानता हूं कि बजट बनाने का क्रम काफी पहले से शुरू रहा होगा । फिर भी अच्छा होता अगर इस बजट को उपस्थित करने के पहले खासा समय इस सिलसिले में लिया जाता कि वित्त मंत्री कौन हो ।

खैर, जो हुआ वह हुआ; लेकिन उसका असर इस बजट पर हल्का सा दिखायी देता है । मान्यवर, बजट होता है प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की परछाई, उसका प्रतिविम्ब । बजट आंकड़े नहीं होता । वह तो साधन होते हैं जीवन की विविध दिशाओं को प्रतिविम्बित करने के कि देश को, प्रदेश को हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं । मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि आंकड़ों की दृष्टि से यह बजट जोड़ घटाने में चाहे सब सही हो, लेकिन जीवनशून्य है इस माने में कि कोई ऐसी बात इस बजट से नहीं प्रतिविम्बित होती कि तीसरी योजना के अन्तिम चरण में, दूसरी और तीसरी योजनाओं के आधार पर किस नयी दिशा में हम देश को ले जाना चाहते हैं और उसके लिये हम क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि आने वाली चौथी योजना, जिसका बड़ा बोझ हमारे ऊपर पड़ने वाला है, उसको उठाने की क्षमता हम अपने में पैदा कर सकें । इन दो कारणों से मुझे बहुत उदासी हुई, बड़ा अफसोस हुआ । इशारा वित्त मंत्री जी ने जरूर किया है कि हमें चौथी योजना के शुरुआती चरण में तैयारी करनी होगी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उनकी तैयारी का रूप क्या होगा । किस सिलसिले में वह तैयारी किया चाहते हैं । कौन बातें वह पैदा कर रहे हैं जो चौथी योजना के लिये हमको सहायक होंगी । वह सारी बातें इससे मिलती नहीं । यह जरूर है कि हम बिजली कुछ बढ़ा रहे हैं, सिंचाई के साधन कुछ बढ़ा रहे हैं, कुछ तबकों को सहायता देने के लिये व्यवस्था की गयी है, कुछ को छोड़ा भी गया है । उन्होंने अपने हिसाब को दो और दो चार करके बैठाया है । यद्यपि एक बात जरूर हुई है । और सरकारें आयीं और गयीं, लेकिन एक शिकायत मुसलसल बनी रही कि घाटे का बजट उपस्थित होता रहता है और आने वाले वर्ष में यह पढ़ देना कि १४ करोड़ रुपये का घाटे का जो तखमीना था वह एक करोड़ कुछ रुपये के मुनाफे में बदल गया । इससे लोगों को लगता है कि हम लोग अपने हिसाब किताब में बहुत या पूरे दूरदर्शी नहीं हैं या बहकाने के लिये कुछ ऐसा कहा जा सकता है कि सरकार ने अपने साधन बढ़ाने के लिये यह अपना एक मैकेनिज्म बना लिया है और इस प्रकार करों को लगाने की एक परम्परा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

चल पड़ी है । मैं जानता हूं कि इसमें सरकार की नीयत साफ है, लेकिन अकारण बदनामी हो तो देखने और समझने की उस बात की जरूरत होती है ।

इस बजट में भी काफी खासा घाटा है और मैं नहीं जानता कि अगले वर्ष में वित्त मंत्री जी जब अपने बजट भाषण को पढ़ेंगे और लायेंगे तो कितना सरप्लस और डेफिसिट वह बतलायेंगे । लेकिन इसके साथ मेरा विचार है कि सरप्लस या डेफिसिट का कारण भी यहां आना चाहिये । मुझे खेद है कि वित्त मंत्री जी के भाषण में इन सामान्य सिद्धान्तों के ऊपर चर्चा होनी चाहिये थी कि स्थितियां यह थीं, ये हमारे कब्जे के बाहर थीं जिनकी वजह से हम रुपया खर्च नहीं कर सके । सफाई होनी चाहिये थी कि १४ करोड़ का खर्च क्यों नहीं किया जा सका । यह साधन उपलब्ध नहीं थे । हमने चेष्टा की, लेकिन फिर भी साधन उपलब्ध नहीं हुए । तो इससे स्थिति साफ हो सकती थी । सम्भव है कि स्थिति हमारे हाथ के बाहर हो, लेकिन उसके कारण दिये जाने चाहिये थे और सफाई के साथ, जाब्ते से, सिलसिलेवार उन कारणों को यहां आना चाहिये था, ताकि मालूम हो सकता कि इन कारणों से यह सरप्लस हुआ और इन कारणों से यह डेफिसिट है । ऐसा होने पर जनता के मन में संदेह बाकी न रहता । यह भी आवश्यक है हमारे लिये, उनके लिये और प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक-ठीक चलाने के लिये ।

अब बजट का असर हमारे जीवन पर क्या होगा ? इसकी पहली कड़ी यह है कि हमारी एग्रीकल्चर पर इस बजट का क्या असर पड़ने वाला है । मान्यवर, सम्बंधित विभाग जब आयेंगे तब उन पर विचार होगा, यह ठीक है, मगर जब कृषि विभाग आयेगा उस समय सहकारिता विभाग नहीं होगा, सिंचाई विभाग नहीं होगा, उससे सम्बंधित और विभाग नहीं होंगे । खेती की तरक्की के लिये जो शरीर खड़ा किया जा रहा है उसमें सहकारिता अगर उसके पैर हैं तो सिंचाई उसके हाथ हैं, कोई विभाग उसका मस्तिष्क है तो कोई विभाग कोई दूसरा अंग है । तो विचार के वक्त जब तक यह सारे अंग हमारे सामने न हों, हम उस विषय में विचार नहीं कर सकते । मगर यह सारा शरीर उसके सामने नहीं आयेगा, पैर कहीं होंगे, हाथ कहीं होंगे, उसका धड़ कहीं होगा ।

ऋण देने की जो व्यवस्था है उसमें जो सूद लिया जाता है उसका क्या हिसाब है ? छोटे उद्योगों के लिये ३–५ प्रतिशत सूद पर ऋण दिया जाता है ताकि जो छोटे पूंजीपति हैं वे अपनी तरक्की कर सकें । ५ लाख तक की पूंजी लगाने वाले को इतने प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था है । मगर जो साढ़े १२ एकड़ का किसान है, जो छोटा किसान है, उसको साढ़े ५ से साढ़े ९ प्रतिशत ब्याज तक पर ऋण मिलता है । मैं नहीं समझता कि उसने कौन सा पाप किया है । इसके अलावा तकावी आदि के जो नियम बने हैं, लोन जिस तरह से मिलता है, उसमें अलग उसको खर्च करना पड़ता है । किसान को अपनी हैसियत दिखाने के लिये लेखपाल को रिश्वत देना पड़ती है, अपनी हैसियत दिखाने के लिये उसको तहसीलदार, नायब-तहसीलदार तमाम लोगों को रिश्वत देना पड़ती है । तब जाकर उसकी हैसियत तस्दीक होती है और फिर इतने ब्याज पर उसको ऋण मिलता है । अभी कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में किशोरीलाल जी ने एक योजना भेजी थी कि हर किसान के पास एक किताब हो जिसमें उसका फोटो आदि हो और उसमें उसकी हैसियत लिखी हो ताकि बार-बार उसको अपनी हैसियत तस्दीक न कराना पड़े । उस किताब में और भी कालम्स हों । इससे उसकी सारी झन्झटें दूर हो सकती हैं । मैंने भी पत्र लिखा । मुझे पता चला है कि मध्य प्रदेश ने इसको चालू किया है । अगर किया है तो सचमुच वह बधाई की पात्र है । पता नहीं हमारी सरकार ने उस पर क्या विचार किया । इस बजट में उसका कोई जिक्र नहीं है ।

मान्यवर, लीक लीक चलने वाला सपूत होता है, मगर वही आजकल की दुनिया में कपूत भी हो सकता है । अभी तक पुराने तरीकों पर ही हम अपना बजट बनाते चले आ रहे हैं । प्रशासन में आज किस प्रकार की तब्दीली की आवश्यकता है, उस पर हमने विचार नहीं

किया । जैसा कल माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा, ऐसे कामों के देखने को समय कम मिलता है क्योंकि और बहुत से काम लगे रहते हैं जिनमें दिलचस्पी अधिक रहती है । मान्यवर, आज बड़ी विषम परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश गुजर रहा है । आप अपने पड़ोस के प्रदेशों में जाइये, वहां पर भी आपको खाद्य संकट मिलेगा । फसल वहां पर भी खराब हुई है । राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली कहीं भी देखें, हर जगह खाद्य संकट जरूर रहा मगर कहीं भी इतनी महंगायी नहीं बढ़ी जितनी कि अपने यहां । यहां पर महंगाई इतनी बढ़ गयी है कि उसने श्रमिक वर्ग, गरीब तथा मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है । शहरों में भी लोग बहुत परेशान हो गये हैं । इस महंगायी के समय में अच्छा होता यदि मंत्री लोग जगह जगह जाकर दूकानों पर देखते कि जनता को क्या परेशानियां हैं, आज लोगों की हालत क्या है । पब्लिक इंगेजमेंट होंगे, भाषण होंगे, उद्घाटन होंगे । ठीक है, हों, मगर जो जरूरी काम हैं उनके लिये भी समय निकालना चाहिये । आज की प्रदेश की स्थिति में जितनी देखरेख की आवश्यकता थी, मान्यवर, मुझे कहने में दुख है, वह नहीं हुई । कुछ लोगों ने सरकार को कठिनाइयों में डालने की कोशिश की, उनका भी दोष है, लेकिन सरकार का धर्म इसलिये पहला है क्योंकि सरकार को चलाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है । उनको चाहिये कि वे दूसरों से सहयोग लें । आज उत्तर प्रदेश में एक अजीब बेचैनी है । उसका तजकिरा माननीय गोविन्द सहाय जी ने कल किया । मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे हम भूले भूले अंधेरे में हैं हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ समझ में नहीं आता, हम देखते हैं कि जनता शांत है, जनता ने कांग्रेस के प्रति अपना विश्वास प्रकट किया है । किन्तु हमको यह नहीं समझना चाहिये कि हम जो काम कर रहे हैं वह सब ठीक ही है । हमें और अधिक सचेत होकर काम करना है ।

मान्यवर, हमने योजनायें चलायीं । खेती के संबंध में क्या प्रगति हुई, कुछ आंकड़े उसके मैं आपके सामने रखूंगा । जो खेती के आंकड़े हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि इस क्षेत्र में हमने प्रगति नहीं की । श्रीमन्, १९५०–५१ में चना ६.४६ मन प्रति एकड़ पैदा होता था, १९६१–६२ में वह ६.३९ रह गया, और १९६३–६४ में इससे भी कम हो गया । बाजरा १९५०–५१ में ६.९८ मन प्रति एकड़ पैदा होता था, १९६१–६२ में ४.०४ रह गया । मक्का ८.५ से ६.९५ मन प्रति एकड़ रह गयी । अरहर १२.४७ से घट कर ६.८७ रह गयी । इसी तरह कोदो, सांवां, मडुवा, मूंग, उर्द, मसूर आदि की भी पैदावार घटी है । हमारी योजनाओं के फलस्वरूप, तमाम कोशिशों के बावजूद, यह पैदावार घटती चली गयी है । मटर, गेहूं, गन्ना आदि में जरूर कुछ तरक्की हुई है । मगर वह तरक्की इतनी नहीं है कि दूसरी तरफ की कमी इससे पूरी हो जाय । इसलिये, मान्यवर, सरकार को बहुत सोच विचार कर कृषि के संबंध में इस योजना के अंतिम चरण में ऐसी कोई बात रखनी चाहिये थी जिससे कि कृषि से संबंधित सारे साधन किसान तक पहुंच पाते, कृषि उत्पादन की कठिनाइयां दूर होतीं, और उत्पादन में वृद्धि होती । मुझे आशा है कि मंत्रि परिषद् अब भी इन बातों पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करेगा और ऐसा कार्य करेगा जिससे यह साधन सस्ते से सस्ते ढंग से किसान को उपलब्ध हो सकें ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, इस सदन में जो हमारे सामने १४ करोड़ ९१ लाख का खसारे का बजट आया है, अब से पीछे भी बजट सदन में पेश होते रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं यह मुनासब समझूंगा कि सरकार जिस खर्चे को हमसे मंजूरी कराती है वह सही होता है या उसमें गड़बड़ी होती है, इसके लिये हमारे सामने सन् १९६४ की आडिट रिपोर्ट है जिसमें आडिट आब्जेक्शन्स हैं जिसका कुछ हवाला मैं सरकार को देना चाहता हूं ।

९.२८ करोड़ रुपये का गड़बड़ आडिट आब्जेक्शन्स द्वारा पाया गया है । इसके अलावा ५८५० ग्रान्ट्स में १७.९ करोड़ रुपये का सही यूटीलाइजेशन नहीं हुआ है । इसी तरह से २२०० एकड़ प्लान्टेशन की स्कीम में पेड़ लगे केवल ६३५ एकड़ में ४.२ लाख रुपया खर्च

[श्री रियासत हुसैन]

हो गया। यानी २९ परसेन्ट ही लगे। इसमें एक हजार रुपया बच गया और बाकी सब खर्च हो गया।

इसी तरह से एक ठेकेदार साहब को १८५ लाख रुपये का ठेका दिया गया १९६२ में; काम खराब हो जाने के बावजूद भी उस ठेकेदार साहब को पूरा पेमेन्ट कर दिया गया; और ४७.२७ लाख का नुकसान हुआ। यह हालत है हमारे अफसरों की। इसमें भी ९.८ करोड़ रुपये का गोलमाल है। इस प्रकार जो मंजूरी सरकार खर्च की हमसे लेती है आया वह सही है या गलत, उसमें इस तरह की मिसालें कायम होती हैं।

आज तीसरा दिन है हाउस में बहस करते हुए और रुपया काफी तादाद में मिसयूटिलाइज होता है और बरबाद किया जाता है। अब अगर अलग अलग देखें तो पता चलता है कि बजट में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और डिफेन्स के अलावा फूड पर भी बड़ा जोर दिया गया है। फूड की स्थिति से तो सारा सूबा परेशान है। कहीं डिमान्स्ट्रेशन हो रहे हैं तो कहीं जलसे हो रहे हैं इसके मुताल्लिक। महंगाई दिन व दिन बढ़ती चली जा रही है जिसका आजकल कोई जवाब नहीं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता और मैं बुनियादी तौर पर पूछना चाहता हूं कि जब आपकी सोसायटी के अन्दर एक वर्ग मौजूद है जिसके यहां यही काम होता है, वह जितना सस्ता खरीद सकता है खरीद ले, जितना महंगा से मंहगा बेच सकता है बेच ले, तब फिर महंगाई का क्या रोना है? अगर ऐसा वर्ग आपकी सोसायटी के अन्दर न होता और आपके यहां स्टेट ट्रेडिंग होती और फिर भी आपकी महंगाई का रोना होता तब आप शिकायत कर सकते थे। ऐसी हालत में महंगाई और गल्ले की भारी कीमत की तीन वजूहात हैं। उन पर अगर सरकार ध्यान देती तो महंगाई इस कदर न होती। आप बड़े निश्चित हैं कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की ओर कदम उठा रहे हैं। हमने करोड़ों रुपया उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर खर्च भी किया है, लेकिन आज अपनी जरूरत के मुताबिक उस प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं पाये। इसकी वजूहात आपको सोचनी होगी कि आपकी जो आबपाशी का रकबा बढ़ा है उसमें से कितना गन्ने में और दूसरी कैश क्राप्स में गया और दूसरी दीगर वजूहात क्या हैं जिनके कारण प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाया।

दूसरी चीज यह है कि किसी भी होर्डर या ब्लैकमार्केटियर के खिलाफ, चाहे वह सस्ते गल्ले की दूकान वाला हो या दूसरी तिजारत पेशा वाला हो, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही आप नहीं कर पाये। आज हमारा नुक्तेनजर यह बन गया है कि महंगाई आयी है, गल्ले की परेशानी है तो इसके जरिये से हम अपने ज्यादा से ज्यादा आदमियों को सस्ते गल्ले की दूकानें दिलवा कर उन्हें फायदा पहुंचा दें। हर जिले में दूकानें अपने अपने आदमियों को दिलाने की होड़ लगी है ताकि अधिक से अधिक वह ब्लैक कर सक और जितना अधिक से अधिक फायदा उठा सकें उठा लें। मैंने अपने जिले की खाद्य कमेटी में यह प्लान रखा कि बुनियादी तौर पर आपको यह सोचना चाहिये कि हर जरूरतमन्द तक गल्ला पहुंच जाय और अगर आपने जरूरतमन्द तक गल्ला पहुंचा दिया तो बहुत बड़ा बोझ मार्केट के ऊपर से आप हटा देंगे और इससे गल्ले की महंगाई में कमी होगी। लेकिन उसका जवाब यह मिला कि आप तो यह चाहते हैं कि दूकानदार गांव गांव में गल्ला ले जाकर पहुंचाता फिरे। तो मैं यह कहता हूं कि हमारा उद्देश्य तो हर जरूरतमन्द आदमी तक गल्ला पहुंचाना ही था, न कि अपने आदमियों को फायदा पहुंचाना हमारा उद्देश्य था। जब मीटिंग होती है जिले स्तर पर तो यह लड़ाई होती है कि फलां दूकान रेस्टोर कर दी जाय और फलां दूकानदार जिसके ऊपर ब्लैक करने का कसूर साबित हो चुका है, जिले के अफसरान जिस पर डी० आई० आर० चलाना चाहते हैं, उस पर डी० आई० आर० नहीं चलाना चाहिये। हममें से ही बहुत से लोग यह कहते हैं कि डी०आई०आर० उस पर न चलाया जाय और उसकी दूकान उसको रेस्टोर कर दी जाय और वह रेस्टोर होती है, क्योंकि सीधी-सीधी बात है कि आपने छूट दे रखी है कि खूब कमाओ खाओ। वरना अगर आप चाहते हैं कि वाकई में ब्लैक बन्द हो जाय तो कोई ऐसी बात नहीं थी। जो असली कीमत है गेहूं की ५२ पैसे किलो

उस पर २ पैसे किलो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज देकर दूकानदार से क्यों नहीं कहते कि वह गांव-गांव ले जाकर हर जरूरतमंद आदमी को गल्ला पहुंचाये। आज स्थिति क्या है ? गांव का आदमी दस-दस, पांच-पांच मील जाता है, वहां जाने पर मालूम होता है कि स्टाक खत्म हो गया, नहीं आया। अब डेढ़ रुपये, दो रुपये उसकी मजदूरी जाती रही और गल्ला भी नहीं मिला। अगली दफा सोचता है कि जाना बेकार है, चीज तो मिलेगी नहीं और वह दूकानदार उसका ब्लैक कर लेता है। अगर आप उसको गांव गांव में पहुंचा दें और उनसे कह दें कि तुम्हें अपने गांव में राशन मिल जायगा तो अवश्य वह वहां पहुंच कर अपने कोटे का राशन लेंगे और दो नये पैसा और ट्रांसपोटशन चार्जेज देने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से दूकानदार का रेकर्ड भी ठीक रहेगा और मार्केट पर से बोझा भी कम होगा। यह जरूर है कि कुछ लोगों को एक दफा मिल जायगा, कुछ लोगों को दूसरी दफा मिल जायगा। लेकिन इस सुझाव पर कहा गया कि आप तो यह चाहते हैं कि दूकानदार गांव गांव गल्ला पहुंचाता फिरे। मैं पूछता हूं इसमें दूकानदार को क्या कठिनाई है, उसका क्या नुकसान है ? उसको तो दो नये पैसे खर्चे के मिल जाते हैं। मैंने अपने जिले की कमेटी से इसी बात पर इस्तीफा दिया। मैंने कहा कि जितना भी आपको उपलब्ध है चाहे वह अमेरिका का हो, चाहे रूस का हो, लेकिन जो जरूरतमंद है चाहे वह शहर का हो चाहे गांव का हो, सबको बराबर मिलना चाहिये। जवाब मिला कि हर गांव वालों को नहीं दे सकते, सिर्फ शहर वालों को देंगे और अब पता चला है कि टाउन एरिया की भी दूकानें खत्म कर दी हैं। यह हालत है। नीयत नहीं है आपकी। नीयत बनानी पड़ेगी। इस मंहगाई को दूर करने के लिये गांव गांव गल्ले को पहुंचाना होगा। मैं आपको हाईकोर्ट के जस्टिस खेर और भार्गव का फैसला सुनाता हूं। सेशन जज साहब इटावा ने कत्ल के जुर्म में एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी थी। यह फैसला ४ दिसम्बर को हुआ है। पुलिस ने उस व्यक्ति का इसलिये चालान किया था कि उससे अपने बच्चों की भूख न देखी गयी और वह उसके लिये अपनी बहन के पास गया। बहन ने उसको कुछ भी देने से इंकार कर दिया। इस पर उसने बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस ने यही चालान में लिखा था। लेकिन इलाहाबाद के जस्टिस ने यह लिखा कि इसने यह जो कत्ल किया है वह इकानामिक परिस्थिति से परेशान होकर किया है, उसके कारण उसे गुस्सा था और उसी में वह कत्ल हुआ, इसलिये उसको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। यही नहीं हाईकोर्ट में यह साबित हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में स्टारवेशन के केसेज हो रहे हैं और भूख से लोग मर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी सरकार की ओर से यह कहा जाना कि कोई भी फाके से नहीं मर रहा है, यह बिलकुल गलत है, झूठ है, गलत बयानी है। यह इसका सबूत है कि लोगों की ऐसी हालत हो रही है कि लोग भूख की मुसीबत के कारण कत्ल तक कर रहे हैं।

(इस समय १२ बजकर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय, पीठासीन हुए।)

इसके बाद आप कहते हैं कि पैदावार बढ़ती नहीं है। कैसे बढ़े ? आपका किसानों को कर्जा देने का वही पुराना तरीका है। वेरीफिकेशन उसी प्रकार से होगा, वही पटवारी फर्द प्रस्तुत करेगा, तब उसको कर्जा मिलेगा। मेरा सुझाव है, अगर आप वाकई किसानों की मदद करना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसान सही काम में खर्च करें, अपने बच्चों के शादी विवाह में खर्च न करें, तो वी० एल० डब्लू० आपका गांव गांव जाता है। क्यों नहीं उसको कह देते कि मई और जून के महीनों में जब वह गांवों में जाय तो इस बात की रिपोर्ट करे कि किस गांव में किस-किस किसान को बैल की जरूरत है, किस को बीज की जरूरत है, और दूसरे किसानों को किस किस चीज की जरूरत है फिर और तहसील के जरिये उन जरूरतों को पूरी कर दिया जाया करे। लेकिन आज उसको रुपया दिये जाने की बात होती है। एक तो उसको मद का पूरा रुपया नहीं मिल पाता, समय पर नहीं मिलता और अगर मिलता है तो उस समय जब कि उसको वह जरूरत नहीं होती और वह दूसरे ही कामों में खर्च हो जाता है।

इंडस्ट्री के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं। आपकी यहां पर जो जी० पी० आई० एफ० फैक्ट्री है, उसमें आप घड़ी बनवाना प्रारम्भ कर दें तो बहुत अच्छा काम चले और फायदा

[श्री रियासत हुसैन]

भी बहुत हो । इसके अलावा डिफेन्स की ओर भी आपको अधिक ध्यान देना चाहिये । उत्तरी जिलों की हालत ठीक नहीं है, वहां सड़कों और रोजगार के कामों की बहुत आवश्यकता है । वहां ऐसी सड़कें होनी चाहिये कि दिल्ली से सीधे वहां लोग आ जा सकें । वहां पर स्मगलिंग होती है उसकी भी खास तौर से रोक होनी चाहिये ।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, तृतीय पंचवर्षीय योजना का यह अन्तिम बजट है और मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए माननीय मंत्री जी ने इस बात की कोशिश की है कि इस बजट में जितनी भी बातें हैं, जितनी भी मदें हैं वे सभी इसमें आ जायं । श्रीमन्, इस बजट के खिलाफ कई प्रकार की बातें कही गयी हैं । कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह का डेफिसिट बजट क्यों रखा गया, कुछ लोगों का कहना कि इस बजट में समाजवाद की बू नहीं आ रही है, कुछ लोगों का कहना है कि यह क्रान्तिकारी बजट नहीं है । इस प्रकार से बहुत से लोगों ने और बड़े-बड़े जिम्मेदार लोगों ने अपनी अपनी बातें कही हैं । नियोजन काल में ऐसी आर्थिक व्यवस्था में कभी भी इस तरह क्रान्तिकारी बजट नहीं आता । नियोजन काल में धीरे-धीरे तरक्की करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है । जब कोई क्रान्ति होती है और उसमें आमूल परिवर्तन होता है तो नियोजन काल में इससे अच्छा बजट कोई नहीं हो सकता । इस बीच में सरकार की ओर से जितने काम किये गये हैं उनको मंत्री लोग बतलायेंगे क्योंकि इसकी उन्हें विशेष जानकारी है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि इस योजना काल में जिसके तीन वर्ष बीत चुके कुछ स्थानों पर अच्छे-अच्छे कार्य हुए हैं ।

हमारे मंत्रियों के खिलाफ यह भी शिकायत है कि आप बजट में रुपया तो पास करवा लेते हैं, लेकिन आप उसे खर्च करना नहीं जानते । इस योजना के तीन सालों में ५०२ करोड़ रुपया खर्च हुआ है और आगे इस खर्चे में सरकार और भी इजाफा करने जा रही है, नयी नयी मदें सरकार की तजवीज में हैं । हमारे पूर्वी जिलों में सरकार ने पटेल कमीशन की रिपोर्ट को मंजूर किया है जिसके अन्तर्गत ४ जिले लिये गये हैं, जहां एक अच्छी खासी रकम खर्च करने की तैयारी सरकार कर रही है । इसके अलावा सरकार ने १६ जिले क्रैश प्रोग्राम के लिये दिये हैं जिनमें लघु सिंचाई योजना पर अधिक बल दिया जा रहा है । क्योंकि हमारे यहां नहरों या ट्यूबवेल से पानी नहीं मिलता, तो सरकार ने सोचा कि गांवों में कुएं ही बनवा दिये जायं जिससे किसान खेती की पैदावार बढ़ा सकें ।

इसी तरह से हम देखते हैं कि तीन योजनाओं में बिजली का उत्पादन २७४ मेगावाट से बढ़ कर ६२४ मेगावाट आई और इस वर्ष उससे भी ४०० मेगावाट बढ़ कर १०२४ मेगावाट हो गयी और आगे चल कर चौथी पंचवर्षीय योजना में वह चौगुनी तक हो जायगी । हमारे प्रदेश के तीन हजार गांवों में आज बिजली का प्रकाश पहुंच गया है जब कि कुछ लोगों को अंधकार ही अंधकार दिखलायी पड़ता है । इस तरह से सत्य पर पर्दा नहीं डालना चाहिये । जो सरकारी गलती हो उसको तो बतलाना चाहिये ही, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि जो सरकार की अच्छाई हो उसको भी बयान किया जाय । सरकार कभी पूर्ण नहीं होती । जब इन्सान पूर्ण नहीं होता तो सरकार के बारे में आप कैसे सोचते हैं कि वह बिलकुल पूर्ण हो जायगी ?

हमारे एक माननीय सदस्य गोविन्द सहाय जी हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बड़ा जोर दिया । उन्होंने कहा कि यह सरकार आफिसरों के इशारे पर चल रही है और यह कठपुतली बन गयी है, इसमें कोई दम नहीं है । जो आई० सी० एस० या आई० ए० एस० आफिसर हैं वे ही सारी चीजें कर रहे हैं । मुझे उनकी बात

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को सुन कर बड़ा दुख हुआ और ताज्जुब भी हुआ। ताज्जुब इसलिये हुआ कि वे प्रदेश के जाने माने हुए बड़े अच्छे नेता ह और उन्होंने बहुत से जमाने को देखा है और यह भी जानते हैं कि दोनों के अलग-अलग काम हैं जो दोनों में बांटे गये हैं। अलग-अलग काम व्यक्तियों को बांटे गये हैं, मंत्रिमंडल का काम अलग है, विधान सभा का काम अलग है और अधिकारियों का काम अलग है। उन्होंने साफ तौर से यह नहीं बताया कि कौन-सा काम सेक्रेटरी का मंत्रिमंडल ने किया और मंत्रिमंडल का सेक्रेटरी ने किया। माननीया मुख्य मंत्री ने कहा था कि मैं किसी के हाथ की कठपुतली होकर नाचने वाली नहीं हूं मैं भी गांधी जी के आश्रम में रही हूं और वहां वह मुझसे शिकायत किया करते थे कि यह तो अड़ जाने वाली औरत है। वह इस तरह से आप के कहने से नहीं होगा। हमने भी गांधी जी के नेतृत्व में काम किया है। मुझे दुख है कि एक महिला के पीछे इस तरह से अगर जानबूझकर उसकी बात पर यकीन न किया जाय और अगर व्यक्तिगत हमला किया जायगा तो वह उनके स्टेन्डर्ड से गिरी हुई बात होगी। माननीय गोविन्द सहाय जी भी मंत्रिमंडल में थे और हमारे भी उनसे अनेक काम पड़े थे। वह भी कठिनाइयों का अनुभव करते थे, बहुत से काम वह नहीं कर पाते थे, लेकिन न जाने क्यों जब से वह मंत्रिमंडल से अलग हो गये हैं तब से उनकी मनोवृत्ति क्रान्तिकारी बन गई है। माननीय बहुगुणा जी भी इसी तरह से पहले मंत्रिमंडल में थे ....

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ....

श्री अधिष्ठाता—

वह बैठ नहीं रहे हैं, यह उनको अधिकार है कि आप को मौका दें या न दें। अब आप बैठ जायं।

श्री बैजनाथ सिंह वैद्य—

लेकिन जब से वह मंत्रिमंडल से निकल गये तो उनका क्रान्तिकारी भाषण हुआ। मैं सोचता रहा कि क्या लोग मंत्रिपद पर रहते हुए सुस्त हो जाते हैं और बाहर निकलकर क्रान्तिकारी हो जाते हैं। दूसरे और माननीय सदस्य भी हैं मुझे नाम लेने का अधिकार नहीं है...

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैं फिर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं, वह आप को सुनना चाहिये ...

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना स्थान ग्रहण करें, वह आप को मौका नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

यह तो श्रीमन्, उनकी हमेशा की आदत है। अधिष्ठाता जी, इस तरह की बातें जब सुनने को मिलती हैं तो बड़ा दुख होता है। हम जानते हैं कि हमारे एक भाई ने उधर से यातायात मंत्री पर बहुत....

श्री राधेश्याम शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, आप व्यवस्था का प्रश्न उठाने की इजाजत हमें इनको बिठाकर क्यों नहीं देते? यह हमारा अधिकार है, आप सुन लें।

श्री अधिष्ठाता—

वैद्य जी आप जरा बैठें, सुन लें वह क्या कह रहे हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

हमारा श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पहले भी और आज इस समय भी सदन में कांग्रेस दल के अन्दरूनी झगड़े माननीय सदस्यों की ओर से उठाये जाते हैं। यह तो वह अपने दल की मीटिंग में कर सकते हैं। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि किसी मंत्रि-मंडल के लोग आपस में ही ऐसी बातें करें तो सरकारी दल तथा मंत्रिमंडल अपनी मिली जुली जिम्मेदारी को कहां तक निभा सकता है ?

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

मैं कह रहा था कि हमारे उधर के भाई ने ट्रान्सपोर्ट मंत्री जी पर बड़ा अभद्र हमला किया। मैं उनकी बात सुनता रहा कि हमारे विधायक साथी इस तरह का साहस करते हैं। उन्होंने यहां कहा कि उन पर बहुत से चार्जेज हैं और उनको यहां बैठना नहीं चाहिये। उनके कहने से ऐसा लगता था कि जितने उनके आरोप हैं वे सब उन पर साबित हो गये हैं, स्वयं ही उन्होंने उस पर आर्डर भी कर दिये। मालूम होता था कि वह स्वयं जज हैं और फैसला लिखकर आ रहे हैं। हमारे सदन की गौरव गरिमा पर इस तरह की बातों का बुरा असर पड़ता है। आप किसी की आलोचना दूसरे तरीके पर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से किसी के व्यक्तित्व पर हमला करना, किसी के व्यक्तिगत जीवन पर हमला करना संसदीय नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जिस प्रकार से आक्षेप किये जा रहे हैं सदन के अन्दर और खास तौर पर चेयर पर....

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपकी बात समझ गया, आप स्थान ग्रहण करें। उस समय आप सम्भवतः उपस्थित नहीं थे ....

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

आप सुन तो लें। बिना सुने कैसे कह देते हैं कि मेरी बात समझ गये। मेरी व्यवस्था तो सुन लें।

श्री अधिष्ठाता—

आप स्थान ग्रहण करें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

आप को मेरी बात सुननी पड़ेगी।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना स्थान ग्रहण करें, मैं आपको आदेश दे रहा हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, बात तो आप सुन लें कि वह क्या कहना चाहते हैं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

इस प्रदेश की समस्यायें बहुत बड़ी हैं। मेरे माननीय मित्र जो बात भी नहीं सुन सकते, वह समस्यायें कैसे सुलझायेंगे।

उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, माननीय बहुगुणा पर हमला कर रहे थे।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

श्रीमन्, मेरे समय का ध्यान रखें। मुझे १० मिनट का समय दे दें।

श्री उग्रसेन—

इन्हें श्रीमन्, वित्त मंत्री के समय में से समय दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

मैं समय नहीं बढ़ा सकता।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

माननीय कृष्णानन्द राय जी कल पूर्वी जिलों के बारे में कह रहे थे। मुझे भी शिकायत है। लेकिन उन्होंने कारण नहीं बताये कि पूर्वी जिले क्यों गरीब हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी जिले सदा क्रान्तकारी रहे हैं, हमने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावतें की हैं इसीलिये अंग्रेजों ने जानबूझ कर उनको कमजोर करने की कोशिश की तथा हमको आगे नहीं बढ़ने दिया। पढ़ाई, लिखाई तथा अन्य उत्थान के साधनों को खत्म किया। अब सरकार उनको धीरे धीरे उठाने की कोशिश कर रही है इसलिये हमको ज्यादा अपने क्षेत्रों के बारे में बोलना पड़ता है। सुल्तानपुर जिला भी पूर्वी जिलों में से है। वहां इधर ३, ४ साल में कुछ काम हुआ है। नहरें, नलकूप, सड़कें तथा एक आई० टी० आई० का केन्द्र खोला गया है। तथा मुसाफिरखाना ब्लाक में क्रैश प्रोग्राम लागू किया गया है। अतः साधनों को देखते हुए जो कुछ सरकार कर रही है ठीक ही कर रही है और हमें इतना थैंकलेस नहीं होना चाहिये। अगर सरकार किसानों की बहबूदी का कोई काम करना चाहती है तो किसानों में विरोधी भ्रमात्मक बातें करते हैं, उनमें विश्वास पैदा नहीं कराते और कहते हैं कि सरकार कमजोर है। सदन में तथा बाहर विरोधी दलों का एक सा रवैया है, सदा सरकार को बदनाम करने की चेष्टा की जाती है। इस प्रकार का अपोजीशन जो होता है वह केवल वोट लेने के लिये ही किया जाता है। कोई कन्सट्रक्टिव सुझाव उसके सामने नहीं होता। मैं समझता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री और मंत्रिमंडल मौजूदा परिस्थिति में बहुत ठीक कार्य कर रहे हैं और मैं उन सब को बधाई देता हूं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय .....

श्री अधिष्ठाता—

पूर्व इसके कि आप बोलें मैं एक निवेदन कर दूं। मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान औचित्य के प्रश्न के संबंध में नियम ३०० की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस नियम में दिया हुआ है कि अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे यदि वह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्याविन्यास के संबंध में हो।

मैं यह आग्रह कर रहा हूं कि जिस समय कोई माननीय सदस्य सदन में बोल रहे हों, यह संसदीय परम्परा है कि उनके बोलने के बीच में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

अभी तक तो ये प्रश्न उठाये गये हैं पर अब आप खारिज कर देंगे।

श्री अधिष्ठाता---

मैं माननीय राधेश्याम जी से आग्रह करूंगा कि वे नियमानुसार सदन की कार्यवाही चलने में मेरी सहायता करें ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

श्रीमन्, मेरी राय में जिस वक्त कोई मौका होगा उसी समय तो व्यवस्था उठायी जायेगी । अगर तुरन्त नहीं उठायी जायेगी तो बाद में आप उसे अस्वीकार कर देंगे । तो मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में आपकी क्या राय है ?

श्री अधिष्ठाता---

एक मद जब चल रही हो या जो प्रक्रिया चल रही है उसके बाद जब दूसरा सदस्य बोलेगा तो उस मध्यावधि में व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार है और उस समय आपको अधिकार दिया जा सकेगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

श्रीमन्, क्या आपकी यह व्यवस्था है कि व्यवस्था का प्रश्न उस समय तक नहीं उठाया जा सकता है जब तक कि पूर्ण भाषण समाप्त न हो जाय ?

श्री अधिष्ठाता---

मैं निवेदन कर दूं । माननीय सदस्य, जो बोल रहे हैं, जब तक वे स्वयं नहीं बैठते तब तक किसी अन्य माननीय सदस्य को प्रश्न करने का अधिकार नहीं है, और न ही व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहिए ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, आपने तो इस प्रश्न को उलझा दिया है। प्रश्न यह है कि यदि भाषण के उपरान्त कोई माननीय सदस्य प्रश्न उठाना चाहे जिस पर वह कुछ बोलना चाहता है, जो कि आवश्यक है, तो क्या उस समय आपका ध्यान व्यवस्था की ओर आकर्षित करे और उस समय आपका फर्ज होगा कि आप भाषण करने वाले को रोकेंगे ?

श्री अधिष्ठाता---

हमारे जो वर्तमान नियम हैं, वे स्पष्ट हैं, आप उन्हें स्वयं देख लें । आपको मैंने पढ़ कर भी सुना दिए हैं ।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)---

अधिष्ठाता महोदय, इस नियम पर जो आपका इंटरप्रिटेशन है वह संगत नहीं है। मैं समझता हूं कि जब कोई माननीय सदस्य भाषण दे रहा हो तो बीच में वह नियम विरुद्ध अथवा असंगत बात कह सकता है । उस समय किसी सदस्य को यह अधिकार होगा कि वह प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करके आपका ध्यान आकर्षित करे कि माननीय सदस्य संगत बात अथवा नियम विरुद्ध बात कह रहे हैं । तो यह जो नियम आपने कोट किया है वह इस पर एप्लाई नहीं होता है और आपको भी प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करने पर यह निर्णय करना होगा कि वह माननीय सदस्य नियम विरुद्ध अथवा असंगत बात कह रहे हैं अथवा नहीं ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला आजमगढ़)---

इस समय तो कोई व्यवस्था का प्रश्न है नहीं, तो आप क्यों इस प्रश्न को उठा रहे हैं ?

श्री राधेश्याम शर्मा—

किन्तु यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि कोई सदस्य अगर भाषण दे रहा है तो बीच में वाण्ट आफ आर्डर रेज किया जा सकता है अथवा नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—

सदन के बनाये हुए यह नियम हैं और यह सदन इस बात के लिये सक्षम है कि अपने बनाये हुए नियमों में परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन कर सके। मेरा कहना यह हैं कि दो बातों को मिला कर न सोचिये। पहला अधिकार माननीय सदस्य को है कि वह अपनी बात व्यवस्थित ढंग से सदन के सम्मुख रखे और मैं उस बात में सहायता दूं, लेकिन जब मुझे इस बात का भान हो कि जानबूझ कर किसी माननीय सदस्य के अधिकार पर व्यवस्था के नाम पर अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है तो ऐसे अवसर पर पीठासीन व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यवस्था के प्रश्न को न सुने।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मेरा एक निवेदन है कि विरोधी पक्ष से जब एक माननीय सदस्य बोल लेते हैं तो उसके पश्चात सरकारी पक्ष को काफी समय मिल जाता है। हमारे विरोधी दलों में जनसंघ सब से बड़ा दल है। कल और परसों हमारे दो व्यक्ति बोलने के लिये बुलाये गये। इससे कोटा पूरा नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि कोटा पूरा करने के लिये कम से कम ४ व्यक्ति हमारे रोज बोलें।

*श्री भगवानदास यादवेन्दु—

अधिष्ठाता महोदय, सामान्य बजट पर जो वाद-विवाद चल रहा है उसके संबंध में सरकार की कमियों की ओर भूतपूर्व मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि वे पहले मंत्री थे तब ऐसी बातें नहीं कहते थे आज वह मंत्री नहीं रहे तो सरकार की मौलिक तथा बुनियादी कमियों को ढूढ़ने का प्रयास करते हैं। यह बात सच भी है कि उन कुर्सियों में जरूर इस बात का असर है कि वहां बैठ कर सत्य, ईमानदारी तथा कर्त्तव्य निष्ठा से कोई काम नहीं कर सकता है जैसा कि वैद्य जी ने अपने भाषण से प्रकट किया।

इस बजट को देखकर कोई प्रदेश का नागरिक यह मानने के लिये तैयार नहीं होगा कि इस बजट का प्रभाव सिर्फ बड़े-बड़े पूजीपतियों, बड़े-बड़े किसानों पर ही पड़ेगा और उनसे ही घाटे की पूर्ति की जायगी, मैं समझता हूं कि बजट का भार यहां के श्रमजीवियों, भूमिहीन किसानों तथा राज्य कर्मचारियों पर पड़ेगा। इस बजट की पूर्ति में दो तिहाई हिस्सा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करो के रूप में प्रदेश के मजदूरों, भूमिहीन किसानों और अन्य किसानों को ही वहन करना होगा। लेकिन जो योजनायें और परियोजनायें बनाई जा रही हैं और जिनका जिक्र हमारे बजट में किया गया है उससे यह प्रतीत होता है कि यह योजनायें और परियोजनायें प्रदेश के दो तिहाई भाग को पूरा करने वाले वर्ग के लिये नहीं बल्कि ये बड़े-बड़े किसानों बड़े-बड़े पूजीपतियों तथा हैवी इंडस्ट्रीज वालों के लिये ही हैं। उनके लिये ही इस बजट में चमक नजर आती है। इस चमक में इस प्रदेश के बड़े-बड़े लोग और उद्योगपतियों के साथ साथ बुद्धजीवी भी हैं जिनमें ब्यूरोक्रेसी हो सकती है, मिनिस्टर्स हो सकते हैं, लैन्डहोर्डर्स हो सकते हैं और पूजीपति हो सकते हैं, उनका हित स्पष्ट मालूम होता है। जैसा कि माननीय लखपतराम जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में रिहन्द बांध से जो बिजली का उत्पादन हुआ, उसका बहुत बड़ा हिस्सा बिड़ला जी को २ पैसे प्रति यूनिट के नामिनल रेट पर दी जा रही है जब कि जन साधारण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षज नहीं किया।

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

को ४, ५, ६, ७ आने प्रति यूनिट के रेट पर दी जा रही है और डोमेस्टिक परपज के लिये साढ़े तीन आने के हिसाब से दी जाती है। इससे जाहिर होता है कि सरकार पूंजीपतियों की पोषक है।

मैं समझता हूं कि इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले लोग भूखी नंगी जनता पर और मजदूरों पर केवल अपनी ईमानदारी और सच्चाई की छाप छोड़ना चाहते हैं। जैसे लोग झोपड़ी का निशान बनाते हैं और वोट मांगते हैं और चुन जाने के बाद अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। बैल की जोड़ी और झोपड़ी वगैरह की बातें संकुचित हैं। यहां के राजनीतिज्ञों के पास सिवाय जनता के नेतृत्व करने के और कोई काम नहीं है। बस इतना ही उन्हें ध्यान रहता है कि पत्रों में उनका नाम आ जाय और वे जनता के कष्टों को दूर करने की ओर ध्यान नहीं देते हैं और न कोई कदम ही उठाते हैं।

इस देश और प्रदेश की जनता अब समझने लगी है कि यह थोड़े से लोगों का कारोबार है, रोजगार है जिसमें वे मंत्री और सदस्यों के रूप में अपने जीवन का हिस्सा निकाला करते हैं। हाउस आफ कामंस, ब्रिटिश पार्लियामेन्ट और अमरीकन पार्लियामेन्ट की बातें करते हैं। अपने अधिकारों के लिये इनको बड़ा ध्यान है, अपने दल के लिये झगड़ा करते हैं, कभी राजनीतिक अधिकारों के लिये लड़ते हैं, इस तरह की बातें फिरकेवाराना हैं और पोलिटिकल साम्प्रदायिकता बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम लोग कभी भी स्वस्थ और निष्पक्ष वातावरण में नहीं सोचते हैं कि सही माने में प्रदेश का सही ढांचा बनाना है।

अब तक मैं झोपड़ी के लिये बोल रहा था अब मुझे दीपक मिला है। उनके बीच म टोकने के लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इस तरह से कभी नहीं सोचते कि क्या हम इस गरीबी को, इस महंगाई को और इस बढ़ती हुई दरिद्रता को कभी रोक सकेंगे ? मैं यह बात नहीं कहता कि कांग्रेस के लोग सब बुरे हैं, मैं नहीं कहता कि इधर के बैठने वाले सब लोग अच्छे या बुरे हैं। इस देश ने, इस प्रदेश में ऐसी स्थितियां भी पैदा की हैं जिन्होंने देश के लिये, देश के उत्थान के लिये और जन-कल्याण के लिये बहुत बड़ा त्याग और बलिदान किया है। हम कह सकते हैं कि उन्होंने देश और समाज के लिये अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उसमें से पं० गोविन्द वल्लभ पन्त सरीखे लोग थे। ऐसे ही लोगों ने देश की खुशहाली में अपना योग दिया है और वह देश में खुशहाली भी लाये। श्री गोविन्द सहाय जी ने जो कभी मंत्रि-मंडल के सदस्य रहे हैं उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ब्यूरोक्रेसी सरकार पर आज हावी है। मैं कहता हूं कि वह बहुत जोरों से हावी है और हो भी क्यों न ? देश और प्रदेश के राष्ट्रनायक, राष्ट्रनिर्माता और यह नेता जैसा अपना जीवनस्तर और आचरण जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं वह ब्यूरोक्रेट उसी की नकल करते हैं। जब हमारे मंत्री टेलीफोन पर कहते हैं कि फलां आदमी को फलां चीज का परमिट दे दो, इस आदमी को इस चीज का लाइसेन्स दे दो, या वह कहते हैं कि उनके किसी सम्बन्धी को आई० सी० एस० के कम्पीटीशन में ज्यादा नम्बर दे दो, तो वह आफिसर भी गलत काम क्यों नहीं करेंगे ? आप लोग स्वयं गलत काम करते हैं और करवाते हैं और इन्हीं से ब्यूरोक्रेट को प्रेरणा मिलती है कि वह गलत काम करें और वह आपसे गलत काम करवाते हैं। वह आप पर हावी बने रहते हैं जैसा कि वह कहते हैं वैसा मिनिस्टर्स करते हैं। हमें अपने पुराने आदर्शों की तरफ ध्यान देना चाहिये।

पिछले दिन कहा गया कि जितने चुनाव हुये प्रदेश में उन सब में कांग्रेस की विजय हुई और उस पर मिश्रा जी ने एग्जाम्पिल दिया कि इलाहाबाद का एलेक्शन उसका प्रतीक है। मैं कहता हूं कि नेहरू परिवार का कोई भी सदस्य इस देश के किसी भी राजनीतिक पद पर लात मार कर भी एलेक्शन लड़ने को तैयार हो जाये तो वह भी अवश्य विजयी हो जायेगा। उनका और उनके परिवार का इतना देश प्रेम, त्याग और बलिदान रहा है कि इस देश की जनता उसे युगों तक नहीं भुला सकती और वह अवश्य उन्हें चुनेगी। किन्तु यह कहना कि हमसे, कांग्रेस प्रशासन से

जनता इतनी खुश है कि वह हमें चुनती है यह कहना ठीक नहीं है। इस बढ़ती हुई महंगाई, गरीबी तथा और बातों का हमने आम बजट में जिक्र किया है। हम कहते हैं कि हम खेती बढ़ा देंगे, पैदावार बढ़ा देंगे, बिजली की सुविधायें बढ़ा देंगे, कुटीर उद्योग बढ़ा देंगे, वहां शिक्षा संस्थायें खोलेंगे, आपके लिये रोड वगैरह बनायेंगे और तरह तरह के साधन आपके लिये जुटायेंगे। इनके साथ साथ जो वहां की बात है उससे निर्माण सिर्फ कहने से और बजट में कहने से नहीं होगा। बजट की पृष्ठभूमि में सही स्वरूप को आप स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि पिछले दिनों का बजट हमारे सामने है उसमें कितनी समस्याओं को हमने सुलझाया, कितनी जन-जीवन की आवश्यकताओं को हमने पूरा किया तो हम देखेंगे कि उनमें से कुल २/३ हुई होंगी और १/३ नहीं हुई हैं; वह वैसे ही पड़ी हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर पनपे तभी हम देश में खुशहाली ला सकते हैं, किन्तु दूसरी तरफ इसके बिलकुल विपरीत सरकार की नीति है। वित्त मंत्री जो पहले शिक्षा मंत्री थे और अब भी शायद शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने एक बार एक जगह कहा प्राईवेट सेक्टर वाले शिक्षा में उन्नति ला रहे हैं और इनके द्वारा शिक्षा की उन्नति हो रही है। तो आप तो यहां पर तो प्राईवेट सेक्टर से प्रभावित हैं और इन्हीं को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो पब्लिक सेक्टर में शिक्षा का प्रसार कैसे हो ? मैं कहता हूं कि आप अपने हाथ में शिक्षा को लीजिये सरकारी स्कूल्स हों, उनमें आपके अध्यापक हों और उन पर आपका नियन्त्रण रहे जिससे प्राईवेट वाले अपनी न कर सकें। आप विशेष किस्म की शिक्षा की व्यवस्था करते जा रहे हैं और जो प्राईमरी शिक्षा सस्ती और सुलभ है उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट नई नई शिक्षा पद्धतियां जिनको माण्टेसरी के नाम से पुकारते हैं उनका मंत्री महोदय ने उद्घाटन किया।

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

आपकी सूचना ठीक नहीं है, गलत है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

नहीं, मेरी सूचना ठीक है।

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा, अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बजट जो होता है वह एक राज्य के उद्देश्यों का प्रतिबिम्ब होता है। यह देखते हुये जो अंग्रेजी साम्राज्य में बनता था वह वहां की आवश्यकताओं को देखते हुये एक आन्तरिक सहायता के लिये और आन्तरिक सुरक्षा के लिये एक बजट बनता था। यही कारण है कि १९१३ में सिर्फ १३ करोड़ का इस राज्य में बजट हुआ। परन्तु जैसे-जैसे हमारे राज्य का कान्सेप्ट बदलता है उसके साथ ही साथ एक अपनी विचारधारा भी बदलती जाती है। तो हमें जितने जनोपयोगी कार्य होते हैं उसके लिये भी आवश्यक हो जाता है कि बजट में भी धन सम्मिलित किया जाय। यही कारण है कि आज शिक्षा, जन स्वास्थ्य, कृषि, सहकारिता ये सब चीजें भी आज के बजट में सम्मिलित की जाती हैं और इन्हीं के कारण बजट की धनराशि दिन प्रति दिन बढ़ती चली जाती है। इसके अतिरिक्त समाजवाद स्वीकार करने के नाते इस राज्य का, इस देश पर उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। इन्हीं कारणों से आज हम दख रहे हैं कि १९३७ में उत्तर प्रदेश का बजट ३७ करोड़ का था और आज बढ़कर २६२ करोड़ का हो गया। इसके लिये यह भी आवश्यक नहीं है कि हमारी आमदनी कितनी बढ़ गई है या कितनी घट गयी है। यह घाटे का बजट है या नहीं, हमको यह नहीं देखना है। हमको यह देखना है कि कहां तक अपने नागरिकों की जितनी आवश्यकतायें हैं, उसकी पूर्ति राज्य सरकार कर सकती है। मान्यवर, इन आवश्यकताओं को देखने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश का बजट तो डेफिसिट बजट हो जाता है,

[श्री मती सुशीला रोहतगी]

परन्तु मैं यह अवश्य कह देना चाहूंगी कि जो संसार के प्रगतिशील देश हैं, वहां पर हर जगह एक प्रगतिशील देश होने के कारण और वहां की आवश्यकताओं को एक मान्यता देने के नाते बजट जो है वह अक्सर डेफिसिट हो जाता है; उसकी किसी न किसी प्रकार से पूर्ति करने की कोशिश की जाती है ।

हमारे वित्त मंत्री जी ने संकेत किया है कि शायद ७ करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी । यह तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि विकसित योजना में, उसमें बगैर कर लगाये हुये काम नहीं चलेगा, परन्तु यह आवश्यकता प्रशासन की है कि यह कर कहां लगाया जायगा, कब लगाया जायगा । आज जो समस्या है, संकटकालीन स्थिति है, महंगाई का समय है, इस समय हमको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा । कर लगाने से पहले यह देखना होगा कि क्या हमारे पास कोई और बचत के उपाय हैं । अगर १९६४ की आडिट रिपोर्ट देखिये तो उससे ज्ञात होगा २१.४९ करोड़ रुपये ऐसे हैं जिसकी वसूली बाकी है । मैं अपने आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि ३१ मार्च, १९६३ से आज तक कौन से ऐसे सख्त कदम उठाये गये हैं जिससे २१.४९ करोड़ रुपये में कुछ कमी हुई हो ? यह बकाया जो है, चाहे इलेक्टिसिटी का हो, चाहे वह सेल्स टैक्स का बकाया हो, सब चीजों को मिला कर साढ़े २१करोड़ का बकाया है । उसके लिये कौन से कदम उठाये गये हैं ? क्या इस बात को जानने की कोशिश की गई है कि यह बकाया जो है, किन कारणों से है, उनकी आर्थिक दशा कैसी है ?

इसके अलावा मुझे यह भी कहना है कि हमारे प्रशासन का खर्च जो है, क्या वह दिन प्रति दिन बढ़ता ही चला जा रहा है । पिछले वर्ष यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन पर खर्च ११.४ प्रतिशत हो गया, जो अन्य प्रदेशों के मुकाबिले कम होने पर इस वर्ष बढ़ने के बाद १३ प्रतिशत अवश्य हो गया । आज हम लोग जब वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को स्वीकार कर चुके हैं तो प्रशासन से संबंधित जितना हमारा अधिक व्यय हो रहा है, उसमें हमें कमी करनी है । एक अरजेन्सी है, हमारे अन्दर में भावना आनी चाहिये और एक लोकप्रियता की भावना उसमें लानी चाहिये । कर के संबंध में मैं कहना चाहती हूं कि भारत में कोई ज्यादा कर नहीं लगा है । वास्तविकता तो यह है कि यूनाइटेड किंगडम में ५० प्रतिशत कर लग रहा है, जबकि भारत में ७.५ प्रतिशत ही लग रहा है । कोई यहां ज्यादा कर नहीं लग रहा है । परन्तु कर लगे तो किसके ऊपर लगे, यह प्रश्न है । क्या सरकार चाहती है कि किसानों के ऊपर कर लगे ? क्या उन गरीब किसानों पर जो पहले से ही काफी दरिद्र थे और इस महंगाई के बाद तो वे पूरी तरह से परेशान हैं, जब हम गांव में जाकर उनकी दीन दशा को देखते हैं उसके बाद भी क्या हम कह सकते हैं कि उन लोगों पर लगना चाहिये ? कानपुर में भूमि के मुआवजे का प्रश्न इस विधान सभा में निरन्तर आया है । ११४ गांव वहां की नगरपालिका ने ऐक्वायर किया है, लेकिन उनको मुआवजा यह उत्तर प्रदेश की सरकार १८९४ के लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट के आधार पर देना चाहती है । मैं पूछना चाहती हूं कि यह कहां तक न्यायसंगत है कि आज के मार्केट वैल्यू पर उनको मुआवजा न देकर उनकी उपजाऊ जमीन ले ली जाय और उनको मुआवजा १८९४ के ऐक्ट के आधार पर दिया जाय ? मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगी कि इस मुआवजे के प्रश्न पर सरकार को उदारतापूर्वक विचार करना चाहिये । कृषि पर कर लगाने के पहले इस प्रश्न पर भी अच्छी तरह से विचार होना चाहिये ।

पिछले १० वर्षों में हमारी दो योजनायें चली हैं । अगर हम उनकी समीक्षा करें तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि उत्तर प्रदेश और प्रदेशों से कहीं पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, जहां उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े विद्वानों ने जन्म लिया । तो शिक्षा में हम पिछड़े हैं, चिकित्सा में सबसे पीछे, उद्योगों में हमारा नाम भी नहीं है । यह कृषि प्रधान प्रदेश है, जहां ७५ प्रतिशत लोग खेती पर लगे हुए हैं, जब पूरे भारत में खेती पर लगे हुए लोगों का औसत ६५ प्रतिशत है तब हम उसमें भी देख रहे हैं कि हमें वहां भी निराशा है । रबी की फसल भी खराब हुई है । मालूम होता है कि प्रकृति

भी हमसे रूठ गई है। उस कृषि में भी हमारी दशा बहुत गिरी हुई है और सिर्फ ११६ लाख टन उत्पादन बढ़ा जो कि देश भर में सबसे कम है। वित्त मंत्री जी कृपया इस पर विचार करें।

केवल कृषि पर ही हमारे प्रदेश की उन्नति निर्भर नहीं है। उद्योग के क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार से अपनी दोनों योजनाओं के बीच में इंडस्ट्रियल एलोकेशन सिर्फ ९ प्रतिशत किया था और उसके लिए हमारी सरकार की क्षमता नहीं थी कि केन्द्रीय सरकार ने जितना भी सहायता, अनुदान हमें दिया उसका हम शत प्रतिशत फायदा उठा सकें। हमें पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के माध्यम से पता चलता है और पता नहीं है कि वे आंकड़े भी कहां तक सही हैं, लेकिन उनको लेकर हमें पता चलता है कि कई करोड़ रुपये केंद्रीय सरकार ने जो अनुदान दिया वह उत्तर प्रदेश सरकार की क्षमता न होने के कारण वापस चले गये। मान्यवर, यह सब चीजें हैं जिनको देखने से मन में दुख होता है। मैं नम्र निवेदन करूंगी कि अगर हमारे प्लांस सही हैं, हमारा आबजेक्टिव सही है तब हमारे बीच में कोई न कोई कमी अवश्य है और अपने प्रदेश को उचित स्थान पर पहुंचाने के लिए नितान्त आवश्यक है कि हम अपनी कमी को पहचानें और उसको मजबूती के साथ दूर करें। मान्यवर, मेरा खयाल है कि हमारा आब्जेक्टिव क्लियर है और जब हम यह मानते हैं कि हम अपनी मंजिल से दूर हैं, मद्रास, पंजाब और केरल जैसे प्रदेशों में अगर विद्युत् से जगमगाहट हो, वहां उनकी मशीनें चलने लगीं उनके कारखाने खुल गये, उनकी खेती में औसत प्रोडक्शन का ५२ प्रतिशत हो गया जबकि उत्तर प्रदेश में २२ प्रतिशत हुआ। तो मेरे खयाल में जिस मशीनरी के माध्यम से हम अपना कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कमजोरी अवश्य है। जब ५०२ करोड़ की योजना बनाई गई और उसमें सिर्फ ७५ प्रतिशत यूटिलाइज हम कर पाये तब हमें सोचना पड़ेगा कि अगर मुख्य मंत्री जी जो इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहती हैं और जब उन्होंने १२ सौ करोड़ की योजना, फोर्थ फाइव ईयर प्लान की बनाई तब यह सोचना पड़ेगा कि उसी मशीनरी के माध्यम से वे किस प्रकार और कहां तक अपने लक्ष्य पर पहुंच पायेंगी। इसलिए बेहतर होगा कि अपने टारजेट पर पहुंचने के पहले हम अपनी सारी कमजोरियों को समझ लें, अपनी मशीनरी को गियर अप कर लें और अपने लूप होल को ठीक कर लें।

हमारे विरोधीदल के भाई यह कहते हैं कि हमारा मंत्रिमंडल का स्ट्रक्चर वह नहीं है जो होना चाहिये। मैं इतना कहना चाहती हूं कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी में कुछ मान्यतायें हैं। चाहे विरोधीदल के हों और चाहे इस पक्ष के हों, उन सब को उन मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। यह बात सही है कि हमारे बीच में पिछले महीने में कुछ ऐसे तथ्य सामने आये हैं जोकि ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी के सिद्धांत के खिलाफ है। इससे हमारी कैबिनेट की गरिमा नहीं बढ़ती है। साथ ही साथ मान्यवर, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहती हूं कि जो हमारे मंत्रिमंडल के मंत्रियों के ऊपर तरह-तरह के आरोप आते हैं उससे हमारी गरिमा नहीं बढ़ती है। मुख्य मंत्री जी को चाहिए कि वे बिलकुल स्पष्ट नीति इस संबंध में डिक्लेयर करें। हमारे मंत्रियों के ऊपर, जो ये आरोप लगाये जाते हैं, वे गलत हों या सही, लेकिन उससे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन पर और हमारी मशीनरी पर प्रभाव पड़ता है। हमारी मशीनरी को इससे सुरक्षित रहना चाहिए। मंत्रिमंडल को इन बुराइयों से ऊंचे रहना चाहिए। इससे सर्विसेज के भी काम करने मे हलका पन आ जाता है।

इसके साथ मैं यह भी कहूंगी कि जिन दिक्कतों का सामना करते हुए खाद्यान्न की समस्या का जिस बहादुरी के साथ सुचेताजी ने मुकाबला किया है वह बधाई की पात्र हैं। सब से बड़ा हमारा प्रदेश होने के नाते, जहां पर १६ प्रतिशत की आबादी है, इतना बड़ा प्रदेश होने पर भी यहां एक भी मौत भूख से नहीं हुई है। यह कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए वह हम सबकी बधाई की पात्र हैं। मैं यह भी कहूंगी कि कुछ दिन पहले यहां पर उन्होंने घोषणा की थी कि हम सब फाइलों को डिसपोज आफ करेंगे। शायद सवा दो लाख फाइल्स का डिस्पोजल कर चुकी हूं। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह गौरव उनको ही प्राप्त हुआ है कि उन्होंने इतनी सब फाइलों को निबटाया है। एक स्त्री होकर भी उन्होंने जो यह कार्य कर दिखाया है किसी

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

मनुष्य के बस की बात नहीं थी बल्कि बड़े-बड़े आदमी भी इसको नहीं कर सके। इसके लिए मैं उनको बधाई देती हूं।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि बजट के वक्त पर इस तरह से जोश, रोष और नाराजगी दिखाना और आपस में इस तरह की भावना दिखाना कहां तक सही है? यह जो बजट बना है यह किसी दल के लिए या कांग्रेस दल के लिए नहीं बना है। इसमें जो सड़क, शिक्षा या दूसरे सुधार के कार्य होने वाले हैं वे किसी गली, मुहल्ले या एक शहर के लिए नहीं होने वाले हैं। उससे हम सब को फायदा पहुंचेगा। विरोधी दल को भी उससे फायदा पहुंचेगा। तो इस प्रकार की बातें कह कर अपने रोष को दिखाना कहां तक सही है यह मैं विरोधीदल से कहना चाहती हूं।

मान्यवर, मैं कुछ बातें अपने कानपुर के सम्बन्ध में भी माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूं। वर्षों से हम कानपुर निवासियों की यह मांग थी कि वहां पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। उसको सरकार ने स्वीकार किया। इसके लिए हम मंत्री जी के बड़े आभारी हैं। अब मान्यवर, कम से कम मेरी आत्मा को और मेरे आत्म सम्मान को बड़ा झटका सा लगता है कि क्या कानपुर की यूनिवर्सिटी केवल एफिलियेटिंग यूनिवर्सिटी होगी? क्या वह आगरा यूनिवर्सिटी की एक शाखा बनेगी? क्या कानपुर में ऐसे योग्य व्यक्ति नहीं है, क्या कानपुर में वह अस्तित्व नहीं है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो कर एक स्वतंत्र विशवविद्यालय बना सके? इसलिए शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं और निवेदन करती हूं कि अभी जो १६ लाख रुपया दिया है उस पर वह विचार करें और कानपुर को एक स्वतंत्र रूपसे पोस्ट डिग्री क्लासेज की स्टडी के लिए इलाहाबाद तथा लखनऊ की तरह स्वतंत्र यूनिवर्सिटी बनाने का अधिकार प्राप्त हो।

दूसरी बात यह भी कहना चाहती हूं कि कानपुर में गंगा ब्रिज बहुत जीर्ण अवस्था में हो गया है। लखनऊ आने-जाने के लिए सिफ वही एक पुल है जिससे यहां आने-जाने में बड़ी तकलीफ होती है। मेरा निवेदन है कि हमारे मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें और इस पुल को चौथी पंचवर्षीय योजना में अवश्य बनवाने की कृपा करें।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

मान्यवर, मैंने वित्त मंत्री के बजट भाषण को ध्यानपूर्वक पढ़ा और उसमें जो सबसे खराब लगने वाली बात मुझे मिली वह थी सरकारी कर्मचारियों के संबंध में वित्त मंत्री जी का उल्लेख। उनके लिए उन्होंने कहा कि आज हमारे राज्य के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तरफ से जो प्रदर्शन हो रहे हैं वे नहीं होने चाहिए और उसके लिए उन्हें दुख है और यह भी उन्होंने कहा कि उन्हें सद्बुद्धि से काम लेना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सद्बुद्धि ठीक रखने के लिए अभी तक सरकार ने किया क्या है? अपने प्रदेश का कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी की तुलना में बहुत कम पैसा पाता है, जब कि वह समान काम करता है, उसके रहने-सहने की स्थिति एक सी है, उसके लिए दूसरी परिस्थितियां एक-सी हैं। उनके लिए प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं किया। इस बीच में केंन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों का भत्ता एक बार नहीं, तीन बार बढ़ाया और जब प्रदेश की सरकार से मांग की गयी तो उसने कोई आश्वासन नहीं दिया और वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम भत्ता नहीं बढ़ायेंगे। जो समिति नियुक्त की गयी थी उसकी अंतरिम रिपोर्ट पाने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिये था, वह भी नहीं किया गया। जो भत्ता बढ़ाया गया है वह ५, १० और साढ़े १२ रुपया है। आज की महंगाई में यह भत्ता जले पर नमक छिड़कना है और यह सिवाय उनको जलाने के और कोई बात नहीं है। सरकार को चाहिए था कि वह वेतन अभिनवीकरण समिति से रिपोर्ट मांगती और सूचकांक तथा परिस्थिति के अनुसार उनका भत्ता बढ़ाती। कानपुर का सूचकांक आज देश में सबसे ज्यादा है। उसके अनुसार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनका मंहगाई भत्ता भी बढ़ना चाहिए था। अगर उसके बाद सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन करते तो मंत्री जी को कहने का अधिकार था। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्थिति में उनका भत्ता बहुत कम है। यह और बढ़ना चाहिए और सरकार को रिपोर्ट के अनुसार १९६४ से, रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट से यह भत्ता देना चाहिए।

दूसरी बात खाद्य समस्या के संबंध में है। वास्तव में यह सबसे बड़े प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है। उत्पादन कम हुआ है इसके लिए सिंचाई अथवा दूसरे कारण होंगे, किन्तु मैं केवल वितरण की व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या वितरण व्यवस्था थी और क्या वह ठीक रही है ? आप को सुन कर आश्चर्य होगा कि एक भी आदेश खाद्य मंत्री जी का ऐसा नहीं है कि जो दो, तीन महीनों में अनेक बार बदला न गया हो। वह क्यों बदला गया है इस ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह बदला गया है सरकारी दल के असर से अथवा पूंजीपतियों की सांठगांठ के कारण। यहां एक प्रकार का गुट है जो मंत्रियों से मिलता रहता है और उसके असर से ही सरकारी आदेशों में बदलाव होते रहते हैं। चावल के लिए आदेश हुआ और फिर उनकी सुविधा के लिए उसमें छूट कर दी गयी। ज्वार और बाजरा के लिये आदेश जारी किया गया और जब लोगों के पास सामान आ गया तो फिर उसे बदला गया। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि जो नीतियों में परिवर्वन हुआ है, जो वितरण की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है उसमें सरकार एक वर्ग से मिली हुई है।

मान्यवर, सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग की बात कही है। माननीया सुशीला जी ने कहा कि समाजवादी सरकार को कुछ काम करने ही होते हैं। मगर सवाल यह है कि सरकार की जो इस संबंध में नीति है उससे भाव क्या कम होंगे ? क्या सरकार इस स्टाक को भाव कम करने के लिए प्रयोग करेगी ? मुझे इसमें संदेह है। सरकार ने अपने बफर स्टाक का कभी इसके लिए उपयोग नहीं किया। जब जनता में त्राहि त्राहि मचने लगी, सरकार ने दो-चार सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें खोल दीं। मैं यह मांग करता हूं कि सरकार ने जो १३ करोड़ रुपये की व्यवस्था स्टेट ट्रेडिंग के लिए की है, जो गल्ला वह खरीदे, वह बाजार में उपलब्ध होना चाहिए। मगर यह गल्ला तो ऐसे स्थान पर बन्द होगा जिसकी जानकारी तक जनता को नहीं होगी, वह जनता को मिलेगा ही नहीं। उसका बाजार भाव पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जब भी सरकार की ओर से कोई आदेश गये, बाजार में गल्ला मिलना बन्द हो गया और भाव खूब बढ़ गये। अभी एक ऐसे आदेश गये थे जिसके अनुसार गल्ला देना बन्द कर दिया गया था क्योंकि सरकार ने कहा था कि उसको अप्रैल आदि महीने के लिए बचा कर रखना है। इस आदेश के पहले बाजार में मोटा अनाज दो-ढाई सेर के भाव में बिक रहा था, इसके बाद वह मिलना बन्द हो गया।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि जो कम वेतन वाले हैं उनको सस्ते भाव से गल्ला मिलेगा। इसकी स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये। जो उपभोक्ता भंडार खोले जाने की योजना है, उसे सरकार को जल्द से जल्द कार्यान्वित करना चाहिए जिससे कि कर्मचारियों को सस्ते भाव से अनाज मिल सके। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि निम्नवेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिये चाहे वे १००, २०० या २५० रु० पाते हों, सहकारी उपभोक्ता भंडारों को खोल कर उनके लिये शीघ्रातिशीघ्र जीवनोपयोगी वस्तुओं के उपलब्ध करवाने की व्यवस्था उचित दामों पर की जावे जिससे उनको फायदा हो सके।

दूसरी बात, श्रीमन्, अन्न उत्पादन की है। अन्न की समस्या इस तरह से हल नहीं हो सकती है जिस तरह से हमारी सरकार करना चाहती है। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के ५० बड़े-बड़े काश्तकारों के स्टाक सरकार ने डी० आई० आर० के अधीन जब्त करके उन्हें जेल तक भेज दिया और उन्हें यह सुविधा तक नहीं दी कि वे किस भाव तक बेंचें। मैं अपने जिले की ही बताता हूं। मेरे जिले में भी ऐसा ही किया गया है परन्तु इस प्रकार से डी० आई० आर० के कानून लागू करने से अन्न की पैदावार होने वाली नहीं है। ये सब नियंत्रण हटाने होंगे तभी गल्ला

[श्री रक्षपालसिंह]

पैदा हो सकेगा। आप तो चाहते हैं कि उनके पास अधिक स्टाक न हो, आप पैसा भी न दें, यह कैसे हो सकता है।

अन्न की सप्लाई के लिये जिस प्रकार आपने शहर के रहने वालों के लिये राशन की व्यवस्था दूकानों द्वारा की है उसी प्रकार की व्यवस्था आपको गांवों और देहातों में भी हरिजन, मजदूर, खेतिहर वर्गवालों के लिये भी करनी चाहिये। गांव में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक बीघा भूमि भी नहीं है उन बेचारों के लिये सरकार को राशन की सुविधा शहरों की तरह ही देनी चाहिये।

मैं ६ महीने की अवधि के पश्चात् असेम्बली में बैठा हूं। इस अवधि में कुछ ऐसी घटनायें भी घटी हैं जिनका उल्लेख मैं कर देना चाहता हूं और सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सरकार की श्रम नीति ठीक नहीं रही है। उसका उदारहरण है कानपुर का सेन्ट्रल रोडवेज वर्कशाप। उनकी मांग थी कि उन्हें पर्मानेन्ट किया जाय, उनके लिये न भत्ते की सुविधा है न उनकी छुटिट्यों की उचित व्यवस्था है और न ही उचित वेतन की सुविधायें प्राप्त हैं और न रहने के लिये मकान ही सरकार की ओर से दिये जाते हैं। उन्होंने अपनी इन कठिनाइयों को लेकर समय समय पर सरकार के सामने हड़तालें कीं, परन्तु सरकार ने उन पर कोई कार्यवाही नहीं की। उन पर भी डी०आई०आर० के कानून लागू करने के बाद ऐक्शन ले लिया गया। यह कहां तक उचित है उस विभाग के लिये जोकि सरकार को अच्छी खासी इन्कम देता है। उनके प्रति ऐसी नीति सरकार की नहीं होनी चाहिये। इसी प्रकार केसा, कानपुर के एम्प्लाईज के प्रति भी हमारी सरकार ने वही रुख अख्तियार किया है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वेतन अभिनवीकरण की जो रिपोर्ट है वह न केवल सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू हो परन्तु जो अर्द्ध सरकारी या स्थानीय निकायों या जिला परिषदों के कर्मचारी आदि हैं उन पर भी उनकी रिपोर्ट लागू होनी चाहिये।

इस अवसर पर मैं अपने जिले से संबंधित एक दो बातों का उल्लेख भी कर देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं। मुझे कल एक कागज मिला जिसमें प्रदेश को पांच भागों में विभक्त किया गया है—। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी तथा सेन्ट्रल। सरकार का बार्डर की ओर विशेष ध्यान है। ठीक है। मैं सरकार का ध्यान सेन्ट्रल क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिस प्रकार से बुन्देलखण्ड का इलाका माना जाता है उससे फतेहपुर का इलाका भिन्न नहीं है। फतेहपुर को भी पिछड़ा इलाका घोषित करते हुए उसकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार को करनी चाहिये। एक किताब बटी थी जिसमें सड़कों का विवरण दिया था कि कितनी सड़कें बनेंगी और कहां कहां। उसमें लिखा था कि फतेहपुर में कुल ६२ मील सड़कें बनेंगी। मैं सरकार से कहूंगा कि फतेहपुर में तो पहले से ही सड़कें बहुत कम हैं। ६२ मील से ही काम पूरा होने वाला नहीं है। कम से कम १०० या १५० मील सड़कें वहां पर बनवानी चाहिये जिससे यातायात की सुविधा हो सके। इसको किसी प्रकार से छोड़ना नहीं चाहिये।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट (जिला बरेली)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, किसी राज्य का बजट वह दर्पण होता है जिसमें हम उसकी नीतियों का प्रतिबिम्ब देख सकते हैं। आज हमारा प्रदेश विशेष रूप में एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां भयानक परिस्थितियां हमारे सामने हैं और यदि हम अपनी नीतियों में इस समय उन क्षमताओं का समावेश न कर सके और उन परिस्थितियों पर विजय न पा सकें तो कदाचित् वह परिस्थितियां हमारी जड़ें उखाड़ सकती हैं। मान्यवर, जिन लोगों के ऊपर आज शासन का दायित्व है उनकी नीयत में मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन अगर हम परिणामों की ओर देखें, अचीवमेन्ट्स की ओर देखें तो मुझे निराशा ही होती है।

और ऐसा लगता है कि उन परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिये हम कोई कदम उठाने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। मान्यवर, कुछ तफसील में जाने से पहले मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं कि पिछले तीन, चार-पांच वर्षों से इस सदन में यह प्रथा शुरू हुई है कि जो बजट पेश होता है उसमें आने वाले साल में क्या टैक्सेशन होना चाहिये उसका कोई संकेत भी नहीं होता। इतना बता दिया जाता है कि इतना डेफिसिट होगा और उस डेफिसिट को करों से हम पूरा करेंगे। परिणाम यह होता है कि यह सदन बजट के डिस्कशन के समय अपनी राय उन आने वाले करों के रूप के बारे में देने से वंचित रह जाता है और इसके फलस्वरूप यदाकदा हमारे सामने एकाएक बिल आ जाते हैं और वह फिर पास हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि हम इसमें लोक सभा की नीतियों को अपनायें और उस नीति को अपनाये पहले जो हमारे प्रदेश में चलती थी। हम बजट पेश करते समय संकेत कर सकें उन टैक्सेज का जो लगाये जाने वाले हैं। लोक सभा में तो यह प्रथा है और नियम भी है कि वे टैक्सेज प्रभावी हो जाते हैं, एफेक्टिव हो जाते हैं उसकी घोषणा के बाद ही और फिर नियम बने रहते हैं। उसका विशेष फायदा यह होता है कि सदन का लेजिस्लेटिव कंट्रोल उन 'फाइनेंशियल मेजर्स, के ऊपर ज्यादा हो पाता है। सदस्यों को यह अवसर मिलता है कि उसमें अपनी राय दें सकें और उसके प्रकाश में सरकार को भी सहायता मिले उन विधेयकों को बनाने में।

इसके बाद मान्यवर, सब से मूलभूत बात यह है कि किसी राज्य प्रशासन के चलाने के लिये और योजनाओं को सफल बनाने के लिये साधनों की आवश्यकता है। इसीलिये साधनों की चर्चा भी की है माननीय वित्त मंत्री ने। हमें बताया गया कि १४–१५ करोड़ के करीब घाटा है, इसमें से साढ़े सात करोड़ के करीब करों से पूरा किया जायगा। मैंने अभी जैसा कहा, आज हम यह जानने की स्थिति में नहीं हैं कि वह कौन से कर होंगे जिससे उन पर अपनी राय दे सकें। पर मान्यवर, हम यह मानते हैं कि राज्य योजनाओं को सफलीभूत बनाने के लिये कर लगाना होगा। लेकिन बड़ा भारी प्रश्न यह है कि कर लगाये किस वर्ग पर जायं और किस दिशा में लगाये जायं। पहली बात तो यह है कि जो हमारे प्रदेश का लो इनकम ग्रुप है, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग का नागरिक है उसकी कमर करों के बोझ से टूट चुकी है और उस पर कोई भी कर 'लास्ट स्ट्रा आन दि कैमेल्स बैक' होगा। इसलिये जो भी कर लगाये जायं उनका रूप यह हो कि हायर ग्रूप पर उसका इन्सीडेन्स पड़े, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के लोग उस कर के बोझ से और न दबें। पिछले ६–७ वर्ष के बजट फीगर्स को अगर हम देखते हैं तो एक अजीब बिडम्बना सी हमें दिखलायी पड़ती है। यदि उनके प्रारंभिक अनुमान में पिछले ६–७ वर्ष के रेवेन्यू रिसिट के मुकाबले में देखें तो हमें अनुमान होगा कि वे बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे १९५८–५९ में ९ करोड़, १९५९–६० में ९.९४ करोड़, १९६०–६१ में १७.४५ करोड़, १९६१–६२ में ८.३६ करोड़, १९६२–६३ में ११.९४ करोड़ और १९६३–६४ में ११. कुछ करोड़ की बढ़ोत्तरी है। साथ ही साथ यह बड़ी ही भयानक बात है कि यदि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर घट जाता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का घटना बड़ा ही अक्षम्य है और वह प्रदेश के लिये बहुत ही हानिकारक है। इसका मतलब यह है कि हमारा बजट एस्टीमेट इतना गलत है कि हम उस रुपये को खर्च नहीं कर पाते या फिर इसके माने यह हैं कि हमारी एफिशिएंसी इतनी गिर चुकी है कि हम उन साधनों को नहीं जुटा पाते जिनकी आवश्यकता है। मुझे यह देख कर बहुत दुख हुआ कि आज कोई कोआर्डिनेशन स्कीम नहीं है। जैसे एक प्लान्ट मशीनरी खरीदी गयी और उस पर रुपया खर्च कर दिया गया, और फिर उसके लिये बिल्डिंग एक साल बाद बनना शुरू हुई और जब बिल्डिंग बन गयी तो भी उसके कई साल बाद और सारा इन्तजाम हुआ। इस तरह से कभी एक काम में ६–७ वर्ष लग जाते हैं और इस बीच में मशीनरी बेकार पड़ी रहती है, उसके लिये रुपया एलाट रहता है जिससे सूद का भी नुकसान होता है और जो लाभ उससे प्राप्त होने वाला होता है उससे प्रदेश की जनता वंचित रहती है जिसकी गाढ़ी कमाई का रुपया उसमें लगा हुआ

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट]

है। इसलिये इस बात का विशेष प्रयत्न होना चाहिये कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी न हो, हमारा एस्टीमेट सही बने और जितना रुपया कैपिटल डेवलपमेण्ट के लिये प्रोवाइड करें, वह सब हम खर्च कर सकें।

जहां तक करों की बात है, इस संबंध में एक बात और कह कर मैं समाप्त कर दूंगा। आज गरीब आदमी मूल्यों की अधिकाई से कितना परेशान है वह किसी से छिपा नहीं है। अगर खाद्यान्नों के मूल्यों को देखा जाय तो पिछले ८–१० साल की बात तो जाने दीजिये, पिछले साल से ही इसमें इस साल १०० प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है। यह मानी हुई बात है कि गरीब आदमी जिसकी आय १०० रुपये तक होती है, उसका ७५ प्रतिशत केवल खाद्यान्न पर खर्च होता है और जिसकी आमदनी ३००–४०० रुपये की होती है उसका ५० प्रतिशत खाद्यान्न पर खर्च होता है। अगर ऐसे आदमियों पर हम कर का बोझ आज बढ़ायेंगे तो उनके लिये असह्य हो जायगा।

इसके बाद, मान्यवर, मुझे एक दूसरी बात की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना है जिसका संबंध इकोनामी से है। हमारे एक्सपेंडिचर में जहां तक इकोनामी हो उसे करना चाहिये, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ेगा कि इकोनामी शब्द का एक रिचुअल की तरह से प्रयोग होता है और उसके लिये कहीं कोई एफेक्टिव कदम नहीं उठाया गया है। सरकार ने एक इकोनामी कमेटी बनायी थी जिसका मैं भी एक सदस्य रहा। लेकिन ऐसी इकोनामी कमेटी से क्या फायदा जिसकी साल में एक दो मीटिंग भी न हो पावे? कहने को कहा जाता है कि बहुत से इकोनामिक मेजर्स लिये गये, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि कहां इकोनामी की गयी और किस तरह से की गयी। अगर हम पिछली एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन कर के उनके निष्कर्ष को इम्पलीमेन्ट करने का यत्न करें तो उसी से कम से कम ८–१० करोड़ रुपये की इकोनामी हो सकती है। जिस समय हमारी कमर करों के बोझ से टूट रही हो उस समय अगर हम ऐसा कोई स्टेप लेते हैं तो हमें जनता के मन में यह आस्था पैदा करनी चाहिये कि इकोनामी की दिशा में अन्तिम स्टेप लिया जा चुका है।

श्री मुकुटबिहारी लाला (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट—

मैं यह कह रहा था कि जब आप नये टैक्स लगायें तो पुराने जो आपके एरियर्स हैं उनको अधिक से अधिक संख्या में आपको वसूल करके जनता को दिखाना चाहिये। जो एरियर्स हैं उनको बाकी नहीं रहना चाहिये। २२ करोड़ रुपये के एरियर्स हैं, सेल्स टैक्स का ही साढ़े ग्यारह करोड़ है। इसके अतिरिक्त एक चीज और है कि ३१ मार्च, सन् ६३ तक के सेल्स टैक्स के ७७,५९७ केसेज असेसमेन्ट के पड़े हुए हैं। ७१,२१६ केसेज अपील में पड़े हुए हैं; ११,२३२ केसेज रिवीजन के बाकी हैं। यह तो ऐसे केसेज हैं कि अगर इनका फैसला जल्दी हो जाय तो हम जनता से रुपया वसूल कर सकते हैं। यह हमारे फैसले में ढिलाई के कारण इतना रुपया बिना वसूल हुए पड़ा हुआ है। इस ओर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा हमारे राज्य की सर्विसेज में कुछ असंतोष की भावना व्याप्त है। यह किसी राज्य के लिये अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा जब और जो लोग आन्दोलन करें केवल उन्हीं की बात सुनी जायगी ऐसी प्रवृत्ति लोगों में पैदा नहीं होनी चाहिये। जो

निम्न वर्ग के कर्मचारियों को रिलीफ दी गयी है वह बहुत कम है। इसके अतिरिक्त एक वर्ग ऐसा भी है जिसके साथ घोर अन्याय हो रहा है। स्थानीय निकायों के ५ लाख इम्प्लाईज हैं, उनको बिलकुल अलग रख दिया गया है। सरकार एक नया कैडर बना रही है। एक सेन्टर सर्विसेज का, एक स्टेट सर्विसेज का और तीसरा नया क्लास यह बनाया जा रहा है। लोकल बाडीज के एम्प्लाईज की सबसे गिरा हुआ क्लास है। केन्द्रीय सरकार उनकी मदद करना चाहती है वह उनके ऊपर इस बढ़ोत्तरी के लिये किये गये खर्चे का ५० फीसदी देना चाहती है, लेकिन फिर भी उनको अभी तक महंगाई से वंचित रखा गया है। यह सरकार का अन्यायपूर्ण कदम मालूम पड़ता है। माननीय मंत्री जी कदाचित यह कहेंगे कि जो लोकल बाडीज इस योग्य हैं कि वे अपने मुलाजिमों को दे सकती हैं उनको तो कोई दिक्कत न होगी, लेकिन उनको कर वसूल करने के आपने कोई साधन नहीं छोड़े हैं। तो या तो उनके पास ऐसे साधन होने चाहिये अन्यथा आपको उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिये।

शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की १०वीं कक्षा तक की शिक्षा निःशुल्क करके सरकार ने प्रशंसनीय कदम उठाया है। शिक्षा का बजट जब आयेगा तो मैं और भी सुझाव दूंगा। इतने ही खर्चे में हम कुछ और भी कर सकते हैं। कानपुर और मेरठ में विश्व-विद्यालय बन रहे हैं। ठीक है अवश्य बनने चाहिये। राधाकृष्णन कमेटी ने आज से १५ साल पहले सिफारिश की थी कि रीजनल यूनिवर्सिटीज कायम हों और यही यूनि-वर्सिटी ग्रान्टस कमेटी ने भी कहा था और प्लानिंग कमीशन की गाइड लाइन में भी ऐसे ही आदेश हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रदेश के सारे ही रीजन्स के प्रति न्याय होना चाहिये। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अगर किसी रीजन के साथ अवहेलना का व्यवहार होगा तो उससे फ्रेस्ट्रेशन पैदा होगी। आज रुहेलखण्ड क्षेत्र में २० डिग्री कालेज हैं, ७ पोस्ट ग्रेजुएट कालेजेज हैं, लेकिन वहां कोई भी मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज या टेक्निकल कालेज नहीं है। बहुत दुख की बात है कि उस क्षेत्र के साथ घोर अन्याय है। मैं चाहता हूं कि वहां की इस कमी को दूर किया जाय।

एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहां आडिट आब्जेक्शन्स बहुत बड़ी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं और इसका नतीजा यह होता है कि भारी-भारी रकमों के मामले पड़े रह जाते हैं। हमारे यहां २७,३९१ आडिट आब्जेक्शन्स पेंडिंग हैं जिनमें ९.२८ करोड़ रुपया इंवाल्व है। ३१ मार्च, सन् ६३ तक ४,४१६ इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हुईं जिनमें १९,४२३ मामले थे और वे भी अभी तक पड़े हुए हैं। मैं इस तरफ सरकार का ध्यान दिलाऊंगा कि जब हम आडिट पर इतना पैसा व्यय करते हैं तो उसका लाभ भी हमें अवश्य उठाना चाहिये और जो सुझाव उसमें आयें उनके प्रकाश में हमें अपनी अर्थ व्यवस्था को ठीक करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस आय-व्ययक का समर्थन करता हूं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता जी, आय-व्ययक वर्ष में प्रदेश की जनता के लिये एक ऐसा अवसर प्रदान करना है कि जिसमें जनता यह ज्ञान प्राप्त कर सके और देख सके कि इस साल में हमारे कल्याण के लिये कौन से काम होने वाले हैं। जब इस निगाह से सूबे की जनता इस बजट को देखती है तो मैं यह कहने में संकोच नहीं करता हूं कि वह निराशा के वातावरण में, अश्रद्धा में और उदासीनता में उसका दिल बदल जाता है। आप जानते हैं कि यह कांग्रेस के लिये कलंक की बात है जब कि ३ साल से लगातार उसके वार्षिक अधिवेशन में इस प्रकार की प्रतिज्ञा की जाती है कि अपने देश में हम समाजवादी राज्य बनायेंगे; लेकिन मैं नहीं समझता कि उस दिशा में इस सरकार के कौन से कदम उठते हैं। जब हम इस बजट को इस दृष्टि से भी देखते हैं तो मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि यह बजट समाजवाद की ओर भी ले जाने वाला नहीं है। उधर निगाह भी नहीं

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

है। यही नहीं। यह बजट स्थिरवादी है जो सन् १९३७ से लगातार एक-सा चला आ रहा है, उसी रास्ते पर चलता चला आ रहा है केवल एक दो ग्रान्ट्स ऐसी हैं। जिसको लेकर कुछ रद्दोबदल किया गया है। हम ही नहीं इस प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी और नागरिक सोचते थे कि बजट पेश होगा उसमें हमको राहत मिलेगी। अपने यहां के लाखों राज्य कर्मचारी इस उम्मीद में थे कि इस समय जो महंगाई के बादल चारों ओर मंडरा रहे हैं उनकी छाया से बचने के लिये कोई राहत मिलेगी। माध्यमिक शिक्षक संघ और दूसरे शिक्षक समझते थे कि हमको भी रोटी का सहारा मिलेगा, लेकिन हमें बहुत ही दुःख है कि बजट के पेश होने साथ ही उनकी आशा भी निराशा में परिणत हो गई। बजट में जो खूबियां होनी चाहिये जैसे कि आमदनी में १ और १० के अन्तर का जो मौलिक सिद्धान्त है समाजवाद का जिस पर और देशों की नकल करते हैं, उस दृष्टि से देखें तो मालूम होगा कि हम समाजवादी रचना करना चाहते हैं कि नहीं। बजट को देखने से मालूम होता है कि प्रदेश के राज्यपाल पर एक साल में केवल वेतन पर ६६,००० रुपये व्यय होता है जब कि प्रदेश का जो सबसे छोटा कर्मचारी है चौकीदार उस पर ६० रुपये सालाना खर्च होता है। जहां हम चाहते हैं कि सबको समान अवसर मिले। गांधी जी ने कहा था कि अपना राज बनेगा तो सब को समान अवसर मिलेगा एक बड़े के मुकाबले में छोटे को आगे बढ़ने का। मैं पूछता हूं कि क्या ऐसी हालत में कोई छोटा आदमी अपनी इच्छाओं को पूरा करने का साहस कर सकता है? उसके पास क्या साधन हैं? कैसे उम्मीद कर सकता है एक चौकीदार कि उसका लड़का पढ़ने में अच्छा होते हुए भी तथा इच्छा रखते हुए, अच्छी शिक्षा पायेगा?

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

चौकीदार गवर्नमेण्ट सर्वेन्ट नहीं है केवल एक अलाउन्स पाता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

छोड़ दीजिये चौकीदार को। अध्यापक, लेखपाल, कांस्टेबिल आदि तो सरकारी कर्मचारी हैं। आप जानते होंगे कि थानेदार के घोड़े की घास इकट्ठा करते-करते चौकीदार की जिन्दगी खत्म हो जाती है। यही हालत समाजवादी रचना की है? जहां हम सोचते हैं कि अन्न की परेशानी को दूर करें, विदेशों से गल्ला मंगाते हैं, वहां मैं जानना चाहता हूं ज्यादा गल्ला पैदा हो उस दिशा में सरकार ने कौन से प्रयत्न किये? माननीय चरण सिंह जी मौजूद हैं। उन्हीं के इशारे से कानून बना था। मैं समझता हूं जो गरीब किसान हैं उसी से ज्यादा से ज्यादा मालगुजारी लेते हैं। माननीया मुख्य मंत्री ने श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा था कि पहला अवसर है कि इस प्रदेश में किसान ने महंगाई में ज्यादा पैसा पाया। मैं सोच रहा था कि किसानों पर कुदृष्टि है। मुझे याद है आपने जब कानून बनाया तब कहा था कि अकिंचन को राहत देने के लिये बिल लाये हैं। आपने यह भी कानून बनाया था कि उनकी मालगुजारी सर्किल रेट से दुगुनी होगी। मैं चाहूंगा कि यदि माननीय चरण सिंह जी, सरकार आपकी बात मान सके तो आप सरकार को मनायें कि वह अकिंचन किसान की तरफ कुदृष्टि न लगाये। अगर किसानों पर मालगुजारी बढ़ती है, अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है तो प्रदेश की रीढ़ टूट जायगी और आपका कोई काम नहीं हो सकेगा।

प्रदेश में गल्ला कुछ महंगा हुआ। उसका नफा किसने कमाया? कुछ बड़े-बड़े किसानों ने नफा कमाया और उससे ज्यादा जखीरेबाजों ने। सही नफा कमाने वाले यही जखीरेबाज हैं जिन्होंने इस संकट के समय देशद्रोहिता का काम किया है। आप सरकार को सलाह दें कि उन पर बकायदा टैक्स लगाया जाय क्योंकि वह दे सकते हैं तथा उनकी आमदनी कम की जाय जो बड़े हैं तथा जो छोटे लोग हैं जिनकी आमदनी कम है उन पर टैक्स न लगा कर

उनको ऊपर उठाया जाय। अगर यह समाजवाद का सिद्धान्त है तो कैसे आप प्रदेश और देश में समाजवाद ला सकते हैं। २६० करोड़ के बजट में जो हमारे सामने प्रस्तुत है ७।। करोड़ टैक्सों के जरिये वसूल करना चाहते हैं। मेरी राय में जो टैक्स वसूल किया जाय वह केवल उन लोगों से ही किया जाय जिनको विकास योजनाओं से फायदा हुआ है। आप किसानों के ऊपर टैक्स न लगायें। मैं माननीय जगदीश शरण अग्रवाल जी की इस बात से सहमत हूं कि इस प्रदेश में इस समय २५ करोड़ का टैक्स बकाया पड़ा हुआ है। एक ओर तो २५ करोड़ रुपया बकाया पड़ा हुआ है और दूसरी ओर जनता जो कोई बोझ उठा नहीं सकती उस पर बोझ डालना क्या कोई लोकतंत्र की बात है? क्या समाजवाद इसी प्रकार आयेगा? मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए।

(इस समय २ बजकर ३० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होती लाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

सरकार कहती है कि हमारी योजनाएं सफलता से चल रही हैं। यदि देश में और प्रदेश में पैदावार बढ़ी होती, उद्योग धंधों में प्रगति हुई होती, बेकारी की समस्या दूर हुई होती, लोगों की आमदनी बढ़ी होती, रहन-सहन ऊंचा हुआ होता, तो भी मैं समझता कि हमारे विकास कार्यों में उन्नति हुई है। उत्तर प्रदेश में गेहूं १९६१ में ४१.५५ लाख मीट्रिक टन था पर १९६३–६४ में वह घटकर २७.३५ लाख मी० टन हो गया। चावल जो १९६१–६२ में ३३.४५ लाख मी० टन था वह १९६३–६४ में ३२.७३ लाख मी० टन हो गया। यही हाल हमारे ज्वार और बाजरे का है। कहने का तात्पर्य यह है कि सारी चीजें उत्तर प्रदेश में इन योजनाओं में घटी हैं। स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल जी ने एक कमीशन बैठाया। उसने अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि योजनाओं से कुछ लोगों को तो बहुत फायदा हुआ है और अधिकतर वे लोग हैं जिन्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। देश में केवल १० प्रतिशत लोग ही ऐसे हैं जिन्हें कुछ फायदा हुआ है परन्तु ९० प्रतिशत ऐसे हैं जो उस फायदे से दूर रहे हैं। यदि आप इस प्रदेश का दूसरे प्रदेशों से मुकाबला करें तो मैं इस सरकार को कमजोर सरकार मानता हूं। महाराष्ट्र में, पंजाब में और बम्बई में जो उद्योग धंधों में प्रगति हुई है यदि उसका मुकाबला हम अपने उत्तर प्रदेश से करते हैं तो पाते हैं कि यहां पर बहुत नगण्य हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार, ऐसा मालूम पड़ता है कि डर के मारे हमारे प्रदेश में उसके विकास के कामों को नहीं लेती है और न इस सरकार को बड़े उद्योग धंधे मिलते ही हैं। १९५५–५६ में उत्तर प्रदेश में आय प्रति व्यक्ति १५ रुपये की रही है जब कि पूर्वी बंगाल में और पंजाब में यह २४ रुपये और २३ रुपये रही है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास की योजनायें सफल हुई हैं।

शिक्षा के संबंध में कहा जाता है कि हमने बहुत प्रगति की है। स्कूलों में पढ़ाने वाले ६ से १२ वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों का प्रतिशत जो १९६०–६१ में ४३ था वह बढ़ कर १९६५–६६ में ६३ हो जायगा। लड़कों के सम्बन्ध में यह अनुपात लगभग ८५ प्रतिशत हो जायेगा, लेकिन लड़कियों के सम्बन्ध में वह अब भी ३८ प्रतिशत ही है। आप कब उत्तर प्रदेश में लड़के और लड़कियों को निशुल्क शिक्षा दे सकेंगे? १९५४ में मंत्री जी ने वायदा किया था कि वे ४–५ सालों में हाई स्कूल तक के विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षा कर देंगे। लड़कों और लड़कियों की जब कि मद्रास और अन्य प्रदेशों में १०वीं क्लास तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा है, अपने प्रदेश में केवल लड़कियों को १०वीं क्लास तक निःशुल्क शिक्षा करने से योजना में प्रगति नहीं हो सकती है और सच्चे मानी में आप नागरिक उत्पन्न नहीं कर सकते हैं।

खेती बाड़ी के सम्बन्ध में स्वर्गीय पंत जी के जमाने में उन्हीं के सभापतित्व में एक कमेटी बैठी थी जिसके सदस्य चरणसिंह जी भी थे उसने निर्णय किया था कि अलाभकर जोतों पर से मालगुजारी माफ होनी चाहिये। अगर यह बात सही है कि खेती पर मालगुजारी बढ़ाई जाने वाली है तो सुचेता जी को पुरानी बातों की याद दिला दी जायगी। सिंचाई का जहां तक सम्बन्ध है सरकार

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

ने सोचा कि गल्ले में महंगी हो गयी है इसलिये सिंचाई का रेट भी बढ़ना चाहिये। इस प्रकार वक्त से खाद न दे कर, सिंचाई का रेट बढ़ा कर, मालगुजारी की दर बढ़ा कर, किसानों का गल्ला सस्ते रेट पर लुटवा कर और हर तरह से किसान की कमर तोड़ कर यह सरकार चलने वाली नहीं है।

बजट साहित्य को देखने से पता चला कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता तथा सूचना विभाग में कुछ कमियां की जाने वाली हैं। मैं कटौती के पक्ष में हूं, लेकिन इतना निवेदन अवश्य करना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारी १५ साल तक आपकी नौकरी करने के बाद कहां जायंगे? इस प्रकार की कार्यवाही सदा के लिये बन्द होनी चाहिये।

हायर सेकेण्डरी स्कूल तथा जूनियर स्कूल खुलने में भी सरकार को कोई यश नहीं होना चाहिये। जहां के लोग समझदार हैं, लोगों के पास ताकत है पैसे की, वहीं ये स्कूल खोले जाते हैं। मेरा निवेदन यह है कि इस सम्बन्ध में एक सर्वे होना चाहिये; वर्ना होगा यह कि प्रदेश के एक हिस्से में तो हायर सेकेण्डरी तथा जूनियर स्कूल हो जायंगे और प्रदेश का दूसरा हिस्सा अछूता रह जावेगा।

यह कहा जाता है कि अध्यापक लोग प्रदर्शन करके शिक्षा की रीति व नीति का उल्लघंन करते हैं। यह बात सही है कि इस गाढ़े वक्त में आन्दोलन की धमकी नहीं देना चाहिये। सरकार यह मानती है कि समान काम करने वाले को, समान योग्यता के व्यक्ति को, समान वेतन मिलेगा। फिर जो अध्यापक सरकारी विद्यालयों तथा कालेजों में काम करते हैं और जो अध्यापक गैर सरकारी विद्यालयों तथा कालेजों में काम करते हैं जब कि दोनों एक ही अनुशासन में काम करते है, एक ही किस्म का काम करते हैं उन दोनों की तनख्वाहों में इतना फर्क क्यों रखा गया है? अगर सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों को जो कि कम तनख्वाह पाते हैं और अधिक तनख्वाह की वे मांग करते हैं तो आप कहते हैं कि बर्दाश्त करो, शान्त रहो इस समय पैसा नहीं है यह कहां की न्यायसंगत बात है? अगर सरकार केन्द्रीयकरण कर ले तो वह सारे झगड़े से छूट जायगी।

लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं तो छोड़िये केन्द्रीयकरण की बात। एक जिले में एक गवर्नमेन्ट हायर सेकेण्डरी स्कूल है, क्यों नहीं उसको जनता के सुपुर्द कर देते? गांवों में और शहरों में कमेटियां बना दीजिये और जिस तरह से अन्य प्राइवेट स्कूल चलते हैं उसी तरह से ये सरकारी स्कूल भी कमेटियों से चल सकते हैं। सारे प्रदेश में आपके ५०-६० स्कूल हैं इनको आप जनता को दे दीजिये। इसी तरह से राजकीय नार्मल स्कूल हैं, जे० टी० सी० स्कूल हैं, एल० टी० के स्कूल हैं इन सबको उसी तरह से चलाइये जैसे और प्राइवेट स्कूल चलते हैं। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेन्ट और दूकान खोलकर क्यों झगड़ा करती है? अगर केन्द्रीयकरण सरकार नहीं कर सकती है तो राजकीय शिक्षा संस्थाओं को जनता के सुपुर्द कर देना चाहिये। फिर जनता के और सरकारी स्कूलों में ना बराबरी की बात खत्म हो जायगी और सरकार का कुछ दिनों के लिये पिन्ड छूट जायगा। अगर सरकार ऐसा करे तो अच्छा है वरना वह भोगेगी जैसे कि भोग रही है। प्रदेश के हजारों नागरिकों को नाराज करके शिक्षा संस्थाओं को चलाना अच्छा नहीं है।

यह समाजवाद का बजट है, कल्याणकारी राज्य का है। सामान्य प्रशासन पर बजट बढ़ाया गया है, पुलिस की ग्रांट बढ़ाई जा रही है और शिक्षा में तथा सहकारिता में कमी हो जाय तो.....

श्री चरणसिंह—

समाजवादी मुल्कों में पुलिस पर ज्यादा खर्चा होता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय --

तो फिर कैसे कहा जायगा कि हमें छटनी करना चाहिये और सोचना चाहिये कि ऐसे सामाजिक कार्यों के लिये जो ग्रांट है उसमें कटौती नहीं होनी चाहिये। मैं आपके द्वारा चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि दिल्ली की सरकार ने २९ जनवरी, १९५३ को बैकवर्ड कमीशन की स्थापना की, डा० राजेन्द्र प्रसाद जी ने १८ मार्च को उद्घाटन किया और ३० मार्च,१९५५ को उसकी रिपोर्ट सरकार के पास चली गई। चौधरी साहब इस सरकार को बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट को मानने के लिये क्यों नहीं मजबूर करते हैं। आखिरकार जब पिछड़े हुये लोगों की आबाद प्रदेश में बहुत ज्यादा है तो क्यों नहीं उनके लिये कुछ किया जाता है? इसमें कहा गया है कि प्रथम श्रेणी में २५ प्रतिशत स्थान, द्वितीय श्रेणी में ३३ प्रतिशत और तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी में इनको ४० प्रतिशत स्थान मिलने चाहिये। आखिर यह न करने का क्या कारण है? बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट को तुरन्त लागू करना चाहिये।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि इन योजनाओं से प्रदेश में लाभ होने के बजाय नुकसान हुआ है। पर्वी जिलों के चार जिलों में पटेल कमीशन के अनुसार विकास का कार्य करने के लिये १४ लाख रुपया स्वीकार किये गये हैं। लेकिन कहां खर्च होगा, इसको मैं देखता हूं कि मुर्गी पालन में लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं, स्वास्थ्य केन्द्रों और नसबंदी में हो रहे हैं। प्रदेश में सब चीजों की कमी है इसलिये ऐसी योजनायें बननी चाहिये, ऐसे काम होने चाहिये जिससे सही माने में लोगों को रोजी मिले। इस तरह की योजनाओं से प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं है।

सहकारिता मंत्री जी इस समय नहीं है उनकी ओर से एक रिपोर्ट है, जिसको मैंने पढ़ा। श्रीमन्, आप पढ़कर तकलीफ महसूस कीजियेगा कि उत्तर प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में ८ रिक्शा सोसाइटियों को इसलिये संगठित किया गया है कि जिससे उन्हें ऋण और अनुदान दिया जाये। उन्हें काम करने का अवसर प्रदान किया जाये। इन ८ सोसाइटियों को खोलने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन उसमें से एक भी काम नहीं कर रही हैं। इन पर एक लाख रुपये के खर्च का प्राविधान किया गया था, लेकिन मुझे दुख: है कि उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। सहकारिता मंत्री जी, जो दूसरे कामों में लगे रहते हैं, यदि इस पर ध्यान दें तो अच्छा हो।

स्थानीय निकायों के विषय में भी व्यवस्था ठीक नहीं है। स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में बड़ी तकलीफदेह बात है। सरकार कमेटियां बनाती है, किन्तु उनकी जो रिपोर्ट सरकार के पास जाती है, उसको कार्यान्वित करने के लिये सरकार तत्पर नहीं होती है। एक केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति, सफाई कर्मचारियों यानी भंगियों के सम्बन्ध में बनाई गई थी और उसने रिपोर्ट दी कि वह हाथ से पाखाना साफ करते हैं, सिर पर पाखाना उठाते हैं, उसको ठीक करने के लिये एक सुनियोजित योजना राज्य सरकार को बनाना चाहिये, लेकिन उसकी रिपोर्ट पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। सन् १९४७ में खेर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसने भी सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी। आज १७ साल हो गये उस कमेटी के, किन्तु उसकी भी सिफारिशों को आज तक उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित नहीं किया गया। वही पिछला काम होता चला जा रहा है।

सरकार टैक्स लगाती है हमारी पार्टी और हम बार-बार कहते चले आ रहे हैं कि एक ही काम के लिये सरकार अलग-अलग टैक्स न लगाये। सड़कों को बनाना है, उसके लिये जिला परिषदें, प्रदेश सरकार और केन्द्र की भी सरकार टैक्स लगाये, यह ठीक नहीं है। चौधरी साहब, इस सम्बन्ध में मैं आपको एक ही मिसाल देता हूं भूमि भवनकर जो आपने लगाया है, यह जायदाद पर टैक्स है और यही कर नगर महापालिकायें और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैसियत टैक्स के नाम से लगाती हैं। नगरपालिकायें लगाती हैं। तो क्या कारण है कि एक ही व्यक्ति से एक ही नाम पर अलग अलग टैक्स वसूल किया जाता है। जिला और नगर के मकानों और जायदाद पर टैक्स लगाना वहां की स्थानीय संस्थाओं का काम है, किन्तु सरकार अपना टैक्स भी लगाती है और ऐसा करके कस्बों के काम में सरकार अपना पैसा लेकर उनके कार्य को कुंठित करना चाहती

[श्री राम सुन्दर पाण्डेय]

है उन्हें पंगु बनाना चाहती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि भूमि-भवन कर जो इस ढंग से लगाया गया है, उसको खत्म कर देना चाहिए और जिला परिषदों को अधिकार होना चाहिये, जो उनको है भी कि वह अपनी आवश्यकतानुसार जो टैक्स चाहें अपने यहां लगायें।

श्रीमन्, गन्ना विकास की भी यहां पर एक किताब छापकर बांटी गई है और शायद कुछ इसका हिस्सा माननीय चौधरी साहब जी के हाथ में है। लेकिन जो आज गन्ना मंत्री हैं उनके पास भी सन्देश पहुंचाइयेगा। इसमें गन्ने के लिये जो गन्ना विकास की सघन विकास योजना बनाई गई है, जो आपके उत्तर प्रदेश की ६६ गन्ना पेरने की इकाइयां हैं व ां सघन खेती बहरहाल की जाये गन्ने की, किन्तु जिसमें हिस्सा लेने से उत्तर प्रदेश की ६, मिलों ने इन्कार कर दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन-सी मिलें हैं जिन्होंने सरकार की ऐसी अच्छी योजना को कार्यान्वयन करने से इन्कार कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि वह मंत्रियों के ही तो आदमी नहीं थे, जिन्होंने इतनी हिम्मत की कि एक सरकारी योजना को मानने से इन्कार कर दिया। उस सघन खेती के लिये १/३ केन्द्रीय सरकार देगी, १/३ प्रदेश सरकार देगी और १/३ मिलमालिक और उस क्षेत्र के लाभान्वित होने वाले किसान देंगे। इतना कम पैसा देने के लिये ६ मिलमालिक उत्तर प्रदेश के तैयार नहीं हुये और सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करवाई, सूचना सदन को नहीं है।

इसी प्रकार श्रीमन्, मैं आपके जरिये सरकार से एक ही बात कहूंगा कि एक चीन का बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, जिसको कन्फ्यूसियस कहते हैं, इससे लोगों ने पूछा कि भाई तुम राज्य में क्या-क्या अच्छाई चाहते हो? उसने कहा कि तीन गुण राज्य में होना चाहिये। अगर तीन गुण राज्य में रहें तो वह राज्य अच्छा होता है। पूछा गया कि वह तीन गुण कौन-कौन से हैं? तो उसने बतलाया कि पहला गुण राज्य का वह है, जिसके पास विशाल सेना हो। दूसरा गुण पूछा, तो बतलाया कि जिस राज्य में अन्न का भण्डार हो। तीसरा गुण पूछा तो बतलाया कि जन-मानस की अपार श्रद्धा हो। किसी ने कहा कि अगर प्रबल सेना न हो तो राज्य का काम चल सकता है कि नहीं। उसने उत्तर दिया कि उसके बगैर भी काम राज्य का चल सकता है। फिर कहा गया कि अगर अन्न राज्य में कम हो तो राज्य का काम चल सकता है? उसने उत्तर दिया कि अन्न की कमी होने पर भी राज्य का काम चल सकता है और तीसरी बात कही गयी कि अगर राज्य में जनता का विश्वास न हो तो राज्य चल सकता है? उसने उत्तर दिया कि अगर राज्य में जनता का विश्वास न हो तो वह राज्य डूब जायगा।

मैं चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि जनता का विश्वास इस सरकार के प्रति उठता चला जा रहा है। जिस राज्य में जनता सुखी नहीं है, जिस राज्य में गुटबन्दी रहे, तो उस राज्य की सरकार से अपने आप नैतिकता का तकाजा है कि वह हट जाय।

कुछ लोग कहते हैं कि इस सरकार के चले जाने के बाद कौन सरकार राज्य कर सकेगी। मैं यह नहीं कहता हूं कि इस सरकार के बाद हमारी पार्टी की सरकार हो जाय, मैं यह नहीं कहता हूं कि विरोधी पार्टी की ही सरकार हो। आप ही लोगों में, आप ही की पार्टी में जो भले लोग हैं, उनको सरकार में आने का मौका दें।

मैं इन शब्दों के साथ सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बजट को परिवर्तित करे और इसके स्थान पर समाजवादी ढांचे का बजट लाए।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बजट को ध्यानपूर्वक देखा। यह बजट मेरी राय में एक बैलेन्स बजट है। मैं समझता हूं कि यह सरकार का पहला बजट है जिसमें सरकार की ओर से विश्वास दिलाया गया है कि जितनी रकम इस साल के लिये निर्धारित की गई उससे ज्यादा खर्च हो जायेगी। हमारा अनुभव यह रहा है कि जो रकम मंजूर की गई उसमें से बच

आती (कमी नहीं होती) थी, वह पूरी की पूरी खर्च थी, इस वर्ष हो जायेगी इसलिये यह एक बैलेन्स बजट है।

दूसरी एक विशेष बात इस बजट में है जिसकी वजह से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं यद्यपि उन्होंने तो यह कार्यभार हाल ही में संभाला है। अतः कहा नहीं जा सकता उनका कितना-कितना हाथ है। पहले पहल हम देखते हैं कि राजस्व आय में ११ करोड़ ४६ लाख की वृद्धि है और व्यय में ४ करोड़ ६५ लाख की कमी है और उस कमी में भी श्रीमन् यह दिया है कि जो कमी की गई है वह कमी प्लानिंग में ज्यादा नहीं की गई है। कमी राजस्व के साधारण कामों में की गई है। पिछली बार जब मैंने केन्द्र का बजट देखा और कुछ प्रदेशों का भी बजट देखा था, तब मैं यह आशा करता था कि अब की साल हमारा भी बजट घाटे का बजट नहीं आयेगा, परन्तु बजट घाटे का आया और स्वाभाविक था। माननीय सदस्य सब कहते हैं इस बात को कि घाटे का बजट ठीक नहीं और यह भी कहते हैं कि प्रदेश पिछड़ा हुआ है। शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, चिकित्सा में, उद्योग में तथा अन्य बातों में भी पिछड़ा हुआ है। तब तो फिर इन्वेस्टमेंट अधिक करना ही होगा। घाटे का बजट ठीक करने का प्रयत्न होना चाहिये। अक्सर देखा यह जाता है कि ३१ मार्च से पहले जो रुपया बच जाता है, उसको विभागीय लोग बहुत सी इधर-उधर की चीजें खरीद कर बचत को पूरा करके दिखला देते हैं उदाहरण के लिये एक साथ लोहे की आल्मारियां ही खरीद लीं। लेकिन इस साल वित्त मंत्री जी ने जैसा बजट रखा है, उसमें इस बात की उनसे आशा करूंगा कि पूरा रुपया कम हो और वैसे ही खर्च न किया जाय। ठीक प्रकार से खर्च हो और यदि ऐसा हुआ तो इस के लिये वे बधाई के पात्र कहे जायेंगे। श्रीमन्, माननीय शारदा भक्त सिंह जी के भाषण को मैंने बहुत गौर से सुना। वह नेता विरोधी दल हैं। उनके भाषण में खासतौर से दो चीजें थीं और वह यह थीं कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि बहुत कम है और अध्यापकों का वेतन बहुत कम है और जो बढ़ोतरी हुई है वह नगण्य है और दूसरी चीज यह कि कर न लगाये जायं चाहे नागरिक क्षेत्रों में हों या ग्रामीण क्षेत्रों में हों लेकिन कर न लगाये जायं। इसी के ऊपर उधर के बहुत से साथियों ने भी बहुत बल दिया। मैं आपके समक्ष कुछ आंकड़े इस बजट से देता हूं।

"व्यय के अनुमान में आयोजनागत योजनाओं के लिये ५४.४८ करोड़ रुपये की धनराशि सम्मिलित है जब कि १९६४-६५ के मूल आय व्ययक में इस सम्बन्ध में ४४.६१ करोड़ रुपये की धनराशि सम्मिलित की गयी थी। आयोजनागत पक्ष में ९.८७ करोड़ रुपये की वृद्धि में से सरकारी कर्मचारियों के वेतन के अभिनवीकरण तथा अन्य लाभों के लिये २५० लाख रुपये की एक मुश्त धनराशि की व्यवस्था की गयी है। आयोजनेतर व्यय का अनुमान १९६४-६५ के १९०.८२ करोड़ रुपये की तुलना में २०८.१७ करोड़ रुपये रखा गया है। इस प्रकार १७.३५ करोड़ रुपये की वृद्धि व्यक्त होती है जिसमें से सरकारी कर्मचारियों के वेतन के अभिनवीकरण तथा अन्य लाभों के लिये लगभग ९ करोड़ रुपये की एक मुश्त व्यवस्था की गई है। प्रारम्भिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं से शिक्षक तथा अन्य कर्मचारियों के लिये कतिपय लाभों की भी व्यवस्था की गई है, जिसके फलस्वरूप आयोजनागत पक्ष में ६५ लाख रुपया और आयोजनेतर पक्ष में १३५ लाख की वृद्धि हुई है।"

श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस प्रकार ९.८७ करोड़ की वृद्धि में वेतन अभिनवीकरण व लाभ के लिये २५० लाख अर्थात् २५ प्रतिशत और ३७ करोड़ ३५ लाख में से ९ करोड़ अर्थात् ५० प्रतिशत से कुछ अधिक है। और २ करोड़ की धनराशि अध्यापकों के लिये अभिनवीकरण और वृद्धि के लिये है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि २७ करोड़ में से १३ करोड़ ५० लाख केवल सरकारी कर्मचारियों और अध्यापकों को बढ़ाया गया है। अब इस ५० फीसदी के व्यय के बाद भी मैं नहीं समझता कि और क्या किया जा सकता था। अगर इस बढोतरी से भी उनको सहायता नहीं मिलेगी तो फिर क्या जितना रुपया बजट में होता वह सब उनको बढ़ तरी में मिलता और २ वर्ष के बाद जब मूल्य कुछ घट जाता तब आप यह कहते कि बड़ा हैवी एडमिनिस्ट्रेशन है। सफेद हाथी पाल रक्खा है। यह भी वित्त मंत्री न बताया कि उपभोक्ता भंडार हम खोलने

[श्री जगदीश प्रसाद]

जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे भंडार शीघ्र तिशीघ्र खोले जायं उससे सरकार का कोई विशष व्यय नहीं होगा और सरकारी कर्मचारियों को बहुत सहायता मिलेगी।

श्री मुकुटबिहारीलाल—

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जगदीश प्रसाद (मुरादाबाद)—

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहूं कि अध्यापकों का जिक्र कई बार यहां आया और बड़े जोर के साथ आया। मेरी बहस वित्त मंत्री जी से कई बार होती थी। इस बात पर किसी को विरोध नहीं था कि अध्यापकों का वेतन अधिक से अधिक बढ़ना चाहिये परन्तु जो आन्दोलन इस समय प्रदेश में हो रहा है और जिस तरह से अपनी धमकी दे रहे हैं तो वह भी एक विचार करने की बात है। इससे किसी को विरोध नहीं कि उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिये और उनको कुछ मिलना चाहिये लेकिन अगर यह स्थिति रही और वे इस तरह से कहे कि हम परीक्षा में निरीक्षण का काम नहीं करेंगे या वह यह कहें कि बजट का इतना प्रतिशत हमको दिया जाय या शिक्षा पर इतना प्रतिशत खर्च किया जाय तो फिर सरकार के लिये जरा विचार करने की बात होती है। चिकित्सा वाले कहें कि इतना प्रतिशत चिकित्सा पर हो तो बजट बनाने के तमाम उसूल समाप्त हो गये, आवश्यकता का ध्यान नहीं रहा केवल शक्ति का रहा। क्योंकि अगर इस तरह की बातों को प्रोत्साहन दिया गया तो कल को इस से परेशानी बढ़ेगी।

दूसरी बात मैं सफाई के साथ यह कहना चाहता हूं कि और जो मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं वह यह है कि इस समय मंत्रिमंडल के एक सदस्य माननीय चौधरी चरण सिंह हैं मैं उनसे जानना चाहता हूं कि इस समय जो परिस्थिति है क्या हम सब उससे संतुष्ट हैं? मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि सब कुछ होते हुये भी हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। हम स्वयं इस बात का अनुभव करते हैं कि जो हम करना चाहते हैं वह नहीं हो रहा है और उसको हम कर नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं फिर भी कर नहीं पाते हैं परन्तु यह मानना चाहिये कि प्रगति हुई है आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति हुई है। परन्तु यह हम जरूर मानते हैं कि जो चाहते हैं वह कर नहीं पाते हैं और आज हम इस परिस्थिति में नहीं हैं कि हम यह कह दें कि जो समस्यायें थीं उनका हमने समाधान कर लिया। इसके लिये हमारे बहुत से भाई ब्यूराक्रेसी के प्रति कुछ बातें कह कर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। मैं नहीं समझता कि उनमें देश के प्रति प्रेम नहीं है या भक्ति नहीं है या केवल हम ही देशभक्त हैं।

मैं आपके सामने एक मौलिक बात रखना चाहता हूं। हमें कुछ सिस्टम बदलने होंगे। मेरा विचार यह है कि हमारे यहां न्याय का सिस्टम (सिस्टम आफ जुडीशियरी) कुछ ऐसा है जिसकी वजह से परेशानी है। वह सिस्टम की जड़ सबसे बड़ी न्यायपालिकाओं की है। मैं वकील नहीं हूं परन्तु मैं अपने लम्बे जीवन के अनुभव के आधार पर कहता हूं कि हमारे न्याय-पालिका सिस्टम ने हमारे तमाम देश के करेक्टर को खराब किया है। आज साधारण बात है और हम सबको तजुर्बा है कि ईमानदार से ईमानदार आदमी भी जो कभी झूठ नहीं बोलता है अगर उसके पीछे छोटा सा ही मुकदमा लग जाय तो वह झूठ बोलने के लिये मजबूर हो जाता है। इसी के लिये हमने न्याय पंचायत बनाई थी। मैं उस समय कहा करता था कि ३, ४ चुनावों के बाद न्याय पंचायतें उस जगह पहुंच जायंगी कि जब वहां पर लोगों को न्याय मिलने लगेगा और लोगों का करेक्टर अच्छा होगा लेकिन आज हालत वहां पर खराब है। आज उनकी हालत और भी खराब होती दिखाई देती है। वे लोग इस बात को नहीं देखते कि वहां पर इंसाफ हो। मेरा ऐसा ख्याल था कि जब वहां पर लोगों को मालूम होगा कि किसी आदमी ने कोई रिश्वत ली है तो उसको वहां पर कोई राय मिलना कठिन हो जायगा। परन्तु आज मैं देखता हूं कि उनकी हालत खराब होती जा रही है। श्रीमन् इन सिस्टमों में हम नहीं देखते कि न्यायपालिका में इंसाफ हो। वह यह नहीं देखते कि किसने चोरी की है, या किसने डकैती की है या किसने

कत्ल किया है। वह यह देखते हैं कि फाइल पूरी है या नहीं। जो उस फाइल को पूरी नहींकर पाता है उसको वह सजा दे देते हैं। अगर किसी ने फाइल को पूरा कर लिया है तो वह छूट जाता है। मुझे बताया गया कि अगर जज के सामने भी कत्ल हो गया हो तो वह उस मुकदमें को नहीं कर सकता है। उसको गवाही के लिये जाना पड़ेगा और गवाही की शक्ल में जाकर जब वह गवाही देगा तो वहां पर जो जज है उसको यह अधिकार है कि वह उसको सच माने या न माने।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

इस समय बजट सेशन चल रहा है। एक भी कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर यहां पर नहीं है। कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होना चाहिये। यहां पर इस समय डिप्टी मिनिस्टर बैठे हुये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि किसी कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर को यहां पर रहना चाहिये।

श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद)—

हमारे देश में यह था कि विक्रमादित्य के सिंहासन पर गड़रिया बैठ गया तो उसने इंसाफ किया। जहांगीर का शासन इंसाफ के लिये मशहूर रहा। इसके सबूत सामने हैं लेकिन आज हमारी अदालतों में अगर कोई चला जाय तो उसको झूठ जरूर बोलना पड़ता है नहीं तो मुकदमा नहीं हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें तब्दीली जरूर करें। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस बात पर विचार करे और यह कह देना कि यह केन्द्र का विषय है, काफी नहीं है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो पता नहीं हम कहां पहुंचेंगे। मैं अपने विचारों की पुष्टि में, श्रीमन्, यूगान्डा के मिनिस्टर फार जस्टिस, जो अभी यहां आये थे उनका एक वाक्य रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था "एफीशियेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस इज दि क्रेडिल आफ गुड गवर्नमेंट"। यानी अगर अच्छी तरह से न्याय दिया जाता है तो उसी में अच्छी सरकार पलती है। अगर न्याय ठीक नहीं हैं तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक नहीं होगा।

इस सिस्टम के सिलसिले में शिक्षा के विषय में एक मौलिक बात कहना चाहता था, किन्तु उसमें ही सारा समय लग जायगा। उद्योग की ओर इसमें एक इशारा है औद्योगिक आस्थानों के लिये कि ६१ तृतीय योजना में बनने वाले थे जिनमें से ३४ बन चुके हैं और २२ और खुलेंगे। मुझे पता नहीं इस संबंध में प्राक्कलन समिति ने जो अपना प्रतिवेदन दिया है उसे सरकार और संबंधित मंत्रियों ने पढ़ा भी है अथवा नहीं। मैं उसकी उपसमिति का संयोजक था और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इन आस्थानों का वास्तविक उपयोग नहीं हो रहा है। जो वायदे सरकार ने किये थे बिजली, पानी, जमीन आदि के लिये वह पूरे नहीं हुए। जमीन के रेट के लिये तो कहा कुछ था, हो कुछ रहा है। उनमें जो काम हो रहा है ठीक से नहीं हो रहा है बहुत भवन व प्लाट खाली पड़े हैं। पंजाब में अगर ५० यूनिट्स हैं तो सब काम कर रहे हैं। वहां बहुत औद्योगिक आस्थान देखे सब पूरी तरह कार्य कर रहे हैं। सिर्फ चंडीगढ़ में औद्योगिक क्षेत्र में दो, तीन ब्लाक खाली थे, बाकी सब भरे हुए थे यह मैंने दौरा करके देखा। इस संबंध में प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में दिया गया है कि दूसरी तथा तीसरी योजना के लिये औद्योगिक अधिष्ठानों का विस्तार उनकी प्रारम्भिक सुविधाओं का समुचित प्रबंध किये बिना न किया जाय। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान आपके द्वारा इसी ओर दिलाना चाहता हूं।

जेलों के विषय में एक बात सरकार के सामने यह रखना चाहता हूं कि सरकार ने उनमें कैदियों के सुधार का प्रयत्न किया, लेकिन यह देखा जाता है कि कभी-कभी एक व्यक्ति विशेष या किसी और के कारण पूरी योजना बिगड़ जाती है। एक योजना संपूर्णानन्द शिविर नाम की घुरना जेल में थी जिसमें लम्बी सजा वाले कैदी रखे जाते थे और अगर उनका चरित्र साल, दो साल अच्छा रहता था तो वह खुले रखे जाते थे और बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता था। इससे

[श्री जगदीश प्रसाद (मुरादाबाद)]

लोगों को सुधारने में प्रोत्साहन मिला था, परन्तु इधर तीन, चार साल से यह छूट बन्द हो गयी है। वहां कैदी हतोत्साहित हुए हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिये। दूसरी बात मैं यह कहूं कि सरकार ने एक योजना बनाई उसमें २१ साल से कम के आयु के अपराधियों के लिये जुवेनाइल जेल किशोर सदन में परिवर्तित कर दिया और उनमें ऐसे लड़कों को भेजा जिनकी एक साल से ऊपर की सजा है। उनमें ऐसे लड़के भी हैं जो बी० ए० तथा बी० काम० में पढ़ते हैं और बाहर पढ़ने जाते हैं। उनमें जिनका चरित्र अच्छा रहता था रिपोर्ट के बाद वह छोड़ दिये जाते थे। लेकिन दो तीन साल से यह छोड़ना बन्द है और जैसे ही ये बन्द हुआ उसका परिणाम यह हुआ कि वे लड़के हतोत्साहित हो गये हैं कि चरित्र ठीक करने से कोई लाभ नहीं होगा। इसी तरह से घुरमा जेल में यह प्राविजन है कि कैदी जो मजदूरी कमाते हैं वह जमा होती रहती है एक चीज जो हमारे सामने आई वह यह है कि कुछ कैदियों की जमा की हुई रकम को वहां के एक अधिकारी स्वयं ही लेकर चले गये या उनके रिश्तेदारों के गलत दस्तखत करके लेकर चले गये। मैं निवेदन करूंगा कि इसको सख्ती के साथ देखा जाय।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहेंगे कि वे कौन सी जेल के अधिकारी थे?

श्री जगदीशप्रसाद (मुरादाबाद)—

मैं वही बता रहा था। श्रीमन्, वे घुरमा जेल के यानी जिसे सम्पूर्णानन्द शिविर कहते हैं। तो इन शब्दों के साथ श्रीमन्, मैं फिर एक बार माननीय मुख्य मंत्री को बजट के लिये बधाई देता हूं। प्रेस में भी इस बार जो टिप्पणी प्रकाशित हुई है उसमें भी इस बार के बजट की प्रशंसा की गई है बजट की इतनी अच्छी टिप्पणी पहले कभी नहीं आयी। नवजीवन में "राज्य का बजट" शीर्षक से कुछ वाक्य मैं आपके सामने पढ़ देता हूं—

"वह एक संतुलित बजट है और वर्तमान परिस्थितियों में एक बहुत अच्छा बजट माना जायेगा। यह तृतीय पंचवर्षीय योजना काल का अंतिम बजट है। बजट में कोई सनसनी-खेज बात नहीं है। बजट में राज्य की दीर्घकालीन आवश्यकताओं के साथ-साथ तात्कालिक आवश्यकताओं का भी समुचित ध्यान रक्खा गया है और वस्तुस्थिति को बड़ी स्पष्टवादिता के साथ पेश किया गया है।

(श्री झारखण्डे राय का नाम पुकारा गया।)

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी स्पीच नहीं हुई तो कोई व्यवस्था नहीं हो सकती।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, पिछले १२ साल से एक युग हो गया। घाटे का बजट इस सदन में पेश होता चला आ रहा है और उसी परम्परा के साथ घाटे का बजट हमारे सामने इस साल भी पेश हुआ। यह परम्परा गलत है। इसी को कायम रक्खा गया है। गलत परम्परा को छोड़ना चाहिये था। एक अच्छी परम्परा भी थी कि हर साल वित्त मंत्री महोदय, कांग्रेस के समाजवाद के लक्ष्य की घोषणा के बाद बजट भाषण में समाजवाद की घोषणा भी किया करते थे, लेकिन इस बार समाजवाद का कोई नाम नहीं और यही पिछले साल भी हुआ था। कांग्रेस के दुर्गापुर के अधिवेशन के बाद यह बजट हमारे प्रदेश में प्रस्तुत हुआ और यह इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस अपने समाजवादी लक्ष्य से पीछे हटी है इसको मैं खतरनाक समझता हूं। बजट के विषय में ऐक्यूरेट एस्टीमेट एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इसकी कमी हर साल के बजट में

देखने को मिलती है । कई वर्षों से घाटे का बजट पेश होता है लेकिन उसकी प्रतिवर्ष जांच करने के बाद वह घाटा या तो पूरा हो जाता है और लाभ होता है अथवा घाटा करीब-करीब नहीं के बराबर रह जाता है । जिस स्थिति में यह बजट पेश हुआ है वह विस्फोटक है । यह सरकार ज्वालामुखी पर बैठी है और पृथ्वी के अन्दर की गड़गड़ाहट उसे सुनाई नहीं दे रही है । यह खतरनाक स्थिति है । आगे भयंकर खतरा दिखाई पड़ रहा है । सरकार के किये कार्यों के सत्र वर्षों के अनुभव ने सिद्ध कर दिया कि विकास का वर्तमान रास्ता गलत है । नये रास्ते की खोज करनी होगी । यह बात मैं इसलिये कह रहा हूं मान्यवर, कि मानव की सर्वप्रथम और सर्वाधिक आवश्यकता भूख का परिमार्जन, भूख की समस्या का हल इस सरकार के इतने दिनों के राज्य में नहीं हो सका बल्कि स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है । भूख और अभाव की ज्वाला शांत नहीं रहेगी । सरकार की कृषि, खाद्य और मूल्य नीतियां असफल हो गई हैं । खाद्य में आत्मनिर्भरता की बात पिछले पन्द्रह साल से सुनने को मिलती रही है । आदरणीय स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन् ४७ में आजादी के बाद कहा था कि ४९ में हमारा देश खाद्य समस्या में आत्म-निर्भर हो जायगा । इसी सदन में हाफिज मोहम्मद इब्राहीम जी ने सन् ५३ में कहा था वित्त मंत्री की हैसियत से कि हमारा प्रदेश खाद्य समस्या में आत्म-निर्भर हो गया । पंजाब राव देशमुख जब कृषि और खाद्य मंत्री थे तो उन्होंने पटना में सन् ६३ में कहा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के खत्म होने पर हमारा देश अपने पैर पर खड़ा हो जायगा । मौजूदा खाद्य और कृषि मंत्री सुब्रह्मण्यम साहब और आगे बढ़े । उन्होंने कहा कि ७२ के पहले हम अपने पैर पर खड़े नहीं हो सकते और उस समय तक हमें बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से अन्न मंगाना पड़ेगा । अब हमारे प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा है कि सन् ७४ तक हमें अपने पैर पर खड़े होने की बात नहीं सोचनी चाहिये ।यह स्थिति है । कहां ४९ और कहां ७४ । अब ७४ में क्या कहेंगे खुदा जाने ।

मान्यवर, २४ सौ करोड़ का गल्ला हमारा देश अब तक बाहर से मंगा चुका है । यह एक राष्ट्रीय कलंक है जो राजनीति से ऊपर, दलबन्दी से ऊपर है । इस कलंक का दूर होना जरूरी है । आज स्थिति क्या है ? हमारे खाद्य मंत्री और देश के खाद्य मंत्री (भी) लगता है सारी जनता को हाथ पैर बांधकर आदमखोर वल्चर की मनोवृत्ति वाले परिन्दों के सामने खाद्य के बड़े-बड़े-थोक व्यापारी हैं उन भेड़ियों के सामने डाल चुके हैं कि लो खाओ, खूब मुनाफा कमाओ, अपनी तिजोरियां भरो और अपनी पूंजी बढ़ाकर नये-नये कारखाने खोलो । यह शार्टेज प्लेन्टी में है, अभाव मनुष्य का बनाया हुआ है और मनुष्य ही इसे दूर कर सकते हैं । १७ वर्ष की स्वतंत्रता के बाद भी हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके हैं इसकी ओर मैं बार-बार ध्यान दिलाऊंगा । हमारी मुख्य मंत्री सुचेता जी ने अभी इटावा के अपने भाषण में कहा मान्यवर, वह समाजवादी भी रह चुकी हैं और पी० एस० पी० की कार्यवाहक अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापारियों को बहुत मौका दिया, लेकिन अब वह इसी नतीजे पर पहुंची हैं कि मुनाफाखोरी का व्यापारियों का स्वभाव बदला नहीं जा सकता । यानी उनको विश्वास था कि उपदेश से बदल जायगा । यह खून के व्यापारी हैं । उन्होंने कहा कि अब यही रास्ता है कि गल्ला व्यापार सरकार अपने हाथ में ले या उपभोक्ता सहकारी समितियां इस काम को करें । मैं मान्यवर, कहूंगा कि "या" नहीं गल्ले का थोक व्यापार सरकार अपने हाथ में ले । इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है । बफर स्टाक का नारा श्री जगमोहन सिंह नेगी का पांच छः वर्षों से मैं सुन रहा हूं । उससे न कुछ हुआ है न होगा ।

पैदावार का जरा आप मुलाहिजा फरमायें—६०–६१ में ८.८ लाख टन पैदा हुआ जब कि १० लाख का लक्ष्य रखा गया था योजना में ६१–६२ में ७.९८ लाख टन हुआ, उससे भी कम हो गया, ६२–६३ में ८ लाख टन हुआ, थोड़ा सा ज्यादा करीब-करीब नहीं के बराबर बढ़ा । हमारे सूबे की पैदावार आधी हो गई । १९६०–६१ में ९९.९० लाख टन, १९६१–६२ में ८६.७९, १९६२–६३ में ७५.४३ और ६३–६४ में श्रीमन् ६०.७५ लाख टन है । लगातार घटती हुई है । अब गेहूं को ले लीजिये । ६०–६१ में ४८.४२ लाख टन,

[श्री झारखण्डेराय]

१९६१–६२ में ४०.७९, ६२–६३ में ३१.६० और ६३–६४ में २६.७२ लाख टन रह गई है। लगभग आधा हो गया। हम जो अन्न बाहर से मंगा रहे हैं और जो यहां पैदा हो रहा है, सबको मिला कर प्रति व्यक्ति भरपेट पूरा नहीं दे पा रहे हैं। बल्कि केवल ७ छटांक देते हैं। पाटिल साहब का दावा है कि हम अपने देश में ९० प्रतिशत पैदा करते हैं और बाहर से खाद्यान्न केवल ५ परसेंट मंगाते हैं। मैं कहता हूं कि जब तक ९५ परसेंट पर सरकार का कंट्रोल नहीं होगा और वह थोक व्यापारियों के हाथ में रहेगा, तब तक सरकार की नीति सफल नहीं हो सकती है। इस नीति को मूलतः बदलने की जरूरत है। खरीफ की फसल के लिये बजट भाषण में जिक्र है कि वह बम्पर क्राप है। हमने भी देखा और सुना है कि अच्छी फसल है। रबी की फसल भी अच्छी दिखाई पड़ती है अगर कोई दैवी प्रकोप नहीं हुआ तो। लेकिन इस सबके बावजूद भाव नीचे नहीं आ रहे हैं। इसका कारण एक मात्र यही है कि बड़े बड़े थोक जखीरेबाजों ने गल्ला अपने गोदामों में और अपने दोस्तों के यहां जमा कर रखा है।

इस बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने कहा कि खाद्यान्न की पैदावार पिछले साल कम हुई। मैं समझता हूं कि यह गलत बयानी है। माननीय चरण सिंह जी इत्तिफाक से चले गये, जो इस सरकार के बड़े आंकड़ेबाज और एक्सपर्ट हैं। उन्होंने स्वयं कहा था, विरोधी पक्ष के नेताओं को सरकार के साथ एक मीटिंग में कि हमारी जरूरत ९६ लाख टन की है और ११६ लाख टन हमारे सूबे में पैदा हुआ है, अर्थात् हमारी आवश्यकता से २० लाख टन अधिक पैदा हुआ है और वित्त मंत्री जी कहते हैं कि आवश्यकता से कम पैदा हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि दोनों में कौन सही है। यह सारी स्थिति केवल इसलिये है कि कांग्रेस सरकारों ने स्वयं राष्ट्रीय आन्दोलन के अपने नारे को तोड़ दिया कि "लैंड टु दी टिलर"। जमीन जोतने वाले के मजबूत हाथों में होनी चाहिये। यह नारा आज तक कार्यान्वित नहीं हो सका है। अभी-अभी हमारे देश के राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी ने नागपुर में अपने भाषण में कहा है कि इसका मूल कारण यह है कि देश में क्रान्तिकारी भूमिसुधार नहीं किये गये हैं। कानून से जमींदारी तो तोड़ दी गई लेकिन गांवों में जमींदारी जुल्म अभी कायम है। गांवों में सामाजिक परिवर्तनों की धीमी गति से किसानों में भयंकर असन्तोष है। और यही असन्तोष उथल-पुथल का कारण हो सकता है। इसलिये जमीन का फिर से बन्दोबस्त करना होगा और उसे फिर से बांटना होगा। जमीनों के जो हस्तांतरण हुए हैं उन्हें रद्द करना होगा। जेनरल कैरियप्पा और थिमैय्या को १०–१० हजार एकड़ के फार्म मैसूर में दिये गये हैं। कांग्रेस सरकार ने ५०,००० एकड़ का फार्म कानपुर के एक बड़े पूंजीपति को जोधपुर-बीकानेर में देने का तय कर लिया है। लखीमपुर, पीलीभीत, नैनीताल की तराई झांसी, मिर्जापुर में नौतोड़ जमीनों पर बड़े-बड़े फार्म्स का और सरकारी अफसरों का कब्जा है। उनके अन्य पूंजी के साधन भी बहुत हैं। इस प्रकार बड़े बड़े होते जा रहे हैं और छोटे-छोटे होते जा रहे हैं या वहीं पड़े हैं। चरण सिंह जी चले गये। पैकेज प्रोग्राम बिलकुल बोगस है। मैंने अलीगढ़ में देखा। यह काम ब्लाकों के जरिये किया जा सकता है। उसके लिये अलग से स्टाफ पर खर्च नहीं होना चाहिये।

मैं सरकार से पूछता हूं कि ७३ लाख एकड़ जमीन—यह प्लानिंग कमीशन का आंकड़ा है—हमारे देश में भूमिहीनों को बांटी गई है। इसमें से हमारे सूबे में कितनी है ?

जनता की स्थिति जरा देखिये। हमारे देश में ४ करोड़ ३० लाख ऐसे आदमी हैं जो ३५ पैसे रोज पर गुजर करता है। ४ करोड़ ३० लाख ऐसे हैं जो ४२ पैसे वाले हैं और ८ करोड़ ३० लाख में से हरेक ५१ पैसे पर और ४ करोड़ ३० लाख ५९ पैसे पर, ७० फीसदी जनता ऐसी है जो १ रुपया फी दिन पर गुजर करने वाली है। हायर इनकम ग्रुप में १० फीसदी ऐसे हैं जो पूरे राष्ट्र की चौथाई आमदनी पर कब्जा किये बैठे हैं। हमारे देश में २० पूंजीपति ऐसे हैं जिनके हाथ में आज हिन्दुस्तान की १/३ पूंजी है। इस मानोपली को बगैर स्मैश किये हुए हिन्दुस्तान की तरक्की नहीं हो सकती है। देश चौराहे पर खड़ा है। उसे रास्ता बदलना

होगा और गैर पूंजीवादी रास्ता पकड़ना होगा अन्यथा देश डूब जायगा। वरना कांग्रेस सरकार को डुबाना होगा।

जरा मंहगाई की स्थिति देखिये। उसे सब भोगते हैं। हमारे दीप नारायण जी तो खेतिहर आदमी हैं लेकिन यहां लखनऊ में वह भी भागते हैं और मैं भी भागता हूं भले ही घर पर थोड़ी सी खेती होती है। आज ४२ से ५० रुपये मन गेहूं, ३५ से ४० रुपये मन मक्का, ५, ६ रुपये सेर कड़ुवा तेल, ८ से १० छटाक की अरहर की दाल, सवा सेर या डेढ़ सेर का गुड़ १ रुपये किलो चना और ५ पाव की जुआर है। सरकार को कानून बदलना होगा। गल्ला चोरों के साथ वह नियम लागू करना होगा जिसे पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि ये जनता के शत्रु हैं और इनको फांसी लगा देनी चाहिये। इनको एक, एक करके कैसरबाग के चौराहे पर गोली मारी जाय, उसके बाद देखिये कि मामला कितनी जल्दी ठीक होता है।

विस्तार में न जाकर इतना ही देखा जाय कि सन् १९५६ में ९८.८ से बढ़कर आज १९६४ में १४१.६ जनरल मंहगाई हो गई है। यह मंहगाई तो अमरीका और सोवियत यूनियन के राकेट से भी ज्यादा तेज चलने वाली है। खाद्यान्न की मंहगाई की क्या हालत है। सन् ५६ में ८०.६ था जो अब बढ़ कर १७७.९ हो गया है। यह है सरकार की कृषि और खाद्य संबंधी नीतियों का टोटल परिणाम। इस पर भी सरकार को न शर्म है, न लिहाज है। उसके ऊपर भी उनके पास एक अमृतधारा की दवा है जो सब बीमारियों में दी जा सकती है—वह दवा सरकार के पास है—टैक्स लगाना। और हर वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में उस बात को कहता है। या तो हम टैक्स लगायें, या सेंटर गवर्नमेंट के पास भिक्षा मांगने जायं। लेकिन इन दोनों तरीकों के अतिरिक्त एक तरीका और है राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण किस का? चीनी मिलों का, बैंकों, तेल, विदेशी व्यापार का। सरकार उसके लिये आगे बढ़े हम उसमें साथ देंगे। जूट मिलों का कीजिये, टैक्सटाइल, सीमेंट मिलों का कीजिये। इससे सरकार को जो रुपया मिलेगा उससे चौथी योजना पूरी हो सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष कामराज जी ने दुर्गापुर के अध्यक्षीय भाषण में स्वयं कहा था कि अब जनता पर और टैक्स लगाने की गुंजाइश नहीं है। गाडगिल साहब ने भी दक्षिण में कहा था कि टैक्स कहां तक लगाये जायेंगे। कमलापति त्रिपाठी, यहां इस समय नहीं हैं, वे जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि राज्य के वित्त विभाग जब तक मेरे अधीन है प्रदेश के किसानों पर कोई नया कर नहीं लगाया जायगा। राज्य के किसान जो कुछ दे रहे हैं, उससे अधिक देने की सामर्थ्य उनमें नहीं है।

यही हाल शहरों के अल्प आयवर्ग तथा मध्यमवर्ग का है अतः मैं ऐसे किसी कर का आरोपण नहीं कर सकता, जो इन वर्गों के हितों पर अवघात करे। किन्तु यदि किसी ऐसे कर का प्रस्ताव किया जाता है, जिसका भार उच्च आय वर्ग पर पड़े, तो मैं उसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि यह वर्ग समर्थ है और अतिरिक्त करभार वहन कर सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें संदेह नहीं कि विकास योजनाओं के लिये हमें धन की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन उस जरूरत को उनका पेट काट कर पूरा नहीं किया जा सकता। उनके पेट और पीठ एक हो रहे हैं।

क्या वित्त मंत्री जी के इन शब्दों को आनर नहीं किया जायगा। अगर नहीं किया जायगा तो टक्कर होगी, संघर्ष होगा, यह सरकार न रहेगी या इसकी ये नीतियां न रहेंगी। चीनी मिलों का ही नेशनेलाइजेशन कर दिया जाय तो २० करोड़ की सरकार को प्राप्ति होगी। देखा जाय तो चीनी मिलों का कैपीटल कितना है। १० करोड़ का होगा। आज के दामों में १ अरब से अधिक नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से जमींदारों को बान्ड्स दिये थे उसी प्रकार से इनको भी आप बांड दे सकते हैं और आसानी से हर साल ५ करोड़ रुपया दे सकते हैं। २० साल में वह पूरा हो जायगा और श्रीमती सुचेता कृपलानी के खजाने में १५ करोड़ रुपया आ जायगा। इसमें कौन सी बाधा है? आप आगे बढ़िये, इधर की सारी जनवादी पार्टीज आपका सहयोग देने के लिये तैयार हैं।

[श्री झारखण्डेराय]

मान्यवर, कम्युनिस्ट मुल्कों की बात मैं नहीं कहता । मैं मिश्र, सीरिया, अल्जीरिया घाना, गिनी, ब्रह्मा और लंका की बात कहता हूं और लंका की प्रधान मंत्री तो औरत ही हैं । उन्होंने समाजवादी न होते हुए भी समाजवाद के कदम उठाये हैं । बैंक, तेल, विदेशी व्यापार और करीब सभी बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया । स्वेज नहर पर कब्जा कर लिया । उसी की आमदनी से ७८ करोड़ रुपये की वार्षिक आय से नील नदी पर आसवान बांध बनाया जा रहा है । ये कम्युनिस्ट मुल्क नहीं हैं । सीरिया ने अभी अभी ७०० कारबार राष्ट्रीयकरण किये । सबसे बड़े २६ कारबारों का टोटल राष्ट्रीयकरण किया गया है, और शेष का ८० से ९० प्रतिशत ले लिया गया है । ये समाजवादी देश नहीं हैं । ये पंडित जवाहर लाल जी के पुराने साथी और उनकी नीति पर चलनेवाले देश अगर कदम आगे बढ़ा सकते हैं तो यह सरकार क्यों नहीं बढ़ा सकती ? मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी या मुख्य मंत्री जी अपने भाषण में इसका जवाब देंगे ।

जहां तक बकाया वसूली की बात की जाती है, उसके लिये सख्ती की जाय । आज २२ करोड़ रु० बकाया है । किस हैसियत पर, किस आमदनी पर टाउन एरियाज, म्युनिसिपल-बोर्ड्स एरियाज के अन्तर्गत भूमि-भवन कर लाद दिया है । भूमि-भवन कर के रूप में जो उन पर डबल कर लगाया गया है, इतनी निर्दयता को नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है । इसे वापस लेना होगा । मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी व माननीया मुख्य मंत्री जी इस बात की यहां घोषणा करें क्योंकि इस मामले में सिर्फ विरोधी पक्ष ही नहीं बल्कि कांग्रेस पक्ष के भी ९० प्रतिशत सदस्य इस राय के हैं कि इसे वापस ले लिया जाय । आज टैक्स चौगुना बढ़ चुका है, अब देश की जनता के ऊपर टैक्स बढ़ाने की बात मत कीजिये, वरना ज्वालामुखी फट जायेगा और बहुत बुरी हालत हो जायगी ।

सरकार ने आज सरकारी कर्मचारियों का अन्तरिम मंहगाई भत्ता ५ रु०, १० रु० और साढ़े १२ रुपये के हिसाब से बढ़ाया है, उसमें भी सरकार का कैपिटलिस्ट एप्रोच है । यदि आप अपने यहां के चपरासी से चुपचाप बात करें या घर की माता जी ही उससे बातचीत करें तो वह यही कहेगा कि अगर इसके उल्टा हो जाता कि ५० रु० पाने वाले को साढ़े १२ रु०, १५० रु० तक पाने वाले को १० , और उससे ऊपर ४५० तक पाने वाले को ५ रु० दिये जायेंगे, तब भी हमें कुछ राहत मिलती और हम सोचते कि इस मंहगाई में इससे कुछ सहारा मिला । लेकिन सरकार का पीपुल्स ऐप्रोच न होकर के कैपिटलिस्ट ऐप्रोच है । साथ ही अगर वह भत्ता दुगुना हो जाता तो गरीब चपरासियों व अन्य कर्मचारियों को और राहत मिलती क्योंकि इस तरह से उनको क्रमशः २५ रु०, २० रु० और १० रु० के हिसाब से मिल जाता । साथ ही इसको सारे अध्यापकों तथा लोकल बाडीज के कर्मचारियों पर भी लागू होना चाहिये था, तब वे सचमुच इस बात को महसूस करते कि इस महंगाई में उनको कुछ ठोस राहत मिली है । मगर ऐसा नहीं किया गया ।

तनख्वाहों के फर्क का भी एक अजीब मामला है । नेशनल झंडा एक, सारे देश में एक पार्टी की सरकार, कहीं अपवाद नहीं, लेकिन यू० पी० सरकार के लिपिक पावें १०५ रु०, तथा चपरासी पावें ६६ रु०, जब कि केन्द्रीय सरकार के लिपिक पावें १७२ रु०, चपरासी पावें ११७ रु०, बैंक के लिपिक पावें, २०७ रु०, चपरासी पावें १२५ रु० और लाइफ इनश्योरेंस कारपोरेशन के लिपिक पावें २०५ रु० और चपरासी पावें १३५ रु०, मैं नहीं समझ पाता कि तनख्वाहों मे इतने भेदभाव का जस्टिफिकेशन क्या है । किसी तरह से भी ये इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं । इसीलिये मैं आपसे कहता हूं कि सारे देश व पूरे प्रदेश में एक विद्वेष, रोष व क्रोध की भयंकर हवा फैली हुई है । केरल के ४० हजार राज्य कर्मचारियों ने हड़ताल की नोटिस दी है, बिहार के १ लाख ५० हजार राज्य कर्मचारियों ने २० अप्रैल से हड़ताल करने की नोटिस दी है, और यहां के २५ हजार राज्य कर्मचारियों ने यहां जो प्रदर्शन किया है उसको आपने भी अपनी आंखों से देखा होगा । आपसे मैं कहता हूं कि आज सरकारी कर्मचारी संघर्ष के पथ पर हैं । समाजवादी लक्ष्य से ये पीछे हट गये; जो कांग्रेस नीति है, उससे इस साल

दुर्गापुर में जो रिट्रीट किया गया है उसकी एक झलक बजट भाषण में भी मिलती है, मैं समझता हूं कि यह एक चिन्तनीय विषय है ।

भ्रष्टाचार का जहां तक संबंध है, एक नयी प्रक्रिया हमारे देश में हुई । सर्वोच्च स्थानों पर भी भ्रष्टाचार घर कर गया तो इस देश का क्या होगा । मान्यवर, मध्य प्रदेश के एक चीफ मिनिस्टर के बारे में मेरे द्वारा पहले कहा जा चुका है कि उनके परिवार की कुल प्रापर्टी उनके पदासीन समय में डेढ़ करोड़ की बन चुकी थी । स्वर्गीय कैरों के बारे में तो मैं इस वक्त नहीं कहूंगा और उनके बारे में देश के सामने दास कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है । इसी तरह से बख्सी साहब की सन् ४७ में जो १,५०० रुपये की हैसियत थी वह २७ लाख की पहुंच गई और पूरे परिवार की १ करोड़ की हो गई है । सादिक साहब और वोरेन मित्रा पर भी खतरा आ गया है । यह आप ही की पार्टी के लोग हैं और जब उच्च स्तर पर यह घुन लग रहा है तो फिर देश किधर जायगा । इस ओर आपको सोचना चाहिये हमारी ही कोई ठेकेदारी नहीं है । हमारे यहां शिक्षक वर्ग भी अब संघर्ष की ओर बढ़ रहा है ।

एक बात मैं और कहूंगा जो बहुत चर्चा में आती है वह यह है कि जब एक व्यक्ति मिनिस्टर होता है तो वह एक वाणी बोलता है और जब वह उस पद से हट जाता है तो दूसरी वाणी बोलने लगता है, लेकिन जनता के सामने सवाल यह आता है कि उसकी कौन सी वाणी सही है । लेकिन असलियत यह है कि काजल की कोठरी में कैसा ही सयानो जाय, काजल लग जाता है । यह तो व्यवस्था का दोष है, उसका पुर्जा बनने के बाद वह दूसरी वाणी बोलते हैं लेकिन वही मुक्त वातावरण में वास्तविक जन वाणी बोलने लगते हैं । इसलिये मैं चाहूंगा कि कांग्रेस दल के लोग इन गंभीर विषयों पर सोचें समझें और सही रास्ता निकालें । आखिर में मैं आपके द्वारा सरकार को चेतावनी देते हुए कहूंगा कि जब तक उसकी बुनियादी नीतियां नहीं बदलेंगी कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जब सरकार पूंजीवादी रास्ते को छोड़कर नये और पूंजीवादी रास्ते पर अग्रसर होंगी तभी देश बचेगा वर्ना किसी का कल्याण नहीं है, भविष्य अन्धेरा है । प्रश्नवाचक चिह्न सामने लगा है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्रीमन्, एक जानकारी मैं करना चाहता हूं कि अभी माननीय झारखण्डेराय जी ने आपसे यह कहा कि माता जी से पूछ कर बता दीजिये तो उनका क्या मतलब था मैं कुछ समझ नहीं पाया ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक वर्ष जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तभी हम जन प्रतिनिधियों को एक अवसर मिलता है कि हमने पिछले वर्ष जो बजट में प्राविधान किया था उसका इस्तेमाल किस प्रकार हुआ और आगे आने वाले वर्ष में क्या नई-नई बातें हम करने जा रहे हैं । जब बजट का समय आता है तो प्रदेश की जनता भी बड़ी बेचैनी से इस बात की प्रतीक्षा करती है कि वित्त मंत्री महोदय क्या-क्या नये कर लगाने जा रहे हैं या क्या नई सहूलियतें देने जा रहे हैं । इस प्रकार बजट हर साल हमारी उन नीतियों को प्रतिबिम्बित करता है जिनके ऊपर आगे के वर्ष में सरकार कार्य करती है । हमारे इस बजट को प्रस्तुत करते समय माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण के पृष्ठ ३ पर ६३–६४ और ६४–६५ का जो इस सरकार का अनुमानित बजट है वह तीनों वर्ष का बहुत संक्षेप में दिया है । पिछले ६३-६४ के जो मल अनुमान थे और बाद में जो पुनरीक्षित आंकड़े आये वह बहुत बदल गये हैं । उससे ऐसा लगता है कि १ करोड़ २२ लाख के घाटे के बजाय ११ करोड़ ३४ लाख की बचत हुई, लेकिन ६४–६५ के जो पुनरीक्षित अनुमान हैं उनमें यह कहा जा रहा है कि ६ करोड़ ५९ लाख का घाटा रह जायगा और उसे राजस्व सुरक्षित निधि से पूरा करने का प्रस्ताव है यह बजट की बहुत अच्छी स्थिति नहीं है । इस सरकार की हमेशा इस बात में दूसरे प्रदेशों में प्रशंसा होती रही है कि यहां रिजर्व फंड को नहीं छुआ जाता है, लेकिन आज यह परिस्थिति है ऐसा हम क्यों करने जा रहे हैं इसके लिये यह कहा गया है कि कर राजस्व में कमी हुई है और मालगुजारी भी जितनी वसूल होनी चाहिये

[डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी]

थी उतनी नहीं हो पायी है तथा फसल भी खराब है। अनुमानित बजट में करीब १५ करोड़ ५७ लाख की धनराशि का डेफीसिट दिखाया गया है। समझ में नहीं आता कि इस प्रकार का अनुमानित बजट बनाते समय कुछ आधार भी माना जाता है कि नहीं। मैं जानती हूं जहां पर योजनायें चलती हैं, उनके लिये धन की जरूरत होती है और अनुमानित बजट हमेशा डेफिसिट ही होता है। लेकिन उस कमी को पूरा करने का क्या तरीका हो इस पर भी हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

हमारे उधर के बैठने वाले साथियों ने कहा कि यह समाजवादी बजट नहीं है। मैं मानती हूं। लेकिन यह सही है कि यह एक वेलफेयर स्टेट का बजट है और जिन आवश्यक बातों की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये उस ओर ध्यान गया है। माननीय वित्त मंत्री ने उन सब बातों का जिक्र किया है जो एक वेलफेयर स्टेट में सरकार को करनी चाहिये, जैसे सिंचाई की योजना में काफी वृद्धि के लिये रकम रखी गयी है, कुल बजट का करीब १० प्रतिशत इस पर खर्च होगा। इसी तरह से बिजली पर भी काफ़ी रकम रखी गयी है जिस से प्रदेश की उन्नति होगी। इसके अलावा शिक्षा पर भी व्यय का प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखाया गया है। ऐसे कामों पर जिनके द्वारा नये समाज की रचना कर सकते हैं हमने अपने बजट में रकम बढ़ा कर रखी है जो इस बात का प्रतीक है कि हमारे सामने एक लक्ष्य है और उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह कहना कि १९३७ से बजट का एक ही ढांचा है, यह सही है। हमने जब योजना बनाई है तो हमने उन मदों को निश्चित किया है ५, ५ साल के लिये कि इन-इन मदों पर प्रतिवर्ष बढ़ाते जायेंगे और खर्च करते रहेंगे। इसलिये शायद कुछ लोगों को यह बजट निर्जीव दिखाई पड़ता है। लेकिन मैं कहती हूं इसमें उन सब चीजों का समावेश है जो सरकार आज की स्थिति में कर सकती है।

अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जब प्लानिंग होती है और उसके लिये कैपिटल इनवेस्टमेंट होता है और वह रुपया जब बाजार में पहुंचता है तो कभी-कभी जब कनज्यूमर गुड्स उसी के अनुसार नहीं बढ़ पाती है और जितना हमने पैसा लगाया उसी अनुपात में प्रोडक्शन नहीं होता है तो इनफ्लेशन की स्थिति पैदा होती है। ऐसी स्थिति आज हमारे यहां है जिसके लिये राज्य सरकार ही दोषी नहीं बल्कि पूरे देश की यही हालत है। अतः हमें देखना है कि जब समाजवाद की ओर बढ़ने का लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं तो उस लक्ष्य तक हम क्रमशः धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर बढ़ रहे हैं तो हमारे लिये संतोष का विषय है यह बात हो सकती है कि कहीं पर कोई कमी हो, लेकिन यह कहना कि पिछले २० सालों में जो कुछ हुआ है वह बेकार है, इसको मैं नहीं मानती।

बार-बार कहा जाता है कि इस प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी आज हावी हो गयी है और जन प्रतिनिधियों की आवाज को वे दबाते जा रहे हैं। मैं उन माननीय सदस्यों से, जो ऐसा कहते हैं, नम्र निवेदन करना चाहती हूं कि ऐसी बातें कह कर वे सचमुच में उन शक्तियों को बढ़ावा देते हैं जो इन बातों को खत्म नहीं कर पा रही हैं। अगर आप में सद्बुद्धि हो, अगर आपमें लीडरशिप हो और अगर आपके पीछे जनता हो तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिये। आपके कर्मचारी और जो आपके अफसर हैं उनके कार्यों की तो आपको प्रशंसा भी करनी चाहिये, क्योंकि जो आपकी नीतियां हैं उनको वे व्यवहार में लाते हैं। जिन देशों में समाजवाद है उनको देखें। वहां राज्य का शासन कैसे चलाया जाता है। राष्ट्र के कर्मचारी ही उस राज्य की नीतियों के आधार पर शासन चलाते हैं। तो अगर हम यह कहें कि जो सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी अफसर हैं वे ऐसे हैं जो हावी हैं तो उस से समाजवाद नहीं चलाया जा सकता है, यह भी गलत है जो सिस्टम रहा है उसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है। वह धीरे-धीरे सुधर भी रहे हैं। अगर हमारे अफसर समाजवाद की भावनाओं पर विश्वास नहीं करते हैं तो इसका कारण हमारे संसधनों और उद्देश्य में कमी हो सकती है। लेकिन हम यह कहें कि ब्यूरोक्रेसी हमारे ऊपर हावी हो रही है, मुनासिब नहीं है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हमको विश्वास के साथ

शासन व्यवस्था को चलाना है। जो हमारे अधिकारी हैं वे तो हमारी नीतियों का पालन करने के लिये हैं। १९६३–६४ में घाटे का बजट था जिसको उन्होंने सरप्लस में बदल दिया। यह उनकी कुशाग्र बुद्धि का परिचायक है और हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिये कि उन्होंने घाटे के बजट को भी पूरा कर दिया है। हमारे सामने रुपया बचा कर ले आये हैं। विरोधी दल के माननीय सदस्यों से मैं यह पूछना चाहती हूं कि जब कभी एक छोटा-सा भी ट्रांसफर होता है उस समय क्या आप माननीय मंत्री जी के पास सिफारिश लेकर नहीं पहुंचते हैं? आपकी इन बातों में विरोधाभास है।

मैं माननीय वित्त मंत्री और राज्य सरकार से विशेष रूप से कहना चाहती हूं कि इस समय इस प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें कर लगाने की बात अगर सोची जाय तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि टैक्स केवल उन लोगों पर लगे जिनकी पेइंग कैपेसिटी है। मैं इस से सहमत नहीं हूं कि किसानों पर टैक्स बिलकुल न लगाना चाहिये। किसानों में भी बड़े-बड़े किसान हैं जो एग्रीकल्चर टैक्स देते हैं और जिनकी आमदनी हजारों रुपये की है। अगर उनकी आमदनी बढ़ी है तो टैक्स अवश्य लगना चाहिये। क्योंकि हमारे नियोजन का बहुत बड़ा फायदा गांवों में जाता है जिस से ७५ प्रतिशत जनता लाभ उठाती है। यदि हम शहरों में बड़े लोगों पर टैक्स लगाते हैं तो गांवों में भी बड़े किसानों के ऊपर लगाना चाहिये, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये। क्योंकि छोटे किसान तो बेचारे माल-गुजारी देने के बाद, अपनी जरूरत तथा खर्चे को पूरा करने के बाद ६ महीने भूखे रहते हैं, इसलिये छोटे किसानों पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। बड़े किसान शहरों के मालदारों की तरह ही मालदार हैं, उन्हीं पर टैक्स लगना चाहिये।

शिक्षा के क्षेत्र में १०वीं क्लास तक लड़कियों की निःशुल्क शिक्षा सरकार ने कर दी है इस से समाज को बल मिलेगा और प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा जो अभी तक ३८ प्रतिशत तक हो पाई है उसमें वृद्धि होगी और प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था वह अग्रसर हो सकेगा।

पिछले ३ वर्षों से अगर आप बजट के आंकड़ों को उठा कर देखें तो इलाहाबाद के ऊपर बहुत कम रुपया खर्च किया गया, कदाचित् १ परसेन्ट भी नहीं आता होगा। लेकिन यह खुशी की बात है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में जो इलाहाबाद में ६ करोड़ रुपये की फैक्टरी खोलने की बात कही गयी है वह वहां अवश्य खोली जाय, मुझे भय है कि कहीं ऐसा न हो कि आप उसे किसी अन्य स्थान पर ले जायं।

*श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ३ रोज से बजट पर होने वाली चर्चा को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मैंने देखा कि सरकार ने अपनी असमर्थता को दूसरे लोगों पर दोषारोपण करके छिपाने का प्रयास किया है। मेरा तो अपना निजी मत है कि आज के युग में जितने कष्ट के कारण हैं वह हम ही हैं। आज समाजवाद तथा अन्य वादों का चक्कर देश को संकटवाद की स्थिति की ओर ले जा रहा है। सारे देश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इसके पश्चात् भी आज देश में भिन्न-भिन्न प्रकार के समाजवाद प्रदेशों में तथा सेंटर में दिखाई देते हैं जैसे प्रदेश के लोगों की तनख्वाहें कुछ और सेन्टर के लोगों की तनख्वाहें कुछ, यानी समानता नहीं है। तो यह किस प्रकार का समाज-वाद है? अगर यह मान लिया जाय कि सेन्टर का समाजवाद कुछ और है और प्रान्तों का समाजवाद कुछ और तो बात समझ में आ सकती है, लेकिन जब सारे प्रदेश में कांग्रेस का ही शासन है तो इस प्रकार की भिन्नता क्यों दिखाई देती है? आज जो यह देश वादों के चक्कर में फंसता जा रहा है अच्छा होता कि मानवतावाद पर देश का निर्माण होता तभी देश का तथा प्रदेश का निर्माण होने वाला है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुकुटबिहारी लाल]

यहां बैठकर एक दूसरे पर दोषारोपण किया जाता है। व्यापारी हैं, उच्चाधिकारी हैं उनको चोर कहा जाता है। हमारे जो अधिकारी हैं उन्हीं के द्वारा विधि बनायी जाती है और अगर उसका पालन नहीं होता है तो क्या वे उसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं? जिस प्रकार के नियम सरकार द्वारा बनाये जाते हैं उनका पालन क्यों नहीं होता है? उसकी जिम्मेदारी किस पर है? जो यहां के विधायक हैं चाहे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों उनकी उदासीनता का यह प्रमाण है कि ४३१ के हाउस में बार-बार कोरम के लिये घंटी बजायी जाती है और यहां पर मुख्य मंत्री उपस्थित नहीं हैं, बड़े मंत्री उपस्थित नहीं हैं। कैलाश प्रकाश जी थोड़ी देर हुई आ गये हैं। यह सिवाय उदासीनता के क्या है, जब कि आज देश व प्रदेश के सामने जीवन और मरण की समस्या उत्पन्न हो गयी है।

देश हमारा भूखों मर रहा है, देश में जगह-जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हड़ताल होने जा रही है और हम लोग उदासीनता के साथ बैठे मौज कर रहे हैं। सरकार की ओर से विधायकों को वेतन और भत्ता दोनों मिलते हैं, लेकिन फिर भी वह काम नहीं कर पाते हैं और यहां बैठे जो कुछ करते हैं उस से आशा करते हैं कि लोग सिर झुका कर उसको स्वीकार कर लें। ऐसा क्यों होता है? आप देखेंगे कि आज किसानों की स्थिति कितनी शोचनीय हो गई है और देश के सारे प्लानिंग किसानों के लिये बनाये जाते हैं। लेकिन उनका फायदा उनको नहीं मिल पाता है। देखा जाता है कि किसानों क ा ल और सारी सम्पत्ति मालगुजारी की वसूली के समय कुर्क कर ली जाती है। लेकिन मैं ७/८ साल से बराबर सुन रहा हूं कि प्रदेश का २२–२४ करोड़ के करीब रुपया पूंजीपतियों पर बाकी है लेकिन सरकार उसको वसूल करने में असमर्थ है। सरकार को अपनी पार्टी बनाये रखने के लिये और लोगों को समाजवाद के वायदे में फंसाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि उनसे पैसा ले कर उनको पनपाया जाय।

मान्यवर, मेरा निश्चित मत है कि आज देश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन विरोधी दलों को भी मैं इससे अछूता नहीं मानता हूं। हम लोगों को सोचना चाहिये कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है और हम क्या करते हैं? हमने जिम्मेदार लोगों को यह कहते देखा है कि इनकी मदद करनी पड़ेगी क्योंकि यह पार्टी के आदमी हैं। मेरे यहां कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट ने कहा कि यह अपनी पार्टी के आदमी हैं इनका काम करना पड़ेगा। बस्ती में चुनाव हो रहा है उसमें सारी सरकारी मशीनरी झोंक दी गई है। यह सब बातें होती हैं और सरकार जानती नहीं है। जो सरकार इन बातों को जानने में असमर्थ रही, वह सरकार क्या है और उसको सरकार के पद पर रहना नहीं चाहिये। जनतंत्र में सरकार जिम्मेदार है कि जनता का शोषण न होने पाये और जनता की रक्षा की जाय।

लखनऊ में आज एक बोरी सीमेंट किसी को नहीं मिल सकती है। लेकिन ब्लैक में ५०० बोरी मिल सकती हैं। इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। सरकार जानती है कहां से आती है? अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो साफ छूट जाता है। हमारे सामने निश्चित पालिसी चाहिये, कोई रास्ता चाहिये। इसका क्या मतलब है कि कम्युनिस्ट कहें कि तुम चोर हो और वे कहें कि तुम चोर हो। सोचने की बात यह है कि लोग जो कर रहे हैं वह क्यों नहीं सोचते कि देश कहां जा रहा है, हम कहां जा रहे हैं। लेकिन इन विवादों से कोई काम हल होने वाला नहीं है। देश में खाद्य समस्या है। माननीय झारखंडे राय जी कह रहे थे कि २४ अरब रुपये का गल्ला विदेश से आया, दूसरे साहब ने कहा कि ८५,००० करोड़ रुपये का आया। अगर इस रुपये को जनता में खाद के रूप में वितरित कर देते या किसी और रूप में दे देते तो काम चल जाता। लेकिन सरकार सोच नहीं पाती। सरकार द्वारा जो आश्वासन दिये जाते हैं जनता उन पर विश्वास नहीं करती है। अगर आप थोड़ा सोचें और ध्यान दें तो किसी भी बात को हल किया जा सकता है।

मान्यवर, स्टेट ट्रेडिंग की बात कही जाती है। जहां हमारी सरकार का हस्तक्षेप होता है, जहां सरकार की मोनोपली होती है वहां जनता को कितनी चीज मिल पाती है और कितना गड़बड़ घुटाला होता है। मैं भी इसको मानता हूं कि सरकार अपने हाथ में कंट्रोल ले और एक बड़े व्यापारी के नाते स्टेट ट्रेडिंग में आना चाहिये। सरकार किसानों को इस प्रकार का आश्वासन दे कि जब तुम्हारा गल्ला ठीक भाव से और निश्चित भाव से नहीं बिकेगा तो हम उसे खरीद लेंगे और जिस समय जनता को अधिक बढ़ी हुई कीमतों पर सामान मिल रहा हो उस समय के लिये जनता को सरकार आश्वासन दे कि वह अधिक दामों पर मिलने वाली चीजें जनता को कम दामों पर उपलब्ध करायेगी। आज चारों तरफ देश में अशान्ति है। आज यह हड़ताल होने वाली है, कल वह हड़ताल होने वाली है। आज कोई वर्ग ऐसा नहीं दिखाई देता जहां पर संतोष दिखाई दे। उसका कारण है महंगाई। आज बढ़ती हुई महंगाई के कारण समाज के सभी लोग अत्यधिक परेशान हैं। यदि आप महंगाई के कारण उनकी तनख्वाह बढाते हैं, भत्ता बढ़ाते हैं तो आखिर इसका बोझ भी तो कर-दाता पर ही पड़ेगा। जब बोझ कर-दाता पर पड़ेगा तो उत्पादन में लागत बढ़ेगी और इसी प्रकार से धीरे-धीरे चीजों के दाम बढ़ते चले जायेंगे और जब चीजों के दाम फिर बढ़ेंगे तो कर्मचारी फिर अधिक की मांग करेंगे। इस प्रकार से यह क्रम, यह दुश्चक्र तो बराबर चलता रहेगा और महंगाई कभी भी कम न होगी। इस क्रम को आपको तोड़ना होगा।

मान्यवर, अभी पिछले दिनों लेबर कमिश्नर द्वारा उनके आफिस से कुछ थोड़ी सी सूचना प्रकाशित हुई थी, जिसमें मूल्य सूचकांक प्रकाशित किये गये हैं। उसमें दिखाया गया है कि खाद्यान्नों में २७ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो सूचकांक जनवरी में ८५८ थे वह बढ़ कर दिसम्बर में ८८५ हो गये हैं। और इसी प्रकार के अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के भाव में भी तेजी आई। ईंधन में १७ की वृद्धि हुई, कपड़े में ११ की वृद्धि हुई और अन्य चीजों में भी २ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह बढ़ती हुई महंगाई सरकार के लिये एक चेतावनी है, उसके लिये एक खतरे की घंटी है। सरकार को इस पर सोचना चाहिये और सरकार को जनता का विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये।

मान्यवर, जो सरकार की ओर से शिक्षा की स्थिति है, उस से भी मालूम होता है कि सरकार शिक्षा की ओर से बड़ी उदासीन है। लेकिन जो लड़कियों की शिक्षा की तरफ उनके लिये हाईस्कूल तक शिक्षा फ्री करके सरकार ने प्रयास किया है, उसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। किन्तु सब मिलाकर शिक्षा की स्थिति भी प्रदेश में ठीक नहीं है और शिक्षा की कमी के कारण ही देश के अन्दर गरीबी और बेरोजगारी फैली हुई है। सारे प्रदेश में सबके लिये हाई स्कूल तक की शिक्षा यह सरकार फ्री नहीं कर पायी, तो श्रीमन्, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि वह इस पर विचार करें, क्योंकि यह एक बुनियादी मांग है और वह इसे पूरा करें।

मान्यवर, आज अगर आप देखें तो देहातों की ओर कम ध्यान दिया जाता है और यही कारण है कि देहात के लोग शहरों की ओर भागते चले आ रहे हैं और देहात दिवालिया होते जा रहे हैं। देहात के लोग असंतुष्ट हो कर शहर में भाग रहे हैं। इसी प्रकार की यदि स्थिति रही तो क्या होगा? हम कहां जायेंगे? इस पर हमें सोचना चाहिये। जो इंडस्ट्रीज हम शहर में लगा रहे हैं उन्हें यदि छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज के रूप में गांव में लगायें तो अच्छा होगा इससे शहर के साथ-साथ हमारे गांव भी फले फूलेंगे और उनका विकास होगा।

मान्यवर, एक बात और कही जाती है जब विरोधी पार्टियों की तरफ से अधिक कर बढ़ाने का विरोध किया जाता है तो सरकारी सदस्य कहते हैं कि कर नहीं बढ़ाया गया तो राज्य की आय कहां से होगी हमें धन की जरूरत है और हम कर लगायेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा बड़ी-बड़ी मिलों पर पूंजीपतियों पर जो रुपया बकाया है उसे वसूला जाये। २२ करोड़ रुपया इस प्रकार का जो बाकी है यदि वह वसूल कर लिया जाये तो हमारा खर्चा पूरा हो जाये और हमें टैक्स लगाने की

[श्री मुकुटबिहारीलाल]

आवश्यकता न रहे और हमारा घाटे का बजट भी सरप्लस में बदल जायेगा। हमारे यहां का घाटे का बजट हमेशा मुनाफे में बदल जाता है इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

मेरी जानकारी में यह बात भी आयी है कि कुछ बड़े-बड़े पूंजीपति अपनी फर्मों के सेन्टर को, ब्रांचों को प्रदेश के बाहर फैला रहे हैं यदि इसे रोका जाये यदि उनके सेन्टर यहां ही रहें तो इससे भी सरकार की आय बढ़ सकती है और वह सारी की सारी आय सरकार को मिल जाये जिससे प्रदेश को लाभ पहुंच सकता है और उसकी आय में वृद्धि हो सकती है।

मान्यवर, एक बात बड़ी प्रसन्नता की यह भी है कि पिछले सेशन में विरोधी पक्ष की ओर से यह बात आई थी कि एक आचार संहिता बनाई जाय। इन मंत्रियों की आमदनी और उनकी हैसियत की रिपोर्ट भी मांगी जाय। उसके अन्तर्गत यह संथानम कमेटी की रिपोर्ट जो सरकार ने स्वीकार कर लिया है उसके लिए मैं इस सरकार को बधाई देता हूं। एकाध मंत्रियों पर जो आरोप लगाये गये हैं तो उसकी जांच के लिए भी सरकार के मंत्री लोग ही करेंगे। मान्यवर, आज कमेटी में सरकार के ही लोग हैं। तो मान्यवर, हाई कोर्ट के अन्तर्गत एक प्रकार का आयोग बनाया जाय।

मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आज कहा जाता है छोटे कर्मचारियों को सहायता देने के लिए। आज यह देखा जाता है कि लोकल बाडीज की स्थिति बहुत ही खराब है। उनकी तनख्वाहें कई महीनों की रुकी पड़ी रहती हैं। सरकार का ध्यान इस ओर भी जाना चाहिए।

श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्तुत आय-व्ययक पर अपना विचार प्रकट करने और अपने सुझाव जो मैं समझता हूं और जो मेरा अनुभव है, उनको आपके सामने पेश करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। श्रीमन्, यह बजट ऐसे समय में पेश हो रहा है जब कि हमारे प्रदेश और देश की हालत संकट से गुजर रही है। उत्तर से चीन आक्रमण की प्रतीक्षा में है और पश्चिम से पाकिस्तान। इसके साथ ही साथ आज हमारे ही देश में भाषा के नाम पर हमारे भाइयों की तरफ से गोलियां दागी जा रही हैं। हम अपने एक बहुत पिछड़े हुए देश के पिछड़े हुए प्रान्त के बजट पर और वार्षिक विवरण के लेखा जोखा पर विचार कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पर जहां तक मैं समझता हूं यह एक विशेष परिस्थिति है और राष्ट्र संकट का अवसर है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस अवसर पर बहुत गम्भीरता और शांति के साथ लोगों को धैर्य बंधाना, साहस और हिम्मत पैदा करना और उत्साह दिलाने की आवश्यकता है जिससे हम इन कठिनाइयों पर काबू पा सकें। इस भाषा विवाद में एक बात निश्चित और साफ तौर पर मालूम हुई कि हमारी राष्ट्रीयता का स्तर और हमारा अन्तस्थल कितना नीचे गिरता जा रहा है। जहां तक भाषा का मामला है मैं भाषा के विषय पर अधिक नहीं कहना चाहता लेकिन इतना आपके माध्यम से माननीय शास्त्री जी अपने प्रधान मंत्री जी से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अब इस देश में एक विदेशी भाषा के समर्थन में इस तरह की बातें होती हैं, यह अत्यन्त दुःख की बातें हैं। मैं अपनी ओर से कहता हूं कि भाषा के मामले में इस तरह की बातें होना यह देश के नागरिकों के लिए अच्छी बात नहीं। यह प्रश्न बहुत बड़ा है हमारे ऊपर अंग्रेजी लादी न जाय अंग्रेजी हमारे राष्ट्र की भाषा नहीं है। और उसको अब हिन्दुस्थान में रहने का कोई हक नहीं है। हमें सहभाषा के विवाद में तो नहीं पड़ना है हिन्दी ही अब तक सहभाषा के रूप में चल रही है अब अंग्रेजी सह भाषा के रूप में चलेगी इससे तो हम तामिल और तेलगू पर कोई ज्यादती नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ यह चाहते हैं कि दूसरों पर कोई चीज लादी न जाय हमारे ऊपर अंग्रेजी को लादा न जाय। कानून में ऐसी कोई व्यवस्था की जाय जिससे वह जिस तरह से चाहें और जब चाहें तब उनके यहां राष्ट्रभाषा हिन्दी लागू की जाय

या उनकी प्रान्तीय भाषायें तामिल, तेलगू, या अन्य किसी देशी भाषा में वे काम करें लेकिन हमारे ऊपर अंग्रेजी बिल्कुल न लादी जाय ।

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़े से समय में तो आय-व्ययक के सभी पहलुओं पर कहना सम्भव नहीं है लेकिन सारांश में यह है कि हमारा देश पिछड़ा हुआ है और आज देश सैकड़ों वर्षों की गलामी के पश्चात् दासता के गर्त से बाहर आया है और अविकसित है। किसी अविकसित देश के बजट में उसकी समस्याओं का हल नियोजन के अलावा और कोई नहीं है। मैं जानता हूं कि यहां पर विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्तों के माननीय सदस्य बैठे हुये हैं। मैं इस पर कुछ अधिक चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि कृषि, उद्योग बिजली, पानी आदि का आपस में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है और एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रदेश की हालत बहुत खराब है और चमोली जिला विशेष रूप से गरीबी के कारण बहुत पिछड़ा हुआ है। वह चमोली जिला एक दृष्टि से बहुत ऊंचा है। यों तो मुझे भारत के एक-एक कण-कण पर गौरव है लेकिन वहीं के पवित्र महात्माओं, ऋषि-मुनियों और कवियों ने जो दर्शन और ज्ञान की धारा प्रवाहित की थी उससे आज भी इतिहास प्रेरणा लेता है लेकिन आज भी वह जिला बहुत पिछड़ा हुआ जिला है और सभी पहाड़ी जिले व विशेषकर चमोली जिला अन्न के लिये मैदानी भूमि पर निर्भर करता है। वहां हमेशा से अन्न की कमी रही है। तो मैं निवदन करता हूं कि चमोली जिले का कोटा बढ़ाइये वहां के जो किसान काम करते हैं और मजदूरों की हालत बुरी है और जो छात्रावास में विद्यार्थी हैं उनके लिये विशेष कोटा न होने की वजह से बहुत कष्ट हैं। छात्रों प्राइवेट मजदूरों और विभागीय मजदूरों के लिये अनाज का विशेष कोटा दीजिए, मोटा अनाज भी वहां जाय तो बहुत सुविधा होगी।

एक बात और कहना चाहता हूं कि आपने चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी को एक अलग उत्तराखंड डिवीजन में बनाया क्योंकि ये सीमान्त पर पड़ते हैं और इनका एक विशेष महत्व है। यही बहुत पिछड़े जिले हैं। वह आपने बहुत अच्छा किया है लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार पूर्व के कुछ जिले लिए गये हैं उसी भांति गढ़वाल, टेहरी-गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल का भी एक अलग डिवीजन बना दें जिससे कि उनके लिये भी समान सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और उनके लिये कुछ काम हो सके।

श्रीमन्, चमोली जिले में देखरेख की बड़ी आवश्यकता है उसको भी सरकार करे। इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चमोली में अलखनन्दा, पिलक मन्दाकिन, पिण्डर नदी, राम गंगा और मन्दाकिनी जैसी बड़ी-बड़ी नदियां बहती हैं। अगर आप वहां पर बिजली के उत्पादन के लिये योजनाबद्ध रूप से कोई योजना बनायें तो इससे बहुत उन्नति उस इलाके की हो सकती है। अगर वहां पर लकड़ी की बचत के लिये जंगलों की रक्षा करना चाहते हैं तो वहां पर बिजली का उत्पादन बहुत जरूरी है ताकि वहां पर गांवों को उद्योगों के लिये, रोशनी के लिये बिजली मिल सके। लगभग २५–३० रुपये में एक मिट्टी के तेल का कनस्टर चमोली जिले में मिलता है और लगभग ५०–६० रुपये में लाही तेल का कनस्टर मिलता है। इस तरह की आप योजना बनायें कि जिससे यहां पर उद्योग धंधों के बिजली द्वारा पनपने की सुविधा प्राप्त हो सके। मैं चमोली जिले की बात इसलिये कहता हूं कि मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। वह गरीबी के कारण बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है उत्तराखंड वैसे सारा ही पिछड़ा हुआ इलाका है लेकिन चमोली में तो काम बहुत कम हुआ है। वहां का बजट लैप्स होता रहा है सरकार जांच करे चमोली का बजट लैप्स क्यों होता है? अगर इस समय यह एरिया नहीं उठेगा तो कब समय आयेगा जब वह उठे उन्नति करे। वह रुपया किस काम में आयेगा जो कि इस बजट में रखा जाता है और भारत सरकार ने स्वीकार किया है। टैक्नीकल शिक्षा की व्यवस्था भी आप चमोली में कर दें चमोली में एक टैक्नीकल विश्वविद्यालय खोल दीजिए ताकि जो रुपया रखा गया है वह लैप्स न हो। वहां के लिये कामर्स और साइन्स के सहित डिग्री कालेज की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। मैं इसके लिये निवेदन करूंगा कि वहां की पिछड़ी हुई दशा पर सरकार ध्यान देकर चमोली की उन्नति करे। चमोली के सिलसिले में मैं एक बात

[श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी]

और कहूंगा कि वहां पर बड़ी-बड़ी नदियां, झरने, नाले बहते हैं लेकिन नदियां सब खाली बह रही हैं और उनसे बिजली उत्पादन के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है और सिंचाई के साधन भी नहीं पैदा किये जा रहे हैं। नदियों की सतह नीची है, पम्पिंग सेट ही लगा दिये जायं तो उनसे भी वहां पर सिंचाई का काम हो सकता है। छोटे-छोटे सिंचाई के साधनों का प्रबन्ध करने पर भी खेती की सिंचाई हो सकती है। उत्तराखंड के इलाके में भी जितना ध्यान दिया जाना चाहिये उतना ध्यान नहीं दिया गया है। मैं यह निवेदन करता हूं कि यह गरीबी के कारण बहुत गिरी हुई और पिछड़ी हुई जगह है। इसके अतिरिक्त बदरीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के अतिरिक्त और भी अनेक दर्शनीय स्थान हैं जिनको देखने के लिये हजारों की संख्या में लोग वहां पर हर साल जा सकते हैं। तो वहां पर पर्यटक उद्योग बहुत पनप सकता है। उत्तराखंड के लिये आप बहुत सा रुपया प्रोवाइड करते हैं लेकिन वह लैप्स हो जाता है उस तरफ पूरा-पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। नदी, सरोवर और ताल और अनेकों भव्य दृश्य हैं लेकिन उनका लाभ नहीं उठाया जाता है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने एक कारपोरेशन बनाया है तो यह सरकार चमोली जिले में पर्यटन उद्योग चालू करे तथा केन्द्रीय सरकार से कहे कि वह बिरहीताल में नगर बसाने के लिये प्रयत्न करे। चमोली में बिरही ताल संसार प्रसिद्ध झील है।

उत्तराखंड के सम्बन्ध में २, ३ बातें और निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापक हैं। उनकी मांग सन् १९६० से बार्डर अलाउन्स देने के लिये सरकार के विचाराधीन पड़ी है। चमोली जिले के अध्यापकों की मांग के सम्बन्ध में अनेक बार शिष्टमंडल मिले लेकिन उसको आज तक पूरा नहीं किया गया है। वह कई बार सरकार के पास आ चुके हैं। कई बार शिष्टमंडल सरकार से मिल चुके हैं, मैं नन्दा जी के पास भी गया था और उनसे भी इस सम्बन्ध में निवेदन किया था कि वहां अध्यापकों को घोर असन्तोष है। परिस्थिति बहुत खराब है। उन अध्यापकों की मांग को तुरन्त पूरा करना चाहिये जो अभी तक पूरी नहीं की गई है। माननीय नन्दा जी मांग पूरी करें या यह सरकार बजट में रुपये रखे। मैं अपने वयोवृद्ध माल मंत्री के द्वारा मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में आप विचार करने की कृपा करें जिससे उनका यह असन्तोष शीघ्र मिटे। बदरीनाथ के पास माणा घाटी वेली और नीति घाटी वेली में भोटिया लोग रहते हैं और उत्तराखंड में निलंगजादूंग में भोटिया तथा पिथौरागढ़ में लोग रहते हैं। उनका व्यापार जो पेशा था वह बन्द हो गया है। अब उनके पास न तो जमीन है और न कोई रोजी, रोटी का साधन। बकरियों के लिये चरागाह का भी कोई प्रबन्ध नहीं है इस कारण उनमें बड़ा असन्तोष है। मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि सीमान्त के रहने वालों में इस प्रकार का असन्तोष होना उचित नहीं है। उनकी रोजी रोटी का प्रबन्ध कराया जाय। उद्योग धन्धों में उन्हें लगाया जाय। कोटद्वार के जंगलों में भेड़ चुगाने पर ८०० रुपये के लगभग उन पर जुर्माना किया गया। इससे उनमें बड़ा असन्तोष है। वित्त मंत्री जी ने उद्योग, खाद्य कृषि के लिये लोगों का आवाहन किया है, लेकिन वह तो काम करने से बढ़ेगा, भाषणों से नहीं। आप बीज, खाद समय पर दीजिये और उसके लिये जनता को सहायता दीजिये। आज दफ्तरों में रिश्वतखोरी इतनी बढ़ गयी है कि किसानों को दफ्तरों में जगह-जगह पूजा करनी पड़ती है तब जाकर उनको उद्योग अथवा कृषि के लिये अनुदान मिल पाता है। इन खराबियों की ओर भी आपको ध्यान देना है। समय पर बीज, खाद और पानी मिलना चाहिये। उद्योग के लिये अनुदान प्राप्त करने के लिये भी रिश्वत जगह जगह देनी पड़ती है। इसलिये मैं सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सन् ३० से मैंने भी कांग्रेस के अनुशासन में रह कर कार्य किया है। जनता को जो तकलीफें हैं उनको गहराई में जाकर सरकार को देखना चाहिये। आज वक्त है, अगर वह निकल जायगा तो फिर हाथ कुछ नहीं आने वाला है।

चमोली जिले के लिये एक बात और कहना चाहता हूं। वहां अन्तरिम जिला परिषद् की सड़कें और पुल बहुत बुरी हालत में नष्ट भ्रष्ट हैं तथा हो गये हैं। तथा मेरे प्रश्नों के उत्तर में

सरकार ने बतलाया था कि १० लाख रुपया उत्तराखंड में परिषदों को दिया गया है। लेकिन वह देहाती जनता बिना सड़कों व पुलों के आज परेशान है और पुरानी जिला बोर्ड की तमाम संपत्ति आज नष्ट हो रही है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तराखंड के प्रति मुख्य मंत्री जी का दायित्व है और हमारे माननीय माल मंत्री ठाकुर साहब यहां मौजूद हैं, वे उनका ध्यान इन पहाड़ी जिलों की ओर ले जायं और जो कमियां हैं, उनको दूर करायें। वहां का पैसा लैप्स न होने दें। इन भावनाओं के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि काफी उठक बैठक के बाद आप ने मुझे मौका दिया। मान्यवर, आप जानते हैं कि किसी भी देश और प्रदेश का बजट प्रतिबिम्बित करता है प्रदेश या देश की स्थिति को। आज अगर हम इस आइने में देखें तो निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि प्रदेश के अन्दर भुखमरी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार, डकैती और कत्ल बढ़ रहे हैं। इनके आंकड़े देना उचित न होगा क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन गत वर्ष के मुकाबले वे काफी बढ़े हैं, यह आप भी मानेंगे। आप जानते हैं कि आज हर मस्तिष्क में यह एक प्रश्न है कि प्रदेश की यह स्थिति बिगड़ क्यों रही है ?

मान्यवर, मेरे मस्तिष्क में इस असाध्य अवस्था का कारण २० वर्षों का प्रशासन ही है। आप देखें, २० वर्षों के इस कांग्रेस शासन में जनता के दिमाग पर एक पत्थर सा रख दिया गया है और जब तक यह पत्थर हटता नहीं तब तक जनता का दिमाग खुलेगा नहीं और तब तक भ्रष्टाचार, भुखमरी और बेरोजगारी की समस्यायें खत्म नहीं हो सकतीं। मान्यवर, आप देखें, हमारी कांग्रेस मिनिस्ट्री है, सुचेता जी को मुख्य मंत्रीपद ग्रहण किये हुए इतने दिन हो गये हैं लेकिन आज इस मिनिस्ट्री में, जिसे ज्वाइंट रिस्पान्सिबिलिटी याने मुश्तरका जिम्मेदारी कहते हैं, कोई भी नहीं है। माननीय सुचेता जी एक भाषण देती हैं, माननीय खाद्य मंत्री दूसरा भाषण देते हैं। माननीय सुचेता जी कहती हैं कि विद्यार्थी छोड़ दिये जायं। माननीय गृह मंत्री कहते हैं कि अभी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी ज्वाइंट रिस्पान्सिबिलिटी की बात आज तक इस मिनिस्ट्री ने नहीं की। पता नहीं चलता फिर यह ज्वाइंट स्टाक कम्पनी कैसे चल रही है। आज आप देखें कि विरोधी-दल के माननीय सदस्यों ने बार-बार इस बात के लिये कहा कि वे मंत्री हटाये जायं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो गये हैं। मुजफ्फर हसन साहब पर भ्रष्टाचार के आरोप यद्यपि साबित हो चुके हैं तब भी उन्हें काम करने दिया जा रहा है। आप देखें कि इस ज्वाइंट स्टाक कम्पनी का एक भी शेयर होल्डर एक दूसरे को हटाना नहीं चाहता। वे जानते हैं कि अगर एक भी हटा तो यह नाव बिलकुल डगमगा जावेगी और हर आदमी सशंकित है। न मुख्य मंत्री का साहस होता है और न ही मंत्रियों का ही साहस होता है।

एक तो मान्यवर, यह हमारे प्रदेश की बात है और दूसरे इस प्रदेश की सामान्य स्थिति को बिगाड़ने में केन्द्र जितनी उपेक्षा करता है वह भी सोचने की चीज है। आज भाषा का प्रश्न है। मुझे दुःख है कि उत्तर प्रदेश वह एक अभागा प्रदेश है जिसमें केन्द्र उत्तर प्रदेश को खाली एक प्रधान मंत्री प्रदान कर दिया करता है और उसमें ही अपने को हम गौरवान्वित समझते हैं। इसके अलावा बाकी जनता के हित की चीजें उत्तर प्रदेश से दूर हैं। आज भाषा के प्रश्न की जैसी चर्चा की गई, दक्षिण में जिसे लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने भी उसका जिक्र किया। इसलिये कम्युनिस्ट पार्टी के लिये भी मेरे दिल में आदर व सम्मान है क्योंकि वह समाजवादी तरीकों पर सोचते हैं। भाषा के प्रश्न को लेकर उत्तर और दक्षिण में इस प्रकार का उपद्रव वास्तव में दुखदायी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेशकुमार सिनहा]

मान्यवर, आप देखें बिहार ने, मध्य प्रदेश ने राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने, पंजाब ने और गुजरात ने तय कर दिया कि उनकी हिन्दी भाषा है। आज इस देश की ४५ करोड़ की आबादी है और मान्यवर, लगभग ३५ करोड़ आदमी हिन्दी समझते हैं और पढ़ लेते हैं। ५ करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जो हिन्दी समझ सकते हैं और ४५ करोड़ में से ५ करोड़ सिर्फ वह आदमी हैं जो यह कह सकते हैं कि न हम हिन्दी बोल सकते हैं और न हम हिन्दी जानते हैं। (व्यवधान) समझ सकते हैं मुश्किल से, इतना मैं परिमार्जन करता हूं। अगर आप देखें, मान्यवर, तो माननीय राजगोपालाचारी जब मद्रास के मुख्य मंत्री थे तो मद्रास प्रान्त में उन्होंने हिन्दी भाषा को अनिवार्य घोषित किया था। लेकिन आज वह राजगोपालाचारी और कामराज महोदय जो कांग्रेस के आका हैं, वह इस आन्दोलन के पीछे हैं और मान्यवर, वह पांच करोड़ आदमी आप देखें, केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में, मुझे भी वहां जाने का कभी-कभी अवसर हुआ है, वह दक्षिण के आदमी वहां डामिनेट कर रहे हैं, उनका एकाधिपत्य वहां है। जैसे कांग्रेस सरकार ने २० वर्ष से अपना एकाधिपत्य जमा रखा है उसी तरह से आज दक्षिण के लोगों ने केन्द्रीय सरकार पर एकाधिपत्य जमा रखा है। मान्यवर, एकाधिपत्य स्वयं पाप है, स्वयं अभिशाप है। आप समझते हैं कि जिस देश में भी सत्ता का एकाधिपत्य हुआ या एक दक्षिण और उत्तर के नाम से एकाधिपत्य हुआ, तो यह उस देश के लिए बहुत बड़ा पाप है और देश उससे कभी बढ़ नहीं सकता है। आज मैं बहुत नम्रता से अपने उन मित्रों से कहना चाहता हूं कि ४५ करोड़ की आबादी में ३५ और ४० करोड़ आदमी अगर हिन्दी के लिए कहते हैं कि वह राष्ट्रभाषा हो तो आप पांच करोड़ आदमियों की वकालत करना चाहते हैं इसलिए कि आपकी पार्टी का कुछ अस्तित्व उन पांच करोड़ आदमियों पर मुनहसिर करता है।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहूंगा, मेरे पास एक अखबार की कटिंग है। मैं जानता नहीं कि यह "स्वतंत्र भारत" की है या "नवजीवन" की है, लेकिन इसका शीर्षक है "राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पुलिस प्रशासन की कार्य-क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव"। यह हमारे प्रान्त के आई० जी० महोदय ने बांदा जिले में अखबार वालों से वार्ता करते हुए अपना भाषण दिया था जो मैं पढ़ देना चाहता हूं—

"बांदा १२ जनवरी, उत्तर प्रदेश के पुलिस इंसपेक्टर जनरल, श्री शान्ति प्रसाद ने पुलिस कप्तानों को भ्रष्ट पुलिस अफसरों के विरुद्ध बराबर सतर्क रहने की सलाह दी है। आपने कहा है कि जिन अफसरों की ईमानदारी और चरित्र सन्देहास्पद हैं उन्हें प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाना चाहिए।"

अन्त में उन्होंने यह कहा था कि "पुलिस प्रशासन पर और उसकी कार्यक्षमता पर राजनीतिक दबाव और हस्तक्षेप का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।"

मैं एक छोटा सा नमूना इस सरकार के मंत्रिमंडल के कान में डालना चाहता हूं। जहां मैं भ्रष्ट अफसरों की आलोचना करता हूं वहां मैं ईमानदार अफसरों की प्रशंसा किये बिना भी नहीं रह सकता हूं। इतना नैतिक पतन हम लोगों का नहीं हुआ है कि हम खाली भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार ही चिल्लायें। मेरे सीतापुर जिले में मेरे खिलाफ जो कांग्रेसी उम्मीदवार थे उन्होंने एक पत्र अध्यक्ष, जिला परिषद् को लिखा कि अगर आप फलां दरोगा को फलां थाने में अभी से तैनात करादें तो ६७ में हम चुनाव जीत सकते हैं। (शोर) मैं चुनौती देता हूं कि माननीय मंत्री इसकी तहकीकात करा लें। अध्यक्ष, जिला परिषद्, ने एक खत कप्तान साहेब को लिखा कि यह ट्रांसफर कर दें तो ज्यादा अच्छा हो। दुर्भाग्य कहूं या खुशकिस्मती कहूं, कि कांग्रेस के प्रतिद्वंदी का खत भी उनके स्टैनो ने उसमें नत्थी कर दिया और एस० पी० के पास भेज दिया। जब दरोगाओं की तैनाती उनके मन के माफिक नहीं हुई और उधर कांग्रेस के कुछ लोगों ने अध्यक्ष, जिला परिषद्, के विरुद्ध भ्रष्टाचार के और सुरक्षा कोष में रुपया लेने के आरोप लगाये तो सरकार ने उसकी तहकीकात जो सीतापुर के एस० पी० हैं, मिश्रा जी, उनके पास भेजी। मैं दावे के साथ

कह सकता हूं कि हमने बहुत से एस० पी० और डिप्टी कमिश्नर देखे हैं, लेकिन सीतापुर का एस०पी० जो मेरी जाति-बिरादरी का नहीं है, वह इतना ईमानदार है और माननीय चरण सिंह जानते हैं कि क्या उनकी हालत है और कितने सच्चे आदमी हैं। आज जब जिला परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध जांच की जिम्मेदारी उनके ऊपर है तब, मान्यवर, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। माननीय सुचेता जी जब जनता के प्रतिनिधि मिले तो उन्होंने कहा कि यह कैप्टेन नहीं हटाया जायगा और जब वही लोग सुचेता जी से फिर मिले तो उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं. माननीय गृह मंत्री एडमेंट हैं कि उसे वहां से हटाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप का समय समाप्त हो गया है।

श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि ३ दिन की कोशिश के बाद मुझे आज आपने बोलने का मौका दिया है।

इस बजट में माननीय वित्त मंत्री ने जो मुखतलिफ शोबे रखे हैं और उनके लिए जो रकमात रखी हैं वे महज एक अन्दाजा हैं। सालभर का अन्दाजा बना लिया जाता है कि किस शोबे पर कितना खर्चा होना चाहिए, ताकि कहीं ज्यादा रुपया न इस्तेमाल हो जाय और कहीं कुछ भी न हो। आज ३ दिन से मुसलसल में इस माननीय सदन में दोनों पक्षों की तरफ से आलोचना ही आलोचना सुन रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं कि आज हमारा देश और प्रदेश आजाद है। यहां हर चीज आजादी के साथ पनप रही है। अंग्रेजों के जमाने में बहुत ज्यादा खराबियां थीं। आज उनसे भी आजादी मिल गई। इसकी मिसाल यह है कि जहां हम बैठे हैं इसके नीचे अगर जमीन को भी आजाद कर दिया जाय तो जाहिर है कि वहां हर किस्म के झाड़-झंकाड़ निकलेंगे। बुराइयां हर टाइम पर रही हैं और रहेंगी। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके दो पहलू न हों। अंधेरा है तो उजाला है, सूरज है तो चांद है, दिन है तो रात है, दायां है तो बायां है। लेकिन हमको यह सोचना चाहिए कि कौन सी वे चीजें हैं जिनकी वजह से ये बुराइयां पनप रही हैं। आज तक मेरे ख्याल से किसीने साहब यह नहीं बतलाया इस हाउस में कि बुराइयां रोकी कैसे जा सकती हैं? आज ७ साल से ऊपर का बच्चा बुराइयों में फंस चुका है। उसका एक ही तरीका है कि उसकी घरेलू मजलिस अच्छी रखी जाय। दुनिया के आजाद मुमालिक में प्राइमरी एजूकेशन के लिए फर्स्ट क्लास मास्टर रखे जाते हैं और हमारे प्रदेश में प्राइमरी शिक्षा का मास्टर वह रखा जाता है जो हाई स्कूल पास भी न हो, जो मुश्किल से ८वें दर्जे तक पढ़ा हो। उसकी वजह यह है कि उसकी तनख्वाह इतनी मामूली होती है कि उसमें उसका गुजर-बसर भी नहीं हो सकता है और जिला परिषदों में तो वह भी ६, ६ महीने तक नहीं मिलती है।

एक और इस प्रदेश में बहुत भयानक बात चल रही है मौंटेसरी स्कूल। इनको हमारे महान् नेताओं ने यह सोचा कि कैसे हर व्यक्ति के दिमाग में यह बात पैदा करें कि मुल्क हमारा है, इसकी हवा हमारी है और जर्राबजर्रा हमारा है। हर चीज हमारी है। जब हर बाशिंदे के दिमाग में यह चीज पैदा होती है तब देश का एक एक बच्चा एक एक इंच के लिए अपनी जान कुरबान करने के लिए तैयार हो जाता है। यही सोचकर इस देश में कोआपरेटिव स्कीम को लागू किया गया था कि लोग यह सोचें कि यह देश मेरा है, यहां की जमीन मेरी है, यहां की हवा मेरी है, यहां का जो कुछ है सब मेरा है। लेकिन उसी कोआपरेटिव के बारे में मैं यह डंके की चोट पर कहता हूं कि जिन लोगों ने उसको बिलकुल बेकार कर दिया है, जिन महान् आत्माओं ने जमींदारी एबालीशन किया था उन्होंने कहा था कि जो जमीन को जोतेगा उसी की जमीन होगी, लेकिन अब जमीन के ऊपर वे लोग काबिज हो गये हैं जिनका चलता दिमाग है, जो उससे रुपया बटोरना चाहते हैं जो चालबाज लोग हैं वे ही कोआपरेटिव पर छाये हुए हैं। अगर उनको हटा दिया जाय तो कोआपरेटिव स्कीम बहुत ऊंची स्कीम है। अगर उसको लेकर आगे बढ़ा जाय तो हर बाशिंदा खुशहाल हो सकता है। वैसे कोआपरेटिव फार्मिंग बहुत अच्छी चीज है,

[श्री सईद अहमद]

लेकिन दुख है कि कोआपरेटिव फार्मिग में ऐसे लोग बाहर से आ रहे हैं जिनका जमीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वह जमीन को जोतने वाले नहीं है। इस तरह से कोआपरेटिव सोसाइटीज पर बड़े-बड़े पूंजीपति कब्जा किए हुए हैं। मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस बात को साफ कर दें कि काश्त से बाहर के लोग तो उसमें शरीक किये जायेंगे या नहीं। बहुत से ऐसे लोग जमीन खरीद लेते हैं जो काश्तकार नहीं हैं। गरीब लोगों को मुलाजिम रख कर वे उनसे नाजायज फायदा उठाते हैं। उनको सरकार मेंम्बर करार देने जा रही है या नहीं? अगर आप इस त्रुटि को निकाल दें तो यह स्कीम बहुत कामयाब होगी।

आप जो टैक्स किसान पर लगा रहे हैं यह ठीक नहीं है। आपका टैक्स या तो गरीब किसान पर लगता है या गरीब व्यापारी पर लगता है। बड़े व्यापारी पर आप १ लाख रुपया लगाते हैं तो वह ३०-४० हजार रुपया देकर बच निकलता है। इस चीज को भी आपको बड़ी ईमानदारी के साथ सोचना है कि इसके मुताल्लिक क्या किया जाय?

हमारे यहां एक भयंकर चीज पैदा हो रही है--मांटेसरी स्कूल। महात्मा जी जाति पांति को खत्म करना चाहते थे, नीचों को उठाना चाहते थे इसलिए वे उनके घर जाकर ठहरते थे, उनको एजूकेशन दिलाते थे, उनको मुलाजिमत दिलाते थे, लेकिन इन मांटेसरी स्कूलों से लोगों में घृणा पैदा हो जायगी, समाजवाद खत्म हो जायगा। क्योंकि इन स्कूलों में मालदार आदमियों के लड़के ही पढ़ सकेंगे, उनका रहन सहन अलग, खाना पीना अलग, उनकी ट्रेनिंग अलग। वे सोचेंगे कि प्राइमरी स्कूलों से आने वाले बच्चे गरीबों के लड़के हैं। इसलिए वे उनसे घृणा करने लगेंगे। मेरे ख्याल से इन स्कूलों को बन्द कर देना चाहिए। यदि मांटेसरी कूल्स को रखना है तो वहां के टीचर्स को उतनी ही पे दी जाय जितनी कि और प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स को दी जाती है। अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स की तनख्वाह भी उन्हीं के बराबर होनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स की तनख्वाह काफी ऊंची होनी चाहिए क्योंकि यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। बचपन में जो आदत पड़ जाती है वह आगे चल कर छूटती नहीं है। अगर प्राइमरी स्कूल्ल के टीचर्स की तनख्वाह कम होगी तो वह अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए बच्चे से कहेगा कि मेरे लिए अपने घर से गुड़ लाओ, शक्कर लाओ या चावल लाओ। किसी भी बच्चे का गार्जियन दो, तीन दिन तक तो यह दे देगा, लेकिन रोज देना कभी भी पसन्द नहीं करेगा। ऐसी हालत में बच्चा टीचर के कहने पर कहीं से झपट्टा मारेगा और और ले जाकर उसे देगा। इस तरह से बच्चा डिमोरेलाइज हो जायगा और चोरी करना सीख जायगा और आगे चल कर वह नेकी की तरफ नहीं बढ़ेगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स की तनख्वाह बढ़नी चाहिए और उनको इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए जिससे वे अपने तथा अपने बच्चों का जीवन निर्वाह अच्छी तरह से कर सकें, वरना प्राइमरी एजूकेशन कभी भी ठीक से नहीं हो सकेगी, और हमारी आने वाली नस्लें भी नहीं सुधरेंगी।

श्री उपाध्यक्ष--

अब इस पर कल विवाद होगा।

† उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६५

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

उपाध्यक्ष जी, कल माननीय मुख्य मंत्री का एक विधेयक पेश था जिस पर बहस भी हुई थी। मैं चाहता हूं कि सदन मेरे विधेयक को पहले ले ले, उसके बाद उसे लिया जाय तो अच्छा है।

---

†१५ फरवरी, १९६५ की कार्यवाही में छपा है।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, विधेयक को विचार करने का प्रस्ताव आप प्रस्तुत कर दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय।

यह विधेयक बहुत ही छोटा और सीधा सादा है। कुछ ट्रेसपासर्स ने सरकार की जमीन पर कब्जा कर लिया था, उनके खिलाफ नोटिस बेदखली की जारी की गयी थी जिसे प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ने खारिज कर दिया। उस मामले की अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहां की गयी तो डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि मौजूदा ऐक्ट के अनुसार गवर्नमेंन्ट को अपील करने का अधिकार नहीं है। उसी के लिए हम यह संशोधन विधेयक लाए हैं। इसके अलावा उसमें यह भी रखा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां कोई अपील फाइल की जाय तो ऐडिशनल जज के यहां भी उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी जनरल दिक्कतें थीं, उनके लिए भी इसमें संशोधन रखा गया है, उसे भी माननीय मित्रों ने पढ़ा होगा। ऐसी सूरत में मैं चाहता हूं कि सदन इस पर विचार करे।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६५ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

(इस समय ५ बजकर १ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट पीठासीन हुए।)

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, अगर पुराने विधेयक को हम देखें तो उसमें दो तीन दफायें हैं जिनकी वजह से यह संशोधन विधेयक लाया गया है। एक तो यह है कि जब मूल अधिनियम की धारा ५ को हम देखते हैं तो उसमें जहां अपील करने का सवाल है, यह देखा जाता है कि उसमें लिखा हुआ है "क्षुब्ध व्यक्ति"। तो व्यक्ति के माने से सरकार को जानकारी होनी चाहिए थी। आखिर व्यक्ति तो कोई आदमी ही हो सकता है, लेकिन उस वक्त सरकार ने यह खयाल नहीं किया कि व्यक्ति जो हम रख रहे हैं इसका मतलब यह है कि एक पार्टी जो क्षुब्ध होगी वही आ सकती है अपील में, सरकार नहीं आ सकती, क्योंकि व्यक्ति तो सरकार से कवर नहीं होता। इसीलिये यह संशोधन लाया गया।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, मैं बताऊं कि आश्वासन समिति जब मौका देखने के लिए गई तो राजा साहब, सिंहामऊ ने बताया कि पीलीभीत में नानक सागर बना है जहां पहले थारू और बोक्सा लोग बसे हुए थे। उनके लिए चर्चा हुई कि उन के रहने के लिए कहीं प्रबंध सरकार करे और जब इस विषय को लेकर सदन में प्रश्न हुए तो सरकार ने कहा कि उन लोगों को रुपया पैसा दिया गया है और जमीन दी गई है, लेकिन बात बिलकुल विपरीत थी। रुपया क्या दिया गया, दस-दस रुपया इनाम के तौर पर बांट दिया गया। जब भी किसी की जमीन ली गई है हमेशा सदन में यह बात प्रेस की जाती रही है कि लैंड एक्वीजीशिन ऐक्ट के मुताबिक मार्केट वेल्यू के अनुसार जमीनों का मुआवजा देना चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और कहती हमेशा रही कि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में मार्केट वेल्यू की बात लिखी हुई है; लेकिन सरकार ने हर सदन के मेम्बर के प्रेस करने के बावजूद आज तक उस ओर ध्यान नहीं दिया। संविधान की मंशा के विरुद्ध किसी की जमीन

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

बगैर मुआवजे के न ली जायगी जैसा कि जमीदारी अबालिशन ऐक्ट में हुआ भी था, उन को पूरा मुआवजा देना पड़ा और उसके अलावा उन को रिहेबिलिटेशन ग्रांट भी देना पड़ी। लेकिन जहां किसानों को मुआवजा देने का मामला आता है, सरकार विमुख हो जाती है और यह नहीं सोचती कि जो किसान बेस हैं, जो हमारी रीढ़ हैं, जिन की कमाई पर हम सब जिन्दा हैं उन्हीं को सरकार दूसरी निगाह से देखती है। मैं ज्यादा ब्यौरे में न जाकर इतना ही कहूंगा कि इस तरह से जो उन गरीब लोगों को दस रुपया देकर मुआवजे की बात कही गई और कहा गया कि उन को जमीनें दी गई हैं, उन के नाम एलाटमेंट किया गया है लेकिन ऐसा किया नहीं गया। जो थारू और बोक्सा पुराने आदिवासी थे उन को डरा कर, मार कर भगा दिया गया। उन बेचारो ने भीख मांगकर या नौकरी करके अपनी गुजर की। जब सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने उन की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया और आश्वासन के अधार पर वह समिति मौके पर देखने के लिए गई तो सरकार का सारा पर्दाफाश हो गया कि वह सब मजाक था, वहां पर दूसरे लोग जो दूसरी जगह के रहने वाले थे, जिन से उन जमीनों से कोई संबंध नहीं था, वह लोग भाले और बन्दूक के बल पर जमीनों पर कब्जा किए हुए थे। आश्वासन समिति के द्वारा हमें और सरकार को असलियत मालूम हुई। जब मालूम हुआ कि देखने का आइना और था और असलियत और थी और इसीलिए अब मजबूर होकर सरकार को यह अध्यादेश लाना पड़ा। अगर कोई भी काम मंत्री जी करते हैं तो उन्हें देखना चाहिए कि हर चीज का एक्जीक्यूशन सही ढंग से होता है या नहीं। अगर आश्वासन समिति उधर न जाती तो यह छानबीन नहीं हो सकती थी और सरकार का ध्यान उधर न जाता। इसलिए इस पर सरकार अब और ध्यान दे कि समय बहुत खराब है और जमाना ऐसा है कि वैसे ही लोगों को खाना मिलना मुश्किल है। वह लोग जिन को जमीनें अलाट की गई हैं हम चाहते हैं कि उन को आप जमीनें दें और उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए मैं इस विधेयक का तो विरोध करना नहीं चाहता, हम चाहते हैं कि यह विधेयक पास हो। सिर्फ यही चाहता हूं कि इसमें जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिए इसको प्रवर समिति में भेजने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वैसे तो सब को अधिकार है कि जितना चाहें बोलें, लेकिन अगर स्वयं ही नियंत्रण कर लें तो अच्छा रहे।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है उस पर जो माननीय कमलासिंह जी ने कहा मैं उस घटना की ताईद करता हूं क्योंकि आश्वासन समिति का सदस्य होने के नाते मैं वहां गया था। उसको देखने के बाद मालूम हुआ कि सरकार और उसके अधिकारियों ने खटीमा के थारू लोगों के साथ घोर अन्याय किया है। भ्रष्ट अधिकारियों ने उन बेचारे किसानों को वहां से भगाया और लगभग २८ परिवार तो नैपाल चले गए और धोखा दिया हमको कि यहीं उन लोगों को बुलाए देते हैं, आप उनके बयान ले लें। हमने कहा कि हम तो मौके पर चल कर देखेंगे। ३० परिवार जंगलों में पड़े हुए हैं। हमको भय दिखाया गया गया कि वहां शेर और भालू हैं जो हमला कर देते हैं। हमने कहा कि हम जिंदगी से झीक लिए हैं, हमें डर नहीं है, और हम वहीं उनके स्थान पर किसानों से जाकर पूछेंगे। हम लोग वहां गए और देखा, वहां की स्थिति सरकार को मालूम नहीं थी। यहां सरकार ने कह दिया कि जमीन दे दी, मुआवजा लोगों को दे दिया। लेकिन वास्तव में कुछ नहीं दिया गया था। कुल ४०० रुपया दिये और कुछ दलालों ने कह दिया कि हम इसमें ही राजी हैं। लेकिन आश्वासन समिति ने जब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसकी पोल खोली तब जाकर उन किसानों को जमीन दी गयी है। इसलिए मैं चाहता हूं मंत्री जी इस बिल में कोई ऐसा प्राविधान न कर दें जिससे वह किसान मारे न जायं।

लिखा गया है कि अधिनियम की धारा ३(१) के अधीन जारी किए गये नोटिसों को रद्द करने के सार्वजनिक कार्यकारी के आदेशों के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी बहुत सी अपीलें न्यायालय द्वारा इस आधार पर खारिज कर दी गयीं और अधिनियम की धारा ५ से यह अपेक्षित नहीं है कि राज्य द्वारा कोई अपील प्रस्तुत की जा सकें। हमको भय है कि किसान इतनी बारीकी तो समझते नहीं, कहीं चकबन्दी की तरह इसमें भी किसान परेशान न हों। चकबन्दी के कर्मचारियों ने न तो ठीक चक बनाए और न उनकी सीमा बतायी। बेचारे किसानों ने अपनी मेड़ डाल ली है। अब अगर यह कानून पास हो गया तो कहीं वह किसान एस० डी० एम० या तहसीलदार की कलम से जो ज्यादातर भ्रष्ट हैं, मारे न जायं। इन शब्दों के साथ में माननीय कमलासिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि मंत्री जी उसको मान लें।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मुझे एक बात यह जाननी है .....

श्री अधिष्ठाता—

आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री कल्पनाथसिंह—

जी हां। एजेंडे पर मद ११ में है कि राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि विचार किया जाय। माननीय कमला सिंह जी का किस बात पर संशोधन है यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अधिष्ठाता—

यह तो नियमों में है कि कोई भी क्रम बदला जा सकता है। अभी उपाध्यक्ष महोदय ने मेरे आने के पहले इस विधेयक पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आज्ञा दे दी। पहले सामान्य विवाद चल रहा है, फिर खंडशः विचार किया जायगा।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है उसकी भावनायें चाहे कितनी अच्छी हों, परन्तु जिस ढंग से यह किया जा रहा है उस पर मुझे आपत्ति है। आप देखें मूल अधिनियम में यह है कि "अपेक्षाकृत अधिक खाद्य-उत्पादन तथा भूमि का और समुचित वितरण...."। इन दोनों उद्देश्यों के लिए पुराना बेदखली का कानून बना था। अब जो संशोधन प्रस्तावित है वह इसमें फिट होता है कि नहीं, मेरी समझ में नहीं आता। मेरी समझ से यह एक प्रकार से अनियमित संशोधन है। इसमें कहा गया कि उसके उद्देश्य और कारण हटा दिए जावें।

श्री अधिष्ठाता—

कौन से अमेंडमेंट के लिए कह रहे हैं ?

श्री रक्षपालसिंह—

इसमें संशोधन है कि इसकी प्रस्तावना को निकाल दिया जाय, यह खंड २ में दिया हुआ है। पुराने बिल में जो प्रस्तावना थी वह मैं अभी बता चुका हूं कि दो कारण उसमें लिखे थे—खाद्य उत्पादन तथा भूमि का समुचित वितरण—अब सरकार इसको उद्देश्य से ही निकालना चाहती है। तो क्या यह प्रस्तावना निकालने के बाद वह कानून बना रह जाता है आगे ? और क्या उसको निकालने के बाद संशोधन लाया जा सकता है ? खंड ४ में जो दिया गया है

[श्री रक्षपालसिंह]

उसमें खाद्यान्न उत्पादन का कोई प्रयोजन नहीं है। अगर एक प्रकार से देखा जाय तो इस अमेंडमेंट से, यदि हम इससे स्वीकार कर लें तो, जो मूल कानून है उसकी मूलभूत भावनाएं जो हैं, वे सब बेकार हो जायेंगी। यह बहुत ही अनियमित मालूम होता है। सरकार इसमें यह अधिकार मांगने जा रही है कि जितनी भी हम भूत भविष्य में कर आये हैं, उसे जायज कर दिया जाय चाहे कितना ही रुपया बरबाद कर आये हैं, उन सब को समाप्त करने वाला यह विधेयक है।

श्रीमन्, एक बात और इसमें कही गयी है कि वन की जमीन पर भी यह कानून लागू हो जायगा। हमारे माननीय भीखालाल जी ने कहा है कि गांव समाज में हमारी जमीनें यों ही सरकार ने एक निश्चित प्रतिशत वन योजना में ले ली है। कहीं पर भी वन नहीं लगाये जा रहे हैं। हरिजनों और छोटे-छोटे किसानों ने उन जमीनों पर कब्जा कर लिया है। तो अगर देखा जाय तो अन्न तो उन पर पैदा हो रहा है। मैं मानता हूं कि सरकार को बेदखल करने का अधिकार नहीं है। ऐसी जमीनों पर अगर लगान नहीं मिलता है तो सरकार को उनसे लगान वसूल करना चाहिए, लेकिन शिकमी का अधिकार उन्हें देकर जमीन उनके ही अधिकार में रखनी चाहिए जब तक कि वहां पर वन लगाने की व्यवस्था नहीं होती। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस बिल को वापिस ले लें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, होम करते हाथ जलते हैं। हमारे प्रदेश में बहुत जंगल की भूमि है और उसमें कुछ ऐसी भूमि है कि जिस पर ट्रेसपासर्स ने नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है। असल में बात यह है कि इन्हें हम केवल समझा तो सकते हैं, समझ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यह तो हमारे पास भी बहुत थोड़ी है। बात यह है कि हमने नोटिस जारी किया, वह खारिज हो गया और उस आर्डर के खिलाफ अपील दायर की पर डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि गवर्नमेंट अपील नहीं कर सकती है। इसी दिक्कत को मिटाने के लिए और अपने गलत काम को सही कराने के लिए यह लाया गया है। जब कोई कानून अल्ट्रा वायरस होता है और जो डिफिकल्टी बतायी जाती है तो उसे दूर करने के लिए संशोधन लाया जाता है। जैसा हमारे मित्र ने कहा कि बहुत से लोग कब्जा किए हुए हैं, यह सही है कि आर्डिनेंस जारी करना पड़ा और अगर डिले कर दी जाय जैसा कि संशोधन लाया गया है तो बीच में रेकुअम हो जायगा। फिर एश्योरेंस कमेटी ने हमें याद दिलाई तो हम भी उसके हुक्म को मान रहे हैं। हुक्म मानना भी क्या कसूर है ? अगर न मानें तब तो कसूरवार हैं और अगर मानते हैं तो उसमें हमको सहूलियत मिलनी चाहिए। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री कमलासिंह यादव—

सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी जो थे उनको बसाने के लिए कानून था और ट्रेसपासर्स को आप बेदखल करना चाहते हैं। तो इस विधेयक के जरिए से जैसा कि सरकार का इंटेंशन भी था जो पहले से बसे हुए हैं और जिनको सरकार ने एलाटमेंट भी किया है उनकी रक्षा की जायगी, उनको बेदखल नहीं किया जायगा और जो ट्रेसपासर्स हैं उन्हीं को बेदखल किया जायगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो वाजिब होगा वही मैं करूंगा।

श्री कमलासिंह यादव—

इस आश्वासन के बाद मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२—उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) अधिनियम, १९५९ जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, कि प्रस्तावना को निकाल दिया जाय। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९५९ की प्रस्तावना का निकाला जाना।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है खण्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

३—मूल अधिनियम की धारा २ में— धारा २ का संशोधन

(१) खन्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नये खन्ड बढ़ा दिये जायं:

(क क) 'जिला न्यायाधीश' का तात्पर्य उस जिले के न्यायाधीश से है, जिसमें भूमि स्थित हो और इसके अन्तर्गत ऐसा अपर जिला न्यायाधीश भी है जिसे धारा १०—क के अधीन कोई अपील संक्रमित की जाय;

"(ककक) 'भूमि' का तात्पर्य किसी भी प्रयोजन के लिये उपयोग में लायी गयी भूमि से है और इसके अन्तर्गत वन भूमि भी है तथा उस पर खड़े वृक्ष भी हैं;"

(२) खन्ड (ङ) में कोष्ठक तथा शब्द "(जिसके अन्तर्गत वन भूमि भी है)" निकाल दिये जाय; और

(३) खन्ड (झ) के अन्त में आया हुआ शब्द "तथा" निकाल दिया जाय, खन्ड (ञ) के अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन तथा "और" रख दिये जायं और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खन्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

(ट) "किसी अधिनियमित की दशा में अभिदेश उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियमिति के संबंध में अभिदेश समझा जायगा और कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की दशा में उसकी प्रथम अनुसूची में दिये गये नियमों में उच्च न्यायालय द्वारा उसकी धारा १२२ के अधीन समय-समय पर किये गये किन्हीं अभिशून्यनों, परिवर्तनों तथा परिवर्द्धनों के भी अधीन रहते हुए उक्त कोड के संबंध में अभिदेश समझा जायगा।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

धारा ३ का संशोधन

४—मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में शब्द "इस अधिनियम के एक या अधिक सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अपेक्षित है तो वह" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"निम्नलिखित किसी प्रयोजन के लिये अपेक्षित है अर्थात्—

(क) उसके नियोजित उपयोग,
(ख) वनरोपण अथवा वन का संधारण या विकास,
(ग) विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वासन,
(घ) भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में उसे बांटना,
(ङ) सहकारी खेती के लिये उसका उपयोग, या
(च) कोई अन्य प्रयोजन जो भूमि संरक्षण वन विकास खाद्य उत्पादन में वृद्धि तथा भूमि के ऐसे साम्यिक वितरण से सम्बद्ध हो जिससे सार्वजनिक कल्याण हो सके, तो वह ।"

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खन्ड ४ की तृतीय पंक्ति में से शब्द "अर्थात्" निकाल दिया जाय ।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

मैं स्वीकार करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खन्ड ४ की तृतीय पंक्ति में से शब्द "अर्थात्" निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ५, ६ तथा ७

धारा ५ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) में शब्द कोष्ठक तथा अंक "धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन सार्वजनिक प्राधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय अर्थात्—

"धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन सार्वजनिक प्राधिकारी के ऐसे आदेश से जिसमें—

(१) सार्वजनिक भूमि अथवा उसके किसी भाग को खाली करने तथा हानि पूर्ति का भुगतान करने का निदेश दिया गया हो, या

(२) इस प्रकार निदेश देने से इनकार किया गया हो ।

क्षुब्ध कोई पक्ष जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार भी है,

धारा ७ का संशोधन

६—मूल अधिनिम की धारा ७ की उपधारा (५) में शब्द "व्यक्ति" के स्थान पर शब्द और कामा "पक्ष, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार भी है" रख दिये जायं और सदैव से रखे गये समझे जायं ।

७—मूल अधिनियम की धारा १० के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय जाय अर्थात्—

नयी धारा २०—क का बढ़ाया जाना।

"१०—क—जिला न्यायाधीश का अपील संक्रमण करने का अधिकार

कोई जिला न्यायाधीश इस अधिनियम के अधीन उसे प्रस्तुत की गयी किसी अपील को अपने प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन किसी अपर जिला न्यायाधीश को संक्रमित कर सकता है"।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड ५, ६ तथा ७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८, ९ तथा १०

८—मूल अधिनियम की धारा १३ में शब्द तथा अंक "इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, १९०८" के स्थान पर शब्द तथा अंक "लिमिटेशन ऐक्ट, १९६३" रख दिये जायं।

धारा १३ का संशोधन
ऐक्ट संख्या ९, १९०८
ऐक्ट संख्या ३६, १९६३

९—(१) धारा ३, ५, ६, ७ तथा ८ के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ के जारी होने के समय किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन सभी कार्यवाहियों पर भी लागू होंगे।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

(२) यदि उक्त अध्यादेश के जारी होने के पूर्व मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) अथवा धारा ७ की उपधारा (५) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी कोई अपील किसी जिला न्यायाधीश द्वारा केवल इस आधार पर खारिज कर दी गयी हो कि राज्य सरकार को उक्त उपधाराओं के अधीन अपील का कोई अधिकार नहीं था, तो राज्य सरकार उक्त अध्यादेश के जारी होने से तीस दिन के भीतर, उक्त आदेश के पुनर्विलोकन के लिये उक्त जिला न्यायाधीश अथवा उसके उत्तराधिकारी को प्रार्थना-पत्र दे सकती है और तदुपरान्त जिला न्यायाधीश या कोई अपर जिला न्यायाधीश जिसको वाद संक्रमित किया जाय आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है और पहले दिये गये आदेश में परिवर्तन या पुनरीक्षण के लिये ऐसा आदेश दे सकता है जो इस अधिनियम की उपबन्धों को कार्यान्वित के लिये आवश्यक हो।

१०—(१) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) (संशोधन) अध्यादेश, १९६५ निरस्त किया जाता है।

निरसन और अपवाद

(२) इस निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम २७ जनवरी, १९६५ को प्रारम्भ हुआ हो।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९५९

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड ८, ९ और १० इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्नउपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली (संशोधन) विधेयक, १९६५

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९५९

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) अधिनियम, १९५९ का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानिपूर्ति की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६५, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित किया गया है, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (बेदखली और लगान तथा हानि पूर्ति की वसूली) (संशोधन) विधेयक, १९६५, जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित किया गया है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५ (क्रमागत)†

††श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक सतर्कता आयोग का संबंध है ....

श्री अधिष्ठाता—

(माननीय कमला सिंह जी) आपके भाषण से स्पष्ट था कि इसमें बहुत गम्भीर विषय नहीं है और आपने सिद्धान्ततः इसका समर्थन भी किया था और कल आपने काफी समय ले लिया था, इसको ध्यान में रखते हुए भाषण करें।

---

*८ फरवरी, १९६५ की कार्यवाही में छपा है।
†१६ फरवरी, १९६५ की कार्यवाही से।
††वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने कल इस बात को बताया था कि सतर्कता के बाद ज्यों ज्यों प्रदेश का बजट बढ़ता गया त्यों-त्यों करप्शन भी हर तरीके से बढ़ता गया क्योंकि माडर्नाइ-जेशन जनता में पैदा हुआ और जब इस समय इतना बड़ा बजट प्रदेश का है तो इसको खर्च करने में देखा जा रहा है कि जितने सरकारी अधिकारी हैं वे कोल्यूजन में हैं और उनके द्वारा गलत ढंग से पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। जब इस तरह से व्यापक रूप में करप्शन हो जाय तो जरूरत होती है कि ऐसे आयोग की स्थापना हो। यह भी देखा गया है कि इंडिपेंडेन्ट स्टैट्यूट है। इसका मतलब यह है कि सरकार एक बाडी कायम करके यह करना चाहती है कि जो करप्शन हमारे यहां फैला हुआ है उसका इंतजाम किया जाय। जितना करप्शन बढ़ गया है उतना ही इसका कार्यक्षेत्र भी बढ़ गया है इसलिये आवश्य-कता है कि ऐसा आयोग जो इंडिपेंडेन्ट स्टैट्यूट से कायम हो उसकी सुरक्षा की जाय।

मैं आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि विजिलेंस इस्टेबलिशमेन्ट लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पांसिबिल होगा। आप इसको अपने प्रति रिस्पांसिबिल न बनायें क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको नरिशमेन्ट देकर हर तरह से स्ट्रांग बनाया जाता है। यह भी बच्चा है, इसलिये इसको स्ट्रांग बनाया जाय ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके और यह स्ट्रांग होकर काम कर सके। इसलिये माननीय, अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा, माननीय मंत्री जी के साथ पुलिस फोर्स है, लेकिन साथ ही साथ उनकी स्थिति डांवाडोल है, क्योंकि यह पोलिटिकल पार्टी के आदमी हैं। हो सकता है वह हर तरह का दबाव डाल सकें। तो मैं चाहता हूं जो यह पोलिटिकल पावर देश के कोने में फैल रही है अगर उसी भावना से इसे देखें और यह बच्चा जो पैदा हो रहा है और उसको यदि आप शक्तिशाली और इंडिपेंडेन्ट नहीं बनायेंगे तो जिस भावना से इस विधेयक को सदन में आप लाये हैं वह कभी भी पूरी नहीं हो सकेगी। साथ ही साथ यह विजीलेंस कमीशन और भी प्रदेशों में चल रहा है, वहां यह भी देखा जा रहा है। विजीलेंस कमीशन को, श्रीमन्, हमेशा इतनी ताकत होनी चाहिये कि वह इंडिपेंडेंटली भी काम कर सके। क्योंकि यदि आपने एक डाइरेक्टर बनाया....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

वहां, श्री कमला सिंह जी के पास में लोग काफी बात कर रहे हैं, इससे उनका व्यवधान होता है। आप शान्त रहें।

विद्युत् उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

मैं आपकी आज्ञा से एक निवेदन करना चाहता हूं कि विजीलेंस कमीशन तो एक बन गया। वह एक अलग चीज है और जो विधेयक लाया गया है, उसमें यह चीज है कि जो डाइरेक्टर विजीलेंस है, वह अलग है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

कौन है डाइरेक्टर ?

श्री अधिष्ठाता—

श्री कमलासिंह अब समाप्त करने वाले हैं, आप शर्मा जी इन्हें समाप्त कर लेने दीजिये, तभी आप जवाब दीजियेगा।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं थोड़े में ही कह देना चाहता हूं। हमारा मकसद सिर्फ यह है कि इस विजीलेंस इस्टैब्लिशमेन्ट को आप बिलकुल इंडिपेंडेन्ट छोड़ दें, क्योंकि यह विधेयक इस सदन में जिस रूप में लाया गया है, उसके अनुसार उस पर कन्ट्रोल मुख्य मंत्री का होगा जिसको यह आदेश देंगी उसके खिलाफ ही कमीशन जांच करेगा और जिसके खिलाफ चाहेंगी और आज्ञा नहीं देंगी उनकी जांच यह कमीशन नहीं करेगा। यदि पार्टी पालिटिक्स में आकर मुख्य मंत्री ने किसी दोषी व्यक्ति के खिलाफ चाहा कि जांच न हो तो वह रोक देंगी कि उनके खिलाफ इंक्वायरी न हो और वह रुक जायेगी। इसलिये जनता को जो भय है, उससे इसको आप फ्री रखें और इसको अपने अधिकार में न लें। यह सीक्रेट इन्वेस्टीगेशन भी करेगा। इसकी एक ब्रांच सीक्रेट इंवेस्टीगेशन की भी होगी। यदि कमीशन को मालूम होता है कि कहीं करप्शन है, तो उसे अधिकार होना चाहिये कि वह तुरन्त उसको अपने अधिकार में लेकर जांच करे और उस पर मुख्य मंत्री द्वारा मामला प्रस्तुत करने का बंधन न होना चाहिये। इस प्रकार का यदि उसे अधिकार होगा तो वह ठीक से सही काम कर सकेगा, लेकिन यदि आप लगाम लगाये रखेंगे तो वह ठीक से काम नहीं कर सकेगा।

आज जनतन्त्र का जमाना है और इस जमाने में हमारे देश में ८० फीसदी लोग गरीब हैं उनके ऊपर अफसर शाही या पोलिटिकल शाही का अंकुश बड़े जोर से चल रहा है। तो सब से पहले मुख्य मंत्री की ड्यूटी है कि वह जनता की हर तरह से इन लोगों से रक्षा करें। और वह इस प्रकार हो कि जो गलत पावर फुल आदमी पावर लेकर अनुचित काम करते हैं, उन्हें रोका जाये। जो विजिलेंस कमीशन स्टैब्लिश आपने किया है, उसके इन्वेस्टीगेशन को आप इन्डिपेंडेन्ट इस माने में बना दीजिये कि कोई भी ताकत उसके ऊपर डाले, चाहें वह मिनिस्टर हो या अन्य कोई अधिकारी हो, उसके ऊपर दबाव न डाल सके।

दूसरी चीज यह है कि विजिलेंस कमीशन को यह पावर होनी चाहिये कि कोई भी डाकूमेन्ट किसी इंनवेस्टीगेशन के लिये यदि वह चाहें तो उसको अधिकार होना चाहिए कि उसे उस विभाग के हेड आफ दि डिपार्टमेन्ट से पूछे बगैर वह डाकूमेन्ट मिल जाना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जो इम्पार्टेन्ट डाकूमेन्ट होते हैं, वे काट दिये जाते हैं। इससे इन्वेस्टीगेशन का मंशा जो होता है वह खत्म हो जायगा।

जैसे कि संथानम रिपोर्ट में यह दिया हुआ है कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का जो विजिलेंस है, उसमें राज्य सभा के या पार्लियामेन्ट के जो मेम्बर हैं वह अगर कोई कम्प्लेंट करते हैं तो उस पर भी विजिलेंस होता है। तो कम से कम हमारी जो कम्प्लेन्ट हों, उन पर भी ध्यान दें। हम आपके यहां यदि कोई कम्प्लेन्ट देते हैं तो आप उसको भी विजिलेंस के पास भेज दें ताकि उसकी इंडिपेंडेन्ट जांच हो जाय। क्योंकि अगर यह मंत्री जी कहें कि इस तरह से मेम्बर्स या लेजिस्लेचर अगर पब्लिक को ओपेन कर दें तो बहुत दरख्वास्तें हो जायेंगी। लेकिन हम लोग तो जिम्मेदार लोग हैं, क्षेत्र से और प्रदेश के लिये भी जिम्मेदार हैं, तो मेरा यह धर्म होता है कि गलतियों को किस तरह से पकड़ा जाय और गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। अगर एम० एल० एज० कोई भी कम्प्लेंन्ट किसी किस्म के करप्शन की करते हैं तो उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिये और उसके साथ अगर कोई केस किसी के खिलाफ है तो वह कोर्ट में भेज देना चाहिये। वहां अगर कोई केस स्टेब्लिश नहीं होता है, या प्राइमाफेसी केस होगा, अगर स्ट्रांग इवीडेन्स नहीं है, तो रीजन में हमारे आफीसर रहेंगे कोई पैरवी करने वाला होगा वह पैरवी करेगा, नहीं तो नतीजा यह होगा जो आदमी भेजा जायगा वह मनमाने ढंग से करेगा।

इसके साथ-साथ यह कोशिश करें कि ऐसे काम जो डिपार्टमेन्ट को दिये जायं, उसका जो रिजल्ट हो उसकी छानबीन की जाय। कचहरियों के बारे में भी अगर छानबीन करा लें तो यह जो करेप्शन हर जगह फैला हुआ है, शायद वह दूर हो जायगा।

इसीलिये मैं चाहता था कि विजिलेंस को इंडिपेंडेंट रखिये और हर चीज से परे रखिये ताकि यह कामयाब हो सके, और जो भ्रष्टाचार है, वह दूर हो सके।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जिसे विधेयक की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन १ मास में प्रस्तुत कर दे।

श्रीमन्, इसे जो प्रवर समिति में भेजने की बात है, उसके संबंध में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। वह यह है कि जैसे कि माल मंत्री ने कह दिया कि वैसे तो ६ सप्ताह के अन्दर आर्डिनेन्स को रेगुलराइज करना चाहिए, अगर ४ सप्ताह के अन्दर कोई रिपोर्ट हो सकती है तो दो सप्ताह में चर्चा करके यह विधेयक पास किया जा सकता है। इसीलिये समय की आपत्ति इस पर लागू नहीं होती।

दूसरी बात यह है कि यह बिलकुल नया विधेयक है और सतर्कता आयोग जो मंत्री द्वारा संगठित हुआ है वह एक अच्छे काम के लिये है, उसका स्वागत करता हूं। श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि यह अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये भी है। इसमें तो ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि मंत्री जी ने कहा इसलिये ठीक मान लेना चाहिये। एक आयोग बना, पुलिस ऐक्ट के अन्तर्गत उसको अधिकार दिये गये हैं और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उस पर लागू हुआ तो उन सारी व्यवस्थाओं के लिये कौन कौन से अधिकार चाहिये। किन्तु रोज पेंच लगाने का काम जो होता है, हर कानून में जो तीन, चार संशोधन कामा फुलस्टाप के होते हैं वह ठीक नहीं है। इसीलिये अच्छा हो कि अगर एक प्रवर समिति बैठ जाय और १० सदस्य उसकी कमियों पर विचार कर लें और वह ठीक हो जाय। इसमें एक बात यह है कि गजेटेड आफिसर्स के लिये इन्क्वायरी हेतु परमिशन की आवश्यकता होगी, वह चाहिये या नहीं इस पर विचार हो जाय और ऐसे अपराधों के लिये इन्क्वायरी होगी जिसे सरकार निश्चित करे और जब और जिस प्रकार चाहेगी उसका नियंत्रण सरकार के हाथ में होगा। तो इन सब चीजों से प्रदेश का लाभ होने वाला नहीं है, यह सरकार के हाथ का एक अस्त्रमात्र रह जायगा। एक कर्मचारी के खिलाफ इन्क्वायरी होगी, फिर इन्क्वायरी होने के बाद पोलिटिकल प्रेशर पड़ा तो यह सिद्ध होने पर कि इस आदमी का असर है, सरकार का यह आदेश हो जायगा कि इस केस को समाप्त कर दिया जाय। अगर प्रवर समिति में इस पर विचार हो जाय तो वहां इन सारी बातों पर अच्छी तरह से विचार हो जायगा और वह अच्छा रहेगा।

*श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, यह अध्यादेश जो मंत्री जी ने पेश किया है वह बहुत सामयिक है। इसकी आवश्यकता भी थी। समाज में अपराधों की वृद्धि जब होती है तो इस बात की आवश्यकता हो जाती है कि उनके ऊपर अपना कंट्रोल हो और यदि सरकार इस तरह का कदम उठाती है तो उसका स्वागत इधर और उधर के सभी माननीय सदस्यों को करना चाहिये। एक आशंका की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस आशा से कि उसका निराकरण वे करेंगे, दिलाना चाहता हूं। यह ऐसी बाडी है जिस पर एक्जीक्यूटिव का कोई इन्फलुएंस नहीं होना चाहिये। यह केवल राजपत्रित कर्मचारियों के खिलाफ नहीं बल्कि ऐसे लोगों के खिलाफ है जो समाज में या सरकार में ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। यह उन सबके खिलाफ जांच करे। इसका क्षेत्र इतना व्यापक होना चाहिये कि उस पर किसी का इन्फलुयेंस न हो सके। जहां इस विधेयक में यह बात है कि जितनी कम्प्लेंट्स होंगी उनको राज्य सरकार रिसीव करेगी, यानी उसका पोस्ट आफिस का काम राज्य सरकार का होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

और राज्य सरकार उसकी जांच करेगी और जांच करने के बाद अगर मुनासिब समझेगी तो गजट में उसका प्रकाशन होगा और उस निदेशालय के अन्तर्गत यह किया जायगा उसके बाद वह निदेशालय जांच करेगा, अनुसंधान करेगा। इस कानून के जरिये से आप पावर देंगे इन्वेस्टीगेशन की जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक अफसर को दी गई है, यहां तक मैं समझ पाया; लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया जैसाकि व्यक्त किया जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि कोई प्रतिकूल इन्फ्लुएन्स उसके ऊपर पड़ जाय और न्याय के प्रति जो एक श्रद्धा होती है उसके बजाय उसमें कोई अश्रद्धा पैदा हो जाय। इसकी तरफ माननीय मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि इस निदेशालय को अगर किसी स्वतन्त्र जुडिशल अफसर या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के अधीन कर दें तो ज्यादा उचित होगा। अगर इसके ज्ञापन पत्र को पढ़ा जाय तो उसमें लिखा है कि राजपत्रित कर्मचारियों के लिये वह सतर्कता आयोग बनाया गया है। इसमें कई श्रेणी के कर्मचारी आते हैं। आई०ए०एस० आते हैं, आई०पी०एस० आते हैं और साथ ही तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारी भी आते हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि इसका इम्पलीमेंन्टेशन उन तीसरी व चौथी श्रेणी के कर्मचारियों तक ही सीमित रह जाय। इसलिये मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी को इसकी शंका का निराकरण करना चाहिये। जिस भावना को लेकर हम इस विधेयक को यहां पर लाये हैं उसको पूरा करना चाहिये ताकि वह अभिप्राय पूरा हो सके। मैं ऐसा समझता हूं कि यह जो हमारा मंतव्य है उसके लिये जो हम विधेयक लाये हैं, यह बिलकुल सही है। इस से जनता की हमारे प्रजातंत्र में आस्था बढ़ेगी और उसकी नींव मजबूत होगी। अगर सही तरीके से विजिलेन्स कमीशन काम करे और गल्ती देखकर उनके ऊपर परदा डालने की चेष्टा न करे और उनके खिलाफ कार्यवाही करे तो इससे लाभ होगा। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, भाई कमला सिंह ने कहा कि यह आयोग निष्पक्ष होना चाहिये, नरसिंह नारायण जी ने कहा कि निष्पक्ष होना चाहिये और रक्षपाल सिंह जी ने कहा कि निष्पक्ष होना चाहिये, लेकिन मैं इसका बिलकुल विरोध करता हूं। इस विधेयक के जरिये से माननीय शान्ति प्रपन्न जी बड़ी खूबसूरती के साथ पुलिस अफसरों को विशेष पुलिस का दर्जा देने जा रहे हैं। इसमें कुछ होने का नहीं और यह बिलकुल बेकार बात है। स्वीटजरलैंड में एक सतर्कता आयोग बना हुआ है। सरकार से उसका सिर्फ इतना सम्बन्ध है कि सरकार उसके लिये सारा खर्च वहन करती है। इस बात में कमला सिंह जी, रक्षपाल सिंह जी और नरसिंह नारायण जी इन तीनों की बात आ जाती है। खर्चा देने के अलावा और कोई उस से सरकार का सम्बन्ध नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर सरकार समझे तो इसमें सिर्फ खर्चा वहन करे और इसके लिये अलग से निष्पक्ष हाईकोर्ट के जज या दूसरे समाज के लोग जो बिलकुल निष्पक्ष हों, उनको इसमें स्थान दें। अगर वे लोग रहेंगे तो मैं समझता हूं इसका काम सही रूप में हो सकता है। वरना जियाराम जी चाहे पुलिस में रहें और चाहें इस आयोग में रहें और हरगोविन्द सिंह जी और शान्ति प्रपन्न के नीचे हों तो उनके इशारों पर ही काम करेंगे। इससे कोई लाभ जनता का नहीं होने वाला है। हमारे और आपके दृष्टिकोण में इतना ही फर्क पड़ता है कि आप काम करते तो हैं मगर उसको विपरीत रूप में करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर काम करो तो साफ-साफ करो। अगर आपको मालूम है कि समाज में भ्रष्टाचार है, राज कर्मचारियों में गड़बड़ है और सतर्कता आयोग की जरूरत है तो जिनके खिलाफ जांच करानी है उनकी कैटेगरी के लोगों को ही जांच का भार नहीं देना चाहिये। अगर आप को सफाई से जांच कराना है तो प्रदेश में एक आयोग बनाइये जिसमें हाई कोर्ट के जज रहें, वे माननीय सदस्य जिनका सम्बन्ध सरकार से न हों, जो निष्पक्ष हों, रहें और सरकार से उसका केवल इतना ही सम्बन्ध रहे कि वह उसका खर्च वहन करे। इसके अतिरिक्त उसका सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। ऐसा करने से मैं समझता हूं कि प्रदेश का हित होगा और किसी को कहने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ऐसा न हुआ तो मुझे एक शंका है कि कहने वाले मानेंगे नहीं। वह तो पुलिस के कर्मचारी

हैं और इस प्रकार सरकार उनको विशेष पुलिस का दर्जा प्रदान कर रही है। अगर करना है तो निष्पक्ष लोगों का एक आयोग बनाइये और उसे केवल आप खर्च दीजिये और कोई सम्बन्ध उससे न रखिये। इन शब्दों के साथ में आपका मार्ग-दर्शन करता हूं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। दो शंकायें मेरे सम्मुख हैं जिन्हें मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि गेहूं की जड़ जमीन में होती है, लेकिन भ्रष्टाचार का वृक्ष है उल्टा। उसकी जड़ है ऊपर और पत्ते हैं नीचे। तो श्रीमन्, ऊपर की जड़ को सीधा करके जमीन पर कैसे लाया जाय इस पर माननीय मंत्री जी को प्रकाश डालना चाहिये। दूसरी बात जो मुझे कहना है वह है कि कितने ही भ्रष्टाचार के खुले मामले मेरे सामने हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करके कहना चाहता हूं कि जैसे पी० डब्लू० डी० का महकमा है उसमें ११ प्रतिशत कमीशन ऊपर से नीचे तक बंधा है। उसका इलाज यह सतर्कता आयोग क्या करेगा? २०,००० शिकायतें साल में होंगी, २०, २५, ५० की जांच होगी, बाकी का क्या होगा? अगर १०,००० शिकायतें इकट्ठा हो गयीं तो १५ वर्षों तक भी तहकीकात पूरी नहीं होगी। इस ओर मंत्री जी का क्या रुख है वह बतलायें? इन बातों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इसे जल्द से जल्द कार्यान्वित किया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने अभी इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को पढ़ा। यह बिलकुल उद्देश्यविहीन विधेयक है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

अभी तो देखा भी न होगा।

श्री उग्रसेन—

मंत्री जी कह रहे हैं कि विधेयक देखा भी नहीं है। अगर वे हमारे स्कूल में आयें तो देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं। मैं मंत्री जी की खिदमत में पेश करना चाहता हूं कि किसी भी जनतंत्रीय देश के विधेयक के लिये इस तरह के विधेयकों को देखना ठीक भी नहीं है। मैं शान्ति प्रपन्न जी से पूछना चाहता हूं, वह ऐसे आदमी हैं कि जिन से मैं अक्सर मुहब्बत की बात करता हूं, कि राजपत्रित कर्मचारियों में जो भ्रष्टाचार आ जाय उसके लिये मैं एक सूत्र पेश करना चाहता हूं। जैसा हमारे साथी श्री मिश्र जी ने कहा कि यह कीचड़ तमसा नदी से आया या और कहीं से आया पर मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह कीचड़ गंगोत्री और यमनोत्री से ही आया है। कितना ही आप इस कीचड़ को हटाने की कोशिश करिये यह हटने वाला नहीं है। हम एक बात को देख लें इस सम्बन्ध में, जैसे अगर हुगली में मिट्टी जमा हो जाती है तो उसके लिये आप कानपुर में जैसे छोटी-छोटी मशीनों से मिट्टी बाहर निकाल फेंक देते हैं, उनसे ही काम नहीं हो सकता है। वहां बड़ी-बड़ी मशीनें ही काम करती हैं। इसके अलावा मेरा विचार है कि यह भ्रष्टाचार का विषय तो ऐसा है जिस पर दो-तीन दिन लगातार बहस होनी चाहिये थी और जिससे एक निर्णय पर हम सब पहुंचते वही निर्णय होना चाहिये था। आज तो यह है कि जो कुर्सी पर बैठ गये हैं वे यह समझते हैं कि हमने जो निर्णय ले लिया है वही ठीक है। माननीय मुजफ्फर हसन साहब के खिलाफ जब माननीय गया प्रसाद ने दोषारोपण किये और मुसद्दी लाल जी को यह मामला सौंपा गया तो उन्होंने यही कहा कि मुझे अपने अधिकार ही नहीं मालूम हैं। मैं तो रेवेन्यू कोर्ट का मेम्बर हूं। मैंने इस विषय में सरकार को भी लिखा था, परन्तु सरकार ने उसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह से एक और जांच करने का अधिकार आपने उप-पुलिस कप्तान (शिकायत) को दिया था। हर जिले में एक उप कप्तान पुलिस (शिकायत) का था। वह स्वयं एक भ्रष्टाचार का केन्द्र बन गया। उसके विरुद्ध

[श्री उग्रसेन]

इतनी शिकायतें आईं कि माननीय हरगोविन्द सिंह जी ने कहा कि इसको वापस करो। इसी तरह से माननीय नन्दा जी भी भ्रष्टाचार के विषय में बहुत चिल्लाते हैं, पर उससे होता क्या है, यह तो हम सभी देखते हैं।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि यह उद्देश्यविहीन विधेयक है। इसके पीछे उद्देश्य यह नहीं है कि भ्रष्टाचार मिटाया जाय, परन्तु इसके पीछे उद्देश्य यह है कि दो, एक अधिकारियों को दंडित किया जाय। इसके अलावा जैसा कि माननीय सदस्य श्री राधेश्याम जी ने कहा कि जैसा कि स्वीटजरलैंड में सतर्कता आयोग है वैसा ही कमीशन यहां भी होना चाहिये जो सर्वसत्तासम्पन्न हो। मैं श्रीमन, यह भी कहना चाहता हूं कि इस सतर्कता आयोग का जो विधान रखा है इसका कार्यक्षेत्र बड़ा सीमित है। इसका कार्यक्षेत्र क्या होगा? मेरे विचार में वही होगा कि बड़े-बड़े अधिकारियों की सदिच्छाओं पर चलने वाले हों। इतिहास में मुगल काल में अब्दुल फजल और फैजी की सदिच्छाओं पर ही मुगल हुकूमत चलती थी तो क्या माननीय मंत्री जी मुगल बादशाह बनेंगे?

क्या चाहते हैं? इससे तो भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, हम कहते हैं कि नहीं मिटेगा। अगर आप कहते हैं कि मिटेगा तो एक बात की शर्त रखें कि इस कानून के लागू होने के दो महीने या ६ महीने बाद एक परसेंट या दो परसेंट या पांच परसेंट भ्रष्टाचार मिटा कर दिखा दीजिये या भ्रष्टाचार बढ़ने न दें यही करके दिखा दें। तब हम इस पर कुछ सोचें। आप स्वयं नहीं जानते हैं कि आप कहां बैठे हैं? इन कुर्सियों में भ्रष्टाचार के खटमल लगे हुये हैं जो रोज काटते हैं आपको, लेकिन आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, अब भी चिपके हुये हैं। सोचते हैं कि तीन महीने ही तो काटेंगे, फिर तो सोफा पर बैठने का और हवाई जहाज में उड़ने का मौका मिलेगा।

मैं आपको कल की बात बताऊं, देवरिया की बताऊं.....

श्री अधिष्ठाता—

कुछ बजट के लिये भी रहने दीजिये।

श्री उग्रसेन—

बजट के लिये? हरि अनन्त हरिकथा अनन्ता। कौन-कौन गुन बरनों झबरी तोर। बजट के लिये तो इतना है कि जिसको कोई सुनने वाला नहीं है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि इससे नौकरशाही मनोवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा। कोई पुलिस कप्तान जियाराम जी के जमाने में जब वह डी०आई०जी० थे रहे होंगे, उनको बहुत मानते रहे होंगे, उनका केस आयेगा, तो कहा जाता है कि जियाराम साहब बड़े ईमानदार आदमी हैं, लेकिन कुछ जातिवाद, कुछ भाई भतीजावाद का प्रभाव पड़ेगा। एक मिलिटरी के अफसर हमारे दोस्त के भाई थे। हमारी उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि मिलिटरी में जातिवाद बहुत ज्यादा है। हमने कहा, यह कैसे? तो उन्होंने बताया कि एक मिलिटरी के अफसर के खिलाफ दूसरा अफसर बैठा दिया जाय तो कभी खुलासा जांच नहीं हो सकती है। नेफा की जांच रपट आज तक शाया नहीं हुई है। उसी तरह से जो सरकारी नौकरशाही के बड़े-बड़े अफसरान हैं वह देखेंगे कि हमारा यह भाई मारा जायगा, हमारी जाति का मारा जायगा। यह बात केवल हमारे एम०एल०ए० लोगों में नहीं है। जे०पी० मिश्र की नाक उग्रसेन पा जायेंगे कि टेढ़ी है तो चिल्लाना शुरू कर देंगे कि जे० पी० मिश्र की नाक टेढ़ी है। पर उनमें यह बात नहीं है। अगर देवरिया का कलेक्टर मारा जायगा तो मेरठ तक का कलेक्टर बिलबिला उठेगा। देवरिया के कलेक्टर की शिकायत यहां की जायगी और मेरठ का कलेक्टर बैठा सुन रहा होगा तो फौरन देवरिया टेलीफोन पर बात करेगा। टेलीफोन उसके बाप का नहीं है जनता का है, लेकिन अपना काम सब वह उस पर करेगा। तो यह केवल मेरी शंका नहीं है, शंका में तो कुछ सन्देह होता है, बिलकुल निश्चित बात है कि इससे नौकरशाही को बढ़ावा मिलेगा।

दूसरे यह जो विधेयक लाया गया है यह बहुत जल्दी में लाया गया है। मैंने थोड़ा-सा पढ़ा कि इंगलैंड में पहले सड़क बन गयी, कारखाने खुल गये, बस स्टेशन बड़े-बड़े बन गये, मुसाफिरों के ठहरने को जगह बन गयी तब वहां मोटरें चलायी गयीं। लेकिन माननीय मुजफ्फर हसन के यहां क्या हुआ? पहले गाड़ी चला दी गई? चार मील जाने पर मालूम हुआ कि आगे कच्ची है। तो रोक दी गई। अब पड़े-पड़े वह खराब हो गई। तो उसके लिये वर्कशाप बनाना जरूरी है। पहले प्राथमिक चिकित्सा के लिये बनाया गया.....(व्यवधान) तो वही चार मील सड़क है और उस पर यह गाड़ी छोड़े हुये हैं। यह जनतंत्र का मजाक है..... (व्यवधान) मैं तो अब इस राय का हो गया हूं माननीय मंत्री जी, कि भ्रष्टाचार के नारे अब न लगाये जायं। अब हम यह मानकर चलें कि माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा भी भ्रष्टाचारी हैं और माननीय उग्रसेन उससे भी बड़े भ्रष्टाचारी हैं। (व्यवधान)..... इस भ्रष्टाचार को अथाह समुद्र समझ कर और तब हम काम करें। जो तलवार लटका करती थी राजाओं के सिर पर उस तरह से अगर जनता जनार्दन का हौवा आपके सर पर रहे तब तो कुछ काम हो, लेकिन वह है नहीं। मैं उदाहरण देता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप तो बहुत पुराने विधायक हैं। मैं आप से राय लेता हूं, उग्रसेन जैसा गरीब आदमी भला क्या कर सकता है। माननीय गेंदासिंह के क्षेत्र में एक बालिका का अपहरण किया गया। विकास के १५ अधिकारियों द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया। दरोगा ने उसको अस्पताल में भेजा। वहां के कलेक्टर को इसका पता है। उस लड़की को अस्पताल से भगा दिया गया। कलेक्टर और एस० पी० देवरिया में राग-रंगेलियां कर रहे हैं और फिर क्या इस विधेयक से उग्रसेन को संतोष हो सकता है, कृष्णाराय जी और चन्द्रबली जी को संतोष हो सकता है। या तो इन लोगों को निकाल दिया जाय या देवरिया के राजकुमार और उसकी पार्टी को गोली मार दी जाय।

सन् ४६ की बात है। जब बम्बई में नेहरू जी गये थे। हमने वहां नेहरू जी की स्पीच के लिये ५ लाख आदमी इकट्ठा किया था और पंडित जी ने वहां इतनी भीड़ के सामने यह कहा था कि भ्रष्टाचारियों और चोर बाजारियों को गोली मार दी जायगी। भला इस जियाराम कमीशन से काम चलेगा? भाषण भले ही हो जायं, लेकिन इस विधेयक में कुछ रखा नहीं है। नन्दा जी तो अजीब, जानवर उनको कैसे कहूं, हैं, वे हमारे साथ में बम्बई में ६ साल रहे हैं। भाई से झगड़ा हो जाय तो, बीबी से हो जाय तो उनसे कहिये। भला इस से क्या भला होने वाला है? इसलिये मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि मंत्री जी इस विधेयक को वापस ले लें और एक दूसरा जनतंत्र के अनुरूप विधेयक लायें। इस पर पूरा संवाद होना चाहिये और विधेयक को ठीक प्रकार से लाया जाना चाहिये। वरना अगर आप संख्यासुर के बल पर इसको पास करा लेंगे तो उसमें हमारा क्या बस है?

श्री अधिष्ठाता—

(श्री कृष्णचन्द्र का नाम पुकारे जाने के उपरान्त) आपको आह्वान करने के पूर्व मैं एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं कि आजकल बजट चल रहा है, माननीय सदस्य उसकी तैयारी में लगे हुये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रस्तुत विधेयक आपके सामने है, उसकी परिधि बहुत सीमित है इस चीज को आप अपने सामने रख कर भाषण करें।

*श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इसके सीमित क्षेत्र में ही रह कर अपने विचार प्रकट करूंगा। माननीय उग्रसेन जी और उनके साथियों के भाषण मैंने सुने। मैं नहीं समझ सका कि इस मासूम से संकुचित विधेयक का क्यों विरोध किया गया है? मैं सरकार को आर्डिनेंस जारी करने और फिर उसके लिये इस विधेयक को लाने के लिये बधाई देता हूं। सरकार बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णचन्द]

ईमानदारी के साथ इस विधेयक को लाई है। भ्रष्टाचार की सबको शिकायत थी, उसी के निराकरण के लिये सरकार इसको लायी है। इस कमीशन की स्थापना करके श्री जियाराम को डायरेक्टर बनाया जिसके लिये इधर और उधर के सभी माननीय सदस्यों ने प्रशंसा की थी। मैं समझता हूं भ्रष्टाचार इस प्रदेश में है और सरकारी कर्मचारियों में है और उसके निराकरण के लिये जो कदम उठाया जाना चाहिये था, वही उठाया गया है। श्रीमन्, हमको एक बात का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा कि हम अपने उत्साह और जोश में कोई ऐसा कदम न उठा जायें, हम अपनी वाणी से कोई ऐसी बात न कह जायें जिससे यह जो हमारी सर्विसेज हैं, ये भ्रष्टतंत्र हैं डिमोरलाइज न हो जाय। जैसे ये हैं वैसे ही हमको मिले हैं और मैं समझता हूं कि इन्हीं के जरिये अभी बहुत दिनों तक हमें प्रशासन चलाना पड़ेगा। इसलिये हमारा कोई ऐसा कदम न हो जिससे ये डिमोरेलाइज्ड हो जायं। हम यह जरूर चाहते हैं कि इसमें जितना भ्रष्टाचार है उसका अन्त हो, भ्रष्टाचार हटे और हमारे कर्मचारी ईमानदार बनें, उनमें इन्टेगरिटी आये। यह हमारा प्रयत्न होना चाहिये। अगर नौकरशाही में इन्टेगरिटी न हो तो यह सरकार नहीं चल सकती है, आजादी नहीं रह सकती है और प्रजातंत्र नहीं रह सकता है तथा यह देश भी नहीं रह सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। लेकिन इसके साथ ही हमें यह कदम उठाना पड़ेगा, यह सोचना पड़ेगा जिससे कि ये डिमोरेलाइज्ड न हों। इसलिये मैं समझता हूं कि यह उचित कदम है कि इसके अध्यक्ष श्री जियाराम हुये। वर्तमान परिस्थिति में यह भी सही है कि जितनी शिकायतें आवें वे सरकार के पास आनी चाहिये और जब कहीं प्राइमाफेसी इस्टेब्लिश हो जाय तब उसका विजिलेंस कमीशन के सामने जाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात जरूर कह देना चाहता हूं। मुझे एक आशंका है। आज तो भाग्य की बात है कि श्री जियाराम जैसे व्यक्ति आपको मिल गये जिनको आपने उसका डाइरेक्टर बना दिया, लेकिन आगे ऐसा अवसर आ सकता है जबकि हम पीछे मुड़ कर देखें तो संभवतः हमें ऐसा आफिसर न मिले। इसलिये मैं इस बात का बिलकुल समर्थन करता हूं कि भविष्य को देख कर इस संगठन में परिवर्तन करने पड़ेंगे। हमको कालान्तर में एक वैसा ही संगठन बनाना पड़ेगा जैसा कि पब्लिक सर्विस कमीशन का है जिस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रशासन का या शासन का कोई अधिकार न हो और वह उसके कब्जे में न रहे। यह प्रक्रिया तो अभी हमने प्रारम्भ की है और जब प्रक्रिया प्रारम्भ ही की है तो उसको हमें प्रयोगात्मक रूप से चलाना चाहिये, एक्सपेरिमेंटल तरीके से उस को समझना चाहिये। इसमें जो कमियां और दिक्कतें आयेंगी, वह तो सारी की सारी रिपोर्ट लेजिस्लेचर के सामने आयेगी ही और तब हमको अधिकार होगा कि हम उसका सुधार करें और जो उसमें खामियां हैं उनको सरकार के सामने रखें और सरकार उसमें संशोधन करे।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है, यह एक अच्छा स्टार्ट है, लेकिन अभी माननीय सदस्य ने जो आशंका प्रकट की है, इसका भी कोई हल इसके अन्दर थोड़ा बहुत होना चाहिये। श्री जियाराम की प्रशंसा दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि श्री जियाराम जी हमारे प्रान्त के अन्दर या हमारे बीच में कब तक रहेंगे या नौकरी में कब तक रहेंगे? इसके बाद सरकार कौन-सा इन्तजाम करने जा रही है जिससे दूसरे जियाराम पैदा किये जा सकें। इसके बाद मैं आप से कहना चाहता हूं कि श्री जियाराम जी तो एक स्थान पर ही बैठेंगे, अपना कोर्ट लगायेंगे और दफ्तर का इंतजाम करेंगे, लेकिन उनके नीचे के जो अधिकारीगण हैं जो जगह-जगह जाकर इंक्वायरी करेंगे उनको एक लाइन में आप कहां से कैसे रखते हैं और इसके लिये आपके पास कौन से साधन हैं, जिससे वे उन्हीं की तरह ईमानदार हों।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्क्रीनिंग का जहां तक सम्बन्ध है, अगर शिकायत सरकार के पास आयेगी तो उसका क्या नतीजा होगा। अभी चार दिन का किस्सा है मैंने स्वयं सहारनपुर के एस० पी० के विरुद्ध माननीय गृह मंत्री जी से शिकायत की तो वह कहने लगे कि शराब ही तो पीता है, थोड़ी बहुत ऐइयाशी भी करता है उसमें क्या बुराई है। जहां का गृह मंत्री ऐसा कहे और उसका यह स्टैन्डर्ड हो जाय तो आप वह प्राइमरी स्क्रीनिंग किससे करायेंगे और किससे कहेंगे जहां सूबे में हालत यह होती जा रही है कि खुले आम ब्लैक मार्केटिंग हो रहा हो, लोग धन कमा रहे हों, अफसर लोग खुले आम रिश्वत लेकर पनाह पा रहे हों। रेलवे स्टेशनों पर खुले आम बदमाशों के डेरे लगे हों। माननीय अध्यक्ष सहारनपुर गये, मैंने ट्रेन से ही उनको दिखाया कि यह बदमाश हैं यह गिरहकट हैं यही रात भर डकैती डालेंगे। पुलिस के लोग मौजूद हैं। उसके बाद डी० वाई० एस० पी० ने अध्यक्ष जी के कान में कुछ कह दिया, मैंने उनसे कहा कि इसका असर तो कुछ आप पर नहीं हुआ। अगले स्टेशन पर मैंने उनको फिर बदमाशों के मजमुए को दिखा दिया कि यह नमूना है। यह लोग पहले ही स्क्रीनिंग में कह देंगे कि यह तो हमारे यहां का बड़ा ईमानदार आदमी है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि इसी सदन के माननीय सदस्य ऐसे लोगों के साथ गठजोड़ किये हैं और यही जिले के अन्दर डेसटिनी गाइड करते हैं। एस० पी० के बंगले से थानेदारों को वह फोन करते हैं कि मैं एस० पी० के बंगले से बोल रहा हूं और उनके कहने से ट्रांसफर किया जाता है। बड़ी मुश्किल से श्री फूलसिंह से छुटकारा मिला था तो अब एक के बजाय ३ पैदा हो गये, किस-किस से जान छुड़ायें। यह जो आपके गठबंधन हैं और कुर्सियों को कायम रखने के जो साधन हैं उनके लिये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो सरकार की इस जगह से हो रहा है। यहां से भ्रष्टाचार और बदमाशों को पनाह मिलती है।

आप जरा दारुलशफा में जाकर देखें, क्या कोई कमरा ऐसा है कि जहां दिन में बत्तियां न जलती हों, क्या कोई कमरा ऐसा है कि जहां अनैतिक रूप से आदमी न रहते हों, कोई कमरा ऐसा है कि जहां रात को इतनी गन्दगी .... (व्यवधान) खयाल उनको है जिनको अपनी इज्जत का पास है। बड़ा दुख होता है। मेरा मतलब यह है कि जो स्क्रीनिंग यहां पर होगा उसका क्या विश्वास है कि वह सही होगा, जब वही सही नहीं होगा तो फिर उसमें जियाराम क्या कर सकेंगे। जैसा कि श्री उग्रसेन जी ने कहा आप व्यापक रूप रखिये जिससे चारों ओर से गिरफ्त हो सके बदमाशों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, चोरबाजारों के खिलाफ और जनता को फिर से विश्वास हो सके, जो आज से १७ साल पहले पैदा हुआ था। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि इन बातों का ध्यान रखा जाय और एक मुकम्मल बिल लायें और इन तमाम बीमारियों को खत्म करने के लिये पर्याप्त ध्यान दें।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५ का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और इसके सम्बन्ध में जो संशोधन हैं उनका मैं विरोध करता हूं। मुझे इसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के विचार जानने का अवसर प्राप्त हुआ, मुझे उन की बातों को सुनकर ताज्जुब हुआ एक तरफ कहा जाता है और नारा लगाया जाता है कि भ्रष्टाचार है मैं भी स्वीकार करता हूं कि भ्रष्टाचार है। लेकिन इस प्रजातंत्र के ढांचे में, उसका वैधानिक उपाय भी तो होगा। जब कोई वैधानिक कार्य यह सरकार करना चाहती है तो उसका विरोध किया जाता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि सहानुभूति का दृष्टिकोण सरकार के साथ अपनाया जाय। जल्दी करने के बजाय देर की जाती है। अभी-अभी मेरे माननीय मित्रों ने बहुत-सी बात कहीं, जो बिलकुल अनावश्यक थीं। इसमें संदेह नहीं कि भ्रष्टाचार है लेकिन अगर उसका विश्लेषण करें तो हमें पता चल जायेगा कि वास्तव में स्थिति क्या है। ज्यादा मुनासिब होगा कि हम दूसरों को भ्रष्ट कहने से पूर्व अपने-अपने हृदय को देखें। हम देखें कि जो भ्रष्टाचार फैल गया है उसको रोकने में हमारा प्रत्येक का कितना कन्ट्रीब्यूशन है। श्रीमान्, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कहकर

[श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल]

राष्ट्र का मनोबल गिराया जा रहा है । इतिहास इस बात का साक्षी है कि भ्रष्टाचार पहले भी रहा है । कौन-सा ऐसा युग हुआ है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं था ? भारतवर्ष में भीषण भ्रष्टाचार था, लेकिन वह दबा हुआ था । मेरा अनुभव है कि हम स्वयं भ्रष्टाचार में सहयोगी होते हैं । मुकदमों में जाते हैं, दबाव डालते हैं अफसरों पर दबाव डालते हैं, खास-खास मामलों को हम दबाते हैं और इस प्रकार भ्रष्टाचार बढ़ाने में सहायक होते हैं । मैं इन्डिवीजुअल केसेज में नहीं जाना चाहता । मैं सदन में नाम नहीं लेना चाहता और मुझे अफसोस है कि मेरे मित्रों ने नाम ले लेकर सदन में उनके बारे में कहा है । मैं अपने दोस्त, श्री मायर की बहुत इज्जत करता हूं । उनके साथ खाना भी खाता हूं । हो सकता है कि उनके पड़ोसी ऐसे हों लेकिन मेरे पड़ोसी, जहां मैं दारुलशफा में रहता हूं अत्यन्त शरीफ लोग हैं हो सकता है कि मेरे साथी के पड़ोसी कुछ भिन्न हों । हो सकता है कि वे भी उस भ्रष्टाचार के शिकार हों ।

मैं तो, श्रीमन्, माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं, ऐसा सक्रिय कदम उठाने के लिये । अगर एक विजिलेंस कमीशन जो उसके पास मामले आयें, उनकी छानबीन करे तो भ्रष्टाचार दूर हो सकता है । उन्हें अधिकार देना चाहिये । जब उनके पास अधिकार न होंगे तो वे कैसे काम कर सकेंगे । जहां शासन होता है वहां अधिकारी होते हैं, जिनके द्वारा शासन चलाया जाता है । अधिकारी अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं । प्रजातंत्र के ढांचे में हमें अपना दृष्टिकोण यह बनाकर चलना चाहिये कि सभी शुद्ध हैं । यदि इस प्रकार से विशेष व्यक्तियों की हम टीका-टिप्पणी करेंगे तो उनका मनोबल कहां तक गिरेगा और इसका परिणाम कितना घातक निकलेगा ? हमारे माइंड कम्पलेनिंग माइन्ड हो जायेंगे । हो सकता है कि १०० में से २०–२५ ऐसे हों, लेकिन ७५ या ८० प्रतिशत ऐसे नहीं हो सकते । भ्रष्टाचार तो जरूर है लेकिन जितना कहा जाता है उसका रूपान्तर करके, उतना नहीं है । आज जनता के सामने हम उनके पैरोकार बन कर चले जाते हैं । और प्रचार करते हैं कि हम भ्रष्टाचार मिटाने के लिये बड़े प्रयत्नशील हैं, लेकिन इससे भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता है ।

मैं व्यक्तिगत बात नहीं कहूंगा, यद्यपि मेरे पास नाम तक हैं कि जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उनको बारीक चश्मे से देखते हैं तो वह खुद उस भ्रष्टाचार में फंसे होते हैं । आज इस देश का रवैया यह हो गया भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार जिसका फल यह होगा कि हमारा राष्ट्र कम्पलेंट माइंडेड हो जायगा और उसका प्रतिफल यह होगा कि हम में काम करने की क्षमता नहीं रहेगी और राष्ट्र के मनोबल को गिराने में हम सहायक होंगे ।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

अधिष्ठाता महोदय, यह सतर्कता विधेयक पेश किया गया है, लेकिन क्या सरकार सतर्क है ? फिर विधेयक में सतर्कता कैसे आयेगी ? इसका नाम है भ्रष्टाचार, यानी भ्रष्टाचार । जियाराम जी बहुत बड़े पुलिस ट्रेनिंग कालेज के प्रधानाचार्य हैं और पुलिस के डी० आई० जी० रह चुके हैं । तमाम लोगों ने उनकी तारीफ की है, लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि पहले पटवारी डिपार्टमेंट भ्रष्ट था तो आज पुलिस विभाग भ्रष्ट है । वैसे बनारसीदास जी का सहकारिता विभाग भी सड़ रहा है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट तो हद कर गया । माननीय मिश्र जी तथा उग्रसेन ने कलई खोल कर रख दी । यह असाध्य रोग हो गया है । आपको ज्ञात होगा कि एक भ्रष्टाचार निरोधक समिति जिले-जिले में बनी हुई है । मैं भी उसका पदेन सदस्य हूं । भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष श्री राधामोहन चतुर्वेदी ने एक सुझाव दिया कि हर विभाग के अध्यक्षों को बुला लिया जाय मीटिंग में तभी भ्रष्टाचार मिटेगा, लेकिन उसे नहीं माना गया । मेरा जो २० साल का अनुभव है उसके आधार पर मेरा निवेदन यही है कि पहले तो दारुलशफा का भ्रष्टाचार मिटाओ । विधान सभा बन्द हो जाती है, लेकिन बिजली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और पंखे अन्धाधुन्ध चलते हैं और सारा बजट का खर्चा गरीब किसान पर पड़ता है क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है ? और कुछ सदस्य ऐसे जरूर हैं जो अपने कमरे से ताला लगा कर जाते हैं और जब विधान सभा चलती है या कोई कमेटी होती है तब आते हैं । लेकिन अधिकांश किराये पर दे रखे हैं । इसकी सी० आई० डी० से इंक्वायरी कराई जाय । जब स्वयं सदस्यों का यह हाल है तो माननीय जियाराम या नन्दा जी क्या करेंगे ? इस कानून से भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता है । जब तक आपके आमाल भ्रष्ट रहेंगे तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता है । क्या छोटे छोटे कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हैं ? बड़े अधिकारी बड़ी भ्रष्टाचार करते हैं और बड़ा मंत्री लाखों और करोड़ों का भ्रष्टाचार करेगा ।

मैं माननीय राधेश्याम जी और माननीय कमलासिंह जी की बात का समर्थन करता हूं । भ्रष्टाचार असाध्य रोग है । इसका इलाज तभी होगा जब सरकार नाम की बीमारी के अन्तर्गत कोई आयोग नहीं बनेगा और सरकार बिलकुल हस्तक्षेप न करे । जैसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय है उसी तरह से न्यायालय बने और उसमें भ्रष्टाचारी लोग बिलकुल न रखे जायं । मंत्री जी बड़े विद्वान हैं । मेरी तहसील में बिजली नहीं लगी । इसमें भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है ? लाइन तक नहीं बनी है । भ्रष्टाचार है । - भ्रष्टाचार को रोकने के लिये तपे हुये पुराने कांग्रेसियों की आवश्यकता है जो देश के लिये फांसी के तख्ते पर लटकने के लिये तैयार हों । ऐसे रोजगारी नेताओं को न बनाओ जो कोयले और सीमेंट को बेचते हैं और जिन्होंने कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर रखा है । माननीय नेगी जी सब बात जानते हैं । इधर से त्रिपाठी ग्रुप की जोरदार बातें होती हैं और उधर से गुप्ता जी के चापलूसों के भाषण हो जाते हैं । इनमें से किसी को मत रखो । जो निष्पक्ष जज हों उनकी एक कमेटी बनाई जाय । ४–८ आने या रुपया, डेढ़ रुपया दो रुपया लेने वाले छोटे कर्मचारियों को मत मारो । मारना हो तो उनको मारो जो लाखों और करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं । माननीय बनारसीदास जी अपने विभाग की बात सोचें । ऐसी कोई समिति नहीं है .....

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

अधिष्ठाता महोदय, यह अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं । इनको यह समझ होनी चाहिये कि कैसी बात की जाय । आप कैसी बात करते हैं । (व्यवधान) जैसे बिलकुल जंगल के अन्दर बकवास करते हों ।

श्री लखीसिंह—

यह नाराज क्यों होते हैं ? (व्यवधान) मेरे क्षेत्र में यह गये हैं और इनका बड़ा भारी स्वागत हुआ है । यह आपकी जिम्मेदारी है और हम भी इसके जिम्मेदार हैं । हमको कोई बोलन नहीं देता और उसका प्रधान कारण है कि आप जितने मंत्री हैं, जितनी यह सरकार है वे जो गरीब हैं उन पर आपके कर्जे का पैसा नहीं लगता है लाखों करोड़ों का गबन हो जाता है । यह भ्रष्टाचार की बात है ।

"तीन वरन ऊपर के बिगरे, फिर शूद्रों का कहना क्या ।
फूटी आंख लगी जब ठोकर, दोष पैर को देना क्या ।।"

क्या आप भ्रष्टाचार मिटा सकते हैं ? आप भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकते हैं । हां छोटे छोटे सिपाहियन पर पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल, बस कंडक्टर पर आपके भ्रष्टाचार आयोग ने काम किया है । हम जियाराम जी का स्वागत करेंगे यदि वह सबसे पहले मंत्रियों को ले उसके बाद एम० एल० को लें और मैं कहता हूं कि उनको नजरबन्द करके डाल दें जो भ्रष्टाचार करते हों ।

श्री अधिष्ठाता—

यों तो माननीय सदस्य ही को इस पर बोलना चाहिये, किन्तु मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह कुछ बोल लें, जिससे विषय पर कुछ प्रकाश पड़ सके, और विषय सरल बन सके ।

*विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जो इस विधेयक पर बोले, किन्तु जो वे बोले उससे इस विधेयक का कोई संबंध नहीं है । इस विधेयक से उनके कहने का कोई मतलब नहीं है । बात केवल इतनी है कि एक सर्तकता आयोग हमने बनाया है वह बन गया । श्री मिश्रा जी की जानकारी के लिये मैं बताऊं कि सतर्कता आयोग के जहां और बहुत से काम हैं वहां उसका यह भी काम है कि भ्रष्टाचार किस तरह से इस प्रांत में दूर हो उसके बारे में भी वह सुझाव दे । इसके अलावा उसके कामों में यह है कि वह भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करे और दूसरी चीज भी हैं । जांच करने के लिये जो आयोग है, उसके एक डाइरेक्टर हैं । पहले पुलिस के आफिसर हुआ करते थे बाद में मांग आई कि उनको अलग रखा जाये । माननीय सदस्यों ने श्री जियालाल जी की तारीफ की कि वह एक ईमानदार आदमी हैं इसका मैं स्वागत करता हूं । लेकिन विधेयक में ऐसा कोई कानून नहीं है कि पुलिस के आदमी ही हमेशा उसमें हुआ करेंगे । यह तो आवश्यकता के अनुसार बदल सकता है । हो सकता है कि कभी इंजीनियरों के खिलाफ शिकायत ज्यादा हों तो हम यह भी चाहेंगे कि किसी चीफ इंजीनियर को उसका डाइरेक्टर बनाया जाये और यह अच्छा भी होगा । यदि पहले पुलिस वालों से उसे अलग न करते तो वह उसी प्रकार से कार्य करती जिस प्रकार से पुलिस अपनी जांच और दूसरी कार्यवाही करती है । यदि वह अलग हुई है तो यदि उसको यह अधिकार न दे कि वह जांच करें तो वह काम कैसे करेगी ? मैं चाहता हूं कि जो अधिकार पुलिस अधिकारियों को हैं वह अधिकार उन्हें भी मिले । इसमें कोई दूसरा विजिलेन्स कमीशन बनने की बात नहीं। दूसरी चीज यह आ जाती है कि यह विजिलेन्स कैसे काम करेगा । वह तो काम कर ही रहा है। उस काम के करने में अधिकार की आवश्यकता थी, खास तौर से पुलिस के अधिकार । मैं आशा करता हूं कि इन अधिकारों को जिसकी कमीशन को अत्यन्त आवश्यकता है यह सदन सर्व सम्मति से प्रदान करेगा ।

*श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इधर के बोलने वाले और उधर के बोलने वाले जो सदस्य हैं सबका कृतज्ञ हूं जिन्होंने मुझे प्रस्ताव रखने का मौका दिया और उसके ऊपर अपने अपने विचार प्रकट किये । एक माननीय सदस्य ने कहा कि जियाराम जी चले जायेंगे तो फिर कोई मिलेगा ही नहीं । अगर वह चले जायं तो किसी ऐसे वरिष्ट अधिकारी को इंचार्ज बनाया जा सकता है और ऐसे अधिकार सौंपे जा सकते हैं लेकिन उसका ऐसा होना अत्यन्त आवश्यक है जो किसी भी पोलीटिकल प्रेशर के अन्दर न आ सके । उससे अछूता रहना उसका अत्यन्त आवश्यक है । अगर कोई आदमी अपनी जगह पर न्याय न करे इतना निकम्मा हो जाय और फिर उसके स्थान पर कोई दूसरा आदमी न मिले, यह तो बड़े दुख की बात होगी ।

असल में कामराज जी की योजना हमारे सामने थी, जिस किसी को मारना था उसको ऐसे खत्म कर दिया गया कि किसी को पता नहीं लगा । माननीय मंत्री जी की इटेंशन पर मैं कोई संदेह नहीं करता । लेकिन इतना तो मैं अवश्य कहूंगा कि यह चीज सिर्फ अनुसंधान विभाग से संबंधित है इसलिये अनुसंधान की पावर्स इसको दी जानी चाहिये । पुलिस आफीसर्स की पावर्स इसको देने की फिर क्या जरूरत है ? चूंकि पुलिस की पावर्स देने के लिये यह विधेयक लाया गया है इसीलिये हम उसके बारे में शुबहा होने लगा है ।

फारेन कन्ट्रीज में तो डेमोक्रेसी के बारे में यह कहा गया है—

"A democracy should be ashamed of even one substantial abuse of administrative power each year."

तो मैं समझता हूं कि ऐसे जनतंत्र के लिये शर्म की चीज होगी । ऐसी चीजों को दूर करने के लिये यह सतर्कता निदेशक की नियुक्ति की गयी है । हमें उम्मीद है कि वह अपने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर्तव्य को पूर्ण रूप से पालन करेगा और उसको कामयाबी होगी । लकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये जिसके बारे में लोगों को शुबहा हो । इस विभाग में ऐसा कोई आदमी न आने पावे जिसके बारे में करप्ट होने का जरा सा भी शुबहा हो । इसमें भी हेड के अच्छा होने पर हमें विशेष बल देना है क्योंकि हेड अगर अच्छा होगा तो उसके नीचे के आफीसरान भी अच्छे होंगे और जिनको आज हम करप्ट कहते हैं उनको भी ईमानदार बनाया जा सकेगा । इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे ।

श्री रक्षपालसिंह—

श्रीमन्, मैं तो माननीय मंत्री जी से जो सदन म विचार प्रकट किये गये हैं, उनको देखते हुए कहना चाहता हूं कि दो एक सदस्यों को छोड़ कर सदन के सभी सदस्यों ने, चाहे वे कांग्रेस दल के हों अथवा विरोधी दलों के, यह शंका प्रकट की कि यह जो आयोग बना है वह ठीक से काम कर भी पायेगा या नहीं, क्योंकि उसके सारे अधिकार सरकार में अन्दर ही निहित हैं । इस पर भी माननीय मंत्री जी कहते हैं कि विधेयक तो पुलिस की पावर्स उनको देने मात्र के लिये ही लाया जा रहा है । यह विधेयक केवल पुलिस अधिकार लेने मात्र से संबंधित नहीं है । आप इसकी धारा ४ (१) देख लें । उसमें है :—"उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होगा ।" और उसी के दूसरे में उससे आगे कहा गया है कि "उक्त अधिष्ठान का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा तदर्थ नियुक्त ऐसे अधिकारी में निहित होगा जो सतर्कता निदेशक कहलायेगा और वह उक्त अधिष्ठान के संबंध में राज्य के साधारण पुलिस दल के संबंध में पुलिस महा-निरीक्षक द्वारा प्रयोक्तव्य ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार तदर्थ निर्दिष्ट करे ।" तो यह कहना कि इसमें कुछ नहीं है ठीक नहीं है ।

इसमें यह है कि पहले जो आयोग सरकार ने बना रखा था उसको कुछ अधिकार नहीं थे और कुछ अधिकार उसको अध्यादेश द्वारा दिये गये हैं और अब गवर्नमेंट उसको रेलगुराइज कर रही है । इसमें यहां तक है कि सरकार द्वारा निर्दिष्ट एप्लीकेशंस पर ही केवल कार्यवाही होगी । मैं इसी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट का उदाहरण देना चाहता हूं । उसके अन्तर्गत अधिकारी को जितने विवाद के कागजात दिये जाते हैं उसमें कोई मियाद नहीं होती है कि सरकार कितने दिन में निर्दिष्ट करेगी । उसमें साल भर, ६ महीने कोई मियाद नहीं है, उसके बाद भी कोई सूचना उसको नहीं दी जाती है । इस देर के लिये और न खारिज करने के लिये कोई रीजन दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है । इसी प्रकार इसमें जो ऐप्लीकेशंस आयेंगी उनके लिये नियमों में कोई उल्लेख नहीं है कि कितने दिनों में उसकी एन्क्वायरी हो जायगी किसी अधिकारी के खिलाफ कोई एलीगेशन लगाये गये हो तो कब तक उसका फैसला हो जायगा यह कहना कठिन है । इसीलिये मैं यह कहता हूं कि अगर प्रवर समिति में यह जाये तो यह सब व्यवस्था हो सकती है कि जितने प्रार्थनापत्र आवेंगे वह सतर्कता आयोग देखेगा और तीन महीने के अन्दर जाकर फैसला हो जायगा और साल भर तक उसको नहीं दबाया जायगा । वैसे तो इसमें भ्रष्टाचार और कदाचार छपा है, लेकिन उसमें दुराचार और अनाचार जैसे शब्द होंगे । लखीसिंह जी ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक समितियां जिलों जिलों में अनाचार और दुराचार को समाप्त करने के लिये हैं । मेरे जिले फतेहपुर में कांग्रेस के एक व्यक्ति जो एम० एल० ए० नहीं है उसके सभापति हैं । उसमें यह बात हुई कि पहले भ्रष्टा-चार क्या है यह निश्चित हो जाय तब उसके दूर करने के लिये प्रयत्न किया जाय । इसी तरह से यहां पर सब माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं कि भ्रष्टाचार क्या है, अगर वहां प्रवर समिति में यह विधेयक जाय तो वहां पर निश्चय हो जाय कि भ्रष्टाचार क्या है और उसके ऊपर निश्चय हो सकेगा कि फिर किस प्रकार की प्रणाली अपनायी जाय जिससे इस भ्रष्टाचार के उन्मूलन में सहायता हो । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी मेरे प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार करेंगे ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मुझे अब कुछ नहीं कहना है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५ को जनमत संग्रह के लिये एक मास तक घुमाया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि में भी परिवर्तन करने का अधिकार हो तथा वह अपना प्रतिवेदन १ मास में प्रस्तुत कर दे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान विधेयक, १९६५ पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २

सतर्कता अधिष्ठान का संघटन तथा अधिकार ।

२—(१) पुलिस ऐक्ट, १८६१ में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार धारा ३ के अधीन विज्ञापित अपराधों का अनुसंधान करने के लिए एक विशेष पुलिस दल संघटित कर सकती है जो उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान कहलायेगा ।

(२) किन्ही भी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार तदर्थ दे, ऐसे अपराधों का अनुसंधान करने तथा ऐसे अपराधों से सम्बद्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के संबंध में उक्त अधिष्ठान के सदस्यों को वे सभी अधिकार, कर्त्तव्य, विशेषाधिकार तथा दायित्व होंगे जो ऐसे अपराधों के अनुसंधान करने के संबंध में राज्य के सामान्य पुलिस दल के तदनुरूप पद धारण करने वाले पुलिस अधिकारियों को हैं और तत्समय किसी विधि के अन्तर्गत अधिकार प्रदान किये जाने के निमित्त वे राज्य के सामान्य पुलिस दल में तदनुरूप पद धारण करने वाले पुलिस अधिकारी समझे जायेंगे ।

(३) उक्त अधिष्ठान का उप निरीक्षक अथवा उससे ऊंचे पद का कोई सदस्य, राज्य सरकार द्वारा तदर्थ किये जाने वाले किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए, उपधारा (२) के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करने में, उस क्षेत्र में जिसमें वह तत्समय हो, थाने के प्रभारी अधिकारी के किन्हीं भी अधिकारों का प्रयोग कर सकता है और जब वह उपर्युक्त किन्हीं ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए ऐसे अधिकारों का इस प्रकार प्रयोग करे तो वह अपने थाने की सीमाओं के भीतर ऐसे अधिकारी के कृत्यों का संपादन करने के लिए थाने का प्रभारी अधिकारी समझा जायगा ।

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) में शब्द "किन्हीं भी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार तदर्थ दे, ऐसे" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

"राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस विधेयक के खंड २ के उपखंड (२) में यह है कि "किन्हीं भी ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार तदर्थ दे, ऐसे अपराधों का अनुसंधान करने तथा ऐसे अपराधों से सम्बद्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के संबंध में उक्त अधिष्ठान के सदस्यों को वे सभी अधिकार, कर्त्तव्य, विशेषाधिकार तथा दायित्व होंगे जो ऐसे अपराधों के अनुसंधान करने के संबंध में राज्य के सामान्य पुलिस दल के तदनुरूप पद धारण करने वाले पुलिस अधिकारियों को हैं और तत्समय किसी विधि के अन्तर्गत अधिकार प्रदान किये जाने के निमित्त वे राज्य के सामान्य पुलिस दल में तदनुरूप पद धारण करने वाले पुलिस अधिकारी समझे जायेंगे।"

इसमें यह किया गया है कि अभी तक जितने भी तर्क यहां पर रखे गये और जितने लोगों ने भी इसमें भाग लिया चाहे वह इधर के लोग बोलें हों या चाहे उधर के लोग बोले हों सब लोगों का मन्तव्य यही था कि हम इस आयोग को बिलकुल निष्पक्ष रखें। हम नहीं चाहते हैं कि सरकार का किसी तरह से हस्तक्षेप इसमें हो। इसमें यह बात है कि सरकार जिन चीजों के लिए इन्कवायरी का आदेश देगी उन्हीं आपत्तियों पर इन्क्वायरी होगी। तो मैंने बतलाया था कि कामराज प्लान का मतलब यह हो सकता है कि जिसको नीचा दिखाना चाहते हैं उसके खिलाफ इन्क्वायरी करें। मेरे सामने एग्जाम्पिल गाजीपुर कालोनी का है। वहां पर लाखों रुपये का गबन हुआ और उसके बारे में जब वहां के लोगों ने दरख्वास्त दी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। तो यह ऐसी चीज है जिसमें एक तरह से शेल्टर करने की भावना है। मैंने भी इसके लिए कोशिश की। इसके बारे में पूरी जानकारी की कि कहां रुपया लगा है, क्या उस रुपये का करते हैं। वह सब गवर्नमेंट के पास भेज दी जाय और उस दरख्वास्त के आने के बाद भी अगर सरकार इन्क्वायरी न करे तो क्या किया जाय ?

श्री अधिष्ठाता—

इस पर काफी सामान्य विवाद हो चुका है। अगर आप कम समय लें तो अच्छा है। वैसे मैं रोकता नहीं, पर इसका खयाल रहे तो ठीक है।

श्री उग्रसेन—

अगर यह विधेयक कल भी चले तो आपको क्या आपत्ति है ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं रोकता नहीं हूं। आपको पूर्ण अधिकार है। जब तक आप चाहें नियत समय के अन्दर, तब तक आप चला सकते हैं, लेकिन इस पर विवाद काफी हो चुका है। मैं तो आपसे पूछता हूं कि आप संक्षेप में संशोधन प्रस्तुत कर दें और माननीय मंत्री जी उत्तर दे दें।

श्री कमलासिंह यादव—

हम लोग मजाक करने के लिए कोई कटमोशन नहीं रखते। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी विधेयक जो यहां से निकले अपूर्ण न हो। अभी तक तो आपने इसमें दिल्ली पुलिस इस्टैबलिशमेंट की कापी की है। हम लोगों को इस पर अपनी अक्ल लगानी चाहिए और सोचने के बाद अगर हम इस निर्णय पर पहुंचें...

श्री अधिष्ठाता—

आप अपनी बात कहिए, तर्क दीजिए।

श्री कमलासिंह यादव—

इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह विधेयक इतना इम्पार्टेंट है कि जिसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। इस विधेयक को हमें पास करना है, लेकिन इसके साथ ही सही रूप में पास करना है। अगर इसमें गड़बड़ी रह गयी तो कल फिर यह हमारे सामने आयेगा। यह संशोधन मैंने इसीलिए रखा है कि इसे बार-बार संशोधित न किया जाय। जिस रूप में यह है

[श्री कमलासिंह यादव]

उसके अनुसार सारी दरख्वास्तें सरकार के पास आयेंगी। आप अपने किसी आदमी को अगर बैठाना चाहते हैं तो वही इन अप्लीकेशन्स को रिसीव करेगा। अगर किसी आदमी को ही प्रोवाइड करना है तो हमें ऐतराज नहीं है, इतने खा रहे हैं, वह भी एक खा लेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इस आयोग को ही अप्लीकेशन्स को रिसीव करना चाहिए और उसका कोई भी अफसर इनकी व्यवस्था करे। आयोग को अधिकार होना चाहिए कि वह इनको छांटे। श्रीमन्, मैंने पढ़ा है कि स्वीडन में जो इस्टैबलिश्मेंट बना हुआ है उसके कमिश्नर का काम यह है कि वह अप्लीकेशन्स छांटे और वही डिसाइड करे कि कौन ली जायगी कौन नहीं। नतीजा यह है कि लाखों की संख्या में वहां अर्जियां आती हैं। सब से बड़ी बात वहां यह है कि वहां लोगों को इसके लिए डिस्करेज करने का प्रयत्न नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि जितने अधिकारी थे और जो अम्बट्मेन कमिश्नर था...

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, अब आप अपना भाषण कल जारी रखिएगा। अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ७ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१७ फरवरी, १९६५।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८७३ पर)

परिशिष्ट

क्रम-संख्या	महापालिका का नाम	वोटरों की संख्या	प्रस्तावित वार्डों की संख्या
१	कानपुर	५,१५,२८३	७२
२	आगरा	२,१२,५३५	५४
३	वाराणसी	२,२६,५०३	५४
४	इलाहाबाद	२,०६,१७४	५४
५	लखनऊ	३,०५,१७४	६३

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८७ पर)

सूची (क)

१—श्री जगन्नाथ सिंह, एम० एल० ए० ।
२—श्री हरिप्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष, अंतरिम जिला परिषद्, फतेहपुर ।
३—श्री क्षत्रपालसिंह, ग्राम घघोरा, पो० बहुआ, फतेहपुर ।
४—श्री रुद्रपाल सिंह, ब्लाक प्रमुख, मलवां ।
५—श्री जयनारायण सिंह, वकील (अध्यक्ष कमेटी) ।
६—श्री अनन्त स्वरूप, वकील, फतेहपुर ।
७—श्री गनेश प्रसाद आजाद ।
८—श्री लालचंदन सिंह, ब्लाक प्रमुख, असोथर ।
९—श्री अमरनाथ शुक्ला, ब्लाक प्रमुख, देवमई ।
१०—सहायक, निबंधक सहकारी समितियां, फतेहपुर, मंत्री कमेटी ।

सूची (ख)

एडहाक कमेटी के निम्न सदस्य सुपरसीड करते समय बैंक के डायरेक्टर्स थे ।
१—श्री जयनारायण सिंह, वकील ।
२—श्री हरिप्रसाद गुप्ता (गवर्नमेंट नामिनी)
३—सहायक निबंधक, सहकारी समितियां, फतेहपुर (गवर्नमेंट नामिनी) ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नस्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९५ पर)

क्रमांक	क्षेत्र विकास अधिकारी का नाम व पता	मिलम्बन की तिथि	अन्य विवरण
	सर्वश्री—		
१	के० के० तिवारी, क्षे० वि० अ० रावर्ट्सगंज, मिर्जापुर । ..	१७–६–१९६१ ई०	
२	सुरेंद्र प्रताप सिंह, क्षे० वि० अ० मगरौरा, जिला प्रतापगढ़ ..	१५–१–१९६३ ई०	
३	राम सनेही सच्चान, क्षे० वि० अ० संडवा चंडीका, जिला प्रतापगढ़ ..	२–३–१९६३ ई०	
४	मैकू लाल, क्षे० वि० अ० बड़हनी, वाराणसी	३०–८–१९६३ ई०	
५	शिव शंकर लाल सक्सेना, क्षे० वि० अ० बारीखर खुर्द, जिला बांदा ..	६–९–१९६३ ई०	
६	आर० एस० किरथरिया, क्षे० वि० अ०, नौझील, जिला मथुरा	१५–५–१९६४ ई०	
७	रिशी मुनि पाण्डे, क्षे० वि० अ०, घुगली, जिला गोरखपुर ..	१९–८–१९६४ ई०	
८	शारदा प्रकाश अग्रवाल, क्षे० वि०अ०, छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद ..	२१–९–१९६४ ई०	
९	राम देव सिंह, क्षे० वि० अ० डीभी, जिला जौनपुर ।	६–१०–१९६४ ई०	
१०	रामयज्ञ सिंह, क्षे० वि० अ०, मानीयर, जिला बलिया । ..	१८–११–१९६४ ई०	
११	जे० पी० गुप्ता, क्षे० वि० अ० सांडी, जिला हरदोई । ..	१८–११–१९६४ ई०	
१२	आर० एस० मिश्रा, क्षे० वि० अ०, सिंघपुर, जिला रायबरेली । ..	१८–११–१९६४ ई०	

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८९९ पर)

१८-१२-१९६४ को सरकारी कर्मचारियों द्वारा नगराधीश, लखनऊ को मुख्य मंत्री के निवास स्थान पर दिये गए मेमोरेन्डम में उल्लिखित मांगों तथा उन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

मांगें	कार्यवाही
१—वेतन तथा महंगाई भत्ते की दरें उसी प्रकार से ड्योढी की जायें जिस प्रकार विधान मंडल के माननीय सदस्यों की इसी वर्ष की गई हैं ।	१—वेतन तथा महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि आदि आदि करने के विषय पर सरकार वेतन अभिनवीकरण समिति, १९६४ का प्रतिवेदन आने पर विचार करेगी । तात्कालिक सहायता देने की घोषणा १९६५-६६ का बजट प्रस्तुत करते समय बजट भाषण में की गई है । यह सहायता १-१-१९६५ से देय होगी, जो निम्न प्रकार है : ५० रुपया प्रतिमास वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को ५ रुपया प्रतिमास, ५१ रुपये से लेकर १५० रुपये प्रतिमास तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को १० रुपये प्रतिमास ,१५१ रुपये से लेकर ४५० रुपये प्रतिमास तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को १२ रुपये ५० पैसे प्रतिमास ।
२—राशन वितरण की व्यवस्था में सुधार किया जाय व गेहूं के बढ़ाये गये भाव में तत्काल कमी की जाय ।	२—राशन वितरण की व्यवस्था में सुधार करने के लिये गेंदा सिंह फेयर प्राइस शाप इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने पर विचार किया जायगा । गेहूं के भाव को उचित स्तर पर लाने के लिये प्रयास किया जा रहा है ।
३—ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारी जो लगातार तीन वर्ष से काम कर रहे हों स्थायी किये जांय और तीन वर्ष से अधिक काम करने वाले वर्क चार्ज तथा डेली वेजेज के कर्मचारी रेगुलर घोषित किये जायं ।	तीन वर्ष से अधिक समय से काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा वर्क चार्ज और डेली वेजेज के कर्मचारियों को भी रेगुलर घोषित नहीं किया जा सकता ।
४—छोटे कर्मचारियों के लिये आवास समस्या दूर करने के लिये सरकार सक्रिय कदम उठाने की कृपा करे ।	जिला हेडक्वार्टर्स पर छोटे बड़े सरकारी कर्मचारियों के लिये सरकार द्वारा मकान निर्माण करने की योजना कार्यान्वित की गई है ।
५—सरकार तुरन्त ऐसे आदेश दे कि समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एक प्रकार की वर्दी दी जाय ।	५—समस्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को एक प्रकार की वर्दी दिये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

मांगें	कार्यवाही
६—सरकार तुरन्त ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ को मान्यता प्रदान करे।	६—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ का कहना है कि संघ अंजुमन चपरासियान तथा अंजुमन हिमायत चपरासियान के विलीनीकरण से बना है जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त अलग-अलग दो संस्थाएं है। विलीनीकरण के लिए शासन की स्वीकृति अपेक्षित है। संघ से पूछा गया था कि उन्होंने विलीनीकरण के लिये शासन की अनुमति प्राप्त की थी। कई बार अनुस्मारक देने पर भी अभी तक संघ का कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ। ऐसी दशा में संघ को अमान्यता प्राप्त ही समझा जा रहा है और ऐसी दशा में उसे मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता है।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०४ पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र १९६५ के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित श्री कल्याणचन्द मोहिले द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर से सम्बन्धित सूचना

तालिका

वित्तीय वर्ष			आवर्तक अनुदान	अतिरिक्त आवर्तक अनुदान	अनावर्तक अनुदान
१			२	३	४
१९५५-५६	..	..	३,७००	..	..
१९५६-५७	..	..	३,७००	..	..
१९५७-५८	..	..	३,७००	..	..
१९५८-५९	..	..	३,७००	..	..
१९५९-६०	..	..	३,८००	..	..
१९६०-६१	..	..	३,८००	१,५००	२,०००
१९६१-६२	..	..	३,८००	१,५००	..
१९६२-६३	..	..	३,८००	३,०००	..
१९६३-६४	..	..	३,८००	३,०००	..
१९६४-६५	..	..	३,८००	३,०००	..

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या ५–६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०५ पर)

प्रथम सत्र १९६५ के दूसरे बुधवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर

क्रम-संख्या	नाम बीज भंडार	नाम विकास खंड जहां बीज भंडार स्थित हैं	नाम सहकारी पर्यवेक्षक	तिथि जब से पर्यवेक्षक भंडार में कार्य कर रहे हैं
१	२	३	४	५
१	१—दानियालपुर ..	बंकी	कमला प्रसाद सिंह	अप्रैल, १९५८ से
	२—जहांगीराबाद		राम शरन लाल श्रीवास्तव	दिसम्बर, १९६२ से
२	३—बड़ागांव ..	मसौली	कमला प्रसाद सिंह	मई, १९५८ से
	४—पल्हरी ..		बालकराम पांडे	अक्तूबर, १९५७ से
३	५—देवा ..	देवा	साहबदयाल सिंह	अक्तूबर, १९६२ से
	६—पवैयाबाद		शिव कुमार राय	जुलाई, १९६१ से
४	७—सतरिख	हरख	शत्रुघनसिंह	अक्तूबर, १९६४ से
	८—जैदपुर ..		राम निवाज यादव	अक्तूबर, १९६४ से
५	९—मझगवां ..	फतेहपुर	शिव सेवक तिवारी	अप्रैल, १९५८ से
६	१०—लालपुर करौता	सूरतगंज	गजाधर प्रसाद वर्मा	जुलाई, १९६४ से
	११—सुढ़ियामऊ ..		बाबूराम द्विवेदी	सितम्बर, १९६४ से
७	१२—रामनगर ..	रामनगर	पुत्तूलाल श्रीवास्तव	सितम्बर, १९६२ से
	१३—खुरवरी		भगवती प्रसाद तिवारी	नवम्बर, १९६१ से
८	१४—कुर्सी ..	सिन्दूरा	बाबादीन मिश्र	सितम्बर, १९५९ से
	१५—कतुरी कलां ..		रामयश सिंह	फरवरी, १९६२ से
९	१६—डलमऊ ..	रुदौली	शेख अब्दुल्ला	अक्तूबर, १९६४ से
	१७—रुदौली ..		राम बहादुर सिंह	अक्तूबर, १९६२ से
१०	१८—टिकैतनगर ..	पूरे डलई	महेश प्रसाद यादव	जून, १९६० से
११	१९—अकबरपुर ..	दरियाबाद	सोहन लाल वर्मा	सितम्बर, १९६० से
	२०—कोटवाधाम		राम हरष पांडे	फरवरी, १९६१ से
	२१—मथुरानगर ..		इन्द्रमणी चतुर्वेदी	फरवरी, १९६३ से
१२	२२—कोटवा सड़क ..	बनीकोडर	राम फेर यादव	फरवरी, १९६१ से
१३	२३—चौबीसी ..	हदरगढ़	मोती लाल शर्मा	दिसम्बर, १९६१ से
	२४—सुबेहा ..		हरिनारायण तिवारी	अप्रैल, १९६३ से
१४	२५—मिलवल ..	त्रिवेदी गंज	दयाराम गुप्त	अगस्त, १९६४ से
	२६—कोहदा ..		जियाउलहक	जून, १९६२ से
१५	२७—सिद्धौर ..	सिद्धौर	सूरजलाल गुप्त	सितम्बर, १९६० से
	२८—उसमानपुर ..		राम निवास सिंह	फरवरी, १९६२ से

प्रथम सत्र १९६५ के दूसरे बुधवार के लिये अतारांकित प्रश्न ६ की सूचना क्विंटलों में

क्रम- सं०	नाम बीज भंडार	बीज जो बांटा गया १९६३–६४ खरीफ	रबी	१९६४–६५ खरीफ	रबी	बीज जो वसूल हुआ बीज जो वसूल हुआ १९६४ में खरीफ	रबी
१	दानियालपुर	६१.६२	२२१.०८	६८.८८	२८०.६४	७०.७१	२८१.७२
२	जहांगीराबाद	८०.०२	१३४.५७	९४.४८	१५८.४९	१००.०३	१६०.१६
३	बड़ागांव	१८७.९६	३५२.०७	१६५.२७	३१४.६८	१६९.९२	३१६.८५
४	पल्हरी	१९७.१६	२८०.१३	१९१.६३	२४९.८०	१९५.३८	२५०.८७
५	देवा	१३०.८१	३२२.४१	१४४.५५	३१२.७५	१४७.२४	३१५.२९
६	पवैयाबाव	१७८.९६	२५९.८४	१९८.३५	२२२.८४	२०१.३६	२२४.१०
७	सतरिख	८६.१४	३२०.५४	१०३.५६	१९५.०२	१०७.६८	१९५.३४
८	जैदपुर	१८७.७६	२९९.१०	२३१.२०	३०२.९४	२३४.७०	३०३.८५
९	मझगवां	८०.९६	२४२.५६	१४८.२४	२९९.०६	१०१.२०	३०३.२०
१०	लालपुर करीता।	४०.००	२४८.८५	३३.९६	१११.७९	३५.००	११५.११
११	सुढ़ियामऊ	११६.२०	२१८.००	१४६.८८	२०९.९६	११९.१५	२०९.१४
१२	राममगर	४८.३८	३०५.२१	४४.२२	३१०.८७	४५.०२	३१३.८२
१३	खुरवरी	६६.३६	३५१.२८	५४.१६	३०३.७६	५४.७७	३०५.२१
१४	कुर्सी	२५७.८८	३५१.१९	२९८.००	३५२.७५	३०४.८४	३५७.०६
१५	कतुरी कलां	१८५.३०	२८७.४०	२१४.९२	२५८.१२	२२०.८२	२५९.४७
१६	डलमऊ	१३६.६४	१४५.६७	१६२.००	१६७.२३	१६४.७४	१७०.००
१७	रुदौली	८१.२०	३१८.९०	९०.००	२५५.९०	९१.००	२५७.२०
१८	टिकैतनगर	१२६.५८	२२८.४४	१६०.१९	१७९.५६	१६३.२२	१८१.५४
१९	अकबरपुर	१६७.०७	३०२.०५	२२०.००	२५५.६१	२००.६०	२५६.९६
२०	कोटवा धाम	१२.३९	२४५.०२	१४९.४८	२३३.४८	१५१.५३	२३४.६६
२१	मथुरानगर	१६४.८६	३६१.०२	२३३.००	३००.३६	२०६.०८	३०१.२२
२२	कोटवा सड़क	१४८.३३	२८८.१६	१७५.८२	३४४.८७	१७८.८१	३४७.०१
२३	चौबीसी	११५.०३	१५४.९१	१२७.७०	१३९.९६	१ .९.७८	१४०.९४
२४	सुबेहा	१५९.४०	१९५.३२	१८५.५०	१६८.५६	१९०.००	१७१.०९
२५	मिलवल	५७.७२	१४४.२०	७०.०८	१२८.३६	७१.५७	१३०.२४
२६	कोहवा	२७.६०	९६.०७	३२.०१	८०.६१	३२.६०	८२.२२
२७	सिद्धौर	३३.८६	१११.६०	४२.००	१३०.४५	४२.३२	१३०.९९
२८	उसमानपुर	९३.१५	१७८.१४	११५.१०	१८०.९५	११६.४४	१८१.९२
	योग	३,३४३.०७	७,०६३.०९	३,९०१.१८	६,४४९.५०	३,८४६.५१	६,४९७.१८

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९०५ पर)

जिला बाराबंकी राजकीय एलोपैथिक डिस्पेंसरियों की सूची जहां डाक्टर नियुक्त हैं ।

डिस्पेंसरी का नाम	डा० का नाम	तिथि नियुक्ति
दरयाबाद ..	डा० ए० पी० मुकर्जी, पी०एम०एस०	२१–७–६४
रामनगर ..	डा० के० पी० गुप्ता, पी०एम०एस०	२–७–६४ अपरान्ह
रुदौली ..	डा० ओ० पी० कपूर पी०एम०एस०	२७–५–६१
सूरतगंज ..	डा० जी०एम०तिवारी ..	१३–७–६३
बरागांव ..	डा० सुरेशचन्द्र पी०एम०एस०	५–६–६४
फतेहपुर ..	डा० एस०एम०ए० जैदी पी०एम० एस०	२२–३–६२
जहांगिराबाद ..	डा० जटा शंकर पी०एम०एस०	१–१०–६३
जैदपुर ..	डा० आर०एल०हंस .. पी०एम०एस० ।	१९–६–६३ अपरान्ह
राम सनेही घाट	डा० आर० सी० माथुर पी०एम०एस०	१६–७–६४
कुरसी ..	डा० एस०एन० धवन, पी०एम०एस०	अब नियुक्त किये गये हैं
असेन्द्रा ..	डा० सादिक रजा मिर्जा पी०एम०एस	१–१–६४

राजकीय ऐलोपैथिक डिस्पेंसरियों की सूची जहां डाक्टर नियुक्त नहीं हैं

डिस्पेन्सरी का नाम	तिथि जब से डाक्टर नहीं है
धुधुटर ..	१७–११–६० से
हैदरगढ़ ..	१५–१०–६४ से
नरौली ..	२–७–५९ से
सुबेहा ..	३०–१०–६२ से
कोटवा जगजीवन दास ..	९–८–६२ से
मिटौली ..	१–१–५९ से
दादरा ..	९–६–६३ से
बरमौली ..	२३–१–६४ से
फुरीदोलाई ..	८–१२–६४ से
मवाई ..	८–१२–६४ से

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२११ एल० ए०—१९६५—८७० ।